बीकानेर का राजनीतिक विकास

और

पण्डित मघाराम वैद्य

सम्पादक :—

हिन्दी के यशस्वी लेखक और पत्रकार

श्री सत्यदेव विद्यालंकार

मूल्य २॥)

डाक से २॥।-)

बीकानेर की जन-जागृति

का

बीजारोपण करने वाले

बाबू मुक्ताप्रशाद जी वकील

को

श्रद्धा के साथ समर्पित

सहायक

उदारचेता

सेठ मगनमल जी पारख

कोचरों की गली

बीकानेर

ने

प्रकाशन में सराहनीय सहायता

प्रदान की है।

दो शब्द

ब्रिटिश भारत की तुलना में देशी राज्य और देशी राज्यों की तुलना में राजपूताना जितना पिछड़ा हुआ है, उतना ही राजपूताना की तुलना मे बीकानेर पिछड़ा हुआ है। बीकानेर का राज्य और जनता भी अभी भारत से एक-डेढ सदी पीछे हैं। बीकानेर के महाराज अपने को आधुनिक युग के समान प्रगतिशील बताते हुए समय-समय पर जो लम्बे-चौड़े वक्तव्य देते रहते हैं, उनकी कसौटी पर उनका अपना राज्य किसी भी अंश मे पूरा नहीं उतरता। अपने विचारों के ढांचे में अपने राज्य और अपनी शासन-व्यवस्था को महाराज ने ढालने का यत्न नहीं किया। प्रजा का संगठन एवं आंदोलन भी प्रायः निष्प्राण है। थोड़ी-बहुत जागृति इन दिनों में जो दीख पड़ती है, उसके पीछे जागृत जनता की चेतना का प्रायः अभाव है। इसीलिए उसका राज्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। प्रजा परिषद् का संगठन कई बार किया गया और उसकी ओर से कई छोटे-मोटे संघर्ष एवं आन्दोलन हुये। लेकिन, कोई राजव्यापी संघर्ष या आंदोलन छेड़ने की सामर्थ्य प्रजा परिषद् में पैदा नहीं हो सकी। 'राजनीतिक जागृति' अथवा 'राजनीतिक जीवन' नाम की चीज का जन्म अभी बीकानेर में नहीं हो सका है। बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस दिशा में विशेष प्रयत्न करना होगा। उनको अपने कार्य का श्रीगणेश प्रायः प्रारम्भ से ही करना चाहिये।

राजनीतिक जीवन एवं जागृति पैदा करने के लिये 'साहित्य' अथवा 'प्रकाशन' एक बड़ा साधन है। जिस राज्य में भाषण, लेखन एवं संगठन के मौलिक अधिकार भी प्रजा को प्राप्त नहीं हैं, उसमें 'साहित्य' के प्रकाशन का काम हो नहीं सकता। इसलिए बीकानेर के

जन-सेवकों को उन देशभक्तों के मार्ग को अपनाना चाहिये, जिन्होंने अपने राष्ट्र से निर्वासित रह कर अपने राष्ट्र के लिए जन-जागृति का काम किया है। राज्य की ओर से जिस कठोर दमन एवं अन्धाधुन्ध निर्वासन की निन्दनीय दुर्नीति से काम लिया गया है, उसको देखते हुये बीकानेर के निर्वासित जन-सेवकों के लिए इस मार्ग को अपनाना और भी सहज एवं आवश्यक था। लेकिन, उन्होंने इस मार्ग को अपनाया नहीं। वे इटली के गैरीबाल्डी, फ्रांस के मार्शल लफयात, फिलिपीन्स के जनरल इगिनाल्डो, रूस के सौवियों लेनिन और अपने ही देश के महान क्रांतिकारी नेता परम देशभक्त श्री सुभाषचन्द्र बोस को अपने जीवन का आदर्श नहीं बना सके। उन्होंने 'साहित्य' की गोलाबारी की बीकानेर पर वर्षा नहीं की। १९३२-३३ के राजद्रोह के मुकद्दमे के दिनों में थोड़ा-सा प्रयत्न इस दिशा में किया गया था। लेकिन, वह संगठित न था। केवल दो-एक पुस्तिकायें प्रकाशित हुईं। लंदन में पार्लमेंट के सदस्यों में भी कुछ साहित्य बांटा गया था। इसी प्रकार इधर भी अलवर में बीकानेर प्रजापरिषद का कार्यालय कायम करके कुछ साहित्य प्रकाशित किया गया था। लेकिन, जन-जागृति और आन्दोलन की दृष्टि से वह इतना उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। बीकानेर की जनता के लिए अंग्रेजी में प्रकाशित साहित्य का क्या प्रयोजन था?

बीकानेर के जन-नायकों से इस बारे में अनेक बार चर्चा हुई। १९३२-३३ में बीकानेर-षड्यन्त्र के मुकद्दमे के सम्बन्ध में प्रकाशित पुस्तिका की छोटी-सी भूमिका लिखने के समय से बीकानेर के सम्बन्ध में कुछ साहित्य लिखने का मेरा विचार था। भाई सत्यनारायण जी सराफ से दिल्ली और हिसार में भी विचार-विनिमय हुआ। अबोहर में भी एक बार कुछ साथियों के साथ चर्चा और विचार हुआ था। निर्वासित अवस्था में श्री रघुवरदयालजी गोयल से मैंने कुछ लिख देने का बार-बार आग्रहपूर्ण अनुरोध किया। प्रजापरिषद के अन्य

कार्यकर्त्ताओं के साथ भी चर्चा हुई। लेकिन, कुछ लिख सकने के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त न हो सकी। दो वर्ष हुए दुधवाखारा-कांड के सिलसिले में वैद्य मघारामजी दिल्ली आये हुए थे। वैद्यजी के साथ यह तय हुआ कि बीकानेर राज्य का दौरा करके सारी सामग्री जुटाई जाय और कुछ लिखा जाय। बीकानेर लौटने पर वे गिरफ्तार कर लिये गये और वह विचार जहां का तहां रह गया। इसके बाद गत वर्ष रायसिंहनगर के श्री रामचन्द्रजी जैन वकील से परिचय हुआ। आपने बीकानेर के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखकर प्रकाशन के लिए दे दी। अपने मित्रों से आपने उसकी सैंकड़ों प्रतियां बिकवाने का भी प्रबन्ध कर लिया। लेकिन, वह पुस्तक भी प्रकाशित न हो सकी। वैद्य मघारामजी जेल से छूटते ही दिल्ली आ पहुंचे और बीकानेर के सम्बन्ध मे एक पुस्तक प्रकाशित करने का निश्चय कर के वापिस बीकानेर गये। डेढ़-दो मास में वे सारी सामग्री जुटा लाये। उसको मैंने देखा। भाई रामचन्द्रजी जैन की हस्तलिखित पुस्तक की सामग्री के साथ उसको मिलाकर एक पुस्तक तैयार करने का भार वैद्यजी ने मुझ पर डाल दिया।

वैद्य मघारामजी बीकानेर के एक तपे और मंजे हुए लोकसेवक हैं। बीकानेर की सरकार ने आपको पुलिस की नौकरी से अलग किया हुआ बताकर बदनाम करने का प्रयत्न किया। लेकिन, अपनी सेवा, त्याग और कष्टसहन से आपने बीकानेर के लोगों में अपना स्थान बना लिया है। कलकत्ता में भी आपने लोकसेवा करते हुए काफी यश सम्पादन किया था। बीकानेर मे किसानों में आपने अच्छा काम किया है और दुधवाखारा की समस्या को अपनी समस्या बनाकर आपने उसके लिए कष्ट भी खूब उठाया है। जेल में आपके साथ अत्यन्त निर्दय और नृशंस व्यवहार हुआ। आपकी वृद्धा माता, बहन, भाई आदि सब आपके ही रंग में रंगे हुए हैं। पुस्तक के दूसरे भाग में यह सारी कहानी विस्तार के साथ दी गई है। पुस्तक का पहिला भाग

भाई रामचन्द्र जी जैन की हस्तलिखित पुस्तक के आधार पर तैयार किया गया है। यह सारी सामग्री उनकी ही जुटाई हुई थी। आप अभी अभी ८-६ मास जेल में बिताने के बाद रिहा हुए हैं। रायसिंह-नगर में हुये उस सम्मेलन में आपका प्रमुख हाथ था, जो उस समय के गोलीकाण्ड तथा उसमें शहीद हुए बीरबलसिंह के कारण बीकानेर के इतिहास में चिरस्मरणीय हो गया है। आप एक होनहार व उत्साही लोकसेवक हैं। धुन के पक्के और लगन के सच्चे हैं। आपसे बीकानेर को बहुत आशायें हैं। आप बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् के इस समय प्रधान कार्यकर्ता हैं।

प्रस्तुत पुस्तक फिर भी जैसी चाहिये थी, वैसी नहीं बन सकी। अपनी सारी कमियों और त्रुटियों के साथ भी बीकानेर की जन-जागृति के सम्बन्ध में लिखी गई यह पहली पुस्तक है। यह आशा रखनी चाहिये कि इसके बाद लिखी जाने वाली पुस्तकों में इसकी कमियां या त्रुटियां सर्वथा दूर कर दी जायेंगी। यह पुस्तक इस दिशा में किये जाने वाले साहित्य के लिये पथ-प्रदर्शन का काम करेगी। 'नवभारत' के सहकारी सम्पादक श्री प्रेमनाथजी चतुर्वेदी ने इसका दूसरा भाग तथा परिशिष्ट भाग लिखने, सारे प्रूफ पढ़ने और पुस्तक का ढांचा ठीक करने में सराहनीय हाथ बटाया है। उनका आभार मानना आवश्यक है।

उचित समय पर अधिक सामग्री न मिलने से पुस्तक के कुछ हिस्सों में सामयिक सामग्री और सामयिक आंकड़े नहीं दिए जा सके। उदाहरण के लिये पहिले अध्याय के भाग ८ में बजट की चर्चा करते हुये पुराने आंकडे दिये गये हैं। उस भाग के छप जाने के बाद हमें बीकानेर की धारा-सभा के मार्च १६४७ के बजट अधिवेशन की कार्यवाही देखने को मिली, जिसमें १६४७–४८ का बजट पेश किया गया था। अर्थमन्त्री कर्नल श्री महाराज नारायणसिंहजी के बजट-भाषण के कुछ अंश भी देखने को मिले। अर्थ-मन्त्री ने १६४४–४५ के

बजट की तुलना वर्तमान बजट से करते हुये कहा है कि "ईश्वर को धन्यवाद है कि वर्षा अच्छी होने, गंगा नहर से पर्याप्त पानी मिलने और किसान के खुशहाल होने से बजट की सभी मदोंमें अनुमान से कहीं अधिक आमदनी हुई।" लगातार ८ लाख का घाटा इस प्रकार पूरा हो गया। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य की आमदनी का मुख्य आधार किसान है। लेकिन, राज्य की आमदनी से कोई विशेष लाभ किसान को नहीं मिलता। १९४७–४८ के बजट में राज्य की कुल आमदनी ३,१६,२२,८६१ रुपये कूती गई है। खर्च कूता गया है ३,१७,६३,१६० रुपये। बचत १,२६,७३१ रुपया बताई गई है। राष्ट्र-निर्माणके लिये ५० लाख रुपया अलग रखा गया है, जो प्रधानतः रेलवे विभाग पर पांच वर्षों में खर्च किया जायगा। यह भी इसलिये कि राज्य की आमदनी का प्रधान साधन रेलवे है। लगभग एक तिहाई आमदनी (६० लाख के करीब) केवल रेलवे से पैदा की जाती है।

१९४५–४६ के बजटके अन्तिम आंकड़े, जान पड़ता है कि तैयार नहीं हो सके। इसलिये अर्थ मन्त्री ने तुलना के लिये १९४४–४५ के बजट की संख्यायें ली हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि १९४६ के केवल सितम्बर तक के आंकड़े प्राप्त हैं। १९४५–४६ का बजट घाटे का था। ७,६५,२२६ के घाटेका अनुमान लगाया गया था। लेकिन, उसमें घाटा रहने की संभावना नहीं रही। आमदनी बढ़ गई और सामान तथा मजूरों के उपलब्ध न होने से जनहित के कार्यों के लिये रखी हुई रकम खर्च नहीं हो सकी। जनहित के कार्यों पर नियत रकम भी खर्च न किये जाने का यह बहाना कई वर्षों से निरन्तर पेश किया जा रहा है। अगले वर्ष के लिए भी इसको पेश कर दिया गया है और इन कार्यों के लिए नियत १७ लाख की रकम इस वर्ष के बजट में नहीं रखी गई है। लेकिन, रेलवे और बिजली विभाग को बढ़ाने में ऐसी कोई बाधा पेश न आयेगी। जिलों में बिजली पहुंचाने, ट्रंक टेलीफोन लगाने और रेडियो स्टेशन बनाने के लिये तो सारा   ान भारत सरकार से खरीद

लिया गया है।

लोकोपकारी विभाग पर इस साल कुल १५,०६,७३६ रुपया खर्च किया जायगा। महाराज के निजी खर्च से यह बहुत ही कम है। शिक्षा के सम्बन्ध में बीकानेर की सरकार का यह दावा है कि राजपूताना में किसी भी अन्य राज्य में इतने कालेज या स्कूल नहीं हैं और बीकानेर में प्रारम्भ से लेकर कालेज तक शिक्षा सर्वथा मुफ्त दी जाती है। इस पर भी शिक्षा की औसतन संख्यायें दूसरे राज्यों से कुछ अधिक अच्छी नहीं हैं। साक्षर और शिक्षित प्रति सैकड़ा ६-७ से अधिक नहीं हैं। सच तो यह है कि 'निरस्तपादपे देशे एरण्डोपि द्रुमायते' वाला हाल है। राजपूताना के पिछड़े हुये राज्यों से तुलना न कर के यदि बड़ौदा, कोचीन और मैसूर से तुलना की गयी होती, तो अधिक अच्छा होता। राज्य की १२ लाख की आबादी को देखते हुए स्कूल में जाने वाले लड़कों की ३६ हजार संख्या सन्तोषजनक नहीं है। जनवरी १९४६ में यह संख्या ३४ हजार ५ सौ थी। एक लाख रुपया हिन्दुस्तान में पढ़ने वालों और ५० हजार विदेशों में जाने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिये रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के विकास के लिए ४,१७,५०० रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। लेकिन, इसमें से अधिकांश राजधानी और किलों में ही खर्च हो जायगा। गांवों के लिए चलते-फिरते औषधालयों की बात तो कही गयी है।

इस वर्ष अधिक आमदनी का जो हिसाब लगाया गया है, वह भी बहुत दिलचस्प है। नीचे हर मद के सामने उस संभावित अधिक आमदनी का उल्लेख किया गया है—लगान १,२७,०००, आयकर ५०,०००, शराब २६,९४,२०५, रेलवे ६,००,०००, पुलिस ५७,६५०, ग्रामोद्योग ३४,९६६, ब्याज १,००,०००, बिजली तथा यान्त्रिक विभाग १,८७,००० । व्ययकी कुछ संख्यायें निम्न प्रकार हैं—फौज ४,४३,३९९, पुलिस ४,४०,३५९, शिक्षा २,४७,५८२, स्वास्थ्य १,१४,५६७, सड़कें

२,०३,२३६,ग्रामोद्योग ३६०८४,जल-व्यवस्था ४२,४६४,म्यूनिसिपैलिटी २,००,२७३। ये संख्यायें अपनी कहानी आप कह रही हैं। इन पर अधिक टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। बजट के सम्बन्ध में जो चर्चा यथास्थान की गई है, वह इन संख्याओं पर भी ठीक बैठती है।

राज्य में जिस दमन नीति से काम लिया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में यहां इतना और लिख देना आवश्यक है कि जब इस पुस्तक का लिखना शुरू किया गया था, तब लगभग १२५ व्यक्ति राजनीतिक कारणों से जेलों मे बन्द थे। इस समय भी जून मास के अन्तिम दिनों मे लगभग ६० राजबन्दी जेलों में बन्द हैं। श्री माणिकचन्द सुराणा और श्री कुम्भाराम जी चौधरी को पिछले ही दिनों में गिरफ्तार किया गया है। राज्यभर में लगभग बारह महीनों से १४४ धारा लगी हुई थी। राजगढ़ में इसके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया गया था। उसको बन्द कर देने पर सब राजबन्दियों को रिहा करने का आश्वासन राजकर्मचारियों की ओर से दिया गया था। वह पूरा नहीं किया गया। दमन की नीति से अब तक भी राज्य ने हाथ नहीं खींचा। तिरंगा राष्ट्रीय झंडा केवल प्रजापरिषद के कार्यालयो पर और सभाओं में फहराया जा सकता है, अन्य स्थानों पर नहीं। विधान परिषद मे शामिल होकर वाहवाही लूटने वाले महाराज के राज का यह भीतरी चित्र है।

नये शासन-सुधारों के अनुसार की जाने वाली शासन-व्यवस्था का स्वरूप अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। लेकिन, यह स्पष्ट हो गया है कि दो धारासभायें बनाई जा रही हैं। निस्सन्देह, उनके लिए मताधिकार का क्षेत्र काफी व्यापक रखा गया है और नीचे की धारा सभा में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत भी अच्छा रखा गया है। लेकिन, बीकानेर की जनता की राजनीतिक जागृति और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए दो धारासभाओं का बनाया जाना

अनावश्यक है । जनता की प्रतिनिधि धारासभा के सिर पर सामन्तों और श्रीमन्तों की प्रतिगामी धारासभा के बिठाये जाने से सम्भव है कि कहीं शासन-सुधारों का उद्देश्य ही नष्ट न हो जाय। पूरी समीक्षा तो सारी योजना सामने आने पर ही की जा सकती है ।

प्रस्तुत पुस्तक, आशा है, बीकानेर की जन-जागृति का एक चित्र पाठकों के सामने उपस्थित कर सकेगी और इसके बाद इसके सम्बन्ध में और अच्छा साहित्य प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस आशा के साथ यह पुस्तक बीकानेर की जन-जागृति के लिए प्रयत्नशील जनता-जनार्दन के सेवकों की सेवा में स्नेह के साथ समर्पित है ।

'रियासती प्रकाशन' के नाम से देशी राज्यों के सम्बन्ध में छोटी-मोटी पुस्तकें प्रकाशित करने की योजना कुछ मित्रों के साथ मिलकर बनाई गई थी। उन मित्रों के सहयोग के अभाव में उस योजना का जन्म के साथ ही अन्त हो गया। फिर भी इस पुस्तक के प्रकाशन में, उसका सम्पादन करने के रूप में सहायक होने पर, मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। इसके सम्पादन करने का जो सुअवसर मेरे मित्रों ने मुझे प्रदान किया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के कार्यकर्ता-प्रधान श्री रामचन्द्रजी जैन और श्री मघारामजी वैद्य का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ ।

बहुत प्रयत्न करने पर भी छपाई की शीघ्रतावश जहां-तहां नामों में गल्तियां रह गई है। स्वामी केशवानन्द के स्थान पर स्वामी कर्मानन्द, उदासर के स्थान पर उदरासर, नित्यानन्द पन्त के स्थान पर देवीदत्त पन्त पढ़ना चाहिए। कृपया नोट करलें ।

४० ए, हनुमान रोड,
नई दिल्ली.
२५ जून १९४७.

—सत्यदेव विद्यालंकार

विषय-क्रम

पहिला अध्याय

दूसरा अध्याय

तीसरा अध्याय

चौथा अध्याय

पांचवां अध्याय

बीकानेरी दमन पर

श्री नेहरू जी

"जब से मैं जेल से छूट कर आया हूँ, बीकानेर के बारे में मेरे पास सब से ज्यादा शिकायतें आरही हैं। बीकानेर सरकार की तरफ से घटनाओं को गलत ढंग से छिपाने की कोशिश की गयी है। मुझे इतमीनान है कि बीकानेर सरकार बिल्कुल गलत रास्ते पर है। वहां जाकर जानकारी करने वालों को रोका गया है। मैंने रियासत के प्राइम मिनिस्टर श्री पन्निकर को एक पत्र लिखा था, जिस का जवाब मिला। मैंने दूसरा पत्र लिखा, जिस का आज तक कोई जवाब नहीं आया। जहा शादी की कुमकुम पत्रिकाएं राज्य से सेन्सर करानी पड़ती हों, जहा पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किये जाते हों, और उनके प्रतिवाद में मनगढन्त दलीलें दी जाती हों, उस राज्य के शासक इन्सान नहीं हैवान हैं। आखिर ये जुल्म-ज्यादती कब तक चलायेंगे ?"—

उक्त उद्‌गार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उदयपुर में होने वाले अंतिम दिन के खुले अधिवेशन में रियासतों में होने वाले दमन-सम्बन्धी प्रस्ताव की विवेचना करते हुए व्यक्त किये थे।

पहिला अध्याय

पहिला अध्याय

पहिला अध्याय

भाग १.

श्रीगणेश

ब्रिटिश भारत की राजनीति ने १९२१ में करवट बदली। गांधी-युग के साथ हमारे सार्वजनिक जीवन में एक नये अध्याय का श्रीगणेश हुआ। परावलम्बी वृत्ति का परित्याग कर राष्ट्र ने स्वावलम्बन, असहयोग और सत्याग्रह के मार्ग का अवलम्बन किया। 'एक वर्ष में स्वराज्य की प्राप्ति' की आकांक्षा जनता में इस तेजी के साथ जागी कि देशी राज्यों की सोई हुई जनता भी जाग उठी। उसने भी करवट बदल कर उठना शुरू किया। बीकानेर में भी जागृति का श्रीगणेश इन्हीं दिनों में हुआ। लेकिन, तब भी देशी राज्यों की जनता की स्थिति वैसी ही थी, जैसी कि १९०६-७ में ब्रिटिश भारत की जनता की थी। बंग-भंग को लेकर जैसे तब 'वन्देमातरम्' का नारा लगाया गया था और यत्र-तत्र विदेशी बहिष्कार आन्दोलन शुरू हुआ था, ठीक वैसे ही १९२० में देशी राज्यों में हलचल का सूत्रपात हुआ। बीकानेर में भी तब कुछ हलचल दीख पड़ी थी। बीकानेर के पहिले देशभक्त वकील मुक्ताप्रसादजी ने सद्विद्याप्रचारिणी सभा की स्थापना करके अफसरों की रिश्वतखोरी और अन्याय के विरोध में आवाज उठाई थी। श्री मुक्ताप्रसादजी वकील उसके प्रधान और श्री कालूराम बारड़िया उसके मंत्री थे। उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं में सर्वश्री रावतमलजी कोचर, फालगुनजी कोचर, भोलारामजी, गंगारामजी और चम्पालालजी के नाम उल्लेखनीय हैं। इस सभा की ओर से 'सत्य विजय' और 'धर्म विजय' नाम के दो नाटक खेले गये थे। इनमें सरकारी

अधिकारियों की रिश्वतखोरी और अन्याय का परदाफाश किया गया था। इन्हीं दिनों में विदेशी कपड़ों की होली भी बीकानेर में जलाई गई थी। यह पहिला सार्वजनिक राजनीतिक आयोजन था।

उन्हीं दिनों अजमेर-मेरवाड़ा प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी और राजपूताना मध्यभारत सभा की ओर से राजपूताना और मध्यभारत के देशी राज्यों में कुछ काम शुरू किया गया था। लेकिन, बीकानेर मे किसी का जाना तक सभव न था। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन प्रधान श्री चांदकरणजी शारदा और देशभक्त श्री अर्जुनलालजी सेठी का भी बीकानेर में प्रवेश निषिद्ध था। ऐसी स्थिति मे श्री कन्हैयालालजी कलयन्त्रीने बीकानेर जाने का साहस दिखाया। वहा आप नौ दिन रहे और आपने वहा खूब प्रचार किया। मेहतरों और हरिजन भाइयों को आपने शराब छोड़ने के लिये प्रेरित किया। आपकी प्रेरणा पर न्याती की पचायत ने शराब पीने वाले पर ५१) जुर्माना करने, छ मास न्यात-भोज से उसको वंचित रखने और शराब पीने वाले का पता बताने वाले को एक रुपया इनाम देने का निश्चय किया। आपने कांग्रेस के सभासद भी बनाये। पुलिस ने आपका छाया की तरह पीछा किया। जब नौ दिन बाद आप नागौर जाने के लिये गाड़ी से विदा हुये, तो गाड़ी को रोक कर और बहाना बना कर आपको रोक लिया गया। दूसरे दिन आपको पहिली गाड़ी से बीकानेर से निर्वासित होने का हुक्म दिया गया। जब आपने हुक्म न माना, तो आपको पुलिस के ग्यारह सिपाहियों के साथ नागौर का टिकट देकर बीकानेर से बाहर कर दिया गया।

१. स्वर्गीय नजाजजी का अपमान

स्वर्गीय महाराज गगासिंहजी अपने को नये जमाने का दिखाते हुए भी दमन, उत्पीडन एव निर्वासन की नीति में इतना विश्वास रखते थे कि उसको बड़े से बड़े आदमी के विरोध मे भी काम मे लाने में सकोच

नहीं करते थे। १६२७-२८ में बम्बई के प० माधवप्रसादजी शर्मा एटार्नी-एट ला, ने रतनगढ़ ब्रह्मचर्याश्रम के उत्सव पर स्वर्गीय देशभक्त सेठ जमनालाल जी बजाज को निमंत्रित किया। सेठजी का इस शिक्षण-संस्था के उत्सव पर आना भी बीकानेर के स्वर्गीय महाराज को सहन न हुआ। सेठजी को और उनके साथियों को गाड़ी से उतरने तक का अवसर न दिया गया और आपको हिसार जाने को मजबूर किया गया। हिसार तक बीकानेर की पुलिस आपके साथ आई।

२. राजद्रोह का मुकदमा

१६३२ में चलाया गया राजद्रोह का मुकदमा अपने ढंग का एक ही था। बीकानेरी दमन का यह एक नमूना था। जहां भी कहीं वाचनालय, पुस्तकालय, सेवासमिति अथवा ऐसी किसी अन्य निर्दोष संस्था के रूप में भी कुछ थोड़ा-सा भी जीवन या हलचल दीख पड़ती थी, वहीं से किसी न किसी को फंसा कर राजद्रोह और षड्यन्त्र का एक भयानक मुकदमा चलाया गया। बीकानेर के लिये इस मुकदमे का उतना ही महत्व था, जितना कि दक्षिणेश्वर कलकत्ता में चलाये गये बम केस का अथवा १६१०—११ में पटियाला में आर्यसमाजियों पर चलाये गये राजद्रोह के मुकदमे का था। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति अभियुक्त बनाये गये थे —

१. स्वर्गीय श्री खूबरामजी सराफ, भादरा।
२ सत्यनारायणजी सराफ वकील, बीकानेर। आप उस समय रतनगढ़ में वकालत करते थे।
३. स्वामी गोपालदासजी, चूरू।
४. श्री चन्दनमलजी, चूरू।
५. श्री बद्रीप्रसादजी, राजगढ़।
६ श्री लक्ष्मीचन्दजी सुराणा, राजगढ़।

७. श्री सोहनलालजी सेवक, हैडमास्टर, चूरू।

८. श्री प्यारेलालजी सारस्वत मास्टर, चूरू।

इन सब पर ताजीरात बीकानेर की ८७ दफा ७ (ग), १२४ (क) और १२० (ख) के सगीन आरोप लगाये गये थे। ३७७ (ग) धारा के अनुसार राजघराने के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार से घृणा, द्वेष या तिरस्कार फैलाना अपराध ठहराया गया था जिसके लिये आजन्म कैद और जुर्माने की या कम भी सजा दी जा सकती थी। धारा १२४ (क) में बीकानेर के महाराज और उसकी सरकार के ही नहीं, बल्कि किसी भी राजा और उसकी सरकार के भी विरुद्ध घृणा पैदा करना अपराध ठहराया गया था। इसके लिये आजन्म या कम कैद की सजा के साथ जुर्माना भी किया जा सकता था। १२० (ख) में षड्यन्त्र के लिये ऐसी सजा का विधान किया गया था।

सर मनुभाई मेहता तब बीकानेर के दीवान थे और उनके हुक्म से राजद्रोह एवं षड्यन्त्र का यह संगीन मुकदमा चलाया गया था। जनवरी, फरवरी और मार्च १९३२ में अभियुक्त गिरफ्तार किये गये थे। बिना मुकदमा चलाये उनको तीन मास तक हवालात में बंद रखा गया। डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल पुलिस कुंवर सबलसिंह को १२ अप्रैल १९३२ को दीवान ने मुकदमा दायर करने का अधिकार दिया और १३ अप्रैल को जिला जज बाबू बृजकिशोर चतुर्वेदी की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ।

पुलिस की ओर से पेश किये गये इस्तगासे में कहा गया था कि मार्च १९३१ से ये सब अभियुक्त बीकानेर महाराज और उनकी सरकार के विरुद्ध घृणा व द्वेष फैलाने के लिये षड्यन्त्र करने में लगे हुए थे। इन्होंने दिल्ली के "प्रिंसली इण्डिया," अजमेर के "त्याग-भूमि" और दिल्ली के "रियासत" आदि के सम्पादकों के साथ मिलकर राजद्रोह फैलाने के लिये षड्यन्त्र रचा था। इन पत्रों के कुछ लेख इसके समर्थन में बतौर प्रमाण के पेश किये गये थे। आगरा की 'कष्ट निवारक समिति'

के मन्त्री श्री रामस्वरूप की ओर से प्रकाशित किये गये एक पर्चे को राजद्रोही ठहरा कर उसके लिखने और प्रकाशित करने के लिये किये गये षड्यन्त्र का आरोप भी अभियुक्तों पर लगाया गया था। संघ-शासन में बीकानेर को शामिल करने के सम्बन्ध में कांग्रेस को भेजे जाने वाले मेमोरियल को तैयार करने और उस पर लोगों के हस्ताक्षर लेना भी एक षड्यन्त्र था, जिसके लिये अभियुक्त अपराधी थे और कहा गया था कि उन्होंने इण्डियन स्टेट्स पीपल्स फेडरेशन के साथ मिलकर भी राजद्रोही प्रवृत्तियों में भाग लिया था। राजद्रोह के फैलाने के लिये इस्तगासे में कहा गया था कि अभियुक्तों ने 'त्यागभूमि' के सम्पादक श्री हरिभाऊजी उपाध्याय और बाबा नृसिंहदास के लिये चंदा इकट्ठा किया था। चूरू में हुई सभा में दिये गये स्वामी गोपालदासजी के भाषण को राजद्रोही बताकर उस सभा की रिपोर्ट 'प्रिंसली इण्डिया' में छपने के लिये भेजने का आरोप श्री सोहनलाल और श्री प्यारेलाल पर लगाया गया था।

इन आरोपों के आधार पर राजद्रोह और षड्यन्त्र का मुकदमा चलाया जाना उपहासास्पद प्रतीत होता है, किन्तु बीकानेर की सरकार ने इसको इतना अधिक महत्व दिया, जितना कि ब्रिटिश भारत में हिंसात्मक क्रांति करने वालों पर चलाये गये मुकदमों को दिया जाता था। लेकिन, सरकार की ओर से जो कागज-पत्र बतौर प्रमाण के पेश किये गये थे, उनमें अधिकतर समाचार-पत्रों में प्रकाशित किये गये लेख ही थे। दो एक पर्चे भी पेश किये गये थे। अभियुक्तों के प्रति इस मुकदमे के दौरान में भी काफी कठोर व्यवहार किया गया। उनकी किसी भी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रधान मन्त्री सर मनुभाई मेहता की सेवा में भेजे गये प्रार्थना-पत्र भी बेकार गये। गिरफ्तारी के तीन मास बाद मुकदमा चलाने की सरकार ने स्वीकृति दी और इस अरसे में अभियुक्तों को विचाराधीन बंदी मान कर किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं दी गई। उनके साथ साधारण कैदियों से भी

अधिक बुरा व्यवहार किया गया। उनकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। उनके बीमार पड़ने पर भी उनके प्रति सहृदयता नहीं दिखाई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने संगीन आरोप लगाये जाने पर भी और सरकार की ओर से मुकद्दमे की इतनी तैयारी करने पर भी अभियुक्तों को अपनी सफाई के लिये राज्य से बाहर के वकील नहीं लाने दिये गये। उनको आपस में मिल कर या जेल के बाहर के किसी आदमी से मिल कर अपने मुकदमे की तैयारी करने का भी अवसर नहीं दिया गया। राज्य के वकीलों में इतना नैतिक साहस न था कि वे ऐसे संगीन मुकद्दमे में महाराज और उनकी सरकार के विरुद्ध खड़े होने का साहस दिखा सकते। स्वर्गीय श्री मुक्ताप्रसादजी और श्रीरघुवरदयालजी ने साहस का परिचय देकर इस मुकदमे में अभियुक्तों की पैरवी की थी, किन्तु उनको भी सहूलियत से अपना काम नहीं करने दिया गया। बाद में उनको इसी मुकदमे के कारण घोरदमन तथा निर्वासन का शिकार बनाया गया। पुलिस को सब कुछ करने-धरने की खुली छूट थी। राज्य के कानून की ३४० । ४ धारा के अनुसार बाहर से वकील बुलाये जा सकते थे और पहिले भी कई मुकदमों में बाहर के वकीलों को पैरवी करने का मौका दिया गया था, किन्तु इस मामले में सर महुभाई टस से मस न हुये। छः अभियुक्तों की २६ अप्रैल १९३२ की दी गई दरख्वास्त पर आपने लिख दिया कि अभियुक्तों की ओर से बाबू मुक्ताप्रसाद वकील के मुकर्रिर हो चुकने से किसी और हुक्म के देने की जरूरत मालूम नहीं होती। फिर श्री मोहनलाल शर्मा और श्री प्यारेलाल सारस्वत ने १२ मई को दरख्वास्त दी कि श्री मुक्ताप्रसादजी वकील अभियुक्त श्री खूबरामजी की और श्री रघुवरदयालजी वकील अभियुक्त श्री सत्यनारायण सराफ की ओर से पैरवी कर रहे हैं। हमको बाहर से वकील बुलाने का हुक्म दिया जाय। ऐसी ही दरख्वास्त २७ मई को सर्वश्री चन्दनमल बहड़, बद्रीप्रसाद सरावगी मोहनलाल

सारस्वत और स्वामी गोपालदास जी की ओर से भी दी गयी थी। लेकिन, सुनवाई कुछ भी न हुई।

अभियुक्तों पर की गयी ज्यादतियों का पता २७ मई को श्री चन्दनमल बहड़ द्वारा जिला जज की अदालत में दी गई उस दरख्वास्त से लगता है, जो इस पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट में दी गई है। पुलिस ने उस पर कुपित हो कर श्री बहड़ को और भी तंग करना शुरू कर दिया। इस पर उनकी ओर से १८ जून को दी गई दरख्वास्त भी परिशिष्ट में दी गई है।

श्री सत्यनारायण सराफ और श्री खूबराम सराफ की बीमारी के कारण मुकदमा तीन सप्ताहों तक स्थगित होता रहा, किन्तु उनके दवा-दारू का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया, न उनको अपने डाक्टरों से औषधोपचार कराने दिया गया और न रिहा ही किया गया।

३. अभियुक्तों का असहयोग

अन्त में लाचार हो अभियुक्तों को मुकदमे की कार्यवाही में असहयोग कर उसमें भाग न लेने का निश्चय करना पड़ा। इस बारे में २३ जून को दी गई दरख्वास्तों में अभियुक्तों ने अपनी निम्न शिकायतें लिखी थीं.—

(१) बीकानेर सरकार की दुर्नीति,

(२) अपने विश्वासपात्र वकील को बाहर से बुलाने की सुविधा न देना,

(३) जेल से अदालत तक सख्त गरमी में आने के लिए सवारी का समुचित प्रबन्ध न करना,

(४) सवारी के लिये दरख्वास्त देने पर मुकदमा अदालत में न करके जेल को ही अदालत बना देना।

(५) सफाई के लिये खर्च भी मंजूर न करना और खानपान तथा रहन-सहन के लिये मानवोचित व्यवस्था न करना।

अपनी दरखास्तों में अभियुक्तों ने लिखा था कि हमारा विश्वास बीकानेर सरकार के न्याय पर से उठ गया है, इसलिए हमने अदालत की कार्यवाही में भाग न लेने का निश्चय किया है।

४. भीषण सजायें

फिर भी न्याय का यह नाटक होता रहा और अभियुक्तों को निम्न प्रकार सजायें सुना दी गई:—

श्री सत्यनारायण सराफ—	७ वर्ष
श्री खूबराम सराफ—	५ वर्ष
श्री चन्दनमल बहड़—	३ वर्ष
श्री बद्रीप्रसाद सरावगी—	? वर्ष
श्री प्यारेलाल सारस्वत—	६ मास
श्री सोहनलाल शर्मा—	३ मास
स्वामी गोपालदास जी—	४ वर्ष

स्वामी गोपालदास जी ने शुरू से ही मुकदमे में कोई भाग नहीं लिया। समाचार पत्रों में इस मुकदमे की विशेष चर्चा होनी स्वाभाविक थी।

लाहौर के 'ट्रिब्यून,' 'हिन्दीमिलाप,' कलकत्ता के 'विशालभारत' और दिल्ली के 'रियासत', आदि पत्रों के अलावा दर्जनों संस्थाओं ने भी बीकानेर की इस अन्धेरगर्दी के विरोध में आवाज उठाई थी। इनमें सिरसा, हिसार और लाहौर के बार एसोसियेशन, अग्रवाल महासभा तथा मारवाड़ी ट्रेड एसोसियेशन कलकत्ता, हिन्दू महासभा दिल्ली, अ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। परिषद की राजपूताना तथा पंजाब शाखा के मन्त्री श्री जयनारायणजी

ध्यान ने एक डिफेंस कमेटी का भी संगठन किया था। लेकिन, बीकानेर के महाराज और सरकार पर इस सारे आन्दोलन का कुछ भी असर नहीं पड़ा।

५. मध्यकालीन शासन का नमूना

बीकानेर के स्वर्गीय महाराज गंगासिंहजी सुनहरी घोषणायें प्रकाशित करने, लम्बे-लम्बे वक्तव्य देने और हिन्दू विश्व-विद्यालय बनारस के काम में दिलचस्पी लेकर अपने को प्रगतिशील और शिक्षा-प्रेमी बताने में जितने चतुर थे, उतना ही उनकी शासन-नीति दकियानूसी और प्रतिगामी थी। उनका शासन मध्यकाल के शासन का एक नमूना था। दमन, उत्पीड़न, निर्वासन और शोषण उनकी शासन-नीति के मूलमन्त्र थे। १९३२ में राजद्रोह और षड्यन्त्र का जो मुकदमा चलाया गया था, वह इसी दुर्नीति का एक नमूना था। उसका एकमात्र उद्देश्य सारे राज्य में आतंक पैदा कर लोगों को भयभीत करना था। सेवा समितियां, वाचनालयों, पुस्तकालयों और शिक्षा संस्थाओं के रूप में जो थोड़ी बहुत हलचल राज्य में जहां-तहां कभी दीख पड़ने लगती थी, उसका गला घोंटना उनका एकमात्र लक्ष्य था। खादी-भण्डार भी महाराज ने अपने राज्य में खुलने न दिया। ऊन के गृह-उद्योग को पुनर्जीवित कर हजारों लोगों को काम में लगाकर उनके जीवननिर्वाह की समस्या के हल करने का अवसर भी अ० भा० चरखा संघ को नहीं दिया गया। 'प्रजामण्डल' नाम की संस्था से तो वे वैसे ही भय खाते थे, जैसे कि देवकी के पुत्र होने की कल्पनामात्र से कंस भयभीत था। इसलिये प्रजामण्डल की स्थापना की तो वे गर्भहत्या करने में ही लगे रहते थे। उन्होंने अपने समय में न तो ऐसी कोई संस्था कायम होने दी और न किसी ऐसे व्यक्ति को ही सिर उठाने दिया, जिस पर प्रजामण्डली प्रवृत्तियों में कुछ रुचि लेने का सन्देह हो।

६. दमन, उत्पीड़न और निर्वासन की दुर्नीति

इस पर भी आम जनता में और विशेष कर किसानों में असन्तोष की चिनगारी सुलगती रही। १९३२ में उदासर में उसका हलका सा विस्फोट हुआ। दमन के लम्बे नृशंस हाथों से उसको दबाने की चेष्टा की गई। जीवन जाट को उसका नेता मान कर १०० रुपया जुर्माना किया गया। एक शिष्टमण्डल ने महाराज और अधिकारियों के सामने किसानों की शिकायतें पेश करने का यत्न किया। पर उसको मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इसी प्रसंग में निम्न चार सज्जनों को राज्य से निर्वासित कर दिया गया —

(१) श्री मुक्ताप्रसाद जी वकील,
(२) श्री सत्यनारायण जी सराफ,
(३) श्री मघाराम जी वैद्य,
(४) श्री लक्ष्मणदास जी स्वामी।

दमन और निर्वासन का यह सिलसिला आज तक भी जारी है। महाराज शार्दूलसिंह जी अपने स्वर्गीय पिता महाराज गंगासिंह जी के चरण-चिन्हों पर सचाई और ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। स्वर्गीय पिता के शासन-काल में आपने राज्य के प्रधानमन्त्री के पद पर रह कर शासन के संचालन की जो शिक्षा प्राप्त की थी, उसी के अनुसार अब आप चल रहे हैं। १९३२ के षड्यन्त्र के दिनों में भी आप कुछ समय स्थानापन्न प्रधानमन्त्री रहे थे।

७ स्वर्गीय श्री मुक्ताप्रसाद जी

श्री मुक्ताप्रसाद जी वकील बीकानेर के अत्यन्त लोकप्रिय लोकनेता थे। धनी-मानी, ग़रीब-अमीर सभी आपका एक-सा सम्मान करते थे। दिन-रात आपको जनसेवा की लगन लगी रहती थी।

किसी प्रत्यक्ष राजनीतिक संस्था की स्थापना संभव न होने से आपने जन-सेवा की भावना से प्रेरित होकर विद्याप्रचारिणी सभा की स्थापना की और जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करने का श्रीगणेश किया। इसके लिये आपने सभा की ओर से देशसुधार के नाटक खेलने का आयोजन किया। जनता में जागृति का पैदा होना महाराज कैसे सहन कर सकते थे? इसलिये वकील साहब को बुलाकर ऐसे नाटकों का आयोजन करने से रोका गया। आपके साथी थे प० सूर्यकरणजी आचार्य एम. ए., श्री रावतमलजी वकील, गंगारामजी, भीकारामजी वकील, बाबू भोलारामजी और श्री चम्पालालजी बख्शी। १६२१ में ब्रिटिश भारत में असहयोग अन्दोलन का सूत्रपात होने पर बीकानेर में भी वकील साहब की प्रेरणा पर उनके ही अहाते में आपके साथियों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और शुद्ध खादी पहनने का व्रत लिया गया। आपकी लोकप्रियता का एक कारण यह भी था कि आप गरीबों के सारे मुकदमे बिना कुछ लिये लड़ देते थे। राज-कर्मचारियों और अधिकारियों पर इसका अच्छा असर पड़ता था। उनमें भी आप लोकप्रिय थे। हर मुकदमे पर १।) केवल मित्रमण्डल नाम की संस्था के लिये लिया जाता था। जनता की सेवा मण्डल का मुख्य काम था। आप स्टेशन पर जाकर गरमियों में स्वयं लोगों को पानी पिलाया करते थे। अनाथ बच्चों की भी आपने खूब सेवा की। कातिक मास में कोलायतजी के मेले पर भी मण्डल का कैम्प जाया करता था। वहा इकट्ठे होने वाले २-३ लाख लोगों की लगातार ६-७ दिन सेवा की जाती थी। शुद्ध खाद्य पदार्थों की एक दूकान भी वहा मण्डल की ओर से लगाई जाती थी। हरिजनों में विशेष रूप से काम किया जाता था। लावारिस लाशों के दाह-संस्कार करने का काम भी यही मण्डल किया करता था।

बीकानेर में खादी का काम भी आपकी ओरसे शुरू किया गया और खादी भण्डार भी खोला गया। लोगों ने उत्साहित होकर खादी के कई

कारखानेवाले।

चूरू मे सर्वहितकारिणी सभा कायम की गई। इसकी ओर से चूरू में और अनेक स्थानों में वाचनालय और पुस्तकालय खोले गये। स्वर्गीय स्वामी गोपालदास जी महाराज इस संस्था के संस्थापक थे। इस संस्था की ओर से कुछ साहित्य, पर्चे और पेम्फलेट भी प्रकाशित किये गये थे। इस जागृति को बीकानेर की सरकार और महाराज सहन नहीं कर सके।

१९३२ मे आपने षड्यन्त्रके मुकदमे की पैरवी की। आपकी प्रेरणा पर १९३६ में प्रजामण्डल की स्थापना की गई। आप हरिजन सेवा में संलग्न होनेसे प्रजामण्डलके सदस्य नहीं बने थे। लेकिन, उसको आपकी पूरी सहायता एवं समर्थन प्राप्त था। प्रजामण्डलके लोगों को गिरफ्तार किया गया और आपको निर्वासित किया गया। उदासर मे किसानों पर ज्यादतियां हुई। वह सब वर्णन यथास्थान दिया गया है।

आपको चौबीस घण्टों में बीकानेर छोड़ने का हुक्म दिया गया। जनता ने आपको हार्दिक विदाई दी। विदाई मे शामिल होने वाले सरकारी नौकरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। अलीगढ़ मे अलीगढ़ में आपका स्वर्गवास हुआ। बीकानेर मे शोक सभा हुई। पीछे आपका उपयुक्त स्मारक बनाने की भी चर्चा हुई। लेकिन, स्मारक बन नहीं सका।

८. कलकत्ता में प्रजामण्डल

बीकानेर में प्रजामण्डल की स्थापना करना जब सर्वथा असम्भव हो गया, तब बीकानेर के बाहर जन-जागृति के कार्य का श्रीगणेश करना उचित समझा गया। अन्य अनेक देशों में भी वहां के देशभक्तों को ऐसा ही करना पड़ा है। इटली के महान् देशभक्त गैरीबाल्डी तथा मेजिनी, टर्की के निर्माता अतातुर्क, फ्रांस की आजादी के

समर्थक मार्शल लफयाते, फिलिप्पीन की आजादी का झंडा फहराने वाले जनरल डगिनाल्डो, रूस में महान् सोवियत क्रांति के प्रवर्त्तक लेनिन और अपने देश के महान् देशभक्त नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने भी तो स्वदेश के बाहर से ही उसकी आजादी के लिए घोर प्रयत्न किया था। बीकानेर की प्रवासी प्रजा ने भी इसी मार्ग का अवलम्बन किया। १९३६ में कलकत्ता में स्वर्गीया श्रीमती लक्ष्मीदेवी आचार्या की अध्यक्षता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। थोड़ा-बहुत काम वहां से होता रहा।

६. १९४२ में बीकानेर में

बीकानेर में भी १९४२ में प्रजापरिषद् की स्थापना कर दी गई। लेकिन, ५-७ दिन भी उसको जीवित न रहने दिया गया। प्रजा परिषद् को गैरकानूनी ठहरा कर श्री रघुवरदयालजी वकील को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। अखिल भारतीय चरखा संघ की ओर से चलने वाले खादी भण्डार को भी ताला लगाकर उसके कार्यकर्ता श्री नित्यानंद पन्त को अपने साथी के साथ राज्य से निर्वासित कर दिया गया। श्री रघुवरदयालजी ५-६ मास कानपुर रहने के बाद बीकानेर लौटे, तो उनको अपने कई साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। श्री रघुवरदयालजी को एक वर्ष और श्री गंगादास कौशिक को छः मास की सजा हुई। श्री दाऊदयाल आचार्य नजरबंद कर दिये गये। दमन की विवेक-शून्य नीति से काम लिया गया।

इस दमन से जनता का उत्साह थोड़ा दब-सा गया। लेकिन, २६ जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस मना कर शान के साथ झण्डा फहराया गया। इस सिलसिले में श्री मघारामजी वैद्य, श्री भिक्षालाल जी और श्री रामनारायण जी गिरफ्तार किये गये। दमन की नीति भयानक रूप से चलती रही।

इसी बीच मार्च १९४३ में महाराज गंगासिंह जी का स्वर्गवास हो कर उनके सुपुत्र महाराज शार्दूलसिंह जी गद्दी पर बैठे। आपने राजबंदियों को मिलने को बुलाया और सर्वश्री रघुवरदयालजी, गोयल, गंगादासजी और दाऊदयालजी को रिहा कर दिया। बाद में सर्वश्री सत्यनारायणजी वैद्य और मिलालालजी भी रिहा कर दिये गये। राज्य में उदार और सहृदय नीति से काम लेने की आशा दिलाई गई। श्री कृपलानी को शासन-सुधार योजना बनानेके लिये बुलाया गया। लेकिन वे निराश होकर वापस लौट गये। टाक के वही तीन पात की नीति काम में लाई जाने लगी। नये महाराज की घोषणा की अभी गूंज बंद भी न हुई थी कि नये सिर से दमन की नीति से काम लिया जाने लगा। श्री रघुवरदयालजी से महाराज की कई मुलाकातें हुई। प्रजा-परिषद् की स्थापना के लिये अनुमति मिलने की आशा दिलाई जाने लगी। इस आशा की पूर्ति में विलम्ब लगता देख कर श्री रघुवरदयाल जी ने दीवान श्री पन्निकर की मार्फत महाराज से मिलने का समय मांगा। मुलाकात के लिये समय और स्थान निश्चित हो गया। लेकिन उससे पहिले ही उनको गृहमन्त्री के आदेश पर गिरफ्तार करके लूनकरनसर में नजरबंद कर दिया गया। आपके साथी श्री दाऊदयाल और श्री गंगादास अनूपगढ में नजरबंद कर दिये गये। नजरबंदी में इनके और इनके आश्रित घर वालों के लिये राज्य की ओर से कुछ भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई। जब इसके लिये आग्रह किया गया, तो श्री रघुवरदयालजी को बीकानेर राज्य से निर्वासित कर दिया गया। वहां से जाकर वे जयपुर रहने लगे तो कुछ समय के बाद जयपुर की सरकार ने भी उनको अपने यहां से निर्वासित कर दिया। तब आप अलवर चले आये।

जून १९४४ में आपने बीकानेर में प्रवेश-निषेध की आज्ञा की अवज्ञा करने का निश्चय किया। २८ जून को आपने पंजाब की ओर से बीकानेर राज्य में प्रवेश किया और मुकरका स्टेशन पर आपको पब्लिक

सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। बार-बार मांगने पर भी गिरफ्तारी का वारण्ट पेश न करके पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने हाथ से लिख कर एक आर्डर दे दिया। दुधवाखारा के किसान नेता श्री गणपत-सिंह ने भी इसी समय अपने को गिरफ्तारी के लिये पेश किया।

बीकानेर शहर, नौहर, राजगढ़, भादरा आदि में आपकी गिरफ्तारी पर हड़ताल हुई और कई स्थानों पर सभायें भी हुई। बीकानेर की सभा में उत्पात मचाया गया, जिसके फलस्वरूप कई व्यक्ति घायल हुये। प्रजापरिषद्, कानपुर की शाखा के श्री हीरालाल जी को सभा में गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके बाद की घटनाओं का वर्णन इस पुस्तक के दूसरे भाग में दिया गया है। इस प्रकरण को यहां ही समाप्त करके बीकानेर की राज्य व्यवस्था की कुछ चर्चा करना अधिक अच्छा होगा।

पहिला अध्याय

भाग २

१. एक नयी लहर

भारत के देशी राज्यों की आज जो भी स्थिति हो, लेकिन, एक समय एक ऐसी लहर अवश्य बही थी जब राजा लोग अपने राज्यों को उन्नत, प्रगतिशील और सुशासित देखना चाहते थे। ग्वालियर में स्वर्गीय महाराज माधवराव जी सिन्धिया ने, अलवर में निर्वासित और स्वर्गीय महाराज जयसिंहजी ने और बीकानेर में स्वर्गीय महाराज गंगासिंहजी ने जो सुधार और शासन व्यवस्था कायम की थी, उसको इसी लहर का परिणाम समझना चाहिए। यदि प्रजा की स्थिति को छोड कर राज्य और शासन की कागजी व्यवस्था पर दृष्टि डाली जाय, तो उसको 'उन्नत' और 'वर्तमान अवस्थाओ के अनुकूल' बताने में कोई सकोच नहीं करेगा। अलवर के स्वर्गीय महाराज ने अपने छोटे से राज्य की शान बढ़ाने में कुछ भी उठा न रखा। तहसीलो को जिलों का रूप देकर शहर की बनावट और सजावट को आज का रूप देने में वे पीछे नहीं रहे। यदि उनको निर्वासित न होना पडता, तो उनकी योजनाओं के अनुसार आज उसकी शोभा कई गुन बढ गई होती। स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया को तो वर्तमान ग्वालियर का निर्माता ही कहना चाहिये। राज्य के कामकाज और शासन की व्यवस्था में भी वे जीवित अभिरुचि लेते थे। शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में लिखी हुई उनकी पुस्तकें उनके राजनीतिक ज्ञान की सूचक हैं। आज जो जागीरी समस्या इतनी पेचीदा बन गई है, उसको हल करने में

आपने जिस दृढ़ता से काम लिया और उनके लिये 'कोर्ट आफ वार्ड' का महकमा कायम करके जिस दूरदर्शिता से काम लिया, उसी का परिणाम है कि ग्वालियर में यह समस्या जोधपुर या जयपुर के समान भीषण नहीं बन सकी। राज्य में दो गृहवाली धारा सभायें कायम की गईं। उनके लिये चुनाव की पद्धति अपनाई गई। उनमें स्वयं महाराज उपस्थित होते थे। जिला बोर्डों, म्युनिसिपैलिटियों और पंचायतों का सिलसिला शुरू किया गया। इस स्थानीय संस्थाओं को अधिकार भी काफी दिये गये। ब्रिटिश भारत की अनेक स्थानीय संस्थाओं से ये संस्थायें पीछे नहीं थीं। शासन व्यवस्था के लिये अलग-अलग महकमे बनाकर उनको मन्त्रियों के आधीन किया गया। राज्य के लिये विधान बनाया गया। बजट बनाया जाकर आय-व्यय का ठीक-ठीक हिसाब रखा जाने लगा। ग्वालियर शहर की शोभा और शान-शौकत भी खूब बढ़ा दी गई। हाईकोर्ट भी बनाया गया। इसी प्रकार बीकानेर में स्वर्गीय महाराज गंगासिंहजी ने भी ग्वालियर के समान धारा सभा की स्थापना की। म्युनिसिपैलिटियां, जिला बोर्ड और पंचायतें भी कायम कीं। उनको दीवानी और फौजदारी अधिकार भी दिये। अन्त में अपना निजी खर्च भी नियत कर लिया और बजट के रूप में राज्य का आय-व्यय धारासभा में पेश किया जाने लगा। बीकानेर के उत्तरी भाग में नहर लाकर उसको समृद्धिशाली बनाने का यत्न किया। शहरों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का कानून भी बनाया गया। शहर की शान-शौकत और शोभा की ओर भी काफी ध्यान दिया गया। 'प्रगतिशील' राज्यों के तो यही चिन्ह हैं, जिनको देखकर बड़े-बड़े लोग भी स्वर्गीय महाराज गंगासिंह जी की प्रशंसा करने में चूकते न थे।

२, सुराज्य बनाम स्वराज्य

'सुराज्य' और 'स्वराज्य' में जो अन्तर है, वही अन्तर इस

शासन-व्यवस्था और उत्तरदायी शासन में है। यह शासन व्यवस्था बहुत सुन्दर, उन्नत और 'अप टू डेट' भी कही जा सकती है, किन्तु उसमें उत्तरदायी शासन के तत्वों का समावेश न होने से उसको प्रजा की दृष्टि से न तो सुन्दर, न उन्नत और न 'अप टू डेट' ही कहा जा सकता है। प्रजा का उस शासन-व्यवस्था में न तो कोई हिस्सा था और न सहयोग ही। इसलिये आम जनता उससे कुछ भी लाभ उठा नहीं सकी। जिन वर्षों में संसार में अनेक राष्ट्रों का कायाकल्प होकर, उनमें नयी चेतना, स्फूर्ति और प्रेरणा पैदा हो गई, उनमें देशी राज्यों की जनता मध्ययुग की सी ही हालत में पड़ी रही। उसमें ऐसा कोई परिवर्तन हो नहीं सका। वह पहिले ही के समान गरीब, जाहिल डरपोक, अशिक्षित, नैतिक दृष्टि से दीन, शोषण की दृष्टि से हीन और राजनीतिक दृष्टि से सर्वथा पराधीन ही बनी रही। दुःख, सङ्कट और क्लेश सब मानो, उसी के भाग्य में लिखे रह गये। जीवन-जागृति का कोई चिन्ह, संगठन की कोई भावना और अपने अधिकारों के लिये कोई कल्पना उसमें प्रगट नहीं हुई। मानो, इन राज्यों में जो कुछ भी हुआ या किया गया था, वह केवल एक दिखावा था, राज्य की प्रजा या जनता के साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध न था।

३. उत्तरदायी शासन का आधार

यह है भी ठीक कि उत्तरदायी शासन-व्यवस्था का आधार जनता या प्रजा का वह 'मत' या 'वोट' है, जिसकी ताकत बंदूक की गोली से भी कहीं अधिक है। खून की एक बूंद बहाये बिना इस मत में बड़ी से बड़ी और भीषण से भीषण राज्य-क्रान्ति करने की सामर्थ्य है। वह सामर्थ्य जब किसी शासन व्यवस्था में अन्तर्हित या निहित हो जाती है, तब उसमें क्रांतिकारी शक्ति का स्वतः ही समावेश होकर वह राज्य का और उसी के साथ प्रजा का भी सहज ही में कायाकल्प कर डालती

है। इन 'दिखाऊ' और 'कामचलाऊ' सुधारों मे शक्ति पैदा होनी संभव न थी। इसीलिये उनका राज्यों की प्रजा या जनता पर ऐसा कोई प्रभाव पड़ना संभव न था। उसकी गरीबी, अशिक्षा, पतन और गिरावट वैसी ही बनी रही, जैसी कि पहिले थी। राज्य में प्रजा का सहयोग मिलने के स्थान मे उसका संचालन पुलिस,अदालत,जेल आदि के द्वारा होने वाले दमन, उत्पीड़न एवं शोषण के सहारे किया जाता रहा। 'प्रगतिशील' कहे और समझे जाने वाले स्वर्गीय महाराज गंगासिंहजी का शासन-काल, विशेषत: उसके अन्तिम वर्ष दमन, उत्पीडन एवं शोषण के ही वर्ष थे। १६२० से १६४२ तक के वर्ष, जहां बाकी देश के लिये जीवन, जागृति और प्रगति के वर्ष कहे जा सकते हैं, वहां ये वर्ष बीकानेर के लिये दमन, उत्पीडन, शोषण और निर्वासन के वर्ष थे। कहना न होगा कि वर्तमान महाराज साहब को अपने स्वर्गीय पिता जी से विरासत मे यही सब मिला। इसीलिये उनके गद्दी पर आसीन हो जाने के बाद भी शासन-तन्त्र का पतनाला जहां का तहां बना हुआ है।

४. अप्रिय गठबन्धन

देशी राज्यों की वर्तमान शासन-व्यवस्था को एकतन्त्री शासन और सामन्तशाही का अप्रिय गठबन्धन कहा जा सकता है। प्राय: सभी राज्यों मे विशेषकर राजपूताना में जागीरों, ठिकानो या माफियो का उपभोग करने वाले सामन्त ही मन्त्रिपदों पर नियुक्त किये जाते रहे हैं। इन पदों के कारण शासन पर उनका प्रायः एकाधिकार रहता आया है और राजा लोग अपने इन भाई-बन्दों के हाथ का खिलौना बने रहे हैं। बीकानेर के वर्तमान शासन और महाराजा की स्थिति भी इससे कुछ भिन्न नहीं है। यही कारण है कि गद्दी पर बैठने के समय राजबन्दियों को रिहा करके महाराज शार्दूलसिंहजी ने जिस सहृदयता, उदारता

अथवा दूरदर्शिता का परिचय दिया था, उसका अन्त होने में अधिक समय नहीं लगा और नये शासन-सुधारों को जारी करने की जो आशा दिलाई गई थी, वह सहसा ही निराशा में परिणत हो गयी। वर्तमान गृहमन्त्री महाराज नारायणसिंह के रूप में सामन्तशाही की विजय हुई और महाराज को उसके सामने पराजित होना पड़ा।

अपने भाषणों और वक्तव्योंमें महाराज का जो सुन्दर रूप प्रगट होता है, उनका शासन भी यदि उसके अनुरूप हो सकता, तो सोने में सुगन्ध पैदा हो गयी होती। मालूम यह होता है कि उनकी घोषणाओं, भाषणों और वक्तव्यों का महत्त्व हाथी के दिखाने के दांतों से अधिक नहीं है। इन दांतों से वे बाहर की दुनियां में काम लेते हैं और खाने के दांतों से वे राज्य के भीतर काम लेते हैं। नरेन्द्रमण्डल में दो वर्ष हुये जो घोषणा उन्होंने की थी, उसमें देशभक्ति से परिपूर्ण कितने उदार विचार प्रगट किये गये थे और राजाओं को अपनी प्रजा के सहयोग से राज्य शासन चलाने की कितनी सुन्दर सलाह दी गई थी? लेकिन, उनके अपने राज्य में इन उदार विचारों के अनुसार न तो कुछ काम होता है और न किसी रूप में राज्य के संचालन में प्रजा का सहयोग ही प्राप्त किया जाता है। अभी-अभी विधान परिषद् में देशी राज्यों के शामिल होने के सम्बन्ध में बीकानेर महाराज ने भोपाल के नवाब और उनके साथियों की तुलना में जो रुख अख्तियार किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए, थोड़ी है। लीगी नेता श्री लियाकत अली खां को जो मुंहतोड़ उत्तर आपने दिया है, वह कितना देशभक्तिपूर्ण और साहस-पूर्ण है? इस समय आपने जो उद्गार प्रगट किये हैं, वे अनुकरणीय हैं। लेकिन, अपने राज्य में आपने क्या किया? आप इतना भी साहस नहीं दिखा सके कि अपने राज्य से जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने की खुली छूट दे देते। धारासभा में सरकारी लोगों का ही बहुमत है। उस पर भी आपको भरोसा न हुआ और आपने उसको भी स्वतन्त्रता-पूर्वक चुनाव करने का अवसर न दिया। किसी भी प्रकार ऊंच-नीच

करके राज्यके दीवान श्री पन्निकर को विधान परिषद् में भेज दिया गया।

५. थोथी घोषणायें

अपने राज्य में अपनी घोषणाओं के सर्वथा विपरीत आचरण करना भी आपको अपने स्वर्गीय पिताजी से विरासत में मिला है। स्वर्गीय महाराज गंगासिंहजी की अनेक घोषणायें, यदि केवल उनकी शब्दावलि देखी जाय, तो सुनहरी अक्षरों में लिखी जाने योग्य हैं। लेकिन, यदि उनकी परख महाराज के शासन की रीति-नीति के साथ की जाय, तो उनका कुछ भी महत्व या अर्थ नहीं रहता। उनकी दो घोषणायें बहुत प्रसिद्ध थीं और उनका प्रचार एवं प्रकाशन भी धुंआधार किया गया था। एक घोषणा तो उन्होंने अपने राज्यशासन की रजत-जयन्ती मनाने के अवसर पर की थी। इसमें महाराज ने 'प्रजाव्रतिनो वयम्' के आदर्श का प्रतिपादन कर अपने को प्रजा की सेवा में निरन्तर रत बताने की घोषणा की थी। इसी प्रकार १६४२ में विश्वव्यापी महायुद्ध के मध्यपूर्व के मोर्चे पर विदा होने के समय सात पृष्ठों में एक लम्बी घोषणा की थी। इसमें आपने कहा था कि "मैं कभी स्वेच्छाचारी नहीं बनूंगा। धर्मशास्त्रों में बताये हुये सच्चे राजधर्म का पालन करूंगा। उसमें प्रतिपादित सिद्धान्तों का महत्वपूर्ण नीति के रूप में पालन करूंगा।" उन आठ सिद्धांतों की व्याख्या भी आपने विस्तार के साथ की थी। उनमें आठवां सिद्धांत यह था कि "ऐसा उपकारी राज का इन्तजाम हो, जो प्रजा की भलाई करने वाला और जो प्रजा के लिये सन्तोषकारक हो और जिसमें हर तरह से सोचविचार करने के बाद राज्य की मौजूदा हालतों को ध्यान में रखते हुए राजसभा, लोकल बोर्ड, म्युनिसिपैलिटियां और दूसरी ऐसी सभाओं की मार्फत, जिनमें चुनाव किया जाता है, राज के कामों में प्रजा को दिन ब दिन अधिक शामिल किया जाय।" इसकी आलोचना हम यथास्थान करेंगे कि बीकानेर में

ये संस्थायें कितने अंशों में लोकतन्त्रात्मक अथवा जनता की चुनी हुई हैं और उन द्वारा राज-काज में प्रजा को कितने अंशों में शामिल किया गया है ?

इस घोषणा में धर्म के राज की दुहाई देते हुये यह भी कहा गया था कि सिविल लिस्ट यानी राजघराने के खर्च को राज्य की कुल आय का १० फी सदी से घटाकर ६ फी सदी करके किसी भी हालत में उसको २० लाख से ऊपर न जाने दिया जायगा। राज्य की आय इस समय भी डेढ़ या पौने दो करोड़ के लगभग थी। राज्य की शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुधार, ग्रामोद्योग, कृषि, सड़कों आदि के जनहितकारी कार्यों पर राज्य की आय का ६ फी सदी या २० लाख खर्च नहीं किया जाता था। महाराज की महत्वाकांक्षा तो यह थी कि "बीकानेर राज्य भारतवर्ष के उन्नतिशील राज्यों में गिने जाने के बजाय सबसे अधिक उन्नतिशील राज्यों में भी आगे रहे।" इस पवित्र महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये एक भी कदम उठाया नहीं गया।

प्रजा के नैसर्गिक किंवा मौलिक अधिकारों का खाका तो इतना सुन्दर खींचा गया था कि मानो बीकानेर इस दृष्टि से एक आदर्श राज्य हो। उसमें इस बारे में कहा गया था कि "हमारी प्रजा को पहले से ही आजादी से बोलने और सार्वजनिक सभा करने के हक हासिल हैं। इनके बिना प्रजा का राज में शामिल होना व्यर्थ हो जाता है। हमारे विचार से हरेक सभ्य गवर्मेण्ट की प्रजा को हक है कि राज्य की शान्ति में विघ्न न डालते हुये, तहजीब और कानून की हद में रहते हुये पब्लिक मामलों पर आजादी से गौर करे और हम इस हक को इसी रूप में बनाये रखने को बहुत जरूरी समझते हैं।' सम्भवत इसी घोषणा से प्रेरित होकर १९४२ में प्रजामण्डल की स्थापना की गई थी। लेकिन, छः-सात दिन भी उसको जीवित नहीं रहने दिया गया और खादी भण्डार पर भी ताला लगा दिया गया। प्रजा को जलूस या प्रभात फेरी निकालना और सभा करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। बोलने

की आजादी का तो यह हाल था कि किसी का मुंह खोलना भी भयानक अपराध माना जाता था।

जागीरदारों और सरदारों के बारे में भी बहुत ऊंचे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था। किसानोंके सम्बन्ध मे तो यहां तक कहा गया था कि "जमींदारों और किसानों को, जिनसे राज्य को बहुत सहायता मिलती है, हम एक बार फिर गम्भीरता से अपना दृढ़ और अचल भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके सुख में हमारी खुशी है, उनकी तरक्की पर हमें गर्व है और उनकी राजभक्ति हमारा नजराना है।" बीकानेर के किसानों की सुख-सम्मृद्धि और राजभक्ति पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि बीकानेर के किसान भी कुछ कम त्रसित, पीड़ित अथवा शोषित नहीं हैं, किन्तु राजनीतिक जागृति एवं चेतनाका भी उनमें सर्वथा अभाव है। अपने अधिकारों के लिये तो क्या, अस्तित्व तक के लिए वे लड़ना नहीं जानते। अब कुछ चेतना उनमें अवश्य पैदा हुई है। स्वर्गीय महाराजके समय प्रजामें भी श्मशान को-सी निस्तब्धता और शांति छाई हुई थी। इस पर महाराज को इतना गर्व था कि उन्होंने कहा था कि "हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारी प्यारी प्रजा ऐसी शामखोर और भक्त है, जिससे ज्यादा शामखोर और राजभक्त प्रजा के होने की आशा कोई राजा नहीं कर सकता।"

६. वर्तमान महाराज की घोषणाये

अपने पिताश्री के पदचिन्हों पर चलते हुए वर्तमान महाराजा शार्दूलसिंह ने भी अनेक सुनहरी घोषणायें की हैं। पहली घोषणा आपने ८ मार्च १९४३ को अपने राज्याभिषेक के बाद की थी। इसमें आपने स्वर्गीय महाराज की विलक्षण दूरदर्शिता तथा विवेक की प्रशंसा करते हुए कहा था कि "उन्होंने इस राज्यमें विधान-सम्बन्धी सुधार जारी किये थे, यद्यपि उस समय लोगों की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं थी।

फलस्वरूप आज हमारी प्रजा इतनी सुखी तथा सन्तुष्ट है। ' हमारी यह उत्कट इच्छा है कि हमारी प्रजा राज्य के शासन में अधिकाधिक रूप से शामिल हो।"

इस घोषणा की पूर्ति के लिए श्री कृपलानी को शासन सुधार-योजना तय्यार करनेके लिए बीकानेर बुलाया गया; लेकिन, गृह-मन्त्री श्री प्रतापसिंह के सामने उनकी एक न चली। वे बैरंग वापस चले गये। कहने को जो सुधार इस घोषणा के बाद जनवरी १९४५ में किये गये, उनकी चर्चा यथास्थान की जायगी।

जनवरी १९४५ की घोषणा के अनुसार बनाई गई धारासभा का मई १९४५ में उद्घाटन करते हुए महाराज ने सन्देश के रूप में की गयी घोषणा में कहा था कि "राज्य में शिक्षा का अधिक प्रचार होने पर और इन सुधारों के प्रयोग मे लाने के नये अनुभव प्राप्त करने पर हमारी नीति आप लोगो को राज्य शासन में अधिक शामिल करने की होगी और जैसे जैसे आपको सौंपे गये कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के विषय मे आप ज्यादा दिलचस्पी दिखलायेंगे, वैसे-वैसे हमको, हमारी प्रजा को, हमारे राज्य के, जो उन्हीं का राज्य है, शासन मे अधिकाधिक सम्पर्क बढाने में ज्यादा खुशी होगी।" १ जून को भी महाराज ने अपनी इस घोषणा को दोहराया था और ऐसी सरकार स्थापित करने का विश्वास दिलाया था, जो नरेश की छत्रछाया में प्रजा के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन, पतनाला जहां का तहा बना रहा। महाराज के शासन में उत्तरदायी शासन के तत्वों का समावेश तो क्या ही होना था, यह और भी एकतन्त्री एवं स्वेच्छाचारी हो कर दमन, उत्पीडन एवं शोषण पर निर्भर रहने लगा?

इसी सिलसिले मे ३१ अगस्त १९४६ को एक और घोषणा की गयी, जिसमें शासन-सुधारों के सम्बन्ध मे कुछ स्पष्ट भाषा काम में लाई गई और उसके लिए योजना बनाने को दो उपसमितिया भी नियुक्त की गयीं। एक का नाम 'विधान उपसमिति' रखा गया, उसे

विधान का मसविदा तय्यार करने का काम सौंपा गया है और दूसरी का नाम रखा गया 'मताधिकार उपसमिति'—इसको ग्राम और निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का काम सौंपा गया है। इस घोषणा में भी काफी सुनहरी बातों का उल्लेख किया गया था। उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्न लिखित थीं—

(१) राज सभा का अधिक लोकप्रिय आधार पर पुनः संगठन किया जाय।

(२) धारासभा उचित रूप से बांटे हुए प्रादेशिक तथा अन्य निर्वाचित क्षेत्रों से तथा उदार मताधिकार पर निर्वाचित की जायेगी।

(३) एक विधान जारी किया जायगा, जिससे उत्तरदायी शासन की स्वयं स्थापना हो जायेगी।

परिवर्तन काल की एवं स्थायी दोनों योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा गया था कि—

(१) परिवर्तन काल के लिये शासन परिषद अथवा राज सभा के कम से कम आधे सदस्य यानी मन्त्री धारासभा के चुने हुए सदस्यों में से नियुक्त किये जायेंगे। इनके लिये व्यवस्थापिका सभा का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक ठहराया गया था। निम्न महकमे इनके अधीन करने का उल्लेख किया गया था:—

(१) पब्लिक वर्क्स और वर्क्स आफ पब्लिक यूटिलिटी।

(२) रेलवे और सिविल एवियेशन।

(३) इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेण्ट।

(४) शिक्षा।

(५) मेडीकल और पब्लिक हेल्थ।

(६) रेवेन्यू और इरीगेशन।

(७) कस्टम्स एण्ड एक्साइज ।

(८) इण्डस्ट्रीज, माइन्स एण्ड मिनरल ।

(९) लोकल सेल्फगवर्मेंट ।

(१०) रूरल अपलिफ्ट एण्ड इम्प्रूवमेण्ट ।

(११) एग्रीकलचर ।

(१२) कोपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ।

(१३) लेबर वेलफेयर ।

(१४) फूड एण्ड सिविल सप्लाइज ।

इसके अनुसार दो व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी, किन्तु सरकार की अनुदार और दमन की नीति के कारण दोनों मन्त्री अपने कार्य मे असफल रहे है। जनता में अपने प्रति विश्वास सम्पादन करने मे भी वे सफल नहीं हो सके और राज्य को भी उनकी नियुक्तियों से कोई यश नहीं मिला। रायबहादुर सेठ शिवरत्नजी मेहता ने तो इस्तीफा भी दे दिया ।

(२) यह अस्थायी व्यवस्था केवल तीन वर्ष के लिये की गयी थी। लेकिन भारतीय संघ का उससे पहले निर्माण हो जाने पर उसको जल्दी भी समाप्त किया जा सकेगा । और,

(३) उसके बाद शासन परिषद के सभी सदस्य अथवा मन्त्री, जिनमें प्रधान मन्त्री भी शामिल हैं, धारा सभा के विश्वास प्राप्त व्यक्तियों में से ही नियुक्त किये जायेंगे।

(४) जुडीशियल कमेटी का फिर से सगठन कर उसके सदस्यों की योग्यता एवं स्वतन्त्रता उच्चतम सतह तक पहुँचाने का भी इसमें उल्लेख किया गया था।

निसन्देह, ये सब बातें आदर्श कही जा सकती है और इनका समावेश हो जाने पर कोई भी शासन प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो कर आदर्श बन सकता है। लेकिन, इन बातों को कार्य में परिणत करने की सच्चाई और ईमानदारी भी तो उनके पीछे होनी चाहिये । इन

बातों के पीछे सच्चाई और ईमानदारी का नितान्त अभाव होने का आरोप तो हम बीकानेर सरकार पर लगाना नहीं चाहते। लेकिन, उस तत्परता से इनको कार्य में परिणत करने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा, जिसका उल्लेख इस घोषणा की धारा १५ में किया गया था। उसमें कहा गया था कि "हम यह आदेश देते हैं कि कमेटी का कार्य १ मार्च १९४७ तक समाप्त हो जायगा और हमें विधान का मसविदा पेश कर दिया जाएगा। हमारा यह विचार है कि नयी व्यवस्थापिका सभा बनाई जावे और बीच की सरकार नवम्बर १९४७ तक कार्य आरम्भ कर दे" १ मार्च को इतने मास बीत गये, किन्तु शासन-विधान के मसविदे का कहीं पता भी नहीं है। महाराज के स्पष्ट आदेश के बाद भी कितनी ढील से काम लिया जा रहा है?

इन सुनहरी घोषणाओं की चर्चा केवल यह दिखाने के लिए की गयी है कि राज्य शासन का बाहरी ढांचा और आंतरिक नीति केवल सुन्दर शब्दों और कोरी पवित्र भवनाओं से ही नहीं बदली जा सकती। उसके लिये कुछ परिश्रम भी किया जाना चाहिये। बीकानेर के स्वर्गीय और वर्तमान महाराज के शब्द जितने सुन्दर थे या हैं और भावनायें भी जितनी पवित्र थीं या हैं, उतनी सच्चाई, ईमानदारी और तत्परता से उनको कार्य में परिणत नहीं किया गया। परिणाम यह है कि राज्य में कुछ भी राजनीतिक प्रगति नहीं हुई। सबसे अधिक उन्नतिशील राज्यों में भी अपने राज्य को सबसे आगे देखने की स्वर्गीय महाराज गंगासिंहजी की महत्वाकांक्षा के बावजूद बीकानेर राज्य पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है। प्रगति के कोई चिन्ह अभी तक तो दीख नहीं पड़ते।

पहिला अध्याय

भाग २

सन्धियों का मायाजाल

भारतवर्ष में ५८२ देशी राज्यों की सृष्टि घुणाक्षरन्याय से स्वतः ही नहीं हो गई है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के धूर्त और चालाक कारकूनों को यह अनुभव करने में अधिक समय नहीं लगा कि भारतवर्ष को जीत कर यहां अपना राज्य कायम करने के लिए इंग्लैंड से सेनायें लाने की आवश्यकता नहीं है और उसको यहीं की सेना, तलवार और पैसे से जीता जा सकता है। डूप्ले ने यह महान् आविष्कार किया था। क्लाइव ने उससे पूरा लाभ उठाया। १८५७ तक निर्बाध रूप से इसी नीति से काम लिया जाता रहा। इसी नीति के परिणामस्वरूप देशी राज्यों की सृष्टि हुई और शतरंज के मोहरों की तरह उनसे काम लिया जाता रहा। उनको परस्पर एक दूसरे से लड़ाकर अपनी सत्ता को मजबूत किया जाता रहा। उनकी रक्षा के नाम पर अपनी फौजें उनके यहां रखी गई। जहां फौजें नहीं रखी गईं, वहां फौजों का खर्च उनसे लिया जाता रहा। इस खर्च के बदले में उनके राज्य के कुछ प्रदेश भी हस्तगत कर लिये गये। लावारिस राज्यों के उत्तराधिकारी नियुक्त करने में और भी अधिक मनमानी की जाती रही। १७९९ में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वहां के जागीरदार के तीन वर्ष के लड़के को बिठाया गया और १८३१ में राजा को अयोग्य ठहरा कर और कुशासन का दोष उसके माथे लगाकर उसको गद्दी से उतार दिया गया। १७९९ में तीन वर्ष की आयु के बालक राजा की ओर से

इसकी माता ने वफादारी का यह ऐलान किया था कि "हम हमेशा आपके संरक्षण और आपकी आज्ञा तथा मित्रता में रहेंगे। हमारी आपके प्रति जो भक्ति है, उसे हमारी आल-औलाद भूल नहीं सकती, क्योंकि हमें आपके ही सहारे का भरोसा है।" १८३१ में गद्दी से अलग किये गये राजा की गोद लिये हुए लड़के को राजगद्दी पर बिठाते समय लार्ड रिपन ने आदेश दिया था कि "हमेशा उस आदेश को मानते रहोगे, जो सपरिषद गवर्नर जनरल अर्थ-व्यवस्था करने, कर लगाने, न्याय से शासन करने और दरबार के हितों की वृद्धि से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे विषयों, अपनी प्रजा के सुख और ब्रिटिश सरकार से उनके सम्बन्ध की दृष्टि से देंगे।"

मैसूर का यह इतिहास प्रायः सभी राज्यों पर कम-अधिक लागू होता है। इस इतिहास से यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार की नजरों में देशी राज्यों का कभी भी स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहा। ईस्ट इंडिया कम्पनी के दिनों में वे उनके हाथ का खिलौना बने हुए थे। तब उनकी स्वतन्त्र सत्ता का कहीं पता तक न था। १८५७ की असफल राज्य क्रांति के बाद जब कम्पनी के हाथों से इस देश की हकूमत ब्रिटिश सरकार के हाथों में आई, तब ये देशी राज्य भी कम्पनी ने उसके हाथों में दे दिये। अंग्रेजी राज के प्रतिनिधि भी देशी राज्यों के साथ एकदम मनमाना व्यवहार करते रहे। ताज के साथ उनका सम्बन्ध न कभी था और न अब ही है। आज देश के भाग्य ने पलटा खाया है। ब्रिटिश सरकार ने जून १९४८ में भारत में अंग्रेज राज का स्वयं अन्त कर देने का ऐलान कर दिया है और उसके लिये तय्यारी भी पूरी सचाई एवं ईमानदारी के साथ शुरू कर दी गई है। भारत के स्वतन्त्र होने की अवस्था में ताज के साथ सीधे सम्बन्ध का कुछ भी अर्थ नहीं रहता। इस स्थिति की कल्पना कर लेना समझदार देशी नरेशों और उनके दूरदर्शी सलाहकारों के लिए कठिन न था। आज ब्रिटिश मन्त्रिमिशन ने जो यह घोषणा की है कि स्वतंत्र भारत का

सब बन जाने पर देशी राज्यों को उसके साथ सन्धियां करनी होंगी, इसकी कल्पना करना भी उनके लिये कठिन न था। जिस सार्वभौम सत्ता को देशी नरेशों ने अन्धे की लकड़ी की तरह अपना सहारा बनाया हुआ था, उसको भारतीय जनता के हाथों में सौंप कर अंग्रेजों के यहाँ से स्वेच्छा से चाहे न हो, लेकिन मजबूरन जाने की कल्पना करना भी उनके लिए कठिन न था। इसलिये ऐसे आड़े समय में अपनी स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिये जो अनेक उपाय खोज निकाले गये थे और अनेक व्यूहरचनायें करने की जो कोशिशें की गईं थीं, उनमें डीमक्रो की खाई हुई ये संधियां भी थीं, जिनके बल पर अपना सीधा सम्बन्ध ताज से बताकर अपनी सत्ता को सर्व-तन्त्र-स्वतन्त्र बताने की चेष्टा की जाती थी। यह कोरा एक बहाना था, जिससे राजाओं और नवाबों को भारतीयों की अपनी राष्ट्रीय सरकार से अलग रख कर अलस्टर के समान अपने पैर जमाये रखे जांय और इस देश में जयद्रथ तथा जयचन्द के वंशजों के सहारे जैसे—तैसे अंग्रेजी राज कुछ अंशों में तो बना ही रहे। भारत की वैधानिक प्रगति में सब से बड़ी बाधा ये रहे हैं और इनकी सन्धियों के नाम पर काफी प्रपञ्च फैलाया जाता रहा है। फिर ५८२ में से कितने राज्य हैं, जिनके साथ ये सन्धियां हुई हैं। वे कुल राज्यों का १५वां या १६वा हिस्सा भी नहीं हैं। उनकी संख्या ५० दर्जन राजाओं में मुश्किल से ३ दर्जन है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि ये सन्धियां केवल राजाओं के साथ हुई हैं। प्रजा का इनमें कुछ भी हाथ नहीं है। इसलिए प्रजा पर उनके दुष्परिणामों को लादना न्यायसम्मत नहीं हो सकता। प्रजा उनको मानने से इनकार कर सकती है। एक बात और है। वह यह कि इन सन्धियों में प्रजा की सुख-समृद्धि और उस पर सुशासन करने के लिए भी कुछ शर्तें या धाराएं लिखी गई हैं। उनका पालन न तो कभी किया गया और न कराया ही गया। इस प्रकार इनका आंशिक पालन केवल राजाओं और अंग्रेजों की दृष्टि से किया गया है। हालांकि एक

समय था, जब असन्तुष्ट प्रजा दबाने के लिये अंग्रेज सरकार उनको सहायता देने से इन्कार कर देती थी। १८३७ में बीकानेर तक में विद्रोह की-सी स्थिति पैदा हो जाने पर भी जागीरदारों को दबाने और असन्तुष्ट प्रजा का दमन करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने फौजी सहायता भेजने से इन्कार कर दिया था। अब पासा पलट चुका है। अब तो प्रजा को संरक्षण देना तो दूर रहा, उसका दमन करने के लिए पुलिस और फौज तक भेज दी जाती है। अपने रोष व असन्तोष को प्रगट करने वाली निःशस्त्र प्रजा को सहसा गोलियों से भून दिया जाता है। उड़ीसा में प्रजा की जागृति, आन्दोलन एवं संगठन को कुचलने के लिए अंग्रेजी सेना ने कौन से अत्याचार न किये थे? अलवर में मेव-आन्दोलन का दमन करने के लिए अंग्रेज फौज भेजी गई थी। आज भी चरखारी के छोटे से राज्य में अंग्रेज पुलिस से काम लिया जा रहा है। दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण हैं, जब राजकोट के राजा सरदार पटेल और महात्मा गांधी का अनुरोध मान कर प्रजा के साथ समझौता करने को राजी थे, किन्तु अंग्रेज एजेण्ट ने राजगद्दी से उतारने की धमकी देकर समझौता नहीं करने दिया था। सर सी पी. राम-स्वामी का यह कथन एकदम ही निराधार नहीं है कि राजा लोग शासन सुधार करने और अपने राज्य में उत्तरदायी शासन कायम करने के लिए सन्धियों के अनुसार स्वतन्त्र नहीं है। सन्धियों की भाषा या शब्द-रचना जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनका पालन जिस रूपमें किया जाता है, उसको देखते हुए सर सी. पी. की धारणा बिलकुल ठीक ही है। सच तो यह है कि सन्धियों का पालन अपने सुभीते की दृष्टि से ही किया जाता है और उनका अर्थ भी अपनी दृष्टि से ही लगाया जाता है। अपने सुभीते के माफिक चलने में सर्वभौम सत्ता तो क्या, अंग्रेज सरकार को भी कोई रोक नहीं सकता। हैदराबाद दक्षिण हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी रियासत है। उसके मालिक आला हजरत निजाम साहब अपने राज्य के एक डूमिनियन अर्थात् उपनिवेश होने का दावा करते

है और अब भी अपना सर्वथा स्वतन्त्र राज्य कायम करने का सपना देख रहे हैं। उनको भी १९२२ में लार्ड रीडिंग ने टका-सा जवाब दे कर मुह पर चपत जमाने में जरा-साभी संकोच न किया था। बटलर कमेटी ने इन सन्धियों को उठा कर ताक पर रख दिया था और यह साफ कर दिया था कि सरकार को उनके मामलों में दखल देने का पूरा अधिकार है। कभी तो अलवर के स्वर्गीय महाराज इतने योग्य समझे जाते थे कि उनको गोलमेज परिषद् में प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था और जब उनको अयोग्य समझा गया, तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर राज्य से बाहर कर दिया गया। अपने राज्य से सात समुद्र पार विदेश में पेरिस में उनकी मृत्यु हुई। नाभा महराज के साथ किया गया खिलवाड राजाओं की आंखें खोलने के लिये बहुत होना चाहिये था। उन्हें भी राज्य से निर्वासित करके दक्षिण में नजरबन्द रखा गया था। रीवां के राजा पर मुकदमा चला कर भी जब उनको दोषी सिद्ध नहीं किया जा सका, तब मनमाने तौर पर उनको राज्य से बाहर कर दिया गया। देवास की छोटी पाती के राजा साहब को पहले तो इन्दौर की गद्दी पर बिठाने की कोशिश की गई और बाद में कोल्हापुर ले जाकर वहां की गद्दी पर बिठा दिया गया। भरतपुर के स्वर्गीय महाराज कृष्णसिंह के साथ क्या नहीं किया गया था। उनकी शहादरा में मृत्यु हुई। सिरोही के राजा को दिल्ली में निर्वासितों का-सा जीवन बिताने को लाचार किया गया और दिल्ली में मृत्यु होने पर उनके शव के साथ लावारिसों का-सा वर्ताव किया गया। इन्दौर के पिछले महाराज को जबरन राजसन्यास लेने को लाचार किया गया। राजाओं को पथ-भ्रष्ट, चरित्र-भ्रष्ट और आदर्श भ्रष्ट करने के लिए जो षडयन्त्र और मायाजाल रचे जाते हैं, उनकी कहानी इतनी भयानक है कि सुन कर दांतों तले उंगली दबा लेनी पडती है।

राजाओं के साथ इस प्रकार मनमाना दुर्व्यवहार करते हुये भी सन्धियों के नाम पर उनको परचाने की भी कोशिश की जाती रही है।

श्रीरामचन्द्र जैन वकील
राज्य प्रजा परिषद् के कार्यकर्त्ता प्रधान

स्वामी कर्मानन्दजी
बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के प्रधान

स्वर्गीय श्री खूबरामजी सराफ
आप भादरा के निवासी देशप्रेमी थे ।
बीकानेर की दमन नीति के सदा ही
शिकार होते रहे ।

स्वर्गीय बाबू मुक्ताप्रसादजी वकील
बीकानेर में जन जागृति का श्रीगणेश
आप ने ही किया था ।

लार्ड हार्डिंग ने यह अनुभव किया कि राजाओं के साथ कुछ सहृदय व्यवहार किया जाना चाहिये और उनको यह अनुभव कराना चाहिये कि देश की राजनीति में उनका भी कुछ स्थान एवं महत्व है। इसलिये राजाओं के साथ सम्पर्क कायम कर उनके साथ राजनीतिक चर्चा भी की जाने लगी। लार्ड चेम्सफोर्ड ने इसको और प्रोत्साहन दिया। माएटफोर्ड शासन-सुधारों के बाद १६२० में नरेन्द्रमण्डल की स्थापना करके ड्यूक आफ कनाट से उसका उद्घाटन कराया गया। वायसराय इसके प्रधान हुए। पोलिटिकल विभाग इसका पथ-प्रदर्शक बना। कौंसिल चेम्बर में इसका कार्यालय रखा गया। वायसराय प्रति वर्ष इसका उद्घाटन करते और एक उपदेशात्मक भाषण दे दिया करते। राजा लोग अपने अभाव-अभियोग आदि इसमें उपस्थित करते। कुछ कार्यवाही प्रगट रूप में होती और अधिकतर गुप्त रूप में। वायसराय के सदुपदेश का प्रयोजन सद्भावना को प्रगट करने से अधिक कुछ न होता था। इसलिए उसका ऐसा कोई प्रभाव भी न पड़ता था। राज्य में उत्तरदायी एवं प्रगतिशील शासन कायम करने का अर्थ था राज्यशासन में प्रजा का सहयोग प्राप्त करना। इसके लिये सबसे बड़ा जो कदम उठाया गया, वह था निरर्थक और बेकार सलाहकार बोर्डों की स्थापना करना। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर आदि के अलावा कहीं और ये बोर्ड भी तो कायम नहीं किये गये। इधर पिछले कुछ वर्षों में कुछ राज्यों में धारासभायें कायम की जाने लगी हैं। पर, उनमें उदारता से काम न लेकर कृपणता एवं अनुदारता से ही काम लिया गया है। इससे पहिले भी इन्दौर, ग्वालियर और बीकानेर में भी धारासभायें कायम थीं, किन्तु उनमें प्रजा का प्रतिनिधित्व नहीं के ही समान था।

नरेन्द्रमण्डल और पोलिटिकल विभाग से लाभ तो कुछ न हुआ; लेकिन, हानि बहुत हुई। सब से बड़ी हानि तो यह हुई कि प्रजा की उपेक्षा होकर राजाओं की ही पूछ होने लगी। जो शासन-सुधार

योजनायें बनाई गईं, अथवा उनके सम्बन्ध में जो भी चर्चायें हुईं, उन सभी में प्रजा की उपेक्षा कर राजाओं की ही दृष्टि से विचार एवं चर्चा की जाती रही। माण्टफोर्ड सुधारों के बाद १९३५ में बनाये गये संघशासन विधान में राजाओं को तो प्रतिनिधित्व दिया गया—प्रजा की कुछ भी पूछ नहीं की गई। उसकी सर्वथा अवहेलना ही कर दी गई। उसके बाद क्रिप्स–योजना, शिमला–चर्चा, मन्त्रिमिशन–योजना, वावेल–योजना और माउंटबेटन–योजना तक में राजाओं की ही दृष्टि से विचार किया गया। कांग्रेस की नीति भी उपेक्षा की ही रही। १९२८ में नेहरू-रिपोर्ट और १९४५–४६ की सप्रू–योजना में भी प्रजा की पूछ न करके राजाओं को ही प्रधानता दी गई। विधान परिषद् का पहिला अवसर है, जब कि देशी राज्यों को दिये गए प्रतिनिधित्व में आधा प्रजा को देने की बात तय हुई है और इस आधे के चुनाव में भी काफी धांधली से काम लिया गया है।

इस प्रकार इन थोथी सन्धियों पर निर्भर होकर प्रजा की उपेक्षा करने वालों में बीकानेर की भी गणना की जा सकती है। इन सन्धियों का सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि राजाओं में प्रजा के प्रति उपेक्षा पैदा होकर अपने लिये भी हीन मनोवृत्ति पैदा हो गई। वे प्रजा पर निर्भर न रहकर अपनी शक्ति का आधार प्रजा को न मानकर उन सन्धियों में अपने अस्तित्व के आधार की खोज करने लग गये। वे ब्रिटिश भारत की भी उपेक्षा कर अपना सीधा सम्बन्ध इंग्लैंड के बादशाह या ताज के साथ जोड़ने लगे। उनको पचकारने और भुलाने के लिये वायसराय को नया पद 'ताज के प्रतिनिधि' का दिया गया और 'पोलिटिकल विभाग' की मार्फत 'ताज का प्रतिनिधि' अपने इस चौथे मुँह से काम लेने लगा। राजा लोग इतने ही से फूले न समाये। लेकिन, जब उनको इस माया-जाल का पता चला, तब वे उसमें बहुत अधिक उलझ चुके थे। बटलर कमीशन के सामने राजाओं ने अपनी स्वतन्त्र स्थिति का दावा पेश किया। बीकानेर के स्वर्गीय महाराज ने

उनका नेतृत्व किया। लेकिन, वह विफल हुआ। सन्धियों के निहित अर्थ को लेकर एक मांग यह भी की गई कि ब्रिटिश भारत में होने वाली चर्चा या आलोचना से ब्रिटिश सरकार उनका संरक्षण करे। सरकार ने इसको स्वीकार कर तरह–तरह के 'प्रिंसेस प्रोटेक्शन एक्ट' बनाये और उनके संरक्षण का भार अपने ऊपर ले लिया। यही तो सरकार चाहती थी। उसने अपने भाग्यकी डोर के साथ उनके भाग्य की डोर बाध ली। दोनो दुर्भाग्य और पतन की एक रेखा पर आकर खड़े होगये। प्रजारूपी 'स्व' का परित्याग कर ब्रिटिश सरकाररूपी 'पर' का का सहारा लेने से स्वधर्म से पतित आत्मा की–सी राजाओं की हालत हो गई। पतित आत्मा जैसे दुर्गुणों का शिकार होती है, वैसे ही भारत के राजा भी दुर्गुणों के शिकार होते चले गये। अनाचार, अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण एवं दमन का देशी राज्यों में दौर चल पड़ा। नैतिक पतन की खाई में वे औंधे मुंह गिर पड़े।

नैतिकताशून्य सन्धियों की इस अनैतिकता को प्रगट करने के लिये यहां कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी दो तीन बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। सबसे पहिली और बड़ी बात तो यह है कि कोई भी सन्धि सर्वथा स्वतन्त्र दो राष्ट्रों में होती है। इंग्लैण्ड सरीखे स्वतन्त्र राष्ट्र के साथ गुलामीमें जकडे हुये देशी राज्योंकी सन्धियों का कुछ भी अर्थ या महत्व नहीं है। ये सन्धियां नहीं हैं, वस्तुतः शर्तनामा या पट्टे हैं, जिन पर उनको वे राज्य दिये गये हैं। बीकानेर राज्य की नजरों में राज्य के पट्टेदारों अथवा जागीरदारों और उनके नाम लिखे गये पट्टों का जो महत्व है, वही इन सन्धियों का ब्रिटिश सरकार की नजरों में महत्व है और इनके आधार पर वही महत्व उसकी दृष्टि में बीकानेर राज का है। पट्टों या शर्तनामों को सन्धियां मान कर राजाओं ने अपने को ही धोखा दिया है। पराधीन राज्य अपने मालिक राष्ट्र के साथ क्या सन्धि कर सकता है? किरायेदार मकान मालिक के साथ लिखे गये किरायेनामे को सन्धि का नाम नहीं

दे सकता। बटलर कमीशन और लार्ड हार्डिंग ने इन सन्धियों का यही अर्थ लगाया था।

दूसरी बात यह है कि सन्धियां किसी निश्चित अवधि के लिए की जाती हैं और उस अवधि के बाद उनको दोहराया जाता है। समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन किये जाते हैं। अमेरिका ने स्वतन्त्र होने के समय ऐसी सन्धियों को अनैतिकतामूलक बता कर फाड दिया। अवधिरहित सन्धिया जिन कागजो पर लिखी जाती है, उनकी कीमत उन कागजों की कीमत के बराबर भी नही होतीं। राजा लोग वशपरम्परा के साथ इन सन्धियों को भी जोडते चले जाते हैं और सरकार भी इन रद्दी कागज के टुकडों को बतौर दिखावे के मानती चली जा रही है। ठगी और धोखे का यह व्यापार चल रहा है।

तीसरी बात यह है कि सन्धियों की कुछ तो भी ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि होनी चाहिये। यदि इतिहास में किसी सिद्धांत का प्रतिपादन हो चुका हो, तो उसके विपरीत कोई सन्धि नहीं हो सकती। आयर के अलस्टर प्रदेश के साथ हुई इंग्लैण्ड की सन्धि सारे आयर के सिर नहीं मढी जा सकती। ये देशी राज्य भी भारत के अलस्टर हैं। इसलिये उनकी इन सन्धियों का स्वतन्त्र भारत की दृष्टि मे कुछ भी मूल्य हो नहीं सकता। अमेरिका के स्वतन्त्र होने के मार्ग मे इंग्लैंड की उसके सिर पर थोपी गई सन्धिया रुकावट नहीं बन सकीं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने भी अमेरिका के स्वतन्त्र होने के अधिकार को स्वीकार किया है। इस प्रकार वे सन्धिया न्याय, विवेक, इतिहास तथा सर्वसम्मत अन्तर्राष्ट्रीय कानून के भी सर्वथा प्रतिकूल हैं।

अनैतिकतामूलक अव्यवस्था के गर्भ में से अनैतिकता का ही पैदा होना सभव था। इसीलिये देशी राज्यों की शासन-व्यवस्था का आधार 'अनीति' होकर उसमें अनुत्तरदायी तत्वों का समावेश होता चला गया। उन्होंने उत्तरदायित्व का भार तो अंग्रेज सरकार के सिर

पर लाद दिया और स्वयं अनुत्तरदायी बनते चले गये। उनका रुझान और झुकाव भोग–विलास की ओर होता चला गया। यौवन, धन सम्पत्ति, प्रभुत्व और अविवेक का परिणाम सिवा अनर्थ, अनाचार और अत्याचार के और हो ही क्या सकता था? शासन के दायित्व का भार हलका होने पर उच्छृंखलता का पैदा होना स्वाभाविक था। एक ओर राजाओं का खर्च बढ़ने लगा और दूसरी ओर प्रजा पर कर का भार बढ़ने लगा। शोषण शुरू हुआ और उस शोषण के लिये दमन एवं उत्पीडन का सहारा लिया गया। राज्यनिर्माण की ओर से ध्यान हटने के बाद जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा नैतिक विकासकी ओर कौन ध्यान दे सकता था? जनहितकारी सब कार्यों और सत्कर्मों की नितांत उपेक्षाकी जाने लगी। स्वेच्छाचार भी बढ़ा और जनताको नैसर्गिक नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाने लगा। शासन-तन्त्र यन्त्रवत् निरुद्देश्य चलने लगा। आदर्शभ्रष्ट और उद्देश्यभ्रष्ट शासन-तन्त्र प्रजा की प्रगति में रुकावट बन गया। बिना किसी योजना के चलने वाले शासन के ऊंचे से ऊचे अधिकारी भी आदर्शभ्रष्ट हो गये। रिश्वतखोरी, लूट-खसोट, अनाचार और अनैतिकता सब ओर व्याप गई। राजाओं और ऊंचे अधिकारियों तक के साथ प्रजा का कोई सम्पर्क न रहा। इसीलिये शासन-प्रबन्ध में भी उसका हाथ न रहा। प्रजा के सहयोग एवं नियन्त्रण से रहित होकर शासन के घोड़े बेलगाम हो गये।

अव्यवस्था की यह स्थिति अराजकता को पैदा कर क्रांति को जन्म देती है। जिस काल में से हम इस समय गुजर रहे हैं, वह क्रांति को निमन्त्रण दे रहा है। बीकानेर भी उस से बचा नहीं रह सकता। इसीलिये दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का यह तकाजा है कि उस क्रान्ति का स्वागत किया जाय और शासन सुधारों के रूप में उसके अनुकूल भूमि अभी से तय्यार की जाय। औंध, कोचीन और मेवाड़ तथा अन्य कुछ राज्यों में जो परिवर्तन हुये या हो रहे हैं, वे बीकानेर में क्यों नहीं हो सकते? मुश्किल तो यह है, कि देशी राज्यों की जैसे कोई रीति-

नीति नहीं है, वैसे ही बीकानेर की भी कोई रीति-नीति नहीं है। बिना किसी विचार, नीति, योजना और विवेक के यों ही राज-काज चलता रहता है। जैसे धक्का दी गई गाड़ी कुछ दूर चल कर या तो रुक जाती है अथवा पटरी से उतर कर अस्त-व्यस्त हो जाती है, वैसा ही हाल देशी राज्यों का भी होना निश्चित है। अधिकांश राज्यों में इस समय छाई हुई उच्छृंखलता एवं स्वेच्छाचार किसी भी नीति के परिणाम नहीं कहे जा सकते। पथभ्रष्ट होने का परिणाम वे जरूर हैं। यही कारण है कि देशी राज्य और बीकानेर भी नीतिहीन होने से किसी भी दिशा में कुछ भी प्रगति नहीं कर सके। कृषि, उद्योग, शिक्षा, व्यापार-व्यवसाय, स्वास्थ्य, ग्राम-सुधार आदि सभी दृष्टियों से बीकानेर का राज्य और जनता पिछड़े हुये हैं। प्रगतिशील तत्वों का समावेश राज्य के किसी भी महकमे में हो नहीं सका। इसीलिये शासन पिछड़ गया और उसके साथ बीकानेर की प्रजा भी पिछड़ गई। शासन-तन्त्र इतना विकृत हो चुका है कि वह अपने विकार के भार को भी संभाल नहीं सकता। इसको पतन और विनाश से बचाने के लिये परिवर्तन की आवश्यकता है। राज्य स्वेच्छा से परिवर्तन कर सके, तो अच्छा है। अन्यथा प्रजा में क्रान्ति हो कर यह परिवर्तन मजबूरन करना पड़ जायगा।

पहिला अध्याय

भाग ४

१. सामन्तवाद और पूंजीवाद का मेल

देशी राज्यों के लिये सामन्तवाद और पूंजीवाद का मेल बहुत बड़ा अभिशाप सिद्ध हो रहा है। पूंजीवाद का रूप देशी राज्यों में और भी अधिक भयानक इसलिए हो गया है कि इनमें आने वाली जिस पूंजी को व्यापार-व्यवसाय या उद्योग-धन्धों से उपार्जन किया जाता है, उसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य की जनता को कुछ भी नहीं मिलता और जो अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है, वह लोगों में गिरावट, हीनवृत्ति तथा पर-निर्भर रहने की कुत्सित भावना पैदा करने वाला है। बीकानेर की भी यही स्थिति है। वैसे बीकानेर में लखपतियों की कमी नहीं है। करोड़पति भी कम नहीं हैं। लेकिन, इनमें ऐसे कितने हैं, जिन्होंने इस सम्पत्ति का उपार्जन बीकानेर राज्य में रहकर, यहां कोई व्यवसाय चलाकर अथवा उद्योग-धन्धा शुरू करके किया है। प्रायः सभी राज्य से बाहर ब्रिटिश भारत मे उद्योग-धन्धा या व्यापार-व्यवसाय करने वाले है और वहां ही इन्होंने धन-सम्पत्ति का सम्पादन किया है। यही कारण है कि व्यक्तिगत दृष्टि से इतने सम्पन्न लोगों के होते हुए भी देशी राज्यों का औद्योगिक व्यावसायिक, और व्यापारिक दृष्टि से भी विकास नहीं हो पाया। भारत-प्रसिद्ध बड़े बड़े व्यवसाही या उद्योगपति अधिकतर राजपूताना के देशी राज्यों से सम्बन्ध रखते हैं। कराची मे 'आयरन किंग' कहे जाने वाले मोहता-परिवार का सम्बन्ध बीकानेर के साथ है। अपनी दूकानो की शाखाओं-प्रशाखाओं के साथ सारे

भारतवर्ष में छाये हुए डागाओं का सम्बन्ध भी बीकानेर के साथ है। रामपुरिया, बांठिया, सेठिया आदि भी बीकानेरी ही हैं। इतने सम्पन्न लोगों को जन्म देने वाले बीकानेर में औद्योगिक प्रगति न हो और यहां की प्रजा इस कला-कौशल के युग में भी केवल खेती पर निर्भर रहे और जागीरदारों के हाथों उसका शोषण होता रहे,—यह राज्य के लिए शोभा की बात नहीं है, अपितु बदनामी का कारण है। बीकानेर में दो बार इनकम टैक्स लगाने का उपक्रम होने पर यही कहकर उसका विरोध किया गया कि जिस आय पर सरकार टैक्स लगाना चाहती है, उसका बीकानेर सरकार के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। फिर, जिस आय पर ब्रिटिश प्रान्त में टैक्स दे दिया जाता है, उस पर दुबारा लगाने का अधिकार बीकानेर की सरकार को नहीं है। यही बात अब जोधपुर में, वहां की सरकार द्वारा इनकम टैक्स का प्रस्ताव किये जाने पर, कही जा रही है।

इस प्रकार बीकानेर के बाहर पैदा की गई पूंजी के मालिक भी न मालूम क्यों, देशी राज्यों में आकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। राजदरबारों में उनको सम्मान मिलता है। सोने के कडे उन को दिये जाते हैं। वे प्रजा की ओर से मुंह मोड कर राजशक्ति की उपासना करने में लग जाते हैं। पूंजीवाद और सामन्तवाद का इस प्रकार सामंजस्य होकर दीन-हीन प्रजा को और भी अधिक दुर्दशा का सामना करना पडता है। जागीरें सामन्तशाही के अत्यन्त विकृत रूप की निशानी हैं, जो बीकानेर के चौथाई हिस्से पर छाई हुई हैं। इनको पट्टेदार, माफीदार, सरदार या उमराव आदि कहा जाता है। स्वर्गीय महाराज और वर्तमान महाराज की घोषणा में इनको अभयदान देकर इनके अधिकारों के संरक्षण की हामी भरी जाती है। स्वर्गीय महाराज गंगासिंहजी ने सम्वत् १९९८ की घोषणा की धारा ३२ और ३३ में कहा था कि :—

"हमने अपने उमरावों और सरदारों को पहिले भी विश्वास

दिलाया है और आज फिर विश्वास दिलाते हैं कि वे सदैव इस राज्य के थम्मे और हमारे राज्यसिंहासन के आभूषण रहेंगे। हम और हमारे पूत-पोते भी उनके वाजिब हकों और खास सुविधाओं को कायम रखने और उनकी इज्जत एवं गौरव को बनाये रखने, राज्य में उनको उचित और प्रतिष्ठित स्थान देने का हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे। जबतक उमराव और सरदार लोग राज्य के शामखोर रहेंगे, राज्य और राजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे और जो जागीर बख्शने व भोगने की शर्तें हैं, उनकी पाबन्दी करेंगे, तबतक किसी उमराव या सरदार को यह भय न होना चाहिये कि उनकी जागीर अन्याय से छीन ली जायेगी या उनसे जबर्दस्ती ली जा कर किसी दूसरे को देदी जायगी, चाहे ये जागीरें राज्य कायम करते समय बहुमूल्य सेवाओं या युद्ध की सेवाओं के बदले या अन्य कारणों से दी गई हो।"

इस धारा ३२ में जागीरदारों को अपने राज्य का थम्भा और आभूषण कहा गया है। वास्तव में किसान और मजदूर अथवा साधारण प्रजा ही किसी भी राज्य का थम्भा या आभूषण होनी चाहिए। इस ओर तो किसी भी राज्य का ध्यान नहीं है। धारा ३३ मे जागीरदारों का ध्यान अपनी प्रजा की ओर जरूर आकर्षित किया गया है। उसमे कहा गया है कि :—

"उमराव, सरदारों और दूसरे जागीरदारों के ये फर्ज और जिम्मेदारियां केवल राजा व राज्य की तरफ ही नहीं, बल्कि उनकी जागीरों में रहने वाली हमारी प्रजा की तरफ भी हैं और वे सैकड़ो वर्षों से उनकी मोहर-छाप चिट्ठियों में जरूरी शर्तों के रूप में साफ तौरपर दर्ज की जाती रही हैं, जो पहिले-पहल जागीर बख्शते समय या हरेक जागीरदार की आनशीनी के मौके पर इनायत की जाती हैं। वे शर्तें ये हैं कि जागीरदार :—

" धर्मीपणा में कसर नहीं घालसी,

"जिलो बाथरो कहं सूं नहीं रापसी,
"हुक्म अदूली नहीं करसी,
"रैय्यत सूं जुल्म जासती नहीं करसी,
"गाव आबाद राखसी,
"रकम हिसाबी लेवसी,
"गाव चोर धाड़वी नहीं बसासी, और
"चोर धाड़वी आसी तो पकड़ाय देसी।"

"इन शर्तों में कुछ को जैसे हरामखोरी, जिसमें और ज्यादा संगीन जुर्म राजद्रोह और बगावत आदि शामिल हैं, विद्रोह, षडयन्त्र या राज्य की जबर्दस्त हुकम अदूली करने से सब जागीर या उसका एक हिस्सा जब्त भी किया जा सकता है। बाकी दूसरी शर्तों का पालन न करने से जागीरदार खुद को दण्ड दिया जा सकता है।"

जागीरदारों के कर्तव्य का पालन न करने पर सजा का विधान भी इसमें कर दिया गया है। इतनी गनीमत है कि इन आठ कर्तव्यों में प्रजा के प्रति जागीरदार के कर्तव्यों का बहुत स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है और अधिक धारायें इस कर्तव्य का ही निर्देश करने वाली हैं। लेकिन, प्रश्न यह है कि इनका पालन न करने पर आज तक कितनों की जागीरें ज़ब्त की गई हैं और कितनों को खुद को सजा दी गई है। दुधवाखारा काण्ड का वर्णन यथास्थान किया गया है। उससे तो यह प्रगट है कि जागीरदार को कुछ भी सजा न देकर सजा दी जाती है किसानों और उनके नेताओं को। उनकी तो कोई फरियाद भी नहीं सुनता। महाराजा की शरण में जाने पर भी सुनवाई नहीं होती। उनके नेता चौधरी हनुमानसिंह और उनके साथी तो जेलों में ठूंसे गये। उन पर जोर-जुल्म और ज्यादतियां की गईं। मुकद्दमे भी चलाये गये। लेकिन, जागीरदार को पूछा तक न गया कि उसने अपने यहां इतनी अंधेरगर्दी क्यों मचा रखी है?

पूंजीवाद और सामन्तवाद के इस अप्रिय गठबन्धन की निन्दा

ग्वालियर में अ० भा० देशीराज्य लोक परिषद के अधिवेशन में भी की गई थी। इसके सम्बन्ध में स्वीकृत प्रस्ताव मे कहा गया है कि "देशी राज्यों के औद्योगिक विकास की समस्या पर, विशेष कर व्यक्तिगतरूप से पूंजीपतियों को दस-दस बीस-बीस वर्ष के लिए जनता के हितों के लिये घातक शर्तों पर दिये जाने वाले एकाधिकार पर परिषदने बहुत गहरा विचार किया है। तथा कथित ब्रिटिश भारतसे पिछले वर्षों में पूंजी की जो निकासी देशी राज्यों की ओर हुई है, उसको भी इस परिषद ने बहुत ध्यान से देखा है और इस प्रकार पूंजीवाद और सामन्तशाही का जो सहयोग और गठबन्धन राजाओं एवं अधिकारियों के साझे के साथ हो रहा है, उसको भी उसने चिन्ता के साथ देखा है। इस प्रकार एक ओर रियासत की सामन्तशाही और दूसरी ओर निजी पूंजीवाद के स्वार्थों का जो सम्मिश्रण या गठबन्धन हो रहा है, वह उद्योगधंधों के भविष्य के साथ-साथ जनता के वास्तविक हितों के लिये भी अत्यन्त घातक है।" निस्सन्देह, इस प्रस्ताव का सम्बन्ध उस गठबन्धन से है, जो औद्योगिक विकास एव प्रगति के नाम पर इन दिनो में सामन्तशाही और पूंजीवाद मे हो रहा है। लेकिन, गहराई से देखा जायं तो यह गठबन्धन काफी पुराना है। जनता की प्रगति और राज्यों के औद्योगिक विकास में सहायक न होकर बाधक ही बना है।

यही कारण है कि आज जनता में जागृति होकर जागीरी प्रथा के नष्ट किये जाने की जोरदार मांग की जा रही है। ग्वालियर के स्वर्गीय महाराज माधवराव जी ने इनको प्रजा का खून चूसने वाली जोंक कहा है और इनकी बहुत ही कठोर आलोचना की है। ग्वालियर मे अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद् ने जागीरी प्रथा इस युग के लिए बेतुकी बताकर प्रजा के चहुमुखी विकास के लिये बहुत बड़ी बाधा कहा है। और कहा है, कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा मानवी आधार पर भी इसका बना रहना न्यायसंगत नहीं है। इस

लिये उसको जड-मूल से नष्ट करने की माग करते हुए जनता मे इसके लिए सगठित होने की अपील की गई है।

यही प्रथा बीकानेर के स्वर्गीय महाराज के शब्दो में उनके राज्य का आधारस्तम्भ और उनके सिंहासन का आभूषण है। इसीलिये अन्य राज्यों के समान बीकानेर में भी उसको अभयदान मिला हुआ है। इस अभयदान मे देशी राज्यों में स्वच्छन्दता ही नहीं, बल्कि अराजकता भी छाई हुई है। कोढ की तरह जागीरें प्राय. सभी राज्यों को घेरे हुए हैं। जोधपुर में ८२ सैकड़ा जमीन जागीरों के आधीन है। जयपुर की ७५ सैकड़ा पर इनका अधिकार है। उदयपुरमें सम्भवत. ६० सैकडा के ये मालिक है। ग्वालियर मे इनकी संख्या छ. सौ के लगभग हैं। अलवर के एक चौथाई मे अधिक गाव इनके कब्जे में हैं। जहा भी कहीं जागीरें है, वहा कम–अधिक यही स्थिति है। इनकी हकूमत किस ढंग से चलती है, इसका कुछ परिचय पिछले दिनों में जयपुर के लोकप्रिय प्रधान-मन्त्री श्री देवीशकरजी तिवाडी को उनकी शेखावाटी की यात्रा मे दिया गया था। उनके सामने वह काठ पेश किया गया था, जिसमें बडी निर्दयता के साथ नृशंस तरीके से लोगों को जकड दिया जाता था। उनके सामने ढाई हाथ लम्बा जूता भी पेश किया गया था, जिसका जलूस निकाला जाता है और जिससे जागीरो में पुलिस, मजिस्ट्रेट और जेल का सारा काम लिया जाता है। इनके गांवो में स्कूल, वाचनालय, पुस्तकालय, औषधालय और प्याऊ आदि का तो नाम तक न मिलेगा। किन्तु शराब की भट्टियों की दूकाने जरूर मिल जायेंगी। जन–जागृति को दबाने और कुचलने के लिये लूट और मारपीट ही नहीं, अपितु सशस्त्र आक्रमण तक किये जाते हैं। कार्यकर्ताओ को पीटना और गोली का निशाना बनाना भी उनके लिये मुश्किल नहीं है। जोधपुर, शेखावाटी और ग्वालियर के साथ-साथ बीकानेर से भी इन ज्यादतियों के समाचार प्राय. मिलते ही रहते हैं। मनमाने लगान के अलावा सैकड़ो तरह की लाग–बाग और बेगार भी

इनके यहां चालू है। मानवता की दृष्टि से लाग-बाग और बेगार भी साधारण कलंक नहीं हैं; किन्तु सबसे बड़ा जो कलंक इन जागीरों में पाया जाता है, वह है गुलामी की दारोगा प्रथा। व्याह-शादियों मे ये दास-दासियां दहेज मे दी जाती हैं। सारा जीवन इनको गुलामी में ही बिताना पड़ता है। मध्यकालीन जितने भी दुर्गुण और कलंक हैं, उनको टिकने के लिए मानो जागीरों में ही स्थान मिल सका है। दुःख तो यह है कि इनको गुण और आभूषण मानकर आग्रह के साथ कायम रखा जाता है। इससे सारी प्रजा का पतन हो कर घोर अनैतिकता सर्वसाधारण में छा जाती है। इस अनैतिकता का मूल कारण बनी हुई इस प्रथा या संस्था के सहारे देशी राज्य फलने-फूलने या पनपने की आशा रखते है। ऐसी आशा रखने वालों मे स्वर्गीय महाराज के शब्दों को देखते हुए बीकानेर का अग्रणी स्थान है।

इसका जो भयानक दुष्परिणाम सामने आ रहा है, वह और भी भीषण है। जागीरदार प्रायः राजपूत है और वे अपने को राजाओं के भाई बंद मानते है। इस भाई-बंदी का अन्याय और अनाचार चरम सीमा को पहुँच कर वह एक नयी तरह की साम्प्रदायिकता को जन्म दे रहा है। इस साम्प्रदायिकता के साथ सामान्तशाही का सम्मिश्रण होने से करेला नीम चढ़ा वाला हाल हो रहा है। स्थिति यह है कि किसान प्रायः जाट होते हैं और जागीरदार होते हैं राजपूत। इस लिए यह राजनीतिक किंवा आर्थिक समस्या राजपूत बनाम जाट का रूप धारण करती जा रही है। शोषित, पीड़ित, दीन, हीन और पराधीन [illegible]न जागृत होकर यह समझता जा रहा है कि उसकी सब बीमारियों, संकटों और आधि-व्याधियों का एकमात्र इलाज उत्तरदायी शासन की स्थापना है। इसके लिए प्रयत्नशील प्रजामण्डलों, प्रजापरिषदो अथवा लोक संस्थाओं के साथ उसकी सहानुभूति होनी स्वाभाविक है। दूसरी ओर जागीरदार भी संगठित होकर सरदार सभाओं की स्थापना करने में लगे हुए हैं। प्रजामण्डलों के

मुकाबले में सरदार सभायें प्रायः सभी राज्यों में कायम हो गई हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि शासन-सत्ता, जो धीरे धीरे प्रजा के हाथों में प्रजामण्डलों की मार्फत आनी चाहिए, उसमें सरदार सभायें भी हिस्सा बंटा रही हैं और उनका दावा बिना किसी वहम के स्वीकार किया जा रहा है। जयपुर में विधान परिषद के दो स्थानों में से एक एक स्थान प्रजामण्डल और सरदार सभा में आपस में बांट लिया गया है। तीन लोकप्रिय मन्त्रियों में दो प्रजामण्डल को दिये गये, तो एक सरदार सभा को भी दे दिया गया। इसी प्रकार मेवाड़ में भी तीन लोकप्रिय मन्त्रियों में दो प्रजामण्डल को और एक सरदार को दिया गया है। एक ओर सरदार सभा बनाम किसान सभा के रूप में जागीरी साम्प्रदायिकता का जन्म होना और दूसरी ओर सरदार सभा बनाम प्रजामण्डल के रूप में शासन-सत्ता में जागीरों का हाथ बटाना, दोनों ही भयानक प्रवृतियां हैं। इनके सम्बन्ध में समय रहते सावधान हो जाने में ही बुद्धिमत्ता है।

बीकानेर में चौथाई राज्य के हिस्से पर इन जागीरों का अधिकार है। ऊपर जो कुछ इनके सम्बन्ध में कहा गया है, वह सब बीकानेर पर भी लागू होता है। इसलिए बीकानेर के सम्बन्ध में सावधान और जागृत होना आवश्यक है। इधर बीकानेर में तीन ऐसी घटनायें घटी हैं, जिनमें इस अप्रिय गठबन्धन का स्पष्ट परिचय मिलता है। स्वर्गीय महाराज ने सामन्तों के बच्चों की शिक्षा के लिए "वाल्टर नोवल हाईस्कूल" ठीक उसी भावना और प्रेरणा से कायम किया था, जिससे कि लार्ड मेकाले ने भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षण पद्धति का श्रीगणेश किया था। लार्ड मेकाले को अंग्रेजी सत्ता के संचालन के लिए हिन्दुस्तानी मुंशी चाहिए थे, तो स्वर्गीय महाराज को अपने राज्य के इन खम्भों को परिष्कृत बना कर इन आभूषणों पर नया मुलम्मा चढ़ाना था। सामन्त, उमराव या सरदार उनके अपने ही शब्दों में उनके राज्य के खम्भे और आभूषण हैं।

वर्तमान महाराजा का ध्यान सामन्तों के साथ श्रीमन्तों की ओर भी गया। इसलिए इस हाईस्कूल का नया संस्करण "श्रीशार्दूल पब्लिक हाईस्कूल" के नाम से किया गया। इसमें पढ़ाई का खर्च इतना अधिक है और विद्यार्थियों का प्रवेश बहुत कड़ी शर्तों एवं सिफारिशों के साथ इतना सीमित है कि स्कूल के नाम के साथ 'पब्लिक' शब्द लगाने का कुछ भी अर्थ नहीं है। जनता के लिए उसका होना या न होना एक-सा है। सामन्तों और श्रीमंतों के बालकों की एक साथ पढ़ाई के लिए की गई व्यवस्था एक निश्चित योजना का परिणाम है। इसीलिए जब सामन्तों ने श्रीमन्तों को लक्ष्य करके कहा कि "सगला भेडां भेली भेड हुजासी"। तब महाराज ने ऊंचे आदर्श का प्रतिपादन करते हुये यह कहा कि जनता के सहयोग के बिना राजकार्य का सुचारु रूप से सम्पादन नहीं किया जा सकता। 'जनता' से अभिप्राय इस स्कूल को देखते हुये 'श्रीमन्तों' से ही था। सामन्तों के लड़कों को काफी आर्थिक सहायता दी जाती है। जनता के किसी भी बालक को ऐसी कोई सहायता नहीं दी जाती।

इस स्कूल के समान 'बीकानेर बैंक' भी एक ऐसी संस्था है, जिसमें सामन्तों और श्रीमन्तों का खासा गठबन्धन हुआ है। यह बैंक जिस औद्योगिक प्रगति और व्यावसायिक विकास के नाम पर कायम किया गया है, उसमें भी श्रीमंतों का ही बोलबाला है। श्रीमन्तों के साथ डाइरेक्टर या हिस्सेदार के रूप मे सामन्त भी शामिल हैं। खांड मिल तथा अन्य संभावित मिलों में भी दोनों का गठबन्धन हुआ और होने वाला है। जनता का तो विशुद्ध शोषण ही होगा। अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद के ग्वालियर अधिवेशन में इस बारे में जो प्रस्ताव पास किया गया है, वह बीकानेर की स्थिति पर सवा सोलह आना ठीक बैठता है। इसलिए कार्यकर्ताओं और जनता को भी इस सम्बन्ध मे सचेत, सावधान और जागरुक रहने की आवश्यकता है। इस गठबन्धन की जड़ें या गाठें मजबूत हो जाने के बाद जनता के गले

में गुलामी का एक और तौक पड जायगा । यदि उत्तरदायी शासन कायम हो भी गया और उसकी तह में इस गठबन्धन के रूप में जनता को गहरी आर्थिक गुलामी में जकड दिया गया, तो उससे उसको क्या राहत मिल सकेगी? इसलिए समय रहते ही सावधान हो जाना चाहिये।

——

पहिला अध्याय

भाग ५

१. शासन की व्यवस्था

राज्य-व्यवस्था के दो प्रधान अंग हैं। एक शासन और दूसरा न्याय। शासन को दो भागों में बांटना चाहिए। एक शासन व्यवस्था, दूसरी वैधानिक व्यवस्था। राजा का स्थान इन सबसे अलग है। आदर्श की दृष्टि से राजा इन सबसे ऊपर है, किन्तु व्यवहार की दृष्टि से शासन में उसका स्थान कुछ भी नहीं है। इंग्लैण्ड के राजा की स्थिति इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। न्याय-व्यवस्था का स्थान सर्वथा स्वतन्त्र और सबसे ऊंचा है। उसका काम एक ओर वैधानिक व्यवस्था की खामियों को दूर करते हुए उसके बारे में पैदा होने वाली आशंकाओं को दूर करना है और दूसरी ओर उसका काम शासन-व्यवस्था पर नियन्त्रण रखते हुए उसको सीमा से बाहर न जाने देना है। यदि न्याय-व्यवस्था का अंकुश शासन पर न हो, तो वह सर्वथा स्वच्छन्द और स्वेच्छाचारी बन कर वैधानिक व्यवस्था का मनमाना अर्थ करके उसको बिलकुल ही निरर्थक बना डाले। किसी भी राष्ट्र या राज्य में समुचित ढंग पर चलने वाली इसी व्यवस्था का नाम आज कल की भाषा में पार्लमेण्टरी शासन पद्धति है। प्रजातन्त्री शासन के मूलभूत तत्व भी यही है। जिस उत्तरदायी शासन के लिये प्रायः सभी देशी राज्यों में वर्षों से जबर्दस्त जन-आंदोलन हो रहे हैं, उनका आधार भी यही व्यवस्था है। शासन व्यवस्था वैधानिक व्यवस्था के आधीन होनी चाहिये और वैधानिक व्यवस्था की व्याख्या कर

उसके लागू होने की न्यायसंगत परिभाषा करना न्याय व्यवस्था का काम है। वैधानिक व्यवस्था जिस धारा सभा के हाथ में रहती है, उसका चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर हो कर शासन सभा को उसका विश्वास प्राप्त कर उसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिये। निस्सन्देह इस सारी व्यवस्था का चक्र राजा के नाम पर चलता है और उसके चारों ओर घूमता है। वह शासन का प्रतीक अवश्य होता है, किन्तु शासन की समस्त सत्ता जनता में ही निहित मानी जाती है।

इस दृष्टि से देशी राज्यों की वर्त्तमान शासन में उत्तरदायी शासन के तत्वों का यत्किंचित भी समावेश न होकर उसकी शासन व्यवस्था सर्वथा स्वच्छन्द एव स्वेच्छाचारी है। मनमाने कानून जारी करना, उनकी मनमानी व्याख्या करना और न्याय-विभाग पर भी मनमाना नियन्त्रण रखना देशी राज्यों में साधारण सी बात हैं। शासन की सत्ता राजाओं में निहित है और सारा राज्य उनकी निजी सम्पति है। इस व्यवस्था के प्रति यदि प्रजा में रोष व असन्तोष है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य तो तब होना चाहिए, जब की ऐसी व्यवस्था के प्रति प्रजा में कुछ भी रोष व असन्तोष न हो, जैसी कि बीकानेर की स्थिति थी और अब भी बहुत कुछ है।

बीकानेर का शासन देशी राजाओं में प्रायः सर्वत्र छाई हुई इस व्यवस्था का अपवाद नहीं है, अपितु इसीका एक निकम्मा उदाहरण है। निस्सन्देह, कहनेको राज्यमें धारा सभा है और म्युनिसिपैलिटियों, जिला बोर्ड तथा पंचायतें भी हैं। लेकिन, उनका होना न होना एक-सा है। उनकी चर्चा तो यथास्थान की जायगी। यहां शासन सभा की दृष्टि से इतना ही कहना पर्याप्त होना चाहिये कि उस पर धारा सभा का कुछ भी नियन्त्रण नहीं है और न उस पर न्याय-व्यवस्था का ही कुछ नियन्त्रण है? धारा सभा के प्रति वह किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं है। न उसको उसका विश्वास प्राप्त है और न प्राप्त करने की

आवश्यकता ही है। इस प्रकार सर्वथा स्वच्छन्द शासन-सभा के स्वेच्छाचारी न का बीकानेर में अब भी बोलबाला है।

२ शासन-सभा

शासन-सभा मे पहिले छः मन्त्री होते थे। अब मन्त्रियों की संख्या बढ़ा कर आठ कर दी गई है। उनके आधीन महकमों की संख्या तेरह हैं। कई महकमे एक-एक मन्त्री के आधीन हैं। इस समय स्थिति यह है:—

१ प्रधान-मन्त्री	सरदार साहब श्री पन्निकर
२. पोलिटिकल विभाग	,, ,,
३. आर्मी	ठाकुर नारायणसिंह जी
४ अर्थ विभाग	,, ,,
५. गृह विभाग	रा० ब० ठाकुर प्रतापसिंह जी
६. रेवेन्यू	ठाकुर प्रेमसिंह जी
७. जनरल	ठाकुर जसवन्तसिंह जी
८. सिविल सप्लाई	,, ,,
९ कानून	श्री मिसरान
१० ग्रामसुधार	चौधरी ख्यालीसिंह जी
११ अस्पताल	सेठ सन्तोषसिंह जी वरड़िया
१२. स्कूल (शिक्षक)	,, ,,
१३. स्वास्थ्य	,, ,,
१४. स्थानीय स्वायत्त शासन	,, ,,

इससे पहिले भाग में सामन्तशाही और श्रीमन्तशाही के अप्रिय गठबन्धन की विस्तार के साथ चर्चा की जा चुकी है। बीकानेर में शासन-सभा में जो परिवर्तन किये गये हैं, उनमें भी सामंतों के साथ श्रीमन्तों का अप्रिय गठबन्धन किया गया हैं। आंसू पोंछने के लिये एक

जाट कहे जाने वाले को भी मन्त्री पद पर नियुक्त किया गया है। १९४५ में रायबहादुर सेठ शिवरतन जी मोहता को सिविल सप्लाई का महकमा सौंपा गया था। अब सेठ सन्तोषसिंह जी बरडिया के सिपुर्द अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ और स्थानीय स्वायत्त शासन के महकमे सौंपे गये हैं। अब तक इन मन्त्रिपदों पर केवल सामन्तों का ही एकाधिकार माना जाता था। बीकानेर में ही क्यों, राजपूताना के सभी राज्यों पर सामन्तों का ही वंश-क्रमानुसार अधिकार चला आता था। पोलिटिकल विभाग ने जब देशी राज्यों पर अपने मनचाहे लोग थोपने शुरू किये, तब सामन्तों के एकाधिकार में कुछ खलल पैदा होना शुरू हुआ। आश्चर्य नहीं कि इसके पीछे यह भी भावना काम कर रही हो कि कहीं राजाओं-महाराजाओं के ये भाई बंद मिलकर कभी कोई षडयन्त्र रचकर कोई समस्या खड़ी न करदें। इसलिए इस एकाधिकार पर चोट की गई और पोलिटिकल विभाग ने इस व्यूहरचना को भंग करके अपने आदमियों को शासन सभाओं में घुसना शुरू कर दिया। सर मनुभाई मेहता पोलिटिकल विभाग के आदमी थे और आज सरदार पनिकर भी पोलिटिकल विभाग के ही आदमी हैं। पोलिटिकल विभाग के हस्तक्षेप और उसकी नियुक्तियों को सहन करते हुये भी राजाओं और नवाबों ने स्वेच्छा से प्रजा के हित में अपनी सत्ता और अधिकारों को कम नहीं किया। बीकानेर में भी इस दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज दावा किया जाता है कि बीकानेर में बीसवीं सदी के पहिले चरण के शुरू दिनों में ही स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थायें कायम की गई थीं और १९१७ में धारासभा की भी स्थापना की गई थी। लेकिन, प्रजा को वास्तविक अधिकार आज तक भी दिये नहीं गये। शासन सभा के ढांचे में कुछ भी परिवर्तन किया नहीं गया और उसको किसी भी रूप में धारा सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया नहीं गया। लेकिन, उत्तरदायी एवं प्रजातन्त्री शासन-व्यवस्था के माने हुये सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत धारा सभा को शासन सभा के हाथ का खिलौना

बनाकर रखा गया। धारासभा के यथार्थ स्वरूप की चर्चा तो यथास्थान की जायेगी। यहां इतना ही कहना बस होगा की शासन की सारी व्यवस्था एकमात्र शासन सभा के नाम पर महाराज मे केन्द्रित है। शासन सभा के मन्त्रियों को भी ऐसे कोई विशेष अधिकार तो नहीं हैं, पर, वे महाराज के नाम पर अपनी स्वतन्त्र सत्ता का स्वछन्द रूप से उपभोग जरूर कर सकते हैं। महाराज से मुलाकात के लिये लालगढ़ में मिलने का दिन व समय नियत हो जाने पर भी एक दिन पहिले गृहमन्त्री ठाकुर प्रतापसिंह ने श्री रघुवरदयालजी गोयल को गिरफ्तार करके लूणकरणसर मे नजरबंद करके इस स्वतन्त्र सत्ता का स्वछन्द रूप में जो उपयोग किया था, उस सरीखा उदाहरण सिवाय बीकानेर के और कहां मिल सकता है? शासन सभा के सदस्य आज भी वैसे ही स्वतन्त्र एवं स्वछन्द हैं। समय के बदलने का उन पर ऐसा कोई विशेष असर हुआ दीख नहीं पडता।

३. केवल दफ्तरी काम

व्यक्तिगत निन्दा और आलोचना में न पडकर सामूहिक रूप से यह बिना किसी भय और सकोच के कहा जा सकता है कि शासन सभा के अधिकांश मन्त्री केवल दफ्तरी कार्यवाही करने वाले ही होते हैं। कागजों पर हस्ताक्षर करना उनका मुख्य काम होता है। उनकी स्थिति अपने महकमे के सुपरिटेण्डेण्ट से कुछ अधिक अच्छी नहीं होती। अधिकांश मन्त्री इसीसे जनता के सम्पर्क मे आने या उससे सम्पर्क बनाने की कोई आवश्यकता ही अनुभव नही करते। उनमें शासन को उन्नत, प्रगतिशील, प्रजोन्मुखी और उत्तरदायी बनाने की कोई भी भावना या कल्पना नहीं होती। इसी लिये वे उसमे जीवन की प्रतिष्ठा न कर उसको और भी निर्जीव जरूर बना डालते हैं। वे स्वयं भी उसमें कोई विशेष सर नहीं लेते। इधर थोडा--सा परिवर्तन जरूर हुआ है। नहीं तो

मन्त्रीपद प्राप्त करने के लिये सुशिक्षित होना भी आवश्यक नहीं समझा जाता था। इसके लिये अनुभव की भी ऐसी कोई विशेष जरूरत न थी। आज भी बीकानेर के गृहमन्त्री ठाकुर प्रतापसिंह न तो ऐसे कोई शिक्षित व्यक्ति हैं और न अनुभवी ही। वे भाग्यशाली जरूर हैं और भाग्य की सीढ़ियों पर पैर रखते हुये ही वे इतने ऊंचे स्थान पर अनायास पहुँच गये हैं। किसी अन्य राज्य में, निस्सन्देह हिन्दुस्तान के बीकानेर सरीखे देशी राज्यों को छोड़ कर, उनको उनकी शिक्षा, योग्यता तथा अनुभव को देखते हुये गृहमन्त्री के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। केवल उनकी ही बात क्यों की जाय? राजपूताना में अधिकांश मन्त्रियों की यही स्थिति है। सामन्तों की मन्त्रिपदों पर नियुक्ति शिक्षा, योग्यता या अनुभव के आधार पर नहीं की जाती। इसके लिये राजा का कृपापात्र होना काफी है।

सामन्तोंके अलावा पौलिटिकल विभाग से आने वालों में अधिकांश ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो अपने जीवन की श्रेष्ठ आयु एवं शक्ति प्राय. ब्रिटिश भारत में लगा चुके होते हैं और दिवालिया दिन पूरे करने के लिये देशी राज्यों के चरागाह में भेज दिये जाते हैं। ब्रिटिश भारत से वे पेंशन लेते हैं, तो देशी राज्यों से उनको पूरा वेतन मिलता है। ऐसे लोगों का देशी राज्यों के साथ केवल वेतन का सम्बन्ध रहता है और उड़ते हुये पंछियों की तरह वे इधर उधर डालों पर घूमा करते हैं। ऐसे लोगों की राज्यों के विकास, प्रगति और उन्नति में क्या दिलचस्पी हो सकती है? इस लिये भी उनका विकास, प्रगति और उन्नति रुक जाती है। बीकानेर इस स्थिति का अपवाद न होकर उसका एक नमूना ही है।

४. अनैतिकता का बोलबाला

सामन्तों की शासन सभा में भरमार रहने का दुष्परिणाम यह हुआ

कि उसके कारण सारे शासन में अनैतिकता छा गई और पोलिटिकल विभाग के लोगोंसे इस अनैतिकता को प्रश्रय या प्रोत्साहन मिला। सामन्त चूंकि यहीं के रहने वाले होते हैं, इस लिये उनके चारों ओर सहज में उनके चाटुकार, मुंहलगे व खुशामदी, चरित्रहीन, सिद्धान्तहीन और आदर्शहीन लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों में से कुछ उनके दलाल भी बन जाते थे। इन दलालों का काम लोगों को उल्लू बना कर अपना स्वार्थ साधन करना होता है। मन्त्रियों के नाम पर लेन-देन शुरू होकर रिश्वतखोरी शुरू हो जाती है और अनैतिकता के कीटाणुओं का शासन मे समावेश होकर सब ओर अनैतिकता छा जाती है। जनता का शोषण एवं उत्पीडन भी इसी प्रकार शुरू हो जाता है। सारी शासन व्यवस्था का इस प्रकार घोर पतन होकर अराजकता की सी स्थिति पैदा हो जाती है। इस स्थिति या अवस्था में राज्य की उन्नति, विकास अथवा प्रगति की ओर क्या ध्यान दिया जा सकता है। उसके लिए न कोई योजना बनाई जा सकती है और न कार्यक्रम ही। महल, फौज, पुलिस और जकात का ज्यों-त्यों प्रबन्ध कर लेने में ही शासन सभा अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती है। जनता के साथ शासन-व्यवस्था की दृष्टि से सम्पर्क कायम कर राज्योन्नति के लिये कोई योजना बनाने का काम कभी भी किया नहीं जाता। जनहित के कामों से भी शासन सभा प्रायः उदासीन ही रहती है।

५. रिश्वतखोरी का जोर

जकात के महकमे का काम जनता का शोषण एवं उत्पीडन करके राजकोष का भरना ही होता है। बीकानेर में कुछ वर्ष पहिले तक रेलवे यात्रियों के साथ स्टेशनों पर जो असभ्यता का व्यवहार किया जाता और जिस बुरी तरह प्लेटफार्मों पर उनके बिस्तर तक खुलवा

कर देखे जाते थे, वह यात्रियों के साथ-साथ सरकार के लिये भी कोई शोभा की बात नहीं थी। धनी-मानी सेठ-साहूकारों के लिये जकात से किसी भी माल की छूट करा लेना अथवा निकासी खुली करवा लेना कुछ भी मुश्किल काम न था। व्यापार व्यवसाय में भी रिश्वत का बाजार खूब गरम था। स्टाक जमा करने के समय किसी वस्तु की निकासी बन्द करा कर कीमत गिरा लेना और बाहर कीमत बढ़ जाने पर निकासी खुली करवा लेना तो रिश्वतखोर व्यापारियों के लिये साधारण सी बात है। बिचारे किसान को इस प्रकार अपनी मेहनत का भी पूरा लाभ नहीं मिलता। वह अपनी चीज की उचित कीमत प्राप्त करने से भी वंचित रह जाता है। इस प्रकार इस रिश्वतखोरी की आड़ में लूट मची रहती है और सारे राज्य में घोर अनैतिकता छा जाती है।

पुलिस और फौज का महकमा भी जन-सेवा के लिए नहीं है। शासन का लक्ष्य ही जब जन-सेवा नहीं है, तब पुलिस व फौज में जन सेवा की भावना कहां से पैदा हो। फौज का उपयोग तो ब्रिटिश सरकार ही करती है। दोनों विश्वव्यापी महायुद्धों में बीकानेर की सेनाओं ने काफी नाम पैदा किया है। स्वर्गीय महाराज ने भी काफी कीर्ति का सम्पादन किया था। पुलिस दमन का प्रधान साधन है। जेल-पुलिस-अदालत के बल पर ही तो शासन का चक्र चलता है और अधाधुंधी मची रहती है। इसलिये पुलिस का महकमा सुशासन का नहीं, कुशासन का ही कारण बना हुआ है।

महल का महकमा महाराज की सेवा के लिए होता है। राज्य की आय का प्रधान साधन यदि जकात का महकमा है, तो व्यय का प्रधान मद महल का महकमा होता है। राज्य की आय का दस प्रतिशत या २० लाख रुपया महाराज का निजी खर्च तो जायज ही समझा जाता है और उसके अलावा महल के नाम पर नाना प्रकार के और खर्च भी होते रहते हैं। जनता या प्रजा को इस भारी खर्च से कुछ भी लाभ

नहीं मिलता। उसकी खून पसीने की आमदनी पर यह एक बहुत बडा भार होता है, जिसको किसी भी दृष्टि से न्याय-सगत नही माना जा सकता।

राष्ट्र-निर्माण अथवा जन-हित की कोई भी स्पष्ट, निश्चित और विवेकपूर्ण योजना बनाई नहीं जाती। प्रजा के सहयोग से ऐसी किसी योजना के बनाये जाने का उदाहरण बीकानेर के इतिहास में मिलना दुर्लभ है। प्रजाकी शिक्षा और स्वास्थ्य तो ऐसे विषय नही है, जिन पर कोई मतभेद हो। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम बीकानेर राज्यमें हो रहा है, उसका अधिकाश श्रेय सेठ-साहूकारो को है। उन द्वारा निर्मित और संचालित स्कूलो की संख्या कही अधिक है। लेकिन, वे शहरों तक ही सीमित है। गावों में शिक्षा की ऐसी कोई व्यवस्था नही है, जिसके लिये राज्य कोई वास्तविक गर्व या अभिमान कर सके। सारे राज्य के गावों मे पांच प्रतिशत भी पढ़े-लिखे लोग नहीं है। शहरी जनता भी केवल छः प्रतिशत ही शिक्षित हैं। लेकिन, इन शिक्षितों में साधारण आम जनता का हिस्सा नगण्य है। अधिकतर शिक्षित लोग सेठ, साहूकार या उनके आश्रित रहने वाले है। बीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने अपने शुरू के अधिवेशन मे राज्य में साक्षरता का प्रसार करने के लिये एक व्यापक योजना बनाई थी। सम्मेलन का विचार था कि दो सौ युवको को इस काम में लगाया जाय और राज्य में से अशिक्षा एवं अज्ञान का मुंह काला किया जाय। राज्य की ओर से इस योजना के लिए प्रायः कुछ भी प्रोत्साहन नहीं मिला। सम्मेलन का यह प्रस्ताव स्वीकार नही किया गया। जनता के स्वास्थ्य–सुधार के लिए भी ऐसी कोई व्यापक योजना नहीं बनाई गयी है, जैसी कि जोधपुर में बनाई गई है। गंगानगर की नहर के अलावा कोई और उद्योग राज्य के विकास तथा उन्नति के लिए नही किया गया।

महायुद्ध के दिनों में भी उद्योगधंधो की ओर कोई विशेष ध्यान

दिया नहीं गया और न कोई युद्धोत्तरकालीन योजना बनाई गई है। चीनी का कारखाना खुला है, बैंक कायम हुआ है और कुछ कारखाने खुलने की भी बात है। लेकिन, राज्य की सामान्य जनता के हित के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिये। कल्पनाशून्य और भावनाहीन शासन सभा से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह किसी ऐसी योजना को बनाने में समर्थ हो सकेगी। श्राम जनता के नैतिक और बौद्धिक विकास की दिशा में जिस उपेक्षा से काम लिया गया है, उससे यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि शासन सभा नैतिक प्रगति और बौद्धिक विकास की भी घोर शत्रु है।

निर्जीव यन्त्र की तरह चलने वाली बीकानेर की शासन-व्यवस्था का सचालन जिस शासन-सभा के हाथों में है, वह सर्वथा निर्जीव, प्रतिभाहीन, कल्पनाहीन, भावनाहीन और शक्तिहीन शासन संस्था है। उससे किसी सजीव योजना की आशा रखना दुराशामात्र है।

६. आशा की किरण

इस अत्यन्त निराशापूर्ण स्थिति मे आशा की एक किरण ३१ अगस्त १६४६ की घोषणा को कहा जा सकता है। इसमें महाराज ने जो वायदे किये अथवा आशायें दिलाई हैं, वे यदि पूरी हो गईं, तो निस्संदेह यह सब अनैतिकता छिन्न-भिन्न होकर बीकानेर की शासन-व्यवस्था भी औंध अथवा कोचीन के समान आदर्श बन जायगी। इस घोषणा मे महाराज ने कहा था कि—"हम अनुभव करते हैं कि अब समय आ गया है जबकि हमारी प्रजा को स्वायत्त शासन के और ज्यादा अधिकार दिये जा सकते है तथा और ज्यादा हकूक व कार्य सौंपे जा सकते हैं। इस विश्वास के अनुसार हम पहिले ही पिछली २१ जून को ऐसी गवर्नमेन्ट स्थापित करने का, जो नरेश की छत्रछाया में प्रजा के प्रति उत्तरदायी होगी और इस

प्रकार उनको निर्दिष्ट समय के अन्दर राज्य में प्रचलित परिस्थितियों व हालात का उचित ध्यान रखते हुए, राज्य के प्रबन्ध-सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सम्मिलित करने का विचार प्रगट कर चुके है।" इन शब्दों में यह स्वीकार किया गया है कि उत्तरदायी शासन कायम करने और शासन में प्रजा को पूर्ण रूप में शामिल करने का जो वायदा इस घोषणा में किया गया है, वह पहिले भी किया गया था और यह उसकी पुनरावृत्ति ही थी। इन घोषणाओं की जो चर्चा या आलोचना पीछे की जा चुकी है, उसको हम यहां दोहराना नहीं चाहते। रखनी चाहिये कि इस घोषणा में की गई वायदों की पुनरावृत्ति पहिले वायदों की तरह व्यर्थ या निरर्थक न जायगी।

यह वायदा गोल-मोल नहीं, किन्तु बहुत ही स्पष्ट शब्दों मे किया गया था। घोषणा में फिर कहा गया था कि "इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमने यह निश्चय किया है कि जितना जल्दी हो राजसभा का और ज्यादा लोकप्रिय आधार पर पुन. संगठन किया जाय। व्यवस्थापिका सभा उचित रूप से बांटे हुए प्रादेशिक व अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से विस्तृत तथा उदार मताधिकार पर निर्वाचित की जायेगी। हम एक विधान जारी करेंगे, जिसके द्वारा उत्तरदायी सरकार स्वयं प्राप्त हो जावेगी। अर्थात् इसमें विधान की परिवर्तन काल की व स्थायी दोनों योजना होंगी। जहां तक परिवर्तन-काल का सम्बन्ध है, हमारी एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल (शासन सभा)में कम से कम आधे मन्त्री व्यवस्थापिका सभा के चुने हुये सदस्यों में नियुक्त करने चाहिये।" ... ."इस प्रकार नामजद किये हुये मिनिस्टर, जब तक कि उनको व्यवस्थापिका सभा का विश्वास प्राप्त है, हमारी कौंसिल के अन्य मन्त्रियों के साथ हमारी गवर्नमेन्ट के अंग के रूप में काम करेंगे। हमने यह निश्चय किया है कि यह बीच की व्यवस्था तीन साल के समय से या भारतवर्ष के संघ के स्थापन से, जो भी पहिले हो, ज्यादा न हो। बीच की व्यवस्था के बाद कौंसिल

के तमाम मिनिस्टर, जिनमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, हम उन लोगों में से नियुक्त करेंगे, जिन्हें चुनी हुई व्यवस्थापिका सभा का विश्वास प्राप्त हो।"

यदि ऐसा हो सके, तो फिर और क्या चाहिए? लेकिन, बीकानेर में ऐसा आदर्श शासन स्थापित होनेके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर जान पड़ती है। भारतवर्ष विभाजन की काली घटाओं के बीच में 'सब-शासन' की ओर बहुत तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। विधान परिषद का काम पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। निस्सन्देह बीकानेर के महाराज का भी इसमें सहयोग प्राप्त है और वे इसको सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील भी हैं। प्रतिगामी प्रवृत्तियों की व्यूहरचना और षड्यन्त्रों को छिन्न-भिन्न करने में उन्होंने कुछ भी उठा नहीं रखा है। इसके लिए सब ओर उनकी सराहना भी हुई और हो रही है। लेकिन, बीकानेर में, उनके अपने राज्य में, दिये तले अंधेरा वाला हाल है। शासन को धारा सभा की मार्फत प्रजा के प्रति जवाबदार बनाने, शासन परिषद में धारा सभा के निर्वाचित सदस्यों में से आधे मन्त्री नियुक्त करने और उनको धारा सभा का विश्वास प्राप्त करते हुए कार्य करने की ओर कोई दृढ़ कदम नहीं उठाया गया है। इस घोषणा के बाद भी बीकानेर में शासन सभा का पतनाला जहां का तहां बना हुआ है। आशा की यह किरण भी इस प्रकार निराशा की काली घोर घटा में विलीन हो जाती है।

———

पहिला अध्याय

भाग ६

१. धारा सभा का स्वरूप

धारा सभा का स्वरूप किसी भी शासन-व्यवस्था की परख के लिये कसौटी का काम देता है। शासन पर लोकमत का प्रभाव डालने या नियन्त्रण रखने का सर्वोत्तम साधन बालिग मताधिकार के आधार पर चुनी गई धारा सभा ही है। लेकिन, भारत के देशी राज्यों में मताधिकार के आधार पर चुनी गई धारा सभाओं का प्रायः सर्वथा अभाव है। केवल औंध में उसको कायम किया गया है और एक आदर्श शैली से धारा सभा का चुनाव किया जाता है। पौने छः सौ देशी राज्यों में से सम्भवत. ६०-७० से अधिक में धारा सभाओं की स्थापना आज तक भी की नहीं गई है। जहां की गई है, वहां इस बात की पूरी सावधानी रखी गई है कि उन में प्रजा का निर्वाचित बहुमत न हो। निर्वाचन के लिये मताधिकार की शर्तें और चुनाव-क्षेत्र इतने सीमित रखे गये है कि उन में प्रजा का बहुमत हो नहीं सकता। फिर धारा सभाओं के अधिकार का क्षेत्र भी इतना अधिक सीमित रखा गया है कि उनका होना न-होना एक-सा हो जाता है। जोधपुर, उदयपुर हैदराबाद-निजाम आदि में इसी लिये प्रजाने ऐसी धारा सभाओं का सर्वथा बहिष्कार कर उनके साथ सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया। अन्य राज्यों में बनाई गईं धारा सभाओं का स्वरूप भी सर्वथा सन्तोषजनक नहीं है। इसी लिये भरतपुर, ग्वालियर और इन्दौर की धारासभाओं के वातावरण में सदा ही असन्तोष छाया रह कर संघर्ष

की-सी स्थिति पैदा हो जाती है और प्रजा पक्ष के सदस्यों को लाचार होकर उनका बार-बार बहिष्कार करना पड़ जाता है।

निस्सन्देह, धारा सभा की स्थापना करने वाले देशी राज्यों में बीकानेर का पहिला स्थान है। इस के लिये गर्व भी अनुभव किया जाता है। राज्य के दीवान सरदार पन्निकर ने हाल ही में बीकानेर में हुये स्थानीय स्वायत्त शासन सम्मेलन में बड़े गर्व के साथ उसका उल्लेख किया था। १९१२ में बीकानेर में धारा सभा की स्थापना की गई थी। यत्न करने पर भी हमे इस धारा सभा का पुराना विवरण या इतिहास हाथ नहीं लगा। प्रजा पक्ष के नेताओं से भी हमें इस सम्बन्ध में कुछ सामग्री या साहित्य नहीं मिल सका। इस लिये पुराने विवरण या इतिहास की चर्चा करने में अपनी असमर्थता प्रगट करते हुए हम उसके स्वरूप और १ जनवरी १९४५ को वर्तमान महाराज द्वारा की गई शासन-सुधार-घोषणा के बाद हुये परिवर्तनों की चर्चा के साथ इस प्रकरण को समाप्त करेंगे।

२. शासनसुधार घोषणा

इस शासन-सुधार-घोषणा से धारा सभा को नया रूप प्रदान किया गया है। ३१ अगस्त ११४३ की घोषणा से, जिस की चर्चा पहिले के प्रकरणों में विस्तार के साथ की जा चुकी है, धारा सभा को और भी व्यापक एवं जन प्रतिनिधि बनाने की योजना की गई है। इस घोषणाके अनुसार एक विधान समिति नियुक्त की गई है। जिसमें निम्न लिखित व्यक्ति शामिल हैं:—

(१) श्री गयासनाथ जी मुशरान, बार-एट-ला, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और व्यवस्थापिका सभा के प्रेसीडेंट—चेयरमैन।
(२) बीदासर के राना, व्यवस्थापिका सभा के सदस्य।
(३) रावतसर के रावत, व्यवस्थापिका सभा के सदस्य।

(४) पं. ीप्रसाद व्यास, एम. ए, एल.-एल. बी., व्यवस्थापिका सभा के सदस्य।

(५) सेठ संतोषचन्द्र वरड़िया, व्यवस्थापिका सभा के सदस्य।

(६) शेख निसार अहमद, व्यवस्थापिका सभा के सदस्य।

(७) सरदार निरंजनसिंह वकील।

(८) लाला सत्यनारायण सर्राफ, बी. ए एल. एल बी., वकील।

(९) पं. सूरजकरण आचार्य, एम. ए., वकील।

(१०) चौधरी हरीसिंह, वकील।

(११) ·· ···(बाद में घोषित किया जायगा)।

(१२) रायसाहब कामताप्रसाद, बी. ए, एल. एल. बी विदेश तथा राजनीतिक सेक्रेटरी तथा वैधानिक मामलों के सेक्रेटरी–सदस्य और सेक्रेटरी।

धिकार की शर्तें और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्णय करने के लिए एक और कमेटी नियुक्त की गई है। इसके सभासद निम्न व्यक्ति हैं:—

(१) रायसाहब ठाकुर प्रेमसिंह जी, मालमंत्री, चेयरमैन।

(२) ठाकुर करनसिंह, बी. ए, एल.-एल. बी., उपसभापति राजसभा।

(३) भूकरका के राव, राजसभा के सदस्य।

(४) मलिक मेहदी खां, जमींदार गंगानगर, राजसभा के सदस्य।

(५) सेठ लहरचन्द्र सेठिया, राजसभा के सदस्य।

(६) डाक्टर लालसिंह, गंगानगर।

(७) चौधरी हरिश्चन्द्र, वकील गंगानगर।

(८) · ·· (बाद में घोषित किया जायगा)।

(९) चौधरी रामचन्द्र, बी. ए., एल एल बी. जिला और सहायक सेशन जज गंगानगर सदस्य और सेक्रेटरी।

इस कमेटी के नियुक्त करने का उद्देश्य घोषणा में अधिक से अधिक लोगों को मताधिकार देना और आम तथा विशेष (अगर आवश्यक हो) निर्वाचन क्षेत्रों का नियत करना बताया गया था। यह

बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि "हम यह आदेश देते हैं कि कमेटी का कार्य १ मार्च १९४७ तक समाप्त हो जायगा और हमें विधान का मसविदा पेश कर दिया जायगा। हमारा यह विचार है कि नई व्यवस्थापिका सभा बनाई जावे और बीच की सरकार नवम्बर १९४७ तक कार्य आरम्भ करदे।" इस सन्देश का पालन जून १९४७ तक तो किया नहीं गया है।

इस घोषणा के अनुसार बनने वाली आदर्श धारासभा की स्थापना होने पर निस्सन्देह बीकानेर का कायाकल्प हो जायगा। लेकिन, यह सब मताधिकार की शर्तों और निर्वाचन शर्तों पर निर्भर करता है। आशा रखनी चाहिये कि उनके निर्णय करने में अनुदार नीति से काम न लेकर प्रगतिशीलता का परिचय अवश्य दिया जायगा।

३. वर्त्तमान धारा सभा

लेकिन, १ जनवरी १९४५ की घोषणा के अनुसार बनी हुई जिस वर्तमान धारासभा का उद्घाटन मई १९४५ में किया गया था, उसमें प्रगतिशील एवं उत्तरदायी शासन के तत्वों का समावेश नहीं हो सका है। इस घोषणा को प्रगतीशील एवं क्रान्तिकारी बताने का यत्न किया गया था और कहा गया था कि इससे बीकानेर में नये युग का श्रीगणेश होगा। इससे धारा सभा के सदस्यों की संख्या ५१ करके उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या २८ और नामजद सदस्यों की संख्या २३ करदी गई थी। बजट की कुछ मदों पर राय देने का अधिकार भी धारासभा को दिया गया है। लेकिन, तीन करोड़ के बजट में इन मदों की रकम २०-२५ लाख से अधिक नहीं है। बजट के केवल बारहवें हिस्से पर धारा सभा अपनी सम्मति प्रगट कर सकती है। इसी घोषणा के अनुसार तीन नायब सेक्रेटरी भी नियुक्त किये गये हैं।

श्री सत्यनारायणजी सराफ

बीकानेर षड़यन्त्र केस के प्रमुख बंदी और राज्य से वर्षों निर्वासित रहे हैं।

श्री चन्दनमल बहड़

१९३२—३३ के षड़यन्त्र के अभियुक्त।

श्री छोटूलालजी वैद्य
उत्साही कार्यकर्त्ता

मुलतानचन्दजी दर्जी
उत्साही कार्यकर्ता

२८ निर्वाचित सदस्यों में ३ का चुनाव ठिकानेदार करते हैं, ६ जिला बोर्डों तथा १६ म्यूनिस्पल बोर्डों की ओर से चुने जाते हैं। २३ नामजद सदस्यों में २ करोड़पति सेठ, १ करोड़पति सिख, ३ लखपति मुसलमान, ३ सामन्तवादी राजकीय तथा ठाकुर और १२ सरकारी सदस्य होते हैं।

वर्तमान सदस्यों का विश्लेषण अत्यन्त रुचिकर और कुतूहलपूर्ण है। वह निम्न प्रकार है:—

१. सामन्तवाद के प्रतिनिधि	१३
२. श्रीमन्त (करोड़पति व लखपति)	२१
(इनमें दो ब्राह्मण और दो मुसलमान भी शामिल है)।	
३. भूस्वामी	८
(इनमें १ सिख, १ मुसलमान, और ६ जाट हैं)।	
४. मन्दिर के पुजारी	१
५. सरकारी कर्मचारी	८
	५१

कृषकों अथवा किसानों के प्रतिनिधियों के नाम पर एक मुसलमान लखपति और एक सम्पन्न वकील को नामजद किया गया गया है।

४. दूषित चुनाव प्रणाली

चुनाव की प्रणाली इतनी दूषित है कि उसमें आम प्रजा के किसी भी प्रतिनिधि का चुना जाना सम्भव नहीं है। चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से न होकर अप्रत्यक्ष पद्धति से होते हैं। जिला बोर्डों और म्यूनिस्पल बोर्डों में सामन्तों, श्रीमन्तों और सरकारी लोगों का ही आधिपत्य है। जिला बोर्डों मे चौधरियों और नम्बरदारों की भरमार है। ये पटवारियों और तहसीलदारों के दवाव में रहते हैं। समस्त जिला बोर्डों के सदस्यों की संख्या २२६ है, जिनमें ५३ नामजद और १७३ निर्वाचित

हैं। ये ९ सदस्यों को चुनते हैं। म्यूनिसपल बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या ३७३ है, जिनमें २०९ नामजद और १६४ निर्वाचित होते हैं। ये १६ सदस्यों को चुनते हैं। ठाकुरों की संख्या ५०-६० से अधिक नहीं है। वे ३ प्रतिनिधि चुनते हैं। इस प्रकार २८ सदस्यों को केवल ६५० व्यक्ति चुनते हैं। राज्य की १५ लाख की आबादी है। प्रति एक लाख के पीछे केवल ४६ व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है। यथास्थान जिला बोर्डों और म्यूनिसपल बोर्डों की चर्चा की जायेगी। तब पाठकों को पता चलेगा कि ये संस्थायें आम तौर पर सरकारी ही हैं। इसलिए सिवाय सरकारी आदमी के किसी और का इनकी ओर से चुना जाना सम्भव नहीं है।

तीन नायब सेक्रेटरियों की जिस नियुक्ति को इतना महत्व दिया गया है, उसका विश्लेषण निम्न प्रकार है:—

(१) सामन्तवाद के गढ़ चार शिरायतों में से एक प्रमुख शिरायत रावतसर के रावसाहब उन्नति-विभाग के नायब सेक्रेटरी हैं।

(२) एक बर्खास्तशुदा तहसीलदार को शिक्षा-विभाग का नायब सेक्रेटरी नियत किया गया है। इनकी बर्खास्तगी का हुक्म रद्द करके इनका स्तीफा माँग लिया गया था।

(३) एक सम्पन्न मित्र वकील ग्रामोद्धार-विभाग के नायब सेक्रेटरी नियुक्त किये गये थे, जिन्होंने बाद में असन्तुष्ट होकर स्तीफा भी दे दिया था।

इनको अधिकार कुछ भी दिया नहीं गया। उनका अधिकारशून्य कर्तव्य केवल इतना ही है कि धारा सभा में प्रश्नों के लिखे हुए उत्तर पढ़ दें। इनकी नियुक्ति बीकानेर के कुरूप शासन-तन्त्र के लिये कुंकुम का टीका कही जा सकती है। इनका कुल वेतन ७९०) साल रखा गया है, जो ६५) महीना भी नहीं होता।

५. धारासभा का एकांकी नाटक

एकांकी नाटक की तरह धारा सभा का अधिवेशन पहिले की तरह अब भी दो-तीन दिन में समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रस्ताव या बिल पर योग्यता के साथ कोई बहस नहीं होती। गैरसरकारी काम प्रायः कुछ भी नहीं होता। हाईकोर्ट के जिस चीफ जस्टिस को धारा सभा और शासन सभा दोनों से अलग या ऊपर रहना चाहिए वह इसका चेयरमैन होता है। स्पीकर की अपेक्षा उसके अधिकार कहीं अधिक हैं। उत्साहशून्य वातावरण में लक्ष्यशून्य सदस्य विचार-शून्य ढंग से इसकी कार्रवाही में भाग लेते हैं। इसीलिए उसमें जनता के हित के किसी काम के होने की आशा नहीं जा सकती।

पहिला अध्याय

भाग ७

१. स्थानीय स्वायत्त शासन

धारा सभा के समान स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं की स्थापना भी बीकानेर राज में लगभग १९१२-१३ में की गई थी। लेकिन, इन संस्थाओं के विकास करने का श्रेय बीकानेर प्राप्त नहीं कर सका। स्थानीय स्वायत्त शासन की दृष्टि से बीकानेर में तीन प्रकार की संस्थायें कायम की गई थीं। (१) म्यूनिसिपल बोर्ड, (२) लोकल बोर्ड, जिनको जिला बोर्ड का नाम दिया गया और (३) ग्राम पंचायतें। इनकी स्थापना का जहा तक सम्बन्ध है, बीकानेर का राजपूताना और मध्यभारत में निस्संदेह पहिला स्थान है। जयपुर में सर मिर्जा के काल में स्थान-स्थान पर म्यूनिसिपेलेटियां कायम हो सकी हैं। नहीं तो सिवाय जयपुर शहर के राज्य में कहीं और म्यूनिसिपेलिटी का नाम तक न था। अलवर में आज भी तीन से अधिक स्थानों में और उदयपुर में एक से अधिक स्थानों में म्यूनिसिपलिटियां नहीं है। अन्य राज्यों में भी इस दृष्टि से कोई अच्छी स्थिति नहीं है। बीकानेर राज्य मे २७ म्यूनिसिपलिटियां, ४ जिला बोर्ड और ५-७ गांव पंचायते हैं। अब पंचायतों की संख्या लगभग २० तक पहुँच गई होगी।

२. म्यूनिसिपल बोर्ड

२७ म्यूनिसिपल बोर्डों मे से एक तो बीकानेर शहर में है। २६

कस्बों में हैं। इनमें ६ में सब के सब सदस्य नामजद है। १७ में निर्वाचन पद्धति स्वीकार की गई है। इनमें भी तिहाई से लेकर आधे तक सदस्य नामजद हैं। बीकानेर शहर के बोर्ड का प्रधान भी सरकार द्वारा नामजद होता है। अभी-अभी निर्वाचित प्रधान होने की घोषणा की गई है। इस दृष्टि से बीकानेर अन्य राज्यों से पिछड़ गया है। कस्बों पर प्रधान कहने को निर्वाचित होता है, किन्तु वास्तव में अथवा व्यवहार में केवल चार-पांच बोर्डों ने ही इस अधिकार का उपयोग करके गैरसरकारी सदस्यों में से प्रधान चुने हैं। बाकी बोर्डों के प्रधान तहसीलदार या नाजिम आदि सरकारी नौकर ही है। निर्वाचन में भी वे ही चुने जाते हैं।

सालाना बजट के पास और मंजूर हो जाने पर भी जब खर्च का प्रश्न आता है, तब सड़क पर से कूड़ा-करकट हटाने के लिये १०) तक खर्च करने की स्वीकृति रेवेन्यू कमिश्नर से लेनी होती है। यह स्थिति कितनी दयनीय और उपहासास्पद है। इसी के विरोध में बीकानेर म्यूनिसिपैलिटी के सरकार द्वारा नामजद प्रधान सेठ बद्रीदास डागा ने अपने पद से स्तीफा तक दे दिया था। उस समय दिया गया डागाजी का वक्तव्य बीकानेर की स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं की स्थिति पर काफी प्रकाश डालता है। वक्तव्य निम्न प्रकार है:—

"मैं जब आप लोगों के साथ इस संस्था के प्रेसीडेन्ट के रूपमें दाखिल हुआ था, तो मुझे यह खुशी हुई थी कि मेरे से कुछ सेवा अपने स्वदेश भाइयों की होगी। मैं जानता था कि बोर्ड की माली हालत अच्छी नहीं है। मगर यह कभी भी नहीं समझता था कि यह इतनी बदतर है। यह गृहस्थी मे पाव रखते ही असली हालत क्या है, मालूम हो गई। मैने सोचा था कि शायद सरकार से आरजू विनय करने पर जनता की तन्दुरुस्ती कायम रखने के लिए कुछ न कुछ सहायता मिल ही जायगी। मगर अभी तक के आसार के देखने से यही जँचने लगा है कि बोर्ड को कोई सहायता न मिलेगी। यह कहा जाता है कि श्रीजी

साहब बहादुर ने जो वृन्स अता फरमाई हैं, उनके लिए काफी खर्च होगा। इस लिए शायद सरकार सहायता न देवे। मगर मैं पूछता हूँ कि अगर सफाई और जनता के स्वास्थ्य का पूरा बन्दोबस्त न होने से महामारियां फैलीं, तो फिर वृन्स का उपयोग करने वाले न रहने से वो वृन्स किसके काम आयेंगी? जब बजट बोर्ड में पास करके ऊपर भेजा गया था, तब मुझे यह जान कर बड़ी हैरानी हुई कि महकमा हिसाब ने ४३-४४ के बजट की । करने के लिए ३७-३८ और ३८-३६ के बजट मंगाये। क्या ही अच्छी सूझ है; जब कि लड़ाई के मध्य भाग के बजट की समता करते हैं, लड़ाई के पहिले सालों से। चीजों के भावों में तब और अब मे रात और दिन का अन्तर है। उन सालों की अपेक्षा शहर की जन संख्या में भी काफी वृद्धि हो गई है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए मुझे तो यही विश्वास होने लगा है कि आप को सरकार से कुछ नहीं मिलना है। आप लोग जानते ही हैं कि सब चीजों पर जकात कर होने से किसी भी चीज पर मामूली से ज्यादा कर नहीं लगा सकते। वह भी कायदे के खिलाफ था। जो चीजें जकात कर से बाकी बची हैं, उन पर के करों से बोर्ड अपना खर्च नहीं चला सकता। काफी आमदनी न होने से बोर्ड जनता को न तो काफी रूप में सड़कें ही दे सकता है और न पर्याप्त रूप मे उनके घरों के आगे की गंदगी दूर करने के लिए गंदे पानी की नालियां ही बना सकता है। यहां तक की शहर की सफाई मामूली तौर पर भी ठीक नहीं करा सकता। सफाई जो मानवता की जान है, बिचारे नागरिकों को नसीब नहीं होती। जो राज्य कोष जनता की गाढ़ी कमाई से भरा पड़ा है, उसमें से थोड़ा अगर उसी जनता की भलाई, आराम और स्वास्थ्य के लिए खर्च कर दिया जावे, तो क्या हर्ज है? मगर अधिकारी लोग यह नहीं चाहते। उनको तो अपने आराम की लगी रहती है। जनता जीये या मरे, उससे उनको क्या वास्ता? हमको सलाह दी जाती है कि हम मकान, दुकान, व्यवसाय इत्यादि पर कर डालें। मैं कहता हूँ कि

कौन से न्याय के ताने आप यह भारी कर जनता पर डालने क साहस कर ते हैं ? आप इनके बदले उतनी ही सुविधा जनता को दे सकते हैं ? आराम, अच्छी सफाई, बढिया सड़कें, पानी, काफी रूप में नालियां, बगीचे, वगैराह दे सकेंगे ? नहीं। क्यों ? इसलिए कि यह सब कर डाल कर भी आप अपनी आमदनी इतनी नहीं बढ़ा सकते, जितना कि खर्च करना पड़े। जकात लगने वाली चीजें संख्या में ज्यादा हैं और जब तक उन पर कर आपको न लगाने दिया जावे, आपकी आमदनी नही बढ़ सकती। मगर यह करना तभी न्याय संगत हो सकता है, जब सरकार जकात की रेट कम करके आपको उतना ही कर लगाने की इजाजत दे दे, जितना की जकात की रेट कम की गई हो। इससे जनता के ऊपर कर रूपी बोझ न पड़कर उतना ही रहेगा कि जितना अब है। आपका भी काम बन जावे। मगर, सरकार ऐसा करेगी, मुझे ऐसा नहीं जँचता।

"सब जगह म्यूनीसिपल की हदूद के अन्दर की जमीन बेचने का अधिकार बोर्ड को होता है। उसकी आमदनी से भी बोर्ड का काम चलता रहता है। परन्तु यहां जमीन का पैसा तो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट हजम कर जाता है और सफाई की जिम्मेदारी पड़ती है बेचारे बोर्ड पर और ऊपर से पूछा जाता है कि इतना खर्च क्यों होता है ? आमदनी क्यों नहीं बढ़ाते ? आमदनी बढ़ाएं कैसे ? आप लोगों को अगर इस संस्था का जीवन प्यारा है, तो जी तोडकर आप इस बात की कोशिश करें कि या तो राज्य आपको उन चीजों पर उतना ही कर लगाने की इजाजत दें, ताकि आपका खर्च बराबर चलता रहे।

"बोर्ड के स्टाफ का डिसिप्लिन जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं है। सब लोग यही जानते है कि हम सब कुछ हैं। अपने से उच्च अफसर को जवाब तक दे देते हैं कि हम यह काम नहीं करेंगे। यही वजह है कि बोर्ड का काम बहुत सुस्त चलता है और एसोशिएन्स के साथ नहीं होता। स्टाफ को अपना डिसिप्लिन सुधारना चाहिए। उच्च आफिसर

के हुक्म के प्रति उदासीनता न दिखानी चाहिए। इससे आफिसर का कुछ नहीं बिगड़ता, मगर बोर्ड के काम में हर्ज होता है।

"सरकार के उच्च अधिकारी भी यह समझते हैं कि हुक्म देना जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वह कायदे के खिलाफ हो या अनुसार। बस, हुक्म देते ही रहते हैं। इससे जनसाधारण को तो कष्ट होता ही है, पर इसके साथ ही सुस्त चलते हुए बोर्ड के काम को और भी सुस्त बना देते हैं और बोर्ड संचालन कार्य में बिना बात की रुकावटें डालते रहते हैं। जिनकी उन तक पहुँच है, सिफारिश करके बाजी मार ले जाते हैं। पर बेचारे गरीब जिनका ईश्वर के सिवाय कोई बेली नहीं है, सच्चे होने पर भी अपना-सा मुंह लिए रह जाते हैं। क्या ही अच्छा न्याय है? बने हुये कायदों की न तो अपन परवाह करते हैं, न उनपर चलते हैं और न कायदों पर कुछ ध्यान ही दिया जाता है। उन पर कोई चले तो उनकी मरजी, न चले तो उनकी मरजी। अगर इन्हीं कायदों पर जरा सख्ती से अमल किया जाये, तो बोर्ड को कुछ आय होने के सिवा गुनाहगारों की हरकतों की वजह से जनता के कुछ कष्ट भी कम हो सकते हैं।

"अपना महकमा ऐसा है कि यहां निष्पक्ष रूप से पूर्ण न्याय होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। यह नहीं कि धनवान के लिए गरीब का गला काट दिया जावे, सामर्थ्यवान के लिए कायदे भी तोड कर उनकी इच्छा पूर्ति कर दी जावे और गरीब को कायदे की रू से भी थोड़ा लाभ न मिले। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप इस जन-सेवा के महान कार्य को कभी पूरी तौर से अंजाम नहीं दे सकेंगे और न जन-समाज की भलाई ही कर सकेंगे। आपको स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, न्याय को अपनाना पडेगा, मान का त्याग कर सत्य और शांति से काम लेना पड़ेगा। आप जनता के प्रतिनिधि इसलिए नहीं चुने गये हैं कि आप उनकी सुविधाओं का ख्याल न करें, अपने शरीर को थोड़ा भी कष्ट न दें और खाली प्रतिनिधि बने फिरें। मुझे इस बात का बड़ा ही

दु.ख है कि आप लोग बोर्ड के कार्य मे बहुत ही थोडी दिलचस्पी लेते हैं। अपने ७५प्रतिशतसे ज्यादा जलसे बिना स्थगित हुये नहीं होते। यहां तक कि बजट जैसी महत्वपूर्ण मीटिंग भी तीन मेम्बरो का कोरम न होने से न हो सकी। अपनी फाईनेन्स कमेटी की मिटिंग महीनो प्रयास करने पर भी नहीं होती। अपन सभा मे प्रस्ताव तो पास कर देते हैं, फिर भी नहीं सोचते कि अगर इस काम मे कोरम नहीं हुआ, तो उनसे जन-साधारण को कष्ट होगा। मगर कोरम पूरा करने की कोशिश नहीं की जाती। यह लापरवाही क्यो? नामजद मेम्बर साहबान तो खास इन्टरेस्ट न लें, तो भी कोई बात नहीं। हालांकि उनको भी खूब इन्टरेस्ट लेना चाहिए। सरकार ने उन्हें खाली संख्या बढ़ाने के लिए ही तो नामजद नही किया हैं। मगर आप जनता द्वारा चुने हुए महानुभावों को इतनी घोर उदासीनता न दिखानी चाहिए। अगर, आप अपना स्वार्थ मास में १,२ या ४ बार भी त्याग नहीं सकते, गरमी या सरदी को बरदास्त नहीं कर सकते, तो फिर चुनाव में खड़े होकर अपनी आत्मा और जनता को धोखा क्यों दिया? मातृभूमि को काम करने वाले त्यागी लोगों की ज़रूरत है, न कि कुर्सी पर बैठकर शोभा बढ़ाने वालों की।

"अगर मैने कोई कड़े शब्द जोश में कह दिए हों, तो माफ करना। सत्य कड़वा होता ही है। यह दुनियां सच्चे की नहीं है, जी-हुजूरों की है। मगर खुशामद मनुष्य को अपने सिद्धान्त से गिराकर आत्मा पर कठोर कुठार करती है। मनुष्य को मनुष्य नहीं रखती, जानवर बना देती है। पथभ्रष्ट करवा देती है और शायद खुशामदी आदमी की दुनियां में कोई परतीत नहीं रहती है, उसे अपने स्वार्थ के लिए आत्मा का हनन करना पड़ता है। मुझे इस बात का बहुत रंज है कि मेरे इस पद की अवधि समाप्त होने से पहिले ही अपने कुछ जरूरी कामो की वजह से और कुछ ऐसे कारणों से कि जिसे मै बरदास्त न कर सका था, अवकाश ग्रहण करना पड़ा और जनता की पूरी सेवा न

कर सका। आप लोगों ने मुझे सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको सच्चे जन-सेवक बनावे और कार्य से च्युत न होने दे।"

यह वक्तव्य अपनी कहानी स्वयं कह रहा है। बीकानेर की म्यूनिसिपैलिटी की वास्तविक स्थिति का जो नगा चित्र इस वक्तव्य में उपस्थित किया गया है, वह अन्य स्थानों की म्यूनिसिपैलटियों पर भी पूरा उतरता है। उनकी स्थिति और भी अधिक दयनीय है। बीकानेर की म्युनिसिपैलिटी के समान अन्य स्थानों की म्यूनिसिपैलिटियों के भी हाथ पैर खर्च की तगी के कारण बंधे रहते हैं। सरकार की ओर से उनको यथेष्ट मदद नहीं मिलती। आमदनी के सब साधनों पर सरकार का अधिकार रहता है और खर्च का सारा भार रहता है बोर्ड के सिर पर। इसलिए जनहित का कुछ भी काम वह कर नहीं सकता। रिश्वतखोरी, चापलूसी और खुशामद का बोलबाला रहता है। सरकारी अफसर गैरसरकारी लोगों के साथ सहयोग नहीं करते। उनका वे अनुशासन नहीं मानते। बैठकों में कोरम तक पूरा नहीं होता। सेठ बद्रीदास जी डागा को बीकानेर में जैसा अनुभव हुआ, वैसा ही अनुभव जोधपुर में वहा की म्यूनिसिपैलिटी के पहिले गैरसरकारी प्रधान श्री जयनारायण जी व्यास और अलवर में वहां की म्यूनिसिपैलिटी के पहिले गैरसरकारी प्रधान देशभक्त लाला काशीराम जी को हुआ था। व्यासजी ने भी इन्हीं कारणों से त्याग पत्र देदिया था और लाला काशीरामजी को अपने रास्तों कांटा मान कर बरखास्त कर दिया गया था। बीकानेर की स्वायत्त-शासन संस्थाओं की दयनीय स्थिति का इससे बढ़िया चित्र नहीं खींचा जा सकता। इसीलिये यह वक्तव्य ज्यों का त्यों यहां दिया गया है।

जिन संस्थाओं की आमदनी की मदों पर सरकार का एकाधिकार हो और खर्च के लिए भी उनको सरकार का ही मुह ताकना पड़े, ऐसी संस्थायें जनहित का क्या काम कर सकती हैं? लोक-कल्याण की

दीर्घकालीन योजना तो दूर रही, वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई का साधारण-सा काम भी कर नहीं सकतीं। स्वायत्त शासन की दिशा में तो वे कुछ भी कर नहीं सकतीं। इस प्रकार उनकी स्थापना का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून बने हुए वर्षों बीत गये। लेकिन, केवल तीन बोर्डों में इसका परीक्षण किया जा सका है। शायद ही किसी स्थान की जनता वहां के म्यूनिसपल शासन से सन्तुष्ट होगी। महकमा माल के सरकारी नौकर महीने में १५, २० या २५ दिन तक दौरे पर रहते हैं। उनके पास अपने ही महकमे के काम का ढेर लगा रहता है। म्युनिसपल बोर्डों का वे कुछ भी काम कर नहीं सकते। साधारण मासिक बैठकें भी महीनों बुलाई नहीं जातीं। पानी, रोशनी और सफाई के ठेकेदारो पर कुछ भी नियन्त्रण नहीं रहता। वे अपने पैसे सीधे करने में लगे रहते हैं। अफसर भी अपनी जेबें गरम कर स्वार्थ साधने में मस्त रहते है। म्यूनिसपल कर्मचारी और चपरासी सरों की चापलूसी मे लगे रहते हैं। उनको भी अपने काम का कुछ ध्यान नहीं रहता। जनता के धन का दुरुपयोग इससे अधिक और क्या हो सकता है ?

३. जिला बोर्ड

जिला बोर्ड की स्थिति और भी गई बीती है। सारे राज्य में कुल पाच जिला बोर्ड हैं। सबके प्रधान कानूनन और उपप्रधान रिवाजन सरकारी लोग ही हैं। सदस्यों में नम्बरदारों और चौधरियों की भरमार है। वे नाजिम और तहसीलदार से दबे रहते हैं, जो कि प्रधान और उपप्रधान होते हैं। सरकारी अफसरों की इच्छा के विरुद्ध इन बोर्डों में कुछ भी हो नहीं सकता।

४. ग्राम पंचायतें

ग्राम पंचायतों की संख्या १९४६ के शुरू में केवल ४-७ थी। अब

ग्रामोद्धार विभाग ने उनकी संख्या लगभग २० तक पहुँचा दी है। इनके पंच और सरपंच सब सरकार द्वारा नामजद किये जाते हैं। ये प्रायः सभी अनपढ़ या अशिक्षित होते हैं। मुश्किल से कोई दो-चार पढ़े-लिखे मिलते हैं। वे सभी आम तौर पर अंगूठे का निशान भी लगा नहीं सकते। आज तक किसी भी पंचायत ने किसी दिवानी या फौजदारी मुकद्दमे की सुनवाई नहीं की है। पंचायत कानून बने हुये पन्द्रह वर्ष बीत जाने पर भी पंचायतों की हालत अत्यन्त दयनीय है। ग्रामवासी इनसे कुछ भी लाभ उठा नहीं सकते।

इन संस्थाओं पर होने वाला व्यय जनता की दृष्टि से अपव्यय है और उनके लिये वसूल की जाने वाली रकम एक अतिरिक्त कर है। महाराज अपने राज्य को यदि प्रगतिशील राज्यों में अग्रणी बना हुआ देखना चाहते हैं, तो उनको इन स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का नवीन संस्कार करके सच्चे अर्थों में उनके द्वारा प्रजा को स्वायत्त शासन देना होगा। केवल कागजी शोभा के लिये उनको कायम करने का जमाना कभी का लद चुका है।

५ शासन की व्यवस्था

इसी प्रकरण में शासन-व्यवस्था की भी कुछ चर्चा अवश्य की जानी चाहिये। शासन का समस्त दायित्व उस शासन सभा, शासन परिषद अथवा मन्त्रियों की कौंसिल पर है, जो किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं है। इसी लिये शासन-तन्त्र में अनुत्तरदायी तत्व ऊपर से नीचे तक समाये हुये हैं। मन्त्रियों के नीचे सेक्रेटरियों का स्थान है। ये प्राय बाहरी लोग ही होते हैं, जिनको ब्रिटिश भारत के अनुभव के नाम पर नियुक्त किया जाता है। सेक्रेटरी एक विभाग के अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। इन में कुछ ऐसे होते हैं, जिनको उनकी योग्यता देखते हुये ब्रिटिश भारत में सबजज की सीढ़री से ऊंचा पद

नहीं मिल सकता और बाकी को भी पुलिस इन्स्पैक्टर से अधिक ऊंचे पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। लेकिन, कुछ ऐसे भी आ जाते हैं, जो अपने विभाग के मन्त्री से भी अधिक योग्य होते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं कि ब्रिटिश भारत के निकम्मे, बूढ़े और अवसर-प्राप्त लोग ही इन पदों के लिये भरती किये जाते हैं। ऐसे निष्क्रिय लोगों के दिमाग से किसी सजीव या सक्रिय योजना की आशा नहीं की जा सकती। ब्रिटिश भारत के नौकरशाही शासन की बुराइयों के कीटाणु वे पैदा कर देते हैं और उसमें सारा शासन ही दूषित हो जाता है। इन पदों पर नियुक्तियां और परिवर्तन भी बिना किसी विचार के होते रहते है। जेल विभाग वाले को आबकारीमें और आबकारी वाले को जकात में, कानून वाले को कण्ट्रोल मे और कण्ट्रोल वाले को अर्थ में भेजते हुये यह समझ लिया जाता है कि सभी अधिकारी सब महकमो का काम संभालने की योग्यता रखते है। सबको सभी कामो में जोत दिया जाता है।

जिलों में नाजिमों और तहसीलदारों की मार्फत शासन-व्यवस्था चलती है। इन पदों पर भी अधिकांश ब्रिटिश भारत के अवसरप्राप्त-लोग ही नियुक्त किये जाते हैं। १९३० से पहिले इन पदों पर एक भी बीकानेरी को नियुक्त नहीं किया गया था। परदेशियों या बाहर वालो की ही प्राय: भरमार थी। बीकानेर में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बढने पर कुछ पद उनको भी दिये जाने लगे। राजनीतिक चेतना, जागृति और आन्दोलन की आग को नौकरियों की ठंडे जल से ही तो शान्त किया जाता है। लेकिन, बीकानेरियों में भी राजपूतों को इन नौकरियों में तरजीह दी गई। राजपूत को अयोग्य होते हुए भी योग्य से योग्य गैरराजपूत से भी अधिक योग्य और अनुभवी माना जाता है। ऊंचे अफसरों के लड़कों, भाई-बंदों और रिश्तेदारों को भी इन पदों पर बिना विचार और अयोग्यता के नियुक्त किया जाने लगा। इसलिए नायब तहसीलदारों के पद पर भी इसी दृष्टि से नियुक्तियां की जाने

लगीं। अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति का परिणाम यह हुआ कि नायब तहसीलदार चौथी श्रेणी के विद्यार्थियों से भी कम योग्य व्यक्ति रखे जाने लगे? व्यावहारिक ज्ञान मे भी वे शून्य होते हैं। उन्हें इतना भी पता नहीं होता कि गुड गन्ने के पेड में लगता है या उसको पेल कर निकाला जाता है।

न्याय-विभाग भी अन्य विभागों की छूत से बचा हुआ नहीं है। इस विभाग के लोग रिश्वतखोरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ऊंचे अफसरों में भी मुश्किल से ही कोई दूध का धुला मिल सकेगा। इस विभाग के पन्द्रह अफसरों में से दो-तीन को छोड़कर ऐसा शायद ही कोई होगा, जो सफल वकील रहा हो और जिसको कानून का खासा अच्छा ज्ञान हो।

ब्रिटिश भारत में चलने वाली नौकरशाही के समान बीकानेर में चलने वाली नौकरशाही का यह स्वरूप है, जो राजा या प्रजा के लिए कुछ भी हितकारी न होकर दोनों के बीच में एक दीवार अवश्य है। इस दीवार के कारण ही राजा तक प्रजा की आवाज, आकांक्षा, दुर्भाव-अभियोग का पहुँचना मुश्किल हो गया है। इसीलिए बीकानेर के महाराजा वास्तविकता से बहुत दूर सपनों की उस दुनिया में बसते हैं, जिसका उनके राज्य के साथ कुछ भी मेल नहीं बैठता। उनकी सुनहरी घोषणाओं की कसौटी पर उनका शासन पूरा नहीं उतरता। क्या महाराज का इस ओर ध्यान जा सकेगा?

——

पहिला अध्याय

भाग ८

१. बजट का स्वरूप

अधिकांश देशी राज्यों में बजट प्रकाशित नहीं किये जाते। जिनमें प्रकाशित किये जाते हैं, उनमें बहुत ही कम ऐसे हैं, जो कुछ विस्तार के साथ उसको प्रकाशित करते हैं। जनता को बजट की जानकारी देना आवश्यक नहीं माना जाता। जहां धारासभायें हैं, वहां भी उन्हें विस्तृत रूप में प्रकाशित नहीं किया जाता। इसलिये बीकानेर के बजट की पूरी चर्चा यहां नहीं की जा सकती। १९४४–४५ के बजट के आधार पर कुछ चर्चा की जा रही है।

राज्य की आमदनी लगभग तीन करोड रुपया बताई जाती है। इसमें मालगुजारी, माल व महसूल से होने वाली आमदनी ३२४५०१० रुपया है। जकात की आमदनी १६५०००० है। जकात की आय को न्यायानुकूल नहीं कहा जा सकता। खानेपीने और पहनने का सामान भी जकात से वंचित न था। स्टाम्प, आबकारी, नमक और रजिस्ट्रेशन से ३० लाख की आमदनी है, जिसमें अफीम और शराब से कोई २७ लाख पैदा होता है। आबपाशी और नहर से होने वाली आमदनी १८६२७५० है। मुख्य आमदनी का स्रोत रेलवे है, जिससे ७२ लाख की आय है। इन्तजाम, कानून और इन्साफ की मद में ३३७१०० की आय है। गंगानगर व भाखरा डाम की आराजी की बिकवाली और हकूक मालकाना से प्राप्त हुई रकम ६२३२७२० रु० थी।

राज्य की विशेष आय को छोड़ साधारण आय २०५४६४१४ रुपया है, जिसमें से १३६३१७८० रुपया करीब [ ]न की जेब से निकलता

है। ऊपर आय की जो मदें दी गई हैं, प्रायः वे सब अप्रत्यक्ष कर की सूचक हैं और इस अप्रत्यक्ष कर का सारा भार अन्त में जाकर किसान के ही सिर पड़ता है। सारे देश के समान बीकानेर भी कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की १५ लाख आबादी मे से ११–१२ लाख लोग गांवों में रहते हैं। राज्य की लगभग तीन-चौथाई आमदनी इन पर निर्भर है। लेकिन, इसका बदला उनको क्या मिलता है?

लोकोपकारी महकमों पर राज्य कुल २६८६५७३ रुपया खर्च करता है। जबकि डंके की चोट महाराज के जेब खर्च के लिए २० लाख रुपया अलग रख लिया जाता है। यह पौने सत्ताईस लाख रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामोद्धार आदि की सब मदों पर होने वाले खर्च का जोड़ है। शिक्षा पर कुल ८५५८६९ रुपया व्यय होता है, इसमें से ५२१४८६ रुपया केवल बीकानेर शहर पर और बाकी ३३४३१३ कस्बों या गांवों पर व्यय होता है। कस्बों और गांवों के खर्च को अलग-अलग नहीं बताया गया है। लेकिन, यह किसी से भी छिपा नहीं है कि कहीं किसी भी गांव में कोई हाईस्कूल तो क्या मिडिल या अपर प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। जहां-तहां कुछ प्राइमरी स्कूल हैं, जिन पर केवल ५५००० रु० खर्च होता है। ४० हजार रुपया विकास विभाग में ग्राम शिक्षा के लिये रखा गया है। लेकिन, वह इस निमित्त से खर्च नहीं किया जाता। स्वास्थ्य विभाग पर ९४३१११ रुपये खर्च होते हैं। इनमें से ७२६९८२ रुपये केवल राजधानी में खर्च होते हैं। शेष २१६२१९ कस्बों के अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों का खर्च है। लेकिन, एक भी गांव अथवा ग्रामसमूहों में कोई अस्पताल या डिस्पेंसरी नहीं है। सड़कों की तामीर और मरम्मत पर २६००१६ रुपये खर्च हुये। यह सारा खर्च प्रायः राजधानी में किया गया। गांवों में जब सड़कें ही नहीं, तब उनकी तामीर या मरम्मत क्या होगी? ८० हजार रुपया इस वर्ष के बजट में गांवों की सड़कों के लिये रखा गया था। लेकिन, यह कहकर खर्च

नहीं किया गया कि युद्ध के कारण आवश्यक सामान मिलना संभव नहीं। यह कठिनाई राजधानी के लिए उपस्थित नहीं हुई। राजधानी पर २॥ लाख रुपया नई सड़कें बनाने में खर्च कर दिया गया। ग्रामोद्धार अथवा लोकसेवा के नाम से भेड़ों के पालन का काम शुरू किया गया था और उसकी विज्ञापनबाजी भी खूब की गई थी। ग्रामोद्धार के नाम पर सीधा खर्च केवल २२१२० रुपया होता है, पर काम कुछ भी नहीं होता। कुछ नई पंचायतें इस विभाग की ओर से कायम की गई हैं। उनका कायम करना या न करना एक सा ही है। सच तो यह है कि उस विभाग का कायम किया जाना ही कोई अर्थ नहीं रखता। कागजी शोभा के लिए यह महकमा कायम किया गया है, जिनकी आड में एक लोकप्रिय मन्त्री नियुक्त कर दिया गया है।

यदि राजघराने और राजधानी तथा कस्बों और गावोंमें होने वाले राज के खर्च का विश्लेषण किया जा सके, तो उसका अनुपात सम्भवतः आबादी के अनुपात का बिलकुल उलटा ही होगा। गांवों में सबसे अधिक आबादी है और उन पर खर्च सबसे कम है। आयका विश्लेषण खर्च से बिलकुल ही विपरीत है। गांव वालों पर उसका सबसे अधिक भार है। श्रीमन्तों पर कोई सीधा कर नहीं लगाया गया है। सामन्तों पर तो कर लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्रीमन्तों पर दो बार इन्कमटैक्स लगाने का यत्न किया गया, किन्तु दोनों ही बार राज्य को श्रीमन्तों के विरोध के सामने हार खानी पड़ी। श्रीमन्तों और न्तों को असन्तुष्ट करने का राज्य में साहस नहीं है। लेकिन किसानों के असन्तोष एवं जागृति का दमन किया जाता है, उनकी न्यायोचित मांगों की अवहेलना की जाती है और उनको जेलों में ठूंसा जाता है। दुधवाखारा-काण्ड इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

पहिला अध्याय

भाग ६

नागरिक स्वतन्त्रता का अभाव

जनता के मौलिक अधिकारो के प्रतिपादन के बिना शासन सुधारों का कुछ भी मूल्य नहीं है। शासनतन्त्र का मूलभूत तत्व या हेतु जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना ही है। बहुत ही कम देशी राज्यों में जनता के मूलभूत नैसर्गिक अधिकारो को शासन विधान के अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। बीकानेर के महाराज ने अपनी घोषणाओ में जनता को भाषण, लेखन तथा सगठन के अधिकार प्राप्त होने का उल्लेख कई बार बड़े गर्व के साथ किया है। लेकिन, व्यावहारिक रूप में इनका कोई नाम-निशान भी नहीं है। दमन, उत्पीड़न तथा शोषण का बोल-बाला जरूर है। नागरिक स्वतन्त्रता का सर्वथा अभाव है। भाषण, लेखन, मुद्रण और सगठन की स्वतन्त्रता नाम लेने तक को नहीं है। बीकानेर में प्रजापरिषद का कई बार जन्म हुआ। वसुदेवजी के सात लड़कों की जैसे कंस ने जन्म के साथ ही हत्या कर दी थी, वैसे ही उसकी भी जन्मके साथही हत्या की जाती रही। वर्तमान महाराज ने बड़े ऊहापोहके बाद, वर्षों कोरे आश्वासन देते रहने के बाद, अब कहीं जाकर 'बीकानेर राज्य प्रजा परिषद' के अस्तित्व को स्वीकार किया है। बीकानेर के दमन-उत्पीड़न एवं निर्वासन की कहानी इस पुस्तक में यत्र-तत्र-सर्वत्र दी गई है। उसको यहा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बीकानेर में न तो कोई जनता का अच्छा प्रेस है और न कोई समाचार

पत्र ही है। बीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन सरीखी सर्वथा निर्दोष संस्था को भी एक मासिक पत्र तक निकालने की अनुमति नहीं दी गई। इसके सम्पादक महाराजकुमार के प्राईवेट सेक्रेटरी और राजकीय कालेज के दो प्रोफेसर नियुक्त किये गये थे।

बीकानेर राज्य में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा नहीं कर सकता था। धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं तक के लिये पुलिस और माल विभाग की इजाजत लेनी पड़ती थी। जन्माष्टमी, गुरु गोविन्दसिंह के जन्म दिन और आर्यसमाज के उत्सव के जलूसों के लिए भी पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। बीकानेर की जनता के लिए राजनीतिक सभायें, भाषण और नेताओं के दर्शन प्रायः दुर्लभ ही हैं। एक भी किसी बड़े नेता के स्वागत का सौभाग्य बीकानेर की जनता को प्राप्त नहीं हुआ। प्रान्तीय नेता भी बीकानेर आ कर जब लौट जाते हैं, तब जनता उनके बीकानेर आने का समाचार पत्रों में पढ़ती है।

लोकहित के लिये कायम की गई संस्थाओं को भी बीकानेर में पनपने नहीं दिया जाता। कालेज या स्कूल के विद्यार्थी भी अपनी सभा या संगठन नहीं बना सकते। कोई वाचनालय और पुस्तकालय भी स्वतन्त्रता के साथ खुल नहीं सकता। खादी भण्डार में भी राजनीतिक षडयन्त्र की बू बीकानेर की हकूमत को आती रहती है। उसको भी निर्विघ्न रूप से अपना काम करने नहीं दिया गया।

दारोगा प्रथा, बेगार, लाग-बाग आदि की वे प्रथायें भी बीकानेर में विद्यमान हैं, जिनका अस्तित्व नागरिक स्वतन्त्रता के सर्वथा विपरीत अथवा प्रतिकूल है।

निश्चय ही इधर थोड़ा परिवर्तन हुआ है। फिर भी बीकानेर की प्रजा भेड़ों का-सा जीवन बिता रही है। उसके जीवन एवं अस्तित्व की न तो कीमत है और न महत्व। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में इसीका विस्तार से वर्णन किया गया है।

दूसरा अध्याय

इस अध्याय में:—

१. वंश-परिचय, २. रामदेवजी की प्रतिज्ञा, ३ गौदारे जाटों को राज्य सौंपा, ४ पं० चुन्नीलालजी, ५. युवक मघाराम, ६ विवाह, ७. देशाटन, ८ गांधीजी का प्रभाव, ९. डूंगरगढ़ की हालत, १०. झूठे मुकदमों का आरम्भ, ११. पुलिस में नौकरी, १२. सांवतसर के पट्टेदारों का मामला, १३ पुलिस से छुटकारा, १४. बच्चों का जन्म, १५. डूंगरगढ़ में गिरफ्तारी, १६. हरसा उपाध्याय का षड्यन्त्र, १७. पं० चुन्नीलाल का देहान्त, १८ हत्या का प्रयत्न, १९. बीकानेर में बसना, २०. जन-सेवा का कार्य आरम्भ, २१. बाबू मुक्ताप्रसादजी वकील, २२. गुण्डों की बदमाशी, २३ भाई श्रीराम की शादी, २४. घर में फूट, २५ बहन नानू का प्रकोप, २६. कलकत्ते का प्रवास, २७. स्त्री का स्वर्गवास, २८. बीकानेर में औषधालय, २९. अत्याचारों की वृद्धि, ३०. प्रजामण्डल की स्थापना, ३१. प्रजामण्डल का चुनाव, ३२. प्रजामण्डल का उद्देश्य, ३३ प्रजामण्डल का कार्य आरम्भ, ३४. किसानों के कष्ट, ३५. पट्टेदारों की दशा, ३६. मण्डल की कार्य-प्रणाली, ३७. नागरिक स्वतन्त्रता, ३८. उदरामसर गांव ने आवाज उठाई, ३९. फीनिया पर अत्याचार, ४० गिरफ्तारी और यातना, ४१. चार नेताओं का निर्वासन, ४२. कौन किधर गया, ४३. मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी में नौकरी, ४४. कलकत्ते की मित्र मण्डली, ४५. बोसपरिवार से संपर्क; ४६. कलकत्ते में प्रजामण्डल की स्थापना, ४७. नानी रतूदेवी का स्वर्गवास, ४८. प्रशंसा पत्र प्राप्त, ४९. अ० भा० यूथ लीग ५०. प्रचार कार्य, ५१. पुन बीकानेर आना.

वंश-परिचय

बीकानेर की । के सेवक और नायक, वृद्ध तपस्वी तथा देशी तानाशाही द्वारा पीड़ित वैद्य मघाराम जी का जन्म बीकानेर राज्य के अन्तर्गत कस्बा डूंगरगढ़ मे फाल्गुन कृष्णा द्वितीय संवत १९४८ में सारस्वत ब्राह्मण घराने में हुआ।

हमारे चरित्र नायक के पूर्वज सरसजी डूंगरगढ़ के, जिसका प्राचीन नाम सरसगढ़ था, नायक थे। उन्होंने जोशीगढ़ (जैसलमेर) से आकर सं० १११६ में सरसगढ़ बसाया। सरसजी बडे प्रतापी और सच्चे ब्राह्मण थे। १४४४ ग्रामों पर अधिकार होते हुये भी छल-छिद्र उन्हें छूभी नहीं गया था। कलीया राजपूतों में आपकी बड़ी मान-प्रतिष्ठा थी। वह राजपूत घराने को गुरु मानते थे। गुरु को चेले किस तरह चकमा देकर अपना प्रभुत्व जमाते हैं, इसका उदाहरण सरस जी को दिये गये धोखे से मिल । है। भोले भाले गुरु से राजपूतों ने जाकर कहा कि हमारी कन्या की सगाई ऊंचे राजपूत घराने में होगयी है। अपनी लज्जा बचाने के लिये हम चाहते हैं कि कुछ समय के लिये आप गढ़ को हमें देदें और हमारे साधारण मकानों में अपने परिवार को ले जायं। जी ने इसमें कोई आपत्ति नहीं की। शिष्यों की लज्जा रखने के लिये उन्हों ने कुछ समय के लिये गढ़ छोड देने की स्वीकृति देदी। विवाह हो जाने के उपरान्त जब उन लोगों से गढ वापस देने को कहा गया तो यही जवाब मिला कि गढ़ तो रहने वाले का ही होता है, आ अधिकार अब कैसा? सरस जी को इस विश्वासघात पर इतना क्षोभ हुआ कि उन्होने गढ़ के सामने चिताएं , कुटुम्बियों सहित अग्नि में प्रवेश कर शरीर छोड दिया। अग्नि से बचे हुये सरस जी के साथियों को कलीये राजपूतों ने तलवार के घाट उतार, अपने विश्वासघात को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया।

२. रामदेव जी की प्रतिज्ञा

मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। दैवयोग से सरस जी की गर्भवती पौत्र-वधू जोधपुर राज्य के अन्तर्गत देभटाणा में अपने पिता के यहां गयी हुई थी। इस स्त्री के रामदेव नाम का पुत्र हुआ, जो बचपन से ही बड़ा नटखट था। बालक की लड़ने की वृत्ति से तंग आकर एक दिन मामी ने ताना मारा "अपनी शूरवीरता हमारे बच्चों पर न दिखाकर कलीये राजपूतों पर क्यों नहीं अजमाते, जिन्होंने तुम्हारे समस्त कुटुम्ब का नाश कर दिया है।" बालक का अभिमान जाग उठा और वह भागा हुआ अपनी माता के पास जा पहुंचा। रामदेव की अधिक हठ देख माता ने कलीये राजपूतों द्वारा किये गये विश्वासघात और हत्याकाण्ड का सारा हाल कह सुनाया। अपने कुटुम्बियों के विनाश की कहानी सुन बालक में प्रतिशोध की अग्नि जाग उठी और उसने माता के सामने ही प्रतिज्ञा की कि जब तक सरस जी के रक्त का बदला नहीं लूंगा तब तक इस गांव में मुंह नहीं दिखलाऊंगा। पुत्र को रोकने की माता ने अनेक चेष्टाएं कीं, पर सब बेकार ही रहीं। घर से निकल राम देव भटकता हुआ उदयपुर रियासत के एक जंगल में पहुंचा और वहां एक आचार्य से दीक्षा ले, १२ वर्ष के अन्दर शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त की। रामदेव जी की प्रतिशोध की भावना शान्त नहीं हुई थी और न वे अपनी प्रतिज्ञा को ही भूले थे। अपने कार्य की सिद्धि के लिये उन्होंने चित्तौड़ के महाराणा की मदद प्राप्त की और राणा की सेना के सहारे विश्वासघाती कलीये राजपूतों को खोज-खोज कर मार डाला। दृढ़प्रतिज्ञ रामदेव जी ने कुछ सरसगढ़ पर शासन कर राज्य का भार अपने शिष्य गौदारे जाटों को सौंप दिया।

३. गौदारे जाटों को राज्य सौंपा

श्री रामदेव के चार पुत्र थे— हालूराम, महादेव, भोज और

स्वरूपाराम । इन्हीं के वंशज सारस्वत ब्राह्मणों के २५०० घर बीका-नेर और आसपास की रियासतों में पाये जाते है। गौदारे जाटों ने रामदेव जी के वंशजों का सदैव सम्मान किया। उन लोगो ने हेमासर ब्राह्मणवाली और बीजरवाली ग्राम तो सारस्वतों को बिना लोग-बाग के ही दे दिया। आगे चलकर तोलियासर के राजगुरु प्रोहितों ने बीजरवाली से सारस्वतों को निकाल दिया। गौदारे जाटों द्वारा दी हुई अन्य भूमि भी अभी तक सारस्वत ब्राह्मणों के पास अब तक चली आती है। इधर गौदारे जाटों ने वृद्धि के दिन देखने के बाद पतन की ओर कदम बढ़ाया। आपसी फूट होने पर गौदारे जाटों ने बीकानेर के संस्थापक श्री बीका जी से मदद ली और अपना पूर्ण सहयोग दे, अपने वंशजों के लिये सर्व प्रथम राज्य तिलक करने का अधिकार पाया। बीकानेर राज्य की स्थापना संवत् १५४५ में हुई थी।

४. पं० चुन्नीलाल जी

रामदेव जी के पुत्र हालू जी और महादेव जी के वंश मे हमारे चरित्र नामक के पितामह कानीराम जी संस्कृत भाषा के धुरंधर पंडित और वेदान्ती विद्वान थे। कानीराम जी को विद्या व्यसनी होने के कारण काशी मे रहना अधिक पसंद था । काशी वास के कारण घर पर पंडित के पुत्र चुन्नीलाल की शिक्षा कुछ अधिक न हो सकी। गौदारे जाटों की यजमानी, खेती-बाडी तथा गौपालन करना ही आपका मुख्य कार्य था। चुन्नीलाल जी स्वभाव के सरल, जबान के सच्चे, कर्म के वीर और गरीबों पर दया करने वाले थे। पहले यह उदरासर में रहते थे, परन्तु संवत १९४० मे नया आबाद होनेवाले डूगरगढ कस्बे मे चले गये। यहीं पर ही हमारे चरित्र नामक मघाराम का जन्म हुआ।

५. युवक मघाराम

चुन्नीलाल जी ने अपने पुत्र का लालन पालन किया और १५ वर्ष

की अवस्था में विद्याध्ययन के लिए स्कूल में दाखिल करा दिया। इनका स्कूल का जीवन अधिक सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ६ वर्ष में हिन्दी की छठी कक्षा तक ही पहुँच सके। बचपन से ही इनका स्वभाव अधिक खरा और झगड़ालू था। गरीब लड़कों और सच्च बात का पक्ष लेकर वह अक्सर अपने साथियों से लड़ जाया करते। रीमसरो की पाठशाला में संस्कृत की शिक्षा पाने के लिए चुन्नीलाल जी ने बुद्ध सवाराम को रतनगढ़ भेज दिया। एक वर्ष संस्कृत का अध्ययन करने के पश्चात बस्तीरामजी की पाठशाला में यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कनखल [हरद्वार] चले गये। वहां कुछ समय रहकर काशी पहुँचे, जहां सरस्वती फाटक पर रहने वाले श्री यमुनादत्तजी शास्त्री के पास आयुर्वेद का अध्ययन आरम्भ कर दिया।

६. विवाह

इसी बीच चुन्नी लालजी काशी पहुंचे और पुत्र सवाराम को छू गगढ़ ले आये। यहां आनेपर २३ वर्षकी अवस्था में बीकानेर के रुदाराम जी ओझा की सुपुत्री सिणोदेवी के साथ विवाह सम्पन्न हो गया। विवाहके कुछ समय बादही युवक सवाराम देशाटनके लिये निकल दिया।

७. देशाटन

श्री सवाराम ने एक बनिये के यहां नौकरी करली और सुल्तानगंज (जिला भागलपुर, बिहार) पहुँचे। स्वतंत्र प्रकृति के होने के कारण नौकरी में १ वर्ष बाद मन नहीं लगा और उसे छोड़, कलकत्ते पहुँच, बंगाल और आसाम का भ्रमण किया। इस के पश्चात उन्होंने काशी आकर पुन आयुर्वेद का अध्ययन आरम्भ कर दिया और पूजा-पाठ द्वारा जीविका का प्रबन्ध कर लिया।

८. गांधी जी   प्रभाव

यह सन् १९२१ की बात है। महात्मा गांधी काशी पहुँचे थे। उनका वहां के टाउन हाल में व्याख्यान हुआ। गांधीजी के भाषण का श्री मघाराम पर इतना प्रभाव पडा कि राजनीति में प्रवेश कर देश के हित में ही सदा जुटे रहने की प्रतिज्ञा करली। अबसे इन के मनमें यही भावना समा गयी कि राष्ट्र हित केलिये कार्य करने में ही मेरा हित है। ईश्वर से यही प्रार्थना होती रहती थी कि देश के प्रति उत्पन्न हुई सद्भावना सदैव बनी रहे।

९. डूंगरगढ़ की हालत

राष्ट्रीय भावनाएं जागृत होने के कुछ समय पश्चात श्री मघाराम डूंगरगढ लौट आये। यहां आकर आपने नवीन विचारधारा के अनुसार देश की आजादी के संबंध में विचारविमर्श करना आरम्भ कर दिया। स्थानीय पुलिस के कान खड़े हुए और घरवालों के चालान कर देने की धमकी भी दी जाने लगी। अधिकारियों का अनुमान था कि पुलिस का भय राष्ट्रीय जोश को ठण्डा कर देगा। यही नहीं डूंगरगढ के धनीमानी व्यक्ति भी आपे से बाहर होगये, क्योंकि मघाराम की विचारधारा जहां साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी, वहां वह पूंजीवाद को भी विरुद्ध थी। उसके जाने पूंजीवादी और साम्राज्यवादी एक ही थै   के चट्टे-बट्टे थे।

१०. झूठे मुकदमोंका आरम्भ

श्री मघाराम के पड़ौस ही में जीवन नामका एक सुनार रहता था। इस सुनार को शराब पीने के साथ-साथ औरतों को देख कर बकने की आदत थी। एक दिन अपनी आदत के अनुसार शराब के नशे में वह मुहल्ले की

कुछ स्त्रियों को अपशब्द कहने लगा। श्रीमघाराम से जब न रहा गया तो वह उक्त सुनार को बुरी तरह डांटने लगे। शराबी में हिम्मत कहां। श्रीमघाराम के क्रोध को देख वह ऐसी बुरी तरह भागा कि मार्ग में पड़े पत्थर से टकरा कर गिर पड़ा और काफी चोट आ गयी। पुलिस को जैसे ही इस घटना का पता लगा तो सब-इन्सपेक्टर बिरदो खां सुनार के घर पहुँचे, और मुकदमा दायर करने को बाध्य किया। शराबी की रिपोर्ट पर श्रीमघाराम के साथ पिता चुन्नी लाल जी, माता जी और नेतू बहन का, भारतीय दण्ड विधान की ४४० वीं धारा के अन्तर्गत चालान हुआ तथा सबको हथकड़ी डाल कर डूंगरगढ़ से सुजानगढ़ भेजा गया। सुजानगढ़ की हवालात में इन्हें एक सप्ताह तक रखा गया। इधर पुलिस अपने झूठे गवाह तैयार करने में लगी हुई थी, उधर श्रीमघाराम की तरफ से पंडित हजारी लाल वकील पैरवी कर रहे थे। स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट श्री जोगेश्वर नाथ जी ने श्रीमघाराम और उनके परिवार के सब व्यक्तियों को रिहा कर दिया। यह कहा जा सकता है कि इसी मुकदमे से शासक वर्ग और श्रीमघाराम के बीच संघर्ष आरम्भ हो गया।

११. पुलिस में नौकरी

डूंगरगढ़ में सन्तराम नामक ब्राह्मण पुलिस के थानेदार नियुक्त हुए। श्रीमघाराम की नवीन सब इंसपैक्टर से अच्छी दोस्ती हो गयी। श्रीसन्तराम का कहना था कि अगर कोई जनता की सेवा करना चाहे, तो उसे पुलिस विभाग में रह कर सेवा करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। जन-सेवा की इच्छा से भद्र पुरुष संतरामजी के कहने पर श्रीमघाराम ने डूंगरगढ़ के थाने में क्लर्क का कार्य आरम्भ कर दिया। सन्तरामजी की अन्यत्र बदली हो जाने पर मकबूल हुसैन को उनके स्थान पर इन्सपैक्टर बना कर भेजा गया। इस व्यक्ति ने अत्याचार

करना ही ना कर्तव्य समझ रखा था। गरीब महिलाओं को बिना किसी कसूर के थाने में बुलाकर उनकी इज्जत बिगाड देना तो उसका मामूली खेल था। इस प्रकार के अत्याचार श्रीमघाराम से न देखे गये और उन्होंने बीकानेर के इन्सपैक्टर जनरल-आफ-पुलिस श्री गुलाब सिंह के सम्मुख जाकर हकीकत को रखा और जाच की मांग की। अफसर इस मांग को न टाल सके और पं० शिवनारायण को तहकीकात केलिये भेजा गया। जांच के फलस्वरूप मकबूल हुसैन पर, नौकरी से अलग करके, मुकदमा चलाया गया। श्रीमघाराम अधिकांश पुलिस अफसरों की आंखो मे खटकने लगे। सुपरिण्टेण्डेण्ट मीर आशिक हुसैन ने श्रीमघाराम को वापेऊ के थाने में बदल दिया।

१२. सांवतसर के पट्टेदारों का मामला

सांवतसर के पट्टेदारों ने थाना वापेऊ में यह शिकायत भेजी कि विसनोई जाति के लोग उनकी जमीन मे रोहृडा और खेजडी काट ले जाते हैं। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि पट्टेदारों का कहना ठीक था। जांच करने के लिये गये श्रीमघाराम को विसनोइयों ने घेर लिया और कत्ल करने पर उतारू हो गये। स्थिति को बिगडती देख जब खाली गोलियां चलवा दी गयी, तब कहीं भीड भागी। विसनोई अभियुक्तों को डूंगरगढ़ लाया गया, जहां उनलोगों ने अपना कसूर स्वीकार कर लिया। इसी बीच पट्टेदार मालुम सिंह और डिप्टी इन्सपैक्टरजनरल-आफ पुलिस कुं० सबल सिह के बीच चले विरोध ने उग्ररूप धारण कर लिया। कुं० सबल सिह के कुचक्र से सांवतसर के गिरफ्तार अभियुक्तों को छोड दिया गया और श्रीमघाराम पर भी दबाव गया कि मालुम सिंह तवर के विरुद्ध झूठी गवाही दे दें। इस र की जालसाजी में भाग न लेने के कारण कुं०सबल सिह ने श्रीमघाराम को गिरफ्तार कर बीकानेर भेज दिया. जहां ६ महीने तक हर प्रकार

का कष्ट देने का प्रयास किया गया। इतने समय के बाद महाराज गंगा सिंह के सामने लालगढ़ में पेशी हुई। सुनवाई होने पर मामले की सच्चाई खुल गयी और महाराज ने श्रीमघाराम को बेकसूर मान कर थाना सुजानगढ़ भेज दिया गया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि उस समय देशी राज्यों में कितना अंधेरखाता था। बेकसूर फसाना, ६ महीने तक जेल में बन्द रखना और असली अभियुक्तों को छोड़ देना आदि तो अत्याचारी अफसरों के बायें हाथ के खेल थे।

श्रीमघाराम को थाना सुजानगढ पहुंचे एक महीना भी नहीं हुआ होगा कि कु० सबल सिंह ने अपना चक्र फिर चलाया और बनीसर के एक जाट से ढाई सौ रु० की रिश्वत लेने के अभियोग में मुकदमा चलवा दिया। जाच होने पर मामला झूठा साबित हुआ और मुकदमा खारिज किया गया।

१३. पुलिस से छुटकारा

पुलिस के अत्याचारों को देख-देख कर श्री मघाराम को उस विभाग से घृणा हो गयी। जिस सेवा करने के विचार से वह इस विभाग में घुसे उसे पूरा होते न देख उन्होंने पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट हनूत सिंह को अपना त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र को देखते ही अफसर साहब बिगड पड़े और जेल करा देने की धमकी दी। और कोई चारा न देख कर श्री मघाराम ने दो दिन की डाक्टरी छुट्टी ली और डू गरगढ को चल दिये। वहा जाकर पंडित जगदीशजी वकील और बीकानेर के तहसील-दार श्रीगोकुल चन्द से सब हाल जा कहा। उन लोगोंने स्थिति को समझ कर डा बसावडा से आखों की कमजोरी का सार्टीफिकेट २६ जून १९२८ को दिलवा दिया. जिसे डाक से भेज कर श्री मघाराम ने पुलिस की नौकरी से छुट्टी पायी।

१४. बच्चों का जन्म

श्रीमती मघाराम के १९२४ में कन्या हुई, जिसका एक बाद

-ही देहान्त हो गया। इसके पश्चात १५ अक्तूबर १६२६ को पुत्र -का जन्म हुआ, जिसका नाम रामनारायण रखा गया। चि. रामनारायण सदैव अपने पिता के साथ रहता है और राजनीतिक कष्टों में भी पूरी -तरह से पिता का साथ देकर जनता की सेवा करने मे तत्पर है।

१५. डूंगरगढ में गिरफ्तारी

नौकरी छोडने के बाद तो श्री मघाराम पर पुलिस और भी अधिक निगाह रखने लगी। डूंगरगढ के हरलाल सिंह और हरी सिंह एक रात -घर पर आ धमके और भारतीय दण्ड विधान की ३४२ वीं धारा के -अधीन अभियोग लगा कर श्री मघाराम को गिरफ्तार कर लिया तथा दो दिन हवालात में रखने के बाद ५००) की जमानत पर उन्हें छोडा। जमानत पर छूटते ही श्री मघाराम बीकानेर पहुंचे और राज्य के दीवान -सर मन्नूभाई महता और महाराज के सामने प्रार्थना पत्र भेजे। जांच के बाद श्री मघाराम निर्दोष साबित हुए और डूंगरगढ थाने के -मालसिंह कर्मचारी को नौकरी से अलग कर दिया गया।

१६. हरखा उपाध्याय का षड़यन्त्र

डूंगरगढ़ में रह कर श्रीमघाराम आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करने लगे और साथ ही दवाई आदि देने का काम भी चालू कर दिया। -पर इस न्याय-विहीन संसार में न्याय प्रिय व्यक्ति को शान्ति कहां ? -न्याय का पक्ष लेने के कारण श्रीमघाराम को पुन एक मुकदमे मे फंस जाना पडा। मामला निम्न प्रकार से आरम्भ हुआ और अन्त में -वे निर्दोष साबित हुए।

डूंगरगढ़ स्टेशन के निकट मांगिया सुनार और तहसील का - जुहारजी रहा करते थे। एक दिन रात को मांगिया सुनार -अपने पड़ौसी जुहार जी की स्त्री कमला से बातचीत कर रहा था।

इसी समय इरगा उपाध्याय नामक स्थानीय गुण्डे ने उक्त सुनार के घर में घुस कर सारा माल असबाब गायब कर दिया तथा सागीया को इस बात के लिए फटकारा कि तू पराई स्त्री के साथ बातचीत क्यों करता है। सुनार ने पटेलसिंह से बात चीत करने को उचित ही बतलाते हुए अपना माल असबाब वापस देने को कहा। सुनार जब अपनी रपट लिखाने पुलिस चौकी पर गया, तो उसे बाहर निकाल दिया गया। और कोई चारा न देख कर गरीब सागिया श्री मघाराम के पास पहुँचा और अपना सब दुख रोया। इसके बाद उन्होंने इस मामले को अपनी कहासुनी करके ही तय करा देना चाहा, पर इरगा किसकी सुनने वाला था। राज्य के समस्त बड़े-बड़े अफसरों के पास इस अन्याय के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र और तार भेजे गये, परन्तु किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अन्त में होम मिनिस्टर सा० ने श्री मघाराम को बुलाकर सारा हाल सुना और एक इन्सपेक्टर को जांच के लिए भेजा। जाच होने पर मामला साबित हुआ और इरगा उपाध्याय को ३६२ धारा के आधीन गिरफ्तार कर लिया। परन्तु स्थानीय वैश्यों की मदद से उपाध्याय जमानत पर छूट गया। न्याय का पक्ष सबल होते देख कुं० सबल सिंह को चैन नहीं रहा। वह स्वयं पुनः मामले की जाच के लिए डूंगरगढ़ पहुंचे और जनता को अनेक प्रकार से आतंकित कर श्री मघाराम के विरुद्ध अनेक मुकदमों को साबित करने की चेष्टा में तत्पर रहे, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। सबलसिंह ने श्री मघाराम के परिवार वालों पर भी आतंक जमाना चाहा और श्री चुन्नीलाल को बुलाकर हर प्रकार से दबाने की चेष्टा की। अन्त में चुन्नीलाल जी ने अपने पुत्र को बाहर भेज देना ही ठीक समझा, जिसका हाल आगे चलकर बतलायेंगे।

समाज की परिस्थितियों से विवश होकर जब श्री मघाराम पुनः डूंगरगढ़ आये तो फिर सबलसिंह के चक्र का सामना करना पड़ा। इरगा उपाध्याय का पुराना मामला हरा कर दिया गया और १८२ धारा

के अन्तर्गत श्री मघाराम पर मुकदमा चला दिया गया । ५००) की जमानत पर मघाराम छूटे और कई महीने की दौड़ धूप और पेशियां होने के पश्चात सुजानगढ के जिला जज श्री शेरसिंह एम. ए., एल-एल बी० ने उनको निर्दोष पाकर बरी कर दिया । (इस मुकदमे के फैसले की न परिशिष्ट में दी हुई है ।)

१७. पं० चुन्नी लाल जी का देहान्त

कु'० सबलसिंह और पुलिस के अन्य अफसरों का रुख देखकर श्री मघाराम के पिता पं० चुन्नी लाल ने अपने पुत्र को बाहर चले जाने की सलाह दी और लालचंद वैश्य के यहां नौकरी कराके कूंच-विहार भेज दिया । कुछ समय बाद पिता की बीमारी का तार पाकर मघाराम जी डूंगरगढ आये और पिता जी की सेवा करके ठीक कर लिया । इसी समय सूर्यग्रहण का पर्व आ गया। इस अवसर पर पं० चुन्नी लाल की इच्छा कुरुक्षेत्र जाकर स्नान करने की हुई । दैवयोग से तीर्थ मे पहुंच कर उनको हैजा होगया और श्री मघाराम के पिता का वहीं स्वर्गवास हुआ ।

१८. हत्या का प्रयत्न

राज्य के अधिकारियों ने तो मुकदमे में बरी कर दिया, परन्तु पुलिस के ग.बड़ों ने अभीतक श्री मघाराम का पीछा नहीं छोड़ा था । एक दिन आधी रात को गरमी के मौसम में श्री मघाराम के घर पर गुण्डे छुरी लेकर चढ़ आये । अनायास वैद्यजी की नींद खुल गयी और शोर मचाने पर वे सब भाग खड़े हुये । कहा जाता है कि हत्या करने के लिये आये हुए व्यक्तियों में हरखा उपाध्याय भी था ।

१९. बीकानेर में बसना

ग. " से तंग आकर श्रीमघाराम ने डूंगरगढ छोड़ दिया और बीकानेर

में जा बसे। आपने १६ दिसम्बर १६१६ में वैद्यराज की परीक्षा करके प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया। श्रीमघाराम वैद्यराज बनकर चिकित्सा कार्य करने लगे; परन्तु वैद्यक इतनी नहीं चली कि आर्थिक संकट दूर हो जाता। आर्थिक लाभ के लिये छोटे भाई को एक दूकान करा दी गयी और स्वय लाभचंद जगा के यहां लिखा-पढ़ी करने की नौकरी करली। इस नौकरी में उनको बीकानेर और भारतवर्ष के अन्य नगरों मे, महेश्वरी वैश्यों के संबंध मे जानकारी प्राप्त करने के लिये जाना पड़ता था। पूंजीपतियों से मांगने संबंधी सम्पर्क अधिक रहने के कारण श्रीमघाराम को इस कार्य से अरुचि होगयी। वहा केवल एक वर्ष काम करने के बाद बीकानेर के राय साहब कन्हैया लाल सागी से मुलाकात कर जेठमल जी ओसवाल के पास कण्ट्रोलर के ऑडिट आफिस में मघाराम उम्मेद्‌वार होगये। इसके पश्चात फराशखाने के सुपरिण्टेण्डेण्ट बनाराम जी स्वामी के नीचे उन्हें गुमास्ता बना दिया गया। इन दफ्तरों में उस समय बहुत अन्धेरगर्दी थी। रिश्वत और चोरी इतनी जोरों पर थी कि ठेकेदारों से चौथाई माल ही राज्य में पहुंचता था। विभाग के लोगों ने जब यह देखा कि मघाराम विभाग मे चलने वाली रिश्वतखोरी और रंगरेलियों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता तो उन्होंने उसका तबादला बागात विभाग मे चाडमैंन की जगह कर दिया। यहां आते-आते नौकरी से पूरी घृणा हो गयी और श्री मघाराम ने त्याग-पत्र देकर सरकारी नौकरी से पिंड छुडा लिया।

२०. जन-सेवा का कार्य आरम्भ

सरकारी नौकरी से छुट्टी पाकर मघाराम जी ने अपनी वैद्यक आरम्भ करदी। वैसे तो पहले से ही आप का जनता से अधिक संपर्क था, अब वह और भी अधिक बढ़ गया। आपकी गरीब व्यक्ति के साथ विशेष सहानुभूति रहती थी। सेवा कार्य में जाति और धर्म आपके लिये किसी

र के रोड़े नहीं बने। आप ने मानव जाति की सेवा करना ही अपना धर्म लिया। आप का उसी समय से हरिजन, हिन्दू और मुसलमान जाति के गरीब लोगों से विशेष संपर्क स्थापित हो गया। इस प्रकार के जनसंपर्क को देखकर राज्य के कर्मचारी मघाराम के विरुद्ध होगये। ऐसे संकट के समय बाबू मुक्ताप्रसाद जी वकील से परिचय हुआ। वे सच्चे जनसेवक और मित्र सिद्ध हुए।

२१. बाबू मुक्ताप्रसाद जी वकील

श्री मुक्ताप्रसादजी के संबंध मे यहा कुछ कहदेना अनुचित न होगा। आप बीकानेर की जनता के सच्चे सेवक और महान त्यागी पुरुष थे। गरीब आदमियों की सेवा करना, हरिजनों के उद्धार के लिये सब तरह का प्रयत्न करना तथा मित्रता निबाहना उन्होंने अपने जीवन के कर्तव्य मान रखे थे। उनके रहन-सहन और खान-पान का ढंग बहुत ही सादा था। जमीन पर चटाई बिछा कर सोना तो उनका दैनिक नियमही था। बीकानेर की जनता उन्हे बहुत चाहती थी। आप को सब लोग भाई साहब के नाम से पुकारते थे। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि शायद ही ऐसा कोई बीकानेर निवासी हो जो उनकी सेवाओं से उनका भक्त न होगया हो। जब बीकानेर राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में काम करना तो दूर रहा, इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति रखना तक एक महान अपराध था, उस समय सर्वश्री सत्य नारायण जी सराफ भादरा, श्री खूबराम जी सराफ भादरा, श्री गोपाल दास जी स्वामी, श्री चंदनमल जी बहड़ चूरू और श्री सोहन लाल जी शर्मा आदि पर चलने वाले प्रथम राजनीतिक मुकदमे में, अन्य दो वकीलो के साथ प्रमुख रूप से पैरवी करके, आपने महान साहस का कार्य किया था। इस मुकदमे के कारण ही बीकानेर की नौकरशाही उन के खिलाफ हो गयी, पर बीकानेर के उच्चअधिकारी और धनी मानी व्यक्ति भी वकील साहब के मित्र और भक्त थे। ऐसे जनसेवक के पीछे

भी राज्य की पुलिस पटगयी। गुप्तचर विभाग के व्यक्ति बड़े अफसरों पर उनको झूठी-झूठी खबरें भेजकर कान भरा करते थे। इस सब चक्र का ज्ञान होते हुए भी 'भाई साहेब', अपने सेवा कार्य से विमुख न हुए। राजनीतिक मुकदमे में बाबू मुक्ता प्रसाद जी ने अच्छी पैरवी की, मगर मामला साबित तक न होने पर, राजनीतिक अभियुक्तों को कई वर्ष हवालात में रखने के बाद भी, लम्बी सजाएं दी गयीं।

५२. गुण्डों की बदमाशी

जिस समय यह राजनीतिक मुकदमा चल रहा था उस समय श्री मघाराम जी बराबर बाबू मुक्ता प्रसादजी वकील के पास आया जाया करते और मुकदमे में काफी दिलचस्पी लेते थे। इस सहयोग को देखकर पुलिस के दांत खट्टे हो आये और उसने श्री मघाराम को फंसाने के लिये गुण्डों की सहायता ली। फरवरी १९३२ में होली के अवसर पर बीकानेर में साम्प्रदायिक तनातनी का जोर था। फागेडी के दिन झगड़ा भी होगया और उस में कई व्यक्ति घायल हुए। बीकानेर सरकार ने १४४ धारा और कर्फ्यू आज्ञा जारी कर दी। यहां तक कि हिन्दू-मुसलमानों के खास खास मुहल्लों में फौज तैनात कर दी गयी। इसी तनातनी के बाद ७ अप्रैल १९३२ को मघारामजी डागों के मुहल्ले की अपनी दूकान को बन्द कर पं० मोहन लाल के साथ कोटगेट के ज्वाला प्रसाद हनुमान दास फर्म को २४-)॥ देने गये, पर दूकान बन्द हो जाने के कारण वे दोनों लौट आये। जैसे ही यह लोग दाऊजी के मन्दिर के पास पहुंचे कि ७-८ मुसलमान गुण्डों ने इन्हें घेर लिया और लगे मोहन लाल से जकात के लिये रुपये मांगने। मोहन लाल की तलाशी लेने पर जब इन्हें कुछ नहीं मिला, तो मघाराम पर टूट पड़े और असरीया उर्फ बादशाह गुण्डे ने गला पकड़ कर गिरा दिया, तथा अन्य गुण्डों ने १०) १०) के चार नोट छीन लिये। इन लोगों ने रुपये छीनने के साथ ही अन्दरूनी चोट भी पहुंचाई, जिसके

राजगुरु भैंरोसिंहजी पुरोहित

आप ३२-३३ से राज्यसे निर्वासित थे। १४-१५ वर्ष बाद आप बीकानेर लौटे हैं।

स्वामी सच्चिदानन्दजी

बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के भूतपूर्व उपप्रधान।

प्रो० केदारनाथजी एम. ए.

श्री शेरारामजी
उत्साही कार्य-कर्ता

फलस्वरूप बांई ' में सूजन आ गयी। इस काण्ड को देख कर भीड़ एकत्र हो गयी, परन्तु गुण्डे रुपये छीन कर चम्पत हुए। पुलिस में रिपोर्ट करने पर जुर्म दफा ३६४ ताजीरात हिन्द के अनुसार जांच शुरू हो गयी, लेकिन श्री मघाराम की डाक्टरी परीक्षा नहीं कराई गयी। जांच करने पर अमरीया काजी, सफूरीया, महमूदिया और भाणीया माली आदि द्वारा जुर्म करना पाया गया। घटना को देखने " कहने वाले गवाह भी मिल गये, परन्तु पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। उस समय नगर का कोतवाल फैज मुहम्मद था। कहा जाता है कि कोतवाल और उक्त व्यक्तियों का अच्छा संबंध होने के कारण ही गिरफ्तारी और डाक्टरी परीक्षा कराने में टालमटोल कर दी गयी। यह देख कर मघाराम जी ने जब एक प्रार्थना पत्र नाजिम को पेश किया, तब डाक्टरी परीक्षा कराई गयी और अदालत में बुला कर चतुर्भुज पाण्डया, मोहन लाल तिवाड़ी और मुरलीधर के बयान म बन्द किये गये। इसपर भी पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया। मामला बढ़ता देख कर श्रीमघाराम के पीछे गुण्डे पड़ गये और मार डालने तक की धमकी देने लगे। श्रीमघाराम ने अपनी रक्षा के लिये बीकानेर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन उधर की तरफ से मामले के सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। इस दुर्घटना के समाचार जब लाहौर के हिन्दी मिलाप में निकले तब बीकानेर सरकार के मन्त्री ठा० शार्दूल सिंह ने लालगढ़ महकमे खास में श्री मघाराम को बुलाया और सब हाल सुना। इस मत्र का असर यह हुआ कि दूसरे ही दिन पुलिस ने आक्रमण करनेवालों को गिरफ्तार कर लिया, परन्तु रुपये बरामद किये बिना ही उनका चालान कर दिया। कई दिन हवालात में रखने के बाद पुलिस की कृपा से अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अदालत का अनुचित फैसला होते ही श्री मघाराम ने हाईकोर्ट में अपील कर दी। पर होना जाना क्या था। सब मिली भगत थी। जब हाईकोर्ट ने भी कुछ नहीं किया तब फैसले की

नकल ता० ३० ८ १६३७ (मिसिल न० ८८) को ले ली गयी और महाराज की कौंसिल में निगरानी करने का निश्चय हुआ। यह देख कर, फैज मुहम्मद कोतवाल के कहने पर, अमरीया काजी ६०) श्री मघाराम को देकर माफी मांग गया। पुलिस अधिकारी को डर था कि मामला चलने पर कहीं सारे कारनामे न खुल जायें। इस मामले की पैरवी बाबू मुक्ता प्रसादजी वकील ने बिना म्हनताना लिये ही की थी। इस मुकदमेबाजी के बाद भी बीकानेर की पुलिस की तरफ से कई दफा झूठे मामलों में वैद्यजी को फासने की चेष्टा की गयी।

उस समय के पुलिस अफसरों ने यह नियम सा बना लिया था कि जब कभी उनकी इच्छा होती किसी तरह का बहाना करके श्री मघाराम को कोतवाली में बुला लेते। इसके साथ ही जहां कहीं भी वे जाते सी. आई. डी. का आदमी उनका अवश्य ही पीछा करता, जिसके कारण उनको वैद्यक और घर के धंधों में बहुत बाधा रहने लगी।

२३. भाई श्रीराम की शादी

श्री मघाराम के भाई श्रीराम की आयु २५ वर्ष की हो चली थी, इसलिए उसका विवाह करना जरूरी जान पड़ा। डूंगरगढ के सारस्वत ब्राह्मण श्रीगणपतराम की लड़की से भाई का विवाह कर दिया गया, परन्तु इस विवाह में श्री मघाराम कर्जदार हो गये। कुछ समय बाद दोनों भाइयों ने मिल कर कर्जा उतार दिया।

२४. घर में फूट

अभी तक पुलिस ने श्री मघाराम का पीछा नहीं छोड़ा था। श्री मघाराम की माता और बहिन डूंगरगढ में ही रहा करती थीं। पुलीस ने डरा धमका कर माता जी से राज्य के बड़े बड़े अफसरों को इस आशय के पत्र भिजवा दिये कि मघाराम हमारी हत्या करना चाहता है और निर्वाह के लिए खर्च नहीं देता। इन पत्रों के कारण

लालगढ़ में महाराज के दफ्तर में सवाराम को बुलाया गया। मौका मिलने पर उन्होंने सारी बातें साफ-साफ कह दीं और पुलिस तथा कु० सबल सिंह द्वारा किये जाने वाले विरोध का भंडा फोड कर दिया। माता को पूज्यनीय मानने और जीवन निर्वाह आदि के लिए रुपया देने की बात पर अधिकारियों को विश्वास हो गया। श्रीसवाराम माता जी के पास डूंगरगढ़ पहुंचे तथा उनका आदि से अन्त तक सारा किस्सा कह सुनाया। इस पर उनकी माता ने यह स्वीकार किया कि बड़ी बहन नानू और सावलिया आदि पुलीसवालों के बहकाने पर यह सब किया। आगे केलिए उन्होंने इस प्रकार के चक्र में न पड़ने का आश्वासन ही नहीं दिया वरन अधिकारियों के पास इस आशय की दरखास्त भी भेज दी कि पुराने प्रार्थना पत्र पुलिस आदि के बहकाने पर दिये गये थे। इस प्रकार माता जी को बहकाने का तो मामला समाप्त हुआ।

२५. बहन नानू का प्रकोप

माता जी तो पुलिस का चक्र समझ गयी, परन्तु बड़ी बहन नानू उसके चगुल में अधिक फंस गई। पुलीस के कहने पर उसने भाई सवाराम के विरुद्ध ३६२, ४५७, ३२३, ३५२, और १०७ धाराओं के अन्तर्गत डकैती आदि के जुर्म लगा दिये। यही नहीं, बहन नानू ने अनेक मुकदमों में माता जी और भाइयों को भी फसा लिया। लगभग २ -३० जुर्मों के यह मुकदमें अनेक अदालतों में चले, जिनमे श्री सवाराम को बहुत परेशानियों और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इन्हीं २ साल के कष्टों से तंग आकर श्रीसवाराम ने डूंगरगढ़ की अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी और पूरी तरह बीकानेर में ही बसने का निश्चय करना पड़ा।

२६. कलकत्ते का प्रवास

समस्त झगड़ों के तय होने पर श्रीसवाराम ने कलकत्ते जाने का

विचार किया। भाई को बीकानेर में ही व्यापार और दुकानदारी के के काम में लगा दिया था। कलकत्ते पहुँच कर इन्होंने वैद्यक और कुछ व्यापार आदि करना आरम्भ किया। काम जम जाने पर पहले स्त्री को और फिर भाई श्रीराम को भी कलकत्ते बुला लिया, तथा हनुमानदास मूंधड़े की कोठी, २१ मालापाड़ा में कमरा किराये पर लेकर रहने लगे। भाई को मिठाई की दूकान करा दी गयी।

२७. स्त्री का स्वर्गवास

एक दिन वैद्य जी अपने काम से बाहर गये हुए थे। प्रातःकाल था। घर में इनकी स्त्री चूल्हे के पास बैठ रसोई का प्रबन्ध कर रही थी। इसी समय स्त्री के हाथ की रबड़ की चूड़ियों में आग लग गयी। आग फैलते-फैलते कपड़ों में लगी। स्त्री के चिल्लाने को सुन पड़ोसी दौड़ कर आये, पर जब तक लोग पहुँचे तब तक तो हाथ-पैर कई जगह से जल गये। इतने में वैद्य जी भी आ गये। यह सब काण्ड देख कर इन्होंने रोगी को अस्पताल ले जाने का प्रबन्ध किया। मौत का इलाज नहीं होता। अस्पताल में सब कुछ उपचार करने पर भी दसवें दिन मिर्कोदेवी का अस्पताल में ही प्राणान्त हो गया। अब पोस्टमार्टम का झगड़ा चला, परन्तु मालापाड़ा के म्युनिसिपल कमिश्नर श्री मोहनलाल के कहने से बिना चीरा-फाड़ी किये स्त्री का शव मिल जाने पर नीमतल्ला घाट के स्मशान में पहुँच कर संस्कार किया गया। इसके बाद भाई श्रीराम को कलकत्ते छोड़, श्री मघाराम अपने लड़के के साथ डूंगरगढ़ आये और वहां श्राद्ध कर्म तथा जाति भोज किया। वैद्य मघाराम ने बीकानेर लौट कर वहीं काम करने का विचार किया।

२८. बीकानेर में औषधालय

जीवन निर्वाह के लिये वैद्य मघाराम ने माजीसाहब के मुहल्ले में डा० वृन्दावन जी के मकान में अपना औषधालय खोला। धीरे धीरे

रोगियों का आना बढ़ने लगा और कार्य अच्छी तरह चल निकला। वैद्यक के साथ जन सेवा का कार्य भी जारी रहा। मुक्ताप्रसाद जी वकील और अखिल भारतीय चर्खा संघ की शाखा के कार्यकर्त्ताओं से उनका अधिक सम्पर्क रहने लगा।

२६. अत्याचारों की वृद्धि

मि० हैमरटन हार्डिंग को उस समय पुलिस का सबसे बड़ा अफसर बनाया गया। यह अंग्रेज स्पेशल होम मिनिस्टर काभी काम करता था। उसने बीकानेर में आते ही जनता पर अत्याचार करना, दूकानदारों पर टैक्स बढ़ाना और अनेक प्रकार के जालरचना आरम्भ कर दिया। अधिकारी की ओर से प्रोत्साहन पाकर छोटे आदमी भी अपनी मनमानी करने लगे। राज्य भर में चोरी, रिश्वत खोरी और पुलिस के अत्याचारों से जनता बहुत तंग आगयी।

३०. प्रजा मण्डल की स्थापना

एक दिन बाबू मुक्ताप्रसाद जी वकील ने जनता के कष्टों का ब्यौरा देते हुये श्रीमघाराम के सामने प्रजा मण्डल नाम की संस्था स्थापित करने का सुझाव रखा। आपका विचार था कि इस संस्था के द्वारा जनता की शिकायतों और उचित मांगो के संबंध मे आवाज उठाईजाय महाराज और राज्य के अन्य अधिकारियों के सामने जनता के कष्टों को रखा जाय, जिससे राज्य के निवासियों का कुछ भला हो। भाई साहब के ही सुझाव पर यह निश्चय हुआ कि श्री मघाराम को नवीन संस्था का प्रधान और लक्ष्मण दास को मंत्री बना दिया जाय। संस्था के सदस्य बनाने का काम जारी हो गया और १५-१६ सदस्य बनते ही चुनाव करने का आयोजन कर लिया गया।

३१. प्रजा मण्डल का चुनाव

श्री रतनबाई ट्रस्ट के मकान मे ४ अक्तूबर १९३६ को रात के ८

बजे प्रजा मण्डल के सदस्यों की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सर्व सम्मति से श्री मघाराम वैद्य को प्रधान, श्री लक्ष्मण दास स्वामी को मंत्री और भिखा लाल बोहरा को कोषाध्यक्ष चुना गया। आठ व्यक्तियों को और चुन कर सब कुल ११ सदस्यों की कार्यकारिणी बना दी गयी। श्री मुक्ता प्रसाद जी संस्था के सदस्य नहीं बने। उन्होंने बाहर रह कर ही सब प्रकार की सहायता देने का वचन दिया।

३२. प्रजा मण्डल का उद्देश्य

इस संस्था का खास उद्देश्य था कि बीकानेर नरेश की छत्रछाया में शान्त और वैध उपायों द्वारा उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय। यह प्रजा और राजा के बीच वैमनस्य पैदा करने के लिये स्थापित नहीं की गयी। इस के कार्यकर्ता प्रजा का कष्ट दूर करवा कर राजा और प्रजा में सच्चा प्रेम पैदा कराना चाहते थे।

३३. प्रजा मण्डल का कार्य आरम्भ

प्रजा मण्डल के सदस्य बनाये जाने लगे और जन सेवा का कार्य आरम्भ हुआ। हरिजन बस्तियों में सुधार और अधिकारियों के कानों तक जनता के कष्टों की कहानी पहुंचाने का प्रयत्न जारी हो गया। दैनिक और साप्ताहिक पत्रों द्वारा प्रचार कार्य होने लगा। प्रजा-मण्डल के सदस्य देहातों में भ्रमण कर जनता को प्रजामण्डल के उद्देश्यों को समझाते और किसानों के कष्टों की कहानी सुनते थे। पट्टेदारों का किसानों पर बड़ा जुल्म था। किसान लाग-बागों से बहुत ही तंग थे।

३४ मण्डल की कार्य प्रणाली

प्रजा मण्डल की कार्यकारिणी की महीने में दो बैठकें हुआ करती थीं। इन बैठकों में रचनात्मक कार्य, किसानों पर होने वाले

त, लोग-बागों को बन्द कराने, पुलिस द्वारा जनता पर किये जाने वाले अत्याचारों और हरिजनों की समस्याओं के सम्बन्ध में विचार विनियम हुआ करता।

३५. नागरिक स्वतंत्रता ?

बीकानेर में उस समय नागरिक स्वतंत्रता तो नाम मात्र के लिए भी नहीं थी। नगर मे सार्वजनिक सभा करने पर रोक और सफेद गांधी टोपी लगाना पाप समझा जाता था। गाधी टोपी देखते ही गुप्तचर पीछा करने लगते। राज्य कर्मचारी यह साहस नहीं कर सकते थे कि दफ्तरों में सफेद टोपी लगा कर भी चले जायं। जनता पर भारी आतंक छाया हुआ था। पुलिसवालों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। गरीब इक्केवाले यदि किसी कारण पुलिस वालों को भेंट न दे पाते, तो उन्हे कोटगेट के फाटक मे ले जाकर इतना मारा जाता कि बेहोश तक हो जाते। मारपीट की दुर्घटनाएं तो रोज ही हुआ करती थीं। न्याय का उपहास करने के लिए थीं राज्य की कचहरिया, जहा मजिस्ट्रेट अपनी मनमानी करते थे। ऐसी अवस्था में रिश्वत का जोर अपनी चरम सीमा पर था। म्युनिसपल बोर्ड का प्रबन्ध भी बहुत बुरा था। नगर गन्दा पड़ा रहता था, जिसके फलस्वरूप जनता अनेक रोगों की शिकार बन रही थी। इस कुप्रबन्ध का जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। वह आहे भरती, पर उसमें उठने की शक्ति और साहस की कमी थी। प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने जनता मे शक्ति और साहस का संचार करने की चेष्टा आरम्भ कर दी। जन सेवक हर प्रकार की शिकायतों को राज्य के बड़े से बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने लगे, परन्तु उनकी सुनवाई नहीं होती थी।

३६. किसानों के कष्ट

पट्टेदारों की ओर से किसान की प्रति गृहस्थी पर लाग-बाग का

ब्योरा निम्न प्रकार से है.—

१–वर्षा होते ही दो आदमी देना।

२–अन्न उग आने पर खेत में घास-फूस की सफाई के लिये दो आदमी देना।

३–अन्न पक जाने पर चारा और अन्न देना।

४–ठाकुर के घर वालों, दास-दासियों और पशुधन के लिये पानी का मुफ्त प्रबन्ध करना।

५–गाव का आधा पशुधन गाव वालों का और आधा ठाकुर का।

६–वसूली के समय हर किसान को १६) रु० से २५) रु० सैकड़ा तक पट्टेदार को लगान के रूप में देना पडता।

७–हुक्के की लाग ५)

८–बाई के दूध पीने के कटोरे की लाग ५)

९–धुएं की लाग २)

इसी प्रकार की २२–२३ लागें किसानों को देनी पड़ती हैं। किसान अपना पसीना बहा कर जो कुछ पैदा करता है, उसे पट्टेदार रंगरेलियों और अफीम-शराब आदि के नशों में खर्च करने के लिए लाग-बागों द्वारा चूस लेते हैं।

३७. पट्टेदारों की दशा

पट्टेदार गरीब किसानों से अत्याचार करके रुपया वसूल करते हैं। अन्याय से रुपया पाकर उनकी बुद्धि बिगड जाती है और व्यभिचार तथा नशेबाजी के पूरे अभ्यस्त हो जाते हैं। यह ठाकुर अफीम खाने के इतने आदी होते हैं कि कोई कोई तो सुबह शाम ५-५ तोले तक खा जाता है। यह कहा जा सकता है कि इन ठाकुरों में ९५ प्रतिशत आचरण के भ्रष्ट और पूरे लम्पट होते हैं। ठाकुरों के कुकृत्यों की कहानियां गाव के किसानों की जबान पर रहती हैं और किसी समय भी गांव में जा कर इनकी पुष्टि की जा सकती है।

२८ उदरासर गाँव ने आवाज उठाई

स्वर्गीय महाराज कुंवर विजय सिंह जी के पट्टे मे एक उदरासर गाँव है। वहां के किसानों ने प्रजामण्डल के दफ्तर मे अपने कष्टो की कहानी भेजी। उस समय पुलिस की चौकी पर अगर सिंह नामक जमादार था। की बहू-बेटियों की इज्जत ले लेना तो उसका साधारण हो गया था। अपनी आदत के अनुसार उसने एक चमार की जवान लड़की को किसी मुकदमे के बहाने चौकी पर बुलाया और उस के साथ बलात्कार किया। इस काण्ड की शिकायत किसानो ने पट्टेदार और पुलिस विभाग के अफसरों से की, परन्तु कोई असर नहीं हुआ। जब गाव वालों की किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं को उदरासर गाँव में जाँच केलिये बुलाया।

गांव की उक्त शिकायत और माग को लेकर जीवन चौधरी प्रजा मण्डल के दफ्तर में आया। इस प्रार्थना-पत्र को पाते ही श्री मघाराम और श्री लक्ष्मणदास डूंगरगढ़ होते हुए दूसरे दिन उदरासर पहुंच गये और सेवू चौधरी के घर ठहरे। इन लोगों ने गांवों के पीड़ित व्यक्तियों के बयान लिये। गांव क अन्दर जाकर जाच करने पर भी जीवन चौधरी द्वारा की गई शिकायतो की पुष्टि हुई। वहा मालूम हुआ कि पुलिस के जमादार और पट्टे के पटवारी के अत्याचारो से गाव की जनता बहुत ही दुखी है। उस गाव के निकट की दो बस्तियों—अगूना और अथूना—में जाच करने से पता चला कि पुलिस का जमादार और पट्टे का पटवारी काफी अत्याचार करता है। अगूनेवास के चौधरी गोदारा जाट लच्छमण जी और सेवूराम जी तथा अथूनावास के चौधरी पन्नाराम जी और अमरा राम जी से पूछताछ करने पर किसानों द्वारा कही गयी करुण कहानियों की पुष्टि हुई। तीन दिन रहने के बाद प्रजामण्डल के दोनों नेता बीकानेर लौट आये। यहा आकर किसानों की शिकायतों को राज्य के विभिन्न अधिकारियों के पास दरख्वास्तों द्वारा भेज दिया

गया। लेकिन इन प्रार्थना पत्रों का कोई असर नहीं हुआ। इस पर इसके दिन किसानों का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं के साथ महाराज से मिलने के लिये लालगढ़ पहुँचा, परन्तु दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि महाराज साहब ने किसी के साथ मुलाकात नहीं की। राजस्थान और हिन्दुस्तान के अनेक पत्रों ने किसानों पर होने वाले अत्याचार का विरोध किया। लोकनायक जयनारायण व्यास (जोधपुर) ने भी इसमें बहुत भाग लिया, मगर महाराज ने कोई सुनवाई नहीं की। प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं को पुलिस बहुत तंग करने लगी। दूधवाखारा के किसान और चौधरियों को पुलिस-चौकी पर बुला कर धमकाया तथा पीटा गया। इन अत्याचारों की जांच करने मण्डल के मंत्री श्री लक्ष्मणदास को भेजा गया। घटनाओं का पूरा पता लगने पर देश के पत्रों द्वारा अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई गयी।

३६. फीनीया पर अत्याचार

पुलिस के अत्याचारों की कहानी का एक और उदाहरण मिला है। नये शहर बीकानेर के एक जाट के यहां भैंरीया नाम का राजपूत चोरी करने पहुंचा। घर वालों के जगने होने पर वह भाग खड़ा हुआ पर जूते छोड़ ही गया। मुकदमे की जाच के सिलसिले में भवर सिंह सबइन्सपेक्टर पुलिस ने नये शहर के गरीब ब्राह्मण फीनीया नामक पानवाले को पकड़ लिया। राजपूत चोर की पूछताछ के सिलसिले में उसे तीन दिन तक बहुत मारा। फिर एक रात उसे बुला कर इतना पीटा गया कि गहरी चोट लगने के कारण फीनीया कोतवाली में ही मर गया। इन्सपेक्टर ने सिपाहियों की सहायता से लाश को, आधी रात के समय फीनीया की दूकान को खोल कर खाट पर डाल दिया। दूसरे दिन सुबह दूकान में फीनीया की लाश मिली। फीनीया की माता और पड़ोसी भी आ पहुंचे। लाश पर चोट के निशान साफ थे। थोड़े समय बाद ही प्रजामण्डल के कार्यकर्ता और पुलिस के कर्मचारी भी वहां पहुंच गये।

जनताका दावा था कि फीनीया पुलिस की मार से मरा है, पुलिस वालों का कहना था कि वह व्यक्ति लालटेन की गैस से। पुलिस ब्राह्मण के ५-६ कुटुम्बियों को लेकर पोस्ट-मार्टम के लिये शव को अस्पताल ले गयी। वहा पर स्पेशल, होम मिनिस्पर हैमर्टन हार्डिंग तथा पुलिस के अन्य अफसर भी थे। मि० हार्टिंग ने लछमण दास जी से पूछा कि क्या तुम संवाददाता हो? उनके जवाब न देने पर दूसरे पुलिस अफसर ने इस की पुष्टि की। जब श्री लछमणदास से मृत्यु का कारण पूछा गया तो उन्होने कहा कि फीनीया की बहुत पिटाई हुई थी।

उसी दिन सायं काल को प्रजा मण्डल कार्यकारिणी की बैठक में पुलिस द्वारा की गयी हत्या की निन्दा का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसी प्रस्ताव द्वारा राज्य के प्रधान मंत्री से जाच करने और अपराधी को सजा देने की मांग की गयी।

४०. गिरफ्तारी और यातना

इस मामले का आन्दोलन बढ़ता देख कर पुलिस ने ३ मार्च १६३७ को दिन के ११ बजे औषधालय में पहुंच श्री मघाराम को गिरफ्तार कर लिया और अनेक कर्मचारियों के यहां घुमाने के बाद औषधालय लाये। औषधालय और घर की तलाशी लीगयी। तलाशी में पुलिस के हाथ जब कुछ न लगा तो वह प्रजामण्डल सम्बंधी तथा निजी चिट्ठियों को उठा लेगयी। इस बीच मंडल के मंत्री श्री लछमण दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल होम मिनिस्टर मि० हार्डिंग ने दोनो कार्यकर्ताओं को अलग अलग बुला कर उदरासर और ब्राह्मण की हत्या काण्ड के संबध में पूछताछ की। इसके बाद दोनों नेताओं को पुलिस लाइन भेज दिया और अलग अलग कोठरियों में रखने की व्यवस्था की गयी।

दूसरे दिन से पुलिस के अत्याचारों का दौर आरम्भ हुआ। श्री मघाराम को टागें चोडी कर खडा कर दिया गया। पाखाना जाने तथा

खाना खाने के समय ही बैठने दिया जाता था। इसी तरह ५-६ दिन तक महान कष्ट दिया गया। इस यातना से पैरों में सूजन आगयी। जेल में मि० हार्डिंग ने आकर प्रजामण्डल के कागजों के संबंध में पूछा। पर जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो बिजली के करंट को शरीर में छोड़ कर कष्ट पहुचाया। बिजली के लगते ही शरीर सुन्न पड़ जाता और बड़ी पीड़ा होती। रबड़ के टायरों की मार दी जाती। इस प्रकार महान कष्ट दे और बेहोश तक कर उस निर्दयी अंग्रेज ने अनेक कागज लिखवा लिये। उस के साथ आने वाले डी० आई० जी० पी० जवाहर लाल प्रजा मण्डल के सदस्यों, कोष और कागजों के संबंध में प्रश्न करते परन्तु उनके हाथ भी कुछ न लगा। इसी प्रकार १३दिन तक पुलिस लाइन में महान कष्ट देने के बाद १६ मार्च १६३६ को आई० जी० पी० की कचहरी में बुला कर दो व्यक्तियों के सामने दोनों नेताओं को देश निकाले की आज्ञा देदी। (इस आज्ञा की नकल परिशिष्ट में देखिये) उदरासर के काण्ड में जनता के अत्याचारों का भण्डा फोड़ करने में सहायक होने वाले जीवन चौधरी पर भी १००) जुर्माना हुआ।

४१. चार नेताओं का निर्वासन

श्री मघाराम और श्री लछमण दास के साथ ही बाबू मुक्ता प्रसाद वकील और श्री सत्य नारायण सराफ को बीकानेर छोड़ जाने की आज्ञा दी गयी। यहा यह ध्यान में रखने की बात है कि श्री सत्य नारायण हालही मे बीकानेर षड्यन्त्र के मामले में लम्बी सजा काट कर आये थे। इस आज्ञा के बाद गुप्तचर इस बात की जांच में रहने लगे कि इन निर्वासितों के प्रति सहानुभूति दिखलाने केलिये कौन कौन पहुँचता है। पुलिस का भय जनता को न रोक सका। सर्वश्री मघाराम और मुक्ता प्रसाद के घर पर जनता काफ़ी संख्या में एकत्र हो गयी। भाई साहब की बिदाई का दृश्य अपूर्व था। सरकारी नौकर तक उन से मिलने आये।

सांयकाल की गाड़ी से बाबू मुक्ता प्रसाद, श्री मघाराम और उनका लड़का तथा स्वामी लच्मण दास बीकानेर को छोड़ चल दिये। उस दिन स्टेशन पर बीकानेर की जनता उमड पड़ी थी। जय घोष के नारों से स्टेशन का वायु मण्डल गूंज उठा। अनेक व्यक्ति तो चालो स्टेशन तक पहुंचाने गये। श्री बुलाकीदास व्यास तो दिल्ली तक साथ ही रहे। दिल्ली पहुंच कर सब लोग श्री आनन्द राज सुराणा के यहा ठहरे। संयोग से उस समय दिल्ली में अखिलभारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही थी, अतः इन लोगों ने बीकानेर की स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय नेताओं और विशेषकर देशी राज्य लोक परिषद के प्रधान डा० पट्टाभि सीतारमैया को भी पूरी जानकारी करादी। दिल्ली मे राजस्थानी निवासियों की सभा हुई। उक्त सभा मे बीकानेर मे चलने वाले दमन की घोर निन्दा की गयी। सभा में गण्यमान व्यक्ति उपस्थित थे। बीकानेर में चलने वाले दमन के संबंध में अर्जुन, हिन्दुस्तान, लोकमान्य, नव ज्योति और राजस्थान आदि पत्रों मे समाचार, लेख सम्पादकीय टिप्पणियां प्रकाशित हुई। (इनरिपोर्टों के उद्धरण परिशिष्ट मे देखिये)।

४२. कौन किधर गया

दिल्ली मे कई दिन तक रहने के बाद श्री मुक्ता प्रसाद अलीगढ चले गये। सर्व श्री मघाराम और लच्मण दास हिसार ग्राम सेवासंघ में श्री हरदत्त सहाय के यहां जा ठहरे। अधिक दिन मन न लगने के कारण श्री मघाराम अपने पुत्र के साथ दिल्ली होते हुये कलकते के लिये रवाना हो गये और वहाँ पहुंच कर बीकानेर के कोठयारी ब्रजलाल महेश्वरी के यहा कुछ दिन रहे।

४३. मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी में नौकरी

कलकते पहुंच कर वैद्यजी श्री तुलसीराम सरावगी से मिले और उन से नौकरी के संबंध मे बातचीत की। श्री तुलसी राम ने मारवाड़ी सोसा-

४६. कलकत्ते में 'प्रजामण्डल की स्थापना

गुलाम देश का राजनीतिक कार्यकर्ता कहीं चुप नहीं बैठ सकता, उसे राष्ट्रीय जागरण के लिये कुछ न कुछ बात सूझ ही आती है। बीकानेर से निर्वासित नेताओं ने कलकत्ते में बसने वाले बीकानेर निवासियों का संगठन करनेकी सोची और धीरे धीरे कुछ सदस्य बनाकर बीकानेर प्रजा मण्डल नामक संस्था कायम करदी। श्रीमती लक्ष्मी देवी आचार्य को अध्यक्षा और श्री लक्ष्मण दास को सर्वसम्मति से मन्त्री बना दिया गया। प्रजामण्डल का दफ्तर श्रीमती लक्ष्मी देवी के निवासस्थान 'गणेश भवन' जगन्नाथ रोड पर चालू हो गया। प्रजा-मण्डल के सदस्य बढ़ने लगे। यहां के कार्यकर्ताओं में श्री नृसिंह दास थानवी का नाम अग्रगण्य है। थानवी जी सदैव मण्डल के काम में व्यस्त रहते थे। मण्डल का कोषाध्यक्ष भी उन्हीं को चुन लिया गया था। श्रीमती लक्ष्मी देवी कांग्रेस में काम करने वाली थी। कांग्रेस के आन्दोलन में भाग लेने के कारण आप को जेल यात्रा करनी पड़ी थी। अधिक समय तक जेल के कष्टों को सहने से उनका स्वास्थ्य गिर गया था, इसलिये वे प्रजा मण्डल के काम में सक्रिय भाग लेने में कुछ असमर्थ थी।

स्वामी लक्ष्मण दास भी ६महीने कलकत्ते रह कर जोधपुर चले गये।

४७. नानी रतू देवी का स्वर्गवास

श्री मघाराम को रिलीफ सोसाइटी में काम करते हुए एक वर्ष से अधिक हो गया था। इसी समय डूंगरगढ़ से नानी रतूदेवी की बीमारी का समाचार मिला। उनकी अवस्था उस समय ११० वर्ष हो चुकी थी। नानी रतू देवी की बहुत दिन से यह इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार श्री मघाराम के हाथ से ही हो। बीमारी का समाचार पाकर नानी की इच्छा का स्मरण हो आया। निर्वासित अवस्था में

लाचार तो अवश्य थी, फिर भी सवाराम ने बीकानेर महाराज को नानी की सेवा के हेतु एक मास के लिये राज्य में जाने की इजाजत के लिये पत्र डाल दिया। कुछ दिन बाद ही स्वीकृति का पत्र मिला। इसे पाते ही वैद्य जी अपने लड़के के साथ बीकानेर केलिए रवाना हो गये। चौथे दिन जब बीकानेर स्टेशन पर पहुँचे तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। १ माह के लिये राज-आज्ञा मिलने की बात भी किसी ने नहीं मानी। दुर्भाग्य से दिल्ली स्टेशन पर कुछ कागजों की चोरी हो जाने पर आज्ञा का कागज भी उन्हीं के साथ चला गया था। अन्त में पुलिस ने तीन दिन की पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ा, तब कहीं वे डूँगरगढ़ पहुँचे और नानी तथा माता के दर्शन किये। पुलिस की तरी अभी समाप्त नहीं हुई थी। दूसरे दिन ही अमरचन्द नाम का थानेदार कुछ सिपाहियों के साथ घर जा पहुँचा और गिरफ्तार कर लिया। थानेदार से सच्चा हाल कहने पर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। हवालात की जिस कोठरी में श्री सवाराम को रखा गया था, वह बहुत ही छोटी और गन्दी थी। गरमी के दिन थे, बिना पानी पिये और खाना खाये हवालात का कष्ट सहना पड़ा। उक्त थानेदार के पास जब दूसरे दिन एक आदमी यह खबर लेकर लौटा कि वैद्यजी को १ माह तक रहने की आज्ञा दे दी गयी है, तब इस नरक से उनका पीछा छूटा। इधर नानी का स्वर्गवास हो चुका था। यह अच्छा हुआ कि दाह संस्कार नहीं हो पाया था, अतः उसे श्री सवाराम ने आकर कर दिया। श्राद्ध कर्म आदि करके बाप-बेटे बीकानेर चले आये। एक महीना पूरा होने के पहले ही निर्वासित नेता ने कलकत्ते के लिये प्रस्थान किया और वहां पहुँच कर रिलीफ सोनागाछी में काम जारी कर दिया।

४८. प्रशंसा पत्र प्राप्त

सोनागाछी में आयुर्वेद सम्बंधी कार्य को सुचारु रूप से करने के

मारवाडी सोसाइटी की ओर से प्रशंसा पत्र मिला। महामहोपाध्याय श्रीगणनाथ सेन के पुत्र डा० श्री सुशील चन्द्र सेनने आयुर्वेद शास्त्री तथा बंगाल सरकार की आयुर्वेद फैकल्टी ने अपने सर्टीफिकेट वैद्यजी को दिये।

४६. अ० भा० यूथ लीग

इतने दिन कलकत्ते में रहने के कारण श्रीमघाराम का सम्पर्क अनेक व्यक्तियों से हो गया था। वे अक्सर श्री सूर्य वंश सिंह के साथ किसान और राजनीतिक सभाओं मे जाया करते थे। बाजार कांग्रेस कमेटी के वे सदस्य बन गये। इसीबीच श्री दिनेश बोस और श्री ज्वाला प्रसाद के आग्रह से वैद्य जी को अखिल भारतीय बडा बाजार यूथलीग सभा का मंत्री बनना पडा। इन के समय मे यूथ लीग की ओर से ब्लैक-हाल का आन्दोलन चला और ढाका-नारायण गंज के साम्प्रदायिक दंगे से पीडित जनता की सहायतार्थ धन एकत्र कर कार्य किया गया। (यूथलीग की ओर से निकाली गयी अपील की नकल परिशिष्ट में देखिये)

५०. प्रचार कार्य

कुछ समय बाद श्री दिनेश बोस को एक राजनीतिक अभियोग में सजा हो गयी। जब श्री मघाराम के भाई कलकत्ते आगये तो उन्हों मारवाडी रिलीफ सोसाइटी से त्यागपत्र देकर यूथ लीग के संबध में बंगाल का दौरा किया। प्रचार कार्य के सिलसिलेमें आपने बुगडा, चनार पाडा, लाल मनिहाट, चावडाहाट, कूंचबिहार, अलीपुर द्वार और जयंती आदि का दौरा किया। दौरा करते हुये श्रीमघाराम बीमार हो गये और कलकत्ता वापस चले आये।

५१. पुनः बीकानेर आना

दौरे से कलक आकर आपने अपनी बीमारी मे छुटकारा पाया और

निर्वासन आज्ञा के संबंध में बीकानेर महाराज से लिखा पढ़ी कर दी। कुछ समय पश्चात् ही बिना शर्त राज्य में घुसने की का पत्र आगया, अतः आप बीकानेर लौट आये। यहां आकर आपने अपने पुराने स्थान पर—माजीसाहब के मुहल्ले में, औषधालय खोल कर वैद्यक का काम चालू कर दिया।

ती रा अध्याय

इस अध्याय में:—

१. प्रजापरिषद की स्थापना, २ नेताओं की गिरफ्तारियां, ३ जन-जाग्रति के लिये प्रयास, ४ अंधेरगिर्दी, ५. बीकानेर में तिरंगा, ६. सत्याग्रह के बाद, ७. स्वतंत्रता दिवस, ८ गिरफ्तारियां, ९. कार्यकर्ताओं की रिहाई, १० रेजगी का मामला, ११. झूठ बुलवाने का प्रयत्न, १२. पुलिस की जालसाजी, १३. सवाद काण्ड, १४ यह हुल्लड़ बाज, १५ प्रजापरिषद का पुनः संगठन; १६. श्री दाऊदयाल की रिहाई, १७ नागौर का सम्मेलन, १८ वाचनालय की स्थापना, १९ संगठन के लिये दौरा।

१. प्रजापरिषद की स्थापना

२२ जुलाई १६४२ को सर्वश्री रघुवरदयाल गोयल और रामनारायण आचार्य आदि व्यक्तियों ने श्री रावतमल पारीक के मकान पर एक बैठक की जिसमें प्रजा मण्डल के स्थान पर प्रजा परिषद नामक राजनीतिक संस्था कायम की गयी। इस संस्था के श्री रघुवर-दयाल सभापति चुने गये। संभवतः ५–६ अगस्त को रेलवे स्टेशन के निकट ही परिषद का दफ्तर खोला गया। राज्य इन बातों को कब सहन कर सकता था। नवीन संस्था की स्थापना के १८ दिन बाद ही ९ अगस्त को श्री रघुवरदयाल को अकारण ही गिरफ्तार करके राज्य से निर्वासित कर दिया। परिषद के मन्त्री श्री गंगादास कौशिक को भी पुलिस की हिरासत में रखा गया।

२. नेताओं की गिरफ्तारियां

जनता में राजनीतिक चेतना लाने के लिये राज्य के कार्यकर्ताओं का संगठन करना आवश्यक जान पड़ा। अतः प्रजा परिषद का कार्य पुनः चालू कर दिया गया। परिषद के सदस्यों की एक सभा की गयी, जिसमें सर्वसम्मति से श्री रामनारायण आचार्य को अध्यक्ष और श्री रावतमल पारीक को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का मंत्री चुना। दूसरे दिन ही परिषद के दोनों पदाधिकारियों को बीकानेर सरकार की आज्ञा से गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं के साथ श्री गंगा दास कौशिक भी पकड़े गये, परन्तु बाद को उन्हें पुलिस लाइन से छोड़ दिया गया और मुहल्ले में ही नजरबंद रहने की आज्ञा लगा दी। इधर ८–१० दिन के बाद श्री आचार्य और श्री पारीक को भी शर्तें लगा कर छोड़ दिया।

श्री रघुवर दयाल को जब निर्वासन की आज्ञा देदी गयी तो वे जयपुर जाकर श्री हीरालाल जी शास्त्री के पास ठहर गये। इसके बाद उन्होंने भारत के प्रमुख नगरों का दौरा किया और बीकानेर में होने

वाले दमन के सम्बध में जनता की जानकारी बढ़ाई। कई महीने बाहर रहने के बाद आपने निर्वासन आज्ञा तोड़ कर बीकानेर में प्रवेश किया और गिरफ्तार कर लिये गये। श्री गंगा दास कौशिक ने भी नजरबंदी की आज्ञा को तोड़ा, अत: वे भी जेल भेज दिये गये। यही नहीं श्री रघुवर दयाल से मिलने जयपुर जाने वाले श्री दाऊदयाल आचार्य पर भी सरकार ने अपनी दृष्टि डाली और वे भी सींकचों के भीतर पहुंच गये। इन लोगों पर जेल में ही मुकदमा चला और श्री किशन लाल चोपड़ा, जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई करके श्री रघुवर दयाल गोयल को १ साल की जेल और १०००) जुर्माना तथा श्री गंगादास कौशिक को ६ महीने की जेल और ५००) जुर्माने का दण्ड दे दिया।

२. जन जाग्रति के लिये प्रयास

सरकारी दमन के कारण बीकानेर की राजनीतिक चेतना मारी सी गयी थी। गांधी टोपी और खद्दर पहनने से भी जनता को भय मालूम होता। ऐसी बिगड़ी हुई स्थिति में राजनीति के संबंध में विचार-विनिमय करना या प्रजा परिषद् का सगठन करने के सबंध में कदम उठाना तो किसी प्रकार भी संभव नहीं जान पड़ता था।

ऐसे समय में श्री सत्याराम ने जनता की गिरती हुई अवस्था को देख कर एक बार स्थिति को सुधारने की ठानी। इने-गिने कार्यकर्ताओं और कुछ विद्यार्थियों का गुप्त रूप से संगठन किया गया। प्रजामण्डल की ओर से परचे और विज्ञप्तियां जारी होने लगीं। इनके द्वारा राजनितिक बंदियों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गयी। इस मांग के पूरा न होने पर आन्दोलन करने की धमकी भी दी गयी। जनता और बीकानेर की सरकार को यह स्पष्ट होगया कि प्रजा-परिषद जीवित है। सरकार के सामने प्रजा परिषद को स्वीकार करने की मांग भी रखी गयी। इन पोस्टरों के वितरण और स्थान-स्थान पर चिपकाये जाने से जनता की नसों में कुछ-कुछ

गरम खून दौड़ने लगा। कई महीने तक यह काम चालू रहा। विद्यार्थी कार्यकर्ताओं आदि की मदद से परचे लिखे जाते और गुप्त रूप से उनका वितरण होता। बहुत समय तक सरकारी गुप्तचर परचे लिखने और चिपकाने वालों की खोज में रहे, पर उन को किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। जब पुलिस को किसी तरह पता न लगा तो उसने सीधे-साधे नागरिकों को धमकाना और राजनीति में रुचि रखने वालों के पीछे सी० आई० डी० लगा देना जारी किया। श्री मघाराम इस दमन से कैसे बच सकते थे। औषधालय और घर पर पुलिस और सी. आई. डी. के सिपाही वर्दी अथवा सादा भेष में चक्कर लगाया करते। आने-जाने वाले रोगियों का नाम लिखा और उनको धमकाया जाता। परिषद् के कार्यकर्ता श्री गोपाललाल दमाणी के घर पर भी पुलिस का पहरा लगने लगा। अखिल भारतीय चर्खा संघ की गोविन्दगढ़ [जयपुर] शाखा के व्यवस्थापक श्री देवीदत्त पंत का, जो बीकानेर में रहते थे, श्री पंत जी को खादी भण्डार बन्द कराया गया और उन्हें बाहर जाने को बाध्य होना पड़ा।

४. अंधेरगर्दी

राज्य के विभागों में बड़ी धांधली फैली हुई थी। बड़े से बड़े कर्मचारी रिश्वत लेने अथवा निजी व्यापार-कर रुपया चूसने में लगे हुए थे। जनता के काम में आने वाली आवश्यक वस्तुओं को बाजार से खींच लिया जाता और फिर मनमानी कीमतों पर जनता को दिया जाता। गरीब जनता के कष्ट अपार थे। न्याय विभाग अपने नाम को रंचमात्र भी समर्थक नहीं करता था। यदि किसी गरीब के पीछे कोई झूठा मुकदमा भी लग जाता तो उसे अवश्य ही जेल की यातनाओं को सहना पड़ता, क्योंकि धन के अभाव में न्याय का भी अभाव ही था। और विभागों का तो कहना ही क्या है। अस्पताल में भी

धांधली का धुंआं फैला हुआ था और खुले रूप में गरीबों का गला घोंटा जाता। उचित दवाई उसीको मिलती जो अमीर अथवा बड़ों की सिफारिश को रखने वाला होता। गरीब किसी भी बीमारी से कुत्ते की मौत मर जाय, इसकी परवाह अस्पताल के रिश्वतखोर कर्मचारियों को जरा भी नहीं थी। पुलिस विभाग के कर्मचारी जब साधारण समय में ही अन्याय करने में नहीं चूकते, तब अब तो राज्य में बहने वाली अन्याय की नदी में भी वह अच्छी तरह क्योंकि न हाथ धोते। बीकानेर में माल बेचने को आने वाले देहाती किसानों को पुलिस बुरी तरह तंग करती। जरा भी नानानूंच करने वाले व्यक्ति को कोट गेट में ले जाकर बुरी तरह पीट कर छोड़ दिया जाता। गरीब वर्ग की अवस्था का तो कहना ही क्या है। मध्यम श्रेणी की जनता भी बड़ा कष्ट पा रही थी। राज्य भर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गरीब जनता के कष्टों के सम्बन्ध में महाराज के पास खबर पहुँचाता सुन्दर बड़े मकानों में रहने, अच्छा कपड़ा पहनने और भर पेट खाने वाले सेठ-साहूकार ही महाराज के पास जाकर जनता के सुखी रहने के समाचार दे आते। महाराज को इतनी फुरसत कहां जो जनता के कष्टों के सम्बन्ध में सच्ची जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करें। इस प्रकार की व्यवस्था से राज्य में चारों ओर अन्याय, चोरी और रिश्वतखोरी का बोलबाला हो रहा था। गरीब किसानों को पट्टेदार, अरक्षित जनता को चोर, भले मनुष्यों को पुलिस और गुण्डे लूटने में लगे हुए थे। किसानों को चूसने के लिये लाग-बाग और झूठे मुकदमें सदा मुंह फाड़े रहते। ऐसी हालत में जनता को शिक्षा और अन्य सुविधाएं आदि की सुव्यवस्था करने के सम्बन्ध में सोचने की किस को पड़ी।

५. बीकानेर में तिरंगा

इस बिगड़ी हुई अवस्था में प्रजा परिषद् के कार्यकर्त्ता परचे और विज्ञप्ति आदि के द्वारा प्रचार कर चेतना लाने का प्रयास करते, पर

विशेष सफलता नहीं मिल रही थी। अत. श्री मघाराम ने अपने सहयोगियों के साथ झण्डा सत्याग्रह आरम्भ करने का निश्चय किया। यह सत्याग्रह ६ दिसम्बर १९४२ को आरम्भ हुआ। बीकानेर के इतिहास में पहलीबार वैद्य जी के पुत्र श्री रामनारायण ने उस दिन दोपहर के दो बजे वैद्यों के चौक में तिरंगा झण्डा फहराया। वहां से वह मोहतों के चौक से होता हुआ दाऊजी के चौक तक पहुंचा। इस बीच में राष्ट्रीय नारों की गूंज उत्तरोत्तर संख्या में बढ़ती जाने वाली जनता के अनुरूप ही तेज हो रही थी। जनता में पुन. चेतना आ गयी और दमन से दबे प्राणी कुछ कमर सीधी करने का साहस करने लगे। दाऊजी के मन्दिर के निकट पहुंचते-पहुंचते लगभग १००० आदमियों का जलूस बन गया। वहां श्री रामनारायण को राष्ट्रीय झण्डा फहराने और 'इन्कलाब जिंदाबाद' के नारे लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया।

६. सत्याग्रह के बाद

सत्याग्रह करने के बाद श्री रामनारायण को तेलीवाटे के चौक में गिरफ्तार करके पुलिस कोतवाली ले गयी और बाद में 'सिविल कोतवाली (चान्दमल ढढ्ढे की कोठी) के दफ्तर में रात को रखा। इस रात पुलिस ने मनमानी यातनाएं दीं—रात भर खड़ा रखा और पीटा भी। जब उन्हें किसी तरह काबू में आते नहीं देखा तो अदालत के सुपुर्द कर दिया और भारतीय दण्ड विधान की १८७ वीं के अधीन झूठा मुकदमा लगा दिया गया। गुण्डों द्वारा रुपये छीनने के उस पुराने मुकदमे को, जिसमें राजीनामा हो गया था, फिर से हरा किया गया। सरकार ने बहुत चेष्टा की कि राष्ट्रीय झण्डा फहराने की बात को दबा दे, परन्तु यह सब अब सम्भव नहीं था। नगर ही नहीं समस्त राज्य झण्डा-सत्याग्रह के सम्बन्ध में जान चुका था। गिरफतारी के ४-५ दिन बाद श्री मघाराम ने

राम नारायण की जमानत पर छुड़ा लिया और आनरेरी मजिस्ट्रेट के यहां मुकदमा चलता रहा।

७. स्वतंत्रता दिवस

सन १९४३ का स्वतंत्रता दिवस निकट आ रहा था। २६ जनवरी के राष्ट्रीय दिवस को मनाने का निश्चय हुआ। जनता को ३-४ दिन पहले परचे बांट कर सूचना दे दी गयी कि लक्ष्मीनाथ के बाग में राष्ट्रीय दिवस मनाने का आयोजन है। इस राष्ट्रीय पर्व पर जनता से सहयोग करने की अपील की गयी। इस आयोजन की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी प० जगदीश प्रसाद और प० गोवर्धन लाल ने श्री मघाराम को बुला कर स्वतन्त्रता दिवस न मनाने के लिए बहुत कुछ कहा। जब इनकी एक न चली तो न मनाने देने की चुनौती दी गई। इस भेंट के बाद ही वैद्य जी और परिषद् के अन्य कार्य-कर्ताओं के पीछे पुलिस के कर्मचारी लगा दिए गये। २५ जनवरी को तो घर पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, लेकिन सब की आंख में धूल डालकर वैद्य जी घर के बाहर आ गये। बहुत रात तक शहर में घूम कर प्रचार कार्य करते हुए वह श्री भीखा लाल के साथ सैसोलाव तालाब पर रहने वाले नागा बाबा के पास पहुंचे। एक घंटे वहां बातचीत करने के बाद जब लौटे तो देखा कि सी. आई. डी. पीछे लगी हुई थी, पर दोनों कार्यकर्ता बिना किसी गड़बड़ी के अपने अपने घर पहुंच गये।

२६ जनवरी को प्रातःकाल ८ बजते-बजते श्री मघाराम उठे और स्नान आदि से निवृत्त हो माता जी के हाथका बना भोजन खाकर ९॥ बजे तक बाहर निकल दिये। आपने लगभग ६ फुट लम्बा तिरंगा झण्डा लेकर कमर में बांधा और ऊपर से कोट पहन लिया। मार्ग में श्री भीखा लाल को लेकर वह लक्ष्मीनाथ के बाग की ओर चले। सभा स्थल पर पहले ही से भीड़ जमा थी। श्री रघुवर दयाल की

धर्मपत्नी और उनकी लड़की कुमारी चन्दुबाई, स्वामी काशी राम और पन्ना लाल राठी आदि कार्यकर्ता भी वहां उपस्थित थे। श्री मघाराम ने सभा स्थल पर पहुंच राष्ट्रीय झण्डे को एक लम्बे बांस में लगा कर गगनभेदी राष्ट्रीय नारों के बीच फहरा दिया। वन्देमातरम् गायन समाप्त करके जनता ने अपना निश्चय पूरा कर दिखाया। सभा विसर्जन कर राष्ट्रीय जलूस घास मण्डी होता हुआ कोट गेट पहुंचने वाला था, परन्तु घास मण्डी के निकट पहुँचते ही लाठी बंद पुलिस ने आघेरा। पुलिस के इन्सपेक्टर कुन्दनलाल, लक्ष्मी नारायण और जगदीश प्रसाद सिपाहियों के साथ थे। इन अधिकारियों के कहने पर पुलिस वालों ने जनता पर आक्रमण कर दिया, जिस के फल स्वरूप कुछ समय तक हाथापाई हुई।

८. गिरफ्तारियां

पुलिस जनता पर आक्रमण करके ही शान्त नहीं होगयी, उसने सर्व श्री मघाराम, पं० भिखी लाल और पन्नालाल राठी को गिरफ्तार कर लिया। जनता शांत थी। उसने अपने नेताओं को जय घोष और राष्ट्रीय नारों के बीच विदा किया।

इन तीनों नेताओं को कोतवाली में लेजाकर अलग अलग रखा गया। आई. जी पी दीवान चन्द और डी० आई० जी० पी० गोवर्धन लाल ने कोतवाली पहुंचकर इन तीनों व्यक्तियों को बुरी तरह फटकारा। जब उन लोगों ने देखा कि हमारी बातों का किसी पर कुछ भी असर नहीं होता है तो अपनासा मुंह लेकर चले गये। कुछ समय बाद श्री रामनारायण को भी गिरफ्तार करके वहीं भेज दिया गया। रात होने पर इन चारों व्यक्तियों को सिविल कोतवाली के दफ्तर में लेजाकर अलग-अलग स्थानों में बंद कर दिया। दूसरे दिन श्री पन्ना लाल राठी को अन्यत्र भेज दिया गया।

पुलिस को अभी चैन नहीं था। उसने श्री जीवनलाल डागा के

मकान की तलाशी ली, ३–४ राष्ट्रीय झण्डों को बरामद किया और श्री डागे को गिरफ्तार कर लिया।

इन नेताओं को ५-६ दिन हिरासत में रखने के बाद सदर निजामत में श्रीमनोहर लाल नाजिम के सामने पेश किया और हथकड़ी डाल कर दोनों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। वहा के जेलरने जब श्री मघाराम को स्नान नहीं करने दिया, तो उन्होंने इस साधारण मानवीय अधिकार को पाने केलिये भूख हड़ताल कर दी। तीसरे दिन स्नान करने और १-२ घंटे कोठरी के बाहर टहलने की छूट देदी गयी।

९. कार्यकर्ताओं की रिहाई

राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में गये लगभग १ महीना हुआ होगा कि बम्बई में महाराज गंगा सिंह का देहान्त हो गया। उनके पुत्र श्री शार्दूल सिंह गद्दी पर बैठे। नये महाराज के गद्दी पर बैठने के १२ दिन बाद सर्वश्री रघुवर दयाल गोयल दाऊलाल और गंगादास कौशिक को राजा के सामने पेश करके छोड़ दिया। दूसरे दिन ही श्री भीखा लाल को भी रिहा कर दिया। जेलमें श्री नेम चन्द आंचलिया ने अधिकारियों की ज्यादतियों के कारण भूख हड़ताल कर रखी थी, परन्तु अधिकारियों ने उन्हे भी छोडकर अपना पीछा छुड़ाया। अब केवल वैद्यजी जेलमें इसलिये रह गये कि वे रिहाई के लिये महाराज के पास जाने को तैयार नहीं थे। अंतमें चार दिन बाद उन्हें भी जबरदस्ती छोड़ दिया गया।

१०. रेजगी का मामला

रिहा होकर श्री मघाराम ने अपने औषधालय में करना आरम्भ कर दिया। इस सेवा कार्य के साथ साथ राजनीतिक प्रचार भी धीरे-धीरे चालू था। पुलिस को यह सब कैसे अच्छा लग सकता था। पुलिस ऐसे मौके की

में थी, जिससे वैद्यजी पर कोई नया मुकदमा दायर किया जा सके। इस समय बीकानेर में खेरीज मिलना कठिन हो रहा था। रेजगी का काम करने वालों ने ४ से ६ आने तक बट्टा लेना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिये उस समय के अर्थ और गृह मन्त्री महाराज नारायण सिंह ने कुछ पूंजीपतियों की तलाशी लेना आरम्भ किया। इसी अवसर पर महाराज नारायण सिंह के विरुद्ध एक छपा परचा निकला, जिसमें लिखा था कि उक्त अधिकारी की आज्ञा से तलाशी के समय साहूकारों की बहू-बेटियों की इज्जत का भी ध्यान नहीं रखा गया तथा भूतपूर्व महाराज के समय में रुपया गबन करने के कारण श्री नारायण सिंह को निकाला गया था, अतः यह उस बड़े पद पर रहने के योग्य नहीं ।

पुलिस जब परचे निकालने वाले का पता न लगा सकी, तो डी. आई. जी. ने श्री मघाराम को बुला कर उस परचे के सम्बन्ध में पूछा। इसके बाद उसी जानकारी के लिये महाराज नारायण सिंह के पास ले जाया गया। इसी बीच माजी साहब के मुहल्ले के भाणिया प्रोहित की दूकान पर वही कुछ परचे बरामद हुए। भाणिया ने अपने को निर्दोष बतलाते हुए कहा कि मैं तो बेपढ़ा हूँ और परचे मुझे मार्ग में पड़े मिल गये थे। पुलिस उसे कब छोड़ने वाली थी। उस गरीब को १५—२० दिन तक महान कष्ट देने के बाद इस बात पर राजी कर लिया गया कि वह वैद्यजी का नाम ले दे, क्यों कि उनका औषधालय उसी गली मे था। बात ठीक होने पर वैद्य जी को लखमी नारायण सी० आई० डी० को भेज कर श्री गोवर्धन-लाल के घर बुलाया गया। पुलिस विभाग के अन्य अफसर जैसे ठा० जसवन्त सिंह, श्री जगदीश प्रसाद और श्री कुन्दन लाल आदि बैठे भी हुए थे। वहां पहुँचने पर श्री मघाराम से उसी परचे के संबंध मे प्रश्न किये गये। जब उन लोगों को सूखा उत्तर मिला तो भाणीया प्रोहित को सामने बुला कर इच्छानसार कहलवाने की चेष्टा की गयी। कष्टों का

भय होते हुए भी भाणीया की आत्मा इस बात की गवाही देने को तैयार नहीं हुई कि वैद्य जी ने वह परचे उसे बांटने को दिये थे। पुलिस अधिकारियों ने अनेक चेष्टाएं कीं परन्तु उसने हर बार यही कहा कि मुझे सडक पर पड़े मिले थे। पुलिस को इस से चैन कहां ? आखिर दो घण्टे की मार के बाद उसको पुलिस अधिकारियों की इच्छानुसार ही कहना पड़ा। पुलिस के इस प्रकार के रवैये का श्री मघाराम ने घोर विरोध किया और स्पष्ट जालसाजी बतला कर वे अपने घर को लौट दिये।

कुछ दिन बाद सायंकाल को जब श्री पन्नालाल राठी के यहां से वैद्यजी लौट रहे थे तब उनके भाई सेगराम ने सूचना दी कि पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट जसवंत सिंह तलाश में फिर रहा है। इतने में ही स्वामी लक्ष्मण दास ने भी आकर वही बात कही और कोतवाली चलने की राय दी। अन्त में यह निश्चय हुआ कि श्री मघाराम तो रेलवे स्टेशन पहुंचें और श्री राम-नारायण तथा स्वामी जी कोतवाली जायें। इन दोनों के कोतवाली पहुंचने पर रामनारायण को तो हिरासत में बैठा लिया और सीशराम को गिरफ्तारी करने स्टेशन भेजा गया। गिरफ्तार करके जब श्री मघाराम को कोतवाली में बैठे हुए अनेक अफसरों के सामने पेश किया गया तो उसी परचे की पूंछताँछ जारी हो गयी। इसी मामले में श्री गोपाल लाल दमाणी को भी गिरफ्तार कर रखा था। जब उन लोगों की किसी तरह पेश न चली तब श्री जसवंत सिंह ने शराब पीकर धमकाना शुरू किया। उसने श्री मघाराम को मार डालने की धमकी देते हुए कहा कि हम लोगों ने अनेक व्यक्तियों को रस्सी से बांध कर तालाब में डाल दिया, पर कोई भी बालबांका न कर सका। उन्हें रातभर इसी तरह तंग किया। गोपाल लाल दमाणी को जब वैद्य जी के सामने लाया गया तो उसने केवल यही कहा कि वह बम्बई गये थे। श्री मघाराम से पुलिस यह कहलवाना चाहती थी कि गोपाल लाल दमाणी

। जो परचे मुझे दिये वही भाणिया प्रोहितों को देदियें, लेकिन वैद्य जी झूठ बोलने को तैयार नहीं हुए। दूसरे दिन भी वही तगी जारी रही। अब पुलिस यह चाहने लगी कि महाराज मानधातासिंह को इन परचों का छपवाने वाला बतला दिया जाय। इस झूठ को भी जब स्वीकार नहीं किया गया तब पुलिस ने भयंकर यातना देने का इरादा किया।

११. झूठ बुलवाने का प्रयत्न

दूसरे दिन भी इसी प्रकार की चेष्टाएं चलती रहीं। कोतवाली में पुलिस के अधिकारी एकत्र होते और मनमानी झूठ बुलवाने केलिये सब तरह से प्रयास किये जाते। इन कुचेष्टाओं मे जब वे लोग रात के १० बजे तक सफल न हो सके तो जसवंतसिंह यह कहता हुआ चला गया कि "मैं तो जाता हूं, तुम लोग इसकी अक्ल ठीक करो।" उसके चले जाने पर पुलिस वालों ने जो यातनाएं श्री मघाराम को दी उनका शब्दों के द्वारा वर्णन करना कठिन है। उन कष्टों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने पर यह विश्वास करने में संदेह होने लगता है कि पुलिस के वे कर्मचारी मानव ही थे। यातना देने का प्रकार भी अपना अनोखा ही था। एक बड़ाभरी पलग दफ्तर के कमरे में मगाया गया। मीर साहब थानेदार ने श्री मघाराम के दोनो हाथों को पीछे और पैरों को चौड़ा कर पायों से बंधवा दिया। सिपाहियों से दो खाकी साफे ले कर पलंग और गर्दन में इस तरह डाले गये कि पीछे से बल दे कर महान कष्ट पहुंचाया जा सके। यह सब तैयारी हो जाने पर मीर साहब, पं. जगदीश प्रसाद, सीताराम और कुन्दनलाल पीछे बैठ गये। इन लोगों ने एक लकड़ी की सहायता से साफे में ज्यों-ज्यों बल दिया त्यों-त्यो वैद्यजी की जांघों की नाड़ियां खिचने लगीं। इसी तरह शरीर के अन्य भागों को महान कष्ट पहुंचने के कारण वे बेहोश हो गये। कुछ समय के बाद जब होश आया तो उन नराधमों ने झूठ बोलने के लिये फुसलाया। श्री मघाराम ने उन सबको यही उत्तर दिया

कि सबको एक-न-एक दिन मरना है। मरने के भय से झूठ नहीं बोला जा सकता। यह सुन कर उन लोगों का क्रोध और भी चढ़ गया और फिर पहले के समान कष्ट दिया, जिसके कारण ४-५ घण्टे तक बेहोशी रही। जब होश आया तब वैद्य जी के हाथ-पैर खोले गये। कष्ट के कारण पैरों से चलना कठिन हो गया था। यह हालत देख कर पुलिस वाले उन्हें बाहर ले गये और तेल की मालिश कर गरम पानी से सफाई की।

पुलिस के इन अमानुषिक अत्याचारों के विरोध में वैद्य जी ने रोटी खाना छोड़ दिया। अत्याचारों की खबर जब नगर में फैली, तो जनता को अपने नेता के जीवित रहने में भी संदेह होने लगा। अफवाह फैल गयी कि श्री मघाराम को मार कर जंगल में फेंक दिया गया है। इस प्रकार के समाचारों को पाकर जब उनके घरवाले कोतवाली पहुँचे तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें ज्ञात हुआ कि वैद्य जी जीवित हैं। हवालात से ले जाकर दो दिन तक इन लोगों को पुलिस लाइन में रखा गया। तीसरे दिन ठा० जसवन्तसिंह को नयी सूझ आयी। उन्होंने अपनी मोटर में श्री मघाराम को बिठाया और साथ में छीदनलाल पेशकार तथा कुछ सिपाही लेकर जंगल की ओर मोटर चला दी। गजनेर के मार्ग पर चलते हुए उन लोगों ने यह धमकी देना आरम्भ किया कि अगर मघाराम पर्चों का रहस्य नहीं खुलेगा तो उसे जंगली सूअरों के स्थान पर शिकार बनने के लिये छोड़ दिया जायगा। जब उन लोगों की धमकियों का कुछ असर न हुआ, तो हार कर गंगानगर के थाने में बंद कर दिया। उस थाने में भी पुलिस वाले पहुँच गये और डरा धमका कर झूठी बातें कहलवाने की चेष्टा करते रहे। इतने में ही ठा० जसवन्तसिंह और गोवर्धनलाल वहां पहुंचे तथा एक लारी में श्री मघाराम को बिठा कर उनके घर के पास ही रात के १ बजे के लगभग छोड़ गये। वैद्य जी के घर पहुँचने से पहले उनके पुत्र ने हैबियस कारपस नियम के आधीन हाईकोर्ट की अदालत में अर्जी दे रखी थी। उस प्रार्थना-

श्री हरदत्तसिह जी

आप मुंशिफी से स्तीफा देकर प्रजा परिषद के काम में लग गये हैं। आपको नौ मास की सजा हुई है।

पं. हीरालालजी

बीकानेर राज्य प्रजापरिषद की कानपुर शाखा के प्रधान। आपको तीन वर्ष की जेल की सजा हुई है।

श्री किशनगोपलजी सेवक
कुधवालारा-काण्ड में आपने नौ मास
की सजा वैद्य मघारामजी
के साथ काटी थी।

श्री रामनारायण शर्मा
वैद्य मघाराम जी के सुपुत्र। परिषद्
के अनथक कार्यकर्ता।

पत्र पर ही जज महोदय ने शीशराम कोतवाल को आज्ञा दी कि ३ दिन के अन्दर मघाराम को पेश किया जाय। शायद यह रिहाई उसीका फल था। दूसरे दिन अपनी डाक्टरी परीक्षा कराने के बाद श्री मघाराम श्री र दयाल के पास पहुंचे और उनकी सलाह से पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा चला दिया गया। श्री गोपाललाल दमाणी ने भी जुर्म ३३० ता. हि. में मुकदमा दायर कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में तीसरी पेशी होने पर जगदीश प्रसाद शीशराम, कुन्दनमल, छीदूनलाल और मीरसाहब से ५००)-५००) की जमानत मांगी गयी। श्री नृसिंहदास डागा ने उन पुलिस के अत्याचारी अफसरों को जमानत पर छुड़ा लिया। आगे चलकर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल की चेष्टा से उक्त अफसरों को बरी कर दिया गया।

१२. पुलिस की जालसाजी

इधर वैद्य जी का मुकदमा दायर था उधर दबाव डालने के विचार से श्री रामनारायण पर झूठा मुकदमा दायर किया गया। मामला निम्न प्रकार से था—

श्री मघाराम के लड़के रामनारायण ने गणेशदास ब्राह्मण से १२५) में एक इक्का-घोड़ा खरीदा। स्थान ठीक न होने के कारण खरीदा हुआ सब माल बिक्री के कागजों सहित उक्त ब्राह्मण के पास ही रहा। पुलिस वालों ने गणेशदास और उसके दोस्त किशनदास को मिला लिया। इन लोगों ने रामकिशन डागे से मिल कर नया षड्यन्त्र रचा। रामकिशन डागे ने निम्न रिपोर्ट बीकानेर की कोतवाली में दर्ज कराई—

"रामकिशन वल्दधेरूलाल कौम डागा, साकिन बीकानेर मुहल्ला डागान ने सिटी कोतवाली में इतला दी कि २ माह से कलकत्ता गया हुआ था। जाते वक्त ८४००) के नये नोट १००-१००), १०-१०) व ५-५) व १-१) के पेटी सन्दूक में छोड़ कर ताला बंद करके चाबी

पेटी औरत खुद को दे गया था। १०–१०), ५-५) और १–१) के नोट बिल्कुल नये थे। नोटों की १००--१००) की गड्डी बंधी हुई थी। मेरे जाने के बाद चाबी व पेटी औरत के पास रही। वक्तन-फवक्तन मेरे लडके जगन्नाथ बहादुर के पास भी रहा करती थी। मै जब कलकत्ते से वापस आया, तो कपड़े और नोट सम्हाले, तब मालूम हुआ कि ५-५) के १५००) के व १-१) के १००) कुल मिला कर १६००) के नोट गायब हैं। मैंने अपनी औरत से नोट कम होने की बाबत पूछा, तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं, जगन्नाथ से पूछो। मैंने जगन्नाथ से पूछा तो उसने बतलाया कि अरसा करीब २०-२५ दिन पहले एक रोज दिन के वक्त रामनारायण वल्द मघाराम ब्राह्मण ने मुझे अपने घर के पास पकड़ लिया और छुरी दिखा कर कहा कि तुझे अभी जान से मार दूंगा वरना घर से काफी रुपया लाकर मुझे दे। उससे मैं डर गया और घर आकर १६००) के नोट, जिनमें ५--५) के १५० और १--१) के १०० नोट थे, रामनारायण को दे दिये। जाती दफा रामनारायण ने कहा, अगर रुपयों की बाबत किसी से कहा तो छुरी से काट दूंगा। आज दिन भर रामनारयण की तलाश की, मगर वह कहीं छिप गया। यह मालूम हुआ है कि उसने ६२५) में गनेश राम वल्द गोपाल ब्राह्मण, मुहल्ला लखोटियान को इक्का, घोड़ा खरीदने के लिये दिये हैं। पूंछने पर गनेश दास ने तसलीम किया कि ६२५) राम नारायण ने मुझे दिये हैं। उस समय राम नारायण भी वहा आगया और गनेश को रुपया वापिस देने को धमकाया। मघाराम व रामनारायण की माली हालत बहुत खराब है। पूछताछ से पता चला है कि वह ६२५) मेरे लड़के से खोसे हुए में से हैं। मघाराम उन रुपयों को वापस ले कर हजम करने की कोशिश में है। रपट देता हूँ, तफतीश की जावे।"

पुलिस ने रिपोर्ट पर जुर्मदफा ३९२ ता० हिन्द का परचा लिखजांच करदी। रिपोर्ट के अनुरूप ही जगन्नाथ ने अपना बयान दिया।

यहां यह ध्यान में रखने की बात है कि जसूसर और कोटगेट के बीच जहां छुरी दिखा कर धमकाना बताया गया था, वहां का रास्ता बहुत चलता है। ऐसी अवस्था में यह कैसे सम्भव हो सकता है कि जगन्नाथ को छुरी दिखलायी गयी, पर रास्ता चलने वाले किसी व्यक्ति ने देखा तक नहीं। दूसरा यह कैसे माना जा सकता है कि ५–६ घर वालों के रहते हुए घर में से गये हुए रुपये का २०—२५ दिन तक पता न चले। इन बातों से भी स्पष्ट होता है कि जब पुलिस साथ देती है तो मामला सरासर झूठ होते हुए भी चालू किस प्रकार किया जाता है।

कुछ समय के बाद रामनारायण की गैरहाजरी में पुलिस ने सिटी-मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला पेश करा दिया। जब यह हाल वैद्य जी को मालूम हुई तो उन्होंने श्री ईश्वर दयाल वकील की मार्फत रामनारायण को पेश कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसे २ हजार की जमानत पर छोड़ दिया गया।

रामनारायण के मामले में पुलिस ने जो आखिरी रिपोर्ट १५ नवम्बर १९४४ को पेश की थी उसकी नकल नीचे दी जाती है —

जनाब आली

वाकयात मामला इस तरह पर है कि राम किशन मुस्तगीस ने तारीख १७-१२-४३ में व इनचार्ज ठा० अनूप सिंह जी इन्सपेक्टर दी, वह कलकत्ता जाती दफा ८,४००) के नोट सदूक में रखकर संदूक के ताला लगा कर, चाबी औरत खुद को दे गया था। वापसी पर १,६००) के नोट नहीं मिले। लड़का जगन्नाथ की जबानी पाया गया कि बधूड़ा (रामनारायण) वल्द सवाराम स्वामी, बीकानेर, ने मेरे को छुरी का खौफ दिखाकर घर से रुपया मगवा लिया, इस इत्तला मुस्तगीस मुकदमा दफा जुर्म ३९२ आई. पी सी० दर्ज रजिस्टर करके तफतीश की गयी। दौरान तफतीश में ८६४) के नोट गणेश दास वल्द राम गोपाल ब्राह्मण बीकानेर से बरामद हुए, जिनसे कि मुलजिम ने घोड़ी-इक्का खरीद किया था। अब साहब सुपरिटेण्डेण्ट सिटी

हुक्म सादिर हुआ है कि साहब आई जी पी बहादुर ने मामला इस्तगासा बिलजब्रमाना है। फाइनल रिपोर्ट पेश की जाय, लिहाजा फाइनल रिपोर्ट पेश करके अर्ज है कि मुकदमा ३६२ ता रा. बीकानेर खारिज कर दिया जावे। मेरी राय में ८६४)- व घोड़ी-हुक्का जिन्स बरामद किये गये हैं उसको वापस किया जाना चाहिये। आइन्दा हुक्म हुजूर आली है चूंकि जुर्म इस्तगासा बिलजब्र, नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस है, जिसकी बाबत मुस्तगीस चारा जोई अदालत मजाज करे। नतीजा मुकदमा की इत्तला जरिये हुक्मनामा बमुकाम कलकत्ता रवाना कराया जावेगा। मुस्तगीस कलकत्ते रहता है। सदर ता: द० ठा० रामसिंह जी, इन्सपेक्टर पुलिस सिटी १६५,१२७,१५.११. ४४

एस० पी० सी०

असल हाजा में मिसल व गर्ज डूगराजी पर्चा बसीगा अदम वकूआ मुरत्तिब करके तस्दिया खिदमत है कि बाद मुलाहिजा व मुकदमा बसीगा अदम वकूआ फरमाया जाकर परचा खारिज करने का हुक्म फरमाया जावे और रुपया बरामद मुस्तगीस को मिलने का हुक्म फरमाया जावे ।

ता० १८ ११. ४४

द० पं० गोरधन लालजी,
डी० आई० जी० पी०

वास्ते मुलाहिजा अदालत सिटी मजिस्ट्रेट सदर के पेश हो। ता० २३-११--४४

हुक्म अदालत सिटी मजिस्ट्रेट—I agree (मैं सहमत हूँ)
ता० १६-१२-४४

द अमरसिंह जी राजवी, सिटी मजिस्ट्रेट सदर बीकानेर।

ऊपर लिखे ढंग पर रामनारायण के खिलाफ झूठा मामला तैयार कर लिया गया था। लेकिन झूठ का भेद भी अधिक छिपाया नहीं

छिपता। सबूत पूरा करने के लिये गणेशदास ने रामकिशन डागे से नये नोट बदला कर लिये थे और इस भेद को किशनदास स्वामी जानता था। इसी तरह बरामत हुए नोटों में ६१) की कमी थी जिसका कोई सबूत नहीं था। मजिस्ट्रेट के सामने जब मामला पेश हुआ और गवाहों के बयान हुए तो अदालत ने पुलिस के साथ मिला कर धोखेबाजी करने का जुर्म मान लिया। मामला पलट गया। पुलिस, गणेशदास और रामकिशन डागे की गुटबन्दी की पोल खुल गयी।

लड़के को ही नहीं, पिता को भी झूठे मुकदमे में फसाने की चेष्टा की गयी। २२ दिसम्बर १९४३ को पुलिस के गुर्गे मोहन लाल श्रीमाली ने श्री मघाराम के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। मोहन लाल का कहना था कि एक दिन मघाराम मुझे रतन विहारी के बाग में ले गये और वहां ऐसा पान खिलाया कि मैं दोपहर १२ बजे से सायंकाल ४ बजे तक बेहोश रहा। इस बेहोशी की अवस्थ में अंगूठे पर स्याही लगा कर किसी दस्तावेज पर निशानी कराली।

सबूत को पूरा करने के लिये पुलिस के अधिकारी ठा० जसवंतसिंह और श्रीराम रिपोर्ट करने वाले मोहन लाल को बड़े अस्पताल ले गये। वहां डाक्टरों पर दबाव डाला गया कि वे परीक्षा में जहर देना लिख दें, परन्तु भले डाक्टरों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। उन लोगों ने यहां तक लिख दिया कि मोहन लाल झूठ बोलता है, इसे न जहर और न कोई नशीली वस्तु ही दी गयी है। पुलिस ने चाहा था कि धारा ३२८ ता. हिन्द के अनुसार मघाराम पर हत्या करने आदि का मुकदमा चलाया जाय, परन्तु उस के मनसूबों पर पानी फिर गया। आगे चलकर १७ फरवरी १९४४ को मजिस्ट्रेट ने मुकदमे को खारिज कर दिया।

यह सारी मुकदमेबाजी पुलिस के कई अफसरों के विरुद्ध श्री मघाराम द्वारा चलाये गये मुकदमे का जवाब थी। सरकारी अफसरों के विरुद्ध मुकदमा जारी रखकर उसे साबित करदेना आसान काम

नहीं होता । यह सब कठिनाइयां होते हुए भी, पुलिस के पांच कर्मचारियों पर जुर्म लग चुका था। अंत में सिटी मजिस्ट्रेट ने उन सब को, पूरा सबूत होते हुए भी, बरी कर दिया ।

इस प्रकार के सरकारी रवैये से अत्याचारी अफसरों को प्रोत्साहन मिला, नगर में चोरियों का तांता लग गया। जो भी मनुष्य इन कष्टों की रिपोर्ट कोतवाली में लिखाने जाता, उसी पर मार तक पड़ती। पुलिस की मनमानी के साथ-साथ जनता के कष्ट बढ़ते चले जा रहे थे। साधारण स्थिति के नागरिकों की इज्जत खतरे में थी। जान-माल की रक्षा का प्रश्न सदैव एक समस्या बना रहता था। अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले श्रीमवाराम के पीछे पुलिस ने अनेक झूठे मुकदमे लगाये, परन्तु वह वैद्य जी को विचलित नहीं कर सकी। श्रीमवाराम सरकारी अधिकारियों की अन्यायपूर्ण नीति का विरोध करते ही रहे ।

१३. संवाद काण्ड

देशी राज्यों के मामले विचित्र ही होते हैं। अधिकारी-वर्ग और उनके मुंहलगों की चालबाजियां बराबर चलती ही रहती हैं। कोटा राज्य से दीनबन्धु नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता था। उक्त पत्र के बारह अगस्त १९४४ के अंक में उस समय के होम मिनिस्टर ठाकुर प्रताप सिंह जी के विरुद्ध एक समाचार निकला। लोगों को संदेह है कि नीचे लिखा संवाद पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ठा० जसवन्त सिंह के कहने पर एक कार्यकर्ता ने प्रकाशित कराया था।

"प्यादे ते फर्जी भयो"

"पहले ही वर्तमान होम मिनिस्टर साहब की नियुक्ति से प्रजा में असंतोष था, और अब होम मिनिस्टर साहब के सलाहकार, जो पहले प्रजामण्डल के डिक्टेटर रहकर सरकार से मांफी मांग चुके हैं, की

नियुक्ति से और भी असंतोष फैल गया है। क्या ऐसी हराम मनोवृत्ति के लोग राज और प्रजा का भला कर सकेंगे।"

इस संवाद के प्रकाशित होने पर राज्य के अधिकारियों मे खलबली मच गयी। बीकानेर के महाराज ने २६ अगस्त १९४४ को श्री रघुवर दयाल वकील को बुलाकर गिरफ्तारी की आज्ञा दे दी। वकील साहब के साथी श्रीगंगादासजी कौशिक और श्री दाऊदयाल आचार्य को भी नजरबंद कर लिया गया। श्री रघुवरदयाल को लून-करनसर और उनके दोनों साथियों को अनूपगढ़ में बंदी हालत में रखा गया।

१४. "यह हुल्लड़बाज़"

कूटनीति के दाव-पेच बड़े पेचीदा होते हैं। इनसे बचना साधारण आदमी का काम नहीं। कभी-कभी तो शत्रु की दो मीठी बातें भी बड़ी अच्छी जान पड़ती हैं। इस प्रकार के जाल मे न फसना कुछ आसान काम नहीं। एक दिन का जिक्र है कि खादी मंदिर मे बैठे हुए बात-चीत के सिलसिले में श्री गंगादास कौशिक ने वैद्य जी से कहा कि महाराज बीकानेर ने हम तीन व्यक्तियों—रघुवरदयाल गोयल, गंगादास और दाऊदयाल अन्यको छोड़कर प्रजापरिषद के कार्यकर्ताओं को हुल्लड़बाज़ कहा है। यहां यह ध्यान में रखने की बात है कि श्री रघुवर दयाल गोयल ने जनता के धन से खादी मंदिर की स्थापना की थी और गंगादास कौशिक उस पर नौकर थे। श्री कौशिक ने महाराज के वाक्य को इस ढंग से कहा कि श्री मघाराम को यह अच्छा नहीं लगा। यह घटना तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी से पहले की है।

"म्हारे तो फर्जी भयो" के संबन्ध मे तीनों नेताओं की गिरफ्तारी होने के बाद लूनकरनसर से श्री मूलचन्द जी पारीक श्री रघुवरदयाल गोयल का संदेश लाये कि प्रजा परिषद के सदस्य बनाकर चुनाव

किया जाय तथा तीनों नेताओं की रिहाई के लिए आन्दोलन आरम्भ हो। जब यह बात वैद्य जी से कही गई तो उनको श्री कौशिक द्वारा हुल्लड़बाज होने की बात का स्मरण हो आया। आपने इस पर प्रश्न किया कि पहले तो "हुल्लड़बाज समझाया गया था, अब यह बातें कैसी हो रही हैं। हुल्लड़बाजों पर आन्दोलन करने तथा जनता में उत्साह और अन्यायों का विरोध करने का भार क्यों कर डाला जा रहा है। बात को सम्हालते हुए ग्वाड़ी मंदिर के मेघराजजी पारीक और अन्य व्यक्तियों ने कहा कि इन पुरानी बातों को भूल जाना ही अच्छा है।

१५. प्रजापरिषद् का पुनः संगठन

जनता पर सरकारी अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे थे, किसानों के कष्टों की कहानी कानों को फोड़े डाल रही थी और प्रजा में अन्याय का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं दीख पड़ती थी। ऐसी अवस्था को देख, एक जन सेवक के कठोर कर्तव्य के नाते, मित्रों के ज़ोर देने पर, वैद्यजी ने पुनः प्रजापरिषद का संगठन करने का कार्य अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। प्रजापरिषद के सदस्य बनाने का कार्य आरम्भ हो गया। कुछ व्यक्तियों के उत्साह से सदस्य संख्या काफी बढ़ गयी। २६ जनवरी १९४८ का दिन था। जनता पर राज्य का आतंक था ही। अतः जस्सूसर गेट के बाहर गोवेलाई तलाई पर प्रजापरिषद के सदस्यों की बैठक का आयोजन गुप्त रूप से किया गया। झण्डाभिवादन और राष्ट्रीय नारे लगा कर स्वतन्त्रता दिवस की रस्म पूरी की गयी। सदस्यों में एक नया जोश और नयी उमंग दीख पड़ती थी। उक्त कार्य के बाद सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि प्रजापरिषद का समस्त भार श्री मघारामजी को सौंप दिया जाय। पहले तो वैद्यजी तैयार नहीं हुए, परन्तु आग्रह को बढ़ता देख उनको भार स्वीकार ही करना पड़ा। मन्त्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव भी आगे के लिये टाल दिया गया। राज्य की स्थिति को देख कर

सदस्यों ने यही ठीक समझा कि केवल प्रधान का ही प्रकट कि जाय।

इस भार के पढ़ने पर वैद्यजी ने अपने अन्य काम बन्द कर दिये और प्रजापरिषद के कार्य में पूरी तरह लग गये। परिषद के पुनर्संगठन सम्बन्धी समाचार जब समाचार-पत्रों द्वारा सरकार को विदित हुए तब राज्य के गुप्तचर श्री मघाराम के पीछे रहने लगे। इन लोगों की परवाह न करते हुए परिषद का प्रचार कार्य खुले रूप में चलने लगा। किसानों की करुण कहानियां सुनी जातीं; उनको प्रजापरिषद के उद्देश्य और कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में जानकारी कराई जाती। देहातों में दौरे कर-कर के संगठन कार्य बढ़ने लगा। जब कुछ नींव जम गयी तब एक वक्तव्य के द्वारा जनता और सरकार को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया कि प्रजापरिषद का प्रथम उद्देश्य शांत और वैध उपायों द्वारा जनता का संगठन करने का है। संगठन कार्य होने पर ही दूसरा कदम उठाया जायगा। संगठन में सफलता दिखलाई देने पर प्रजापरिषद के कार्यकर्ता आपसी बैठक कर प्रस्तावों पर विचार कर उन्हे स्वीकार करने लगे। श्री रघुवर दयाल वकील और श्री गंगादास कौशिक की रिहाई के सम्बन्ध में भी आवाज उठाई जाने लगी।

१६ श्री दाऊदयाल की रिहाई

गिरफ्तारी के कुछ समय पश्चात् मलेरिया बुखार ने श्री दाऊदयाल आचार्य को आ घेरा। बीमारी के कारण उनकी हालत चिन्ता-जनक हो गयी। आचार्य को अनूपगढ़ से बीकानेर के अस्पताल में लाया गया। अन्त में सरकार ने उन्हे छोड़ देना ठीक समझा।

१७. नागौर का सम्मेलन

जोधपुर राज्य लोक परिषद का राजनीतिक सम्मेलन नागौर में होने का निश्चय हुआ। उस सम्मेलन में बीकानेर के कार्यकर्ताओं को

भी आमंत्रित किया गया। बीकानेर से सर्वश्री मघाराम, पं० भीखा लाल बोहरा, प. श्रीराम, मुलतानचद, माधोसिंह, चंपालाल उपाध्याय, रामनारायण, मेराराम, जीवनलाल डागा, श्रीरामआचार्य की पत्नी, किशनगोपाल उर्फ गुट्टड महाराज आदि व्यक्ति नागौर गये। सबको स्टेशन के निकट की धर्मशाला में ठहराया गया। बाहर से पहुँचने वाले व्यक्तियों की सुविधा का पूरा प्रबन्ध कर दिया गया था तथा सबका उचित सम्मान हुआ।

सम्मेलन पण्डाल के मुख्य द्वार पर अमर-शहीद श्री बालकृष्ण बीस्सा का स्मारक बोरटी के कांटों की झोपड़ी के रूप में बनाया गया जिस पर उनका चित्र भी लगा दिया था। अन्य द्वार भारतीय नेताओं के नाम पर बने थे। पण्डाल सुन्दर बनाया गया था।

लोकनायक श्री जयनारायण व्यास के साथ सर्वश्री कन्हैयालाल वैद्य, गोपीकृष्ण विजयवर्गीय सुमनेश जोशी, गणेशीलाल आदि आये। सम्मेलन में भाग लेने के लिये आर्य गुरुकुल बड़ौदा राज्य की कन्याएं भी अपने घोड़ों सहित आयी थीं। अधिवेशन के सभापति श्री व्यास जी का नगौर के कस्बे में प्रसिद्ध नागौरी बैलों के रथ में बिठा कर जलूस निकाला गया। गाजा-बाजा, नागौरी बैलों का रथ, घोड़ों पर कन्याएं, राष्ट्रीय नारे और गानों की धूम तथा वायु में लहलहाते राष्ट्रीय झण्डे जलूस की शोभा और जनता के उत्साह को कई गुना चढ़ा रहे थे। मार्ग में कई स्थानों पर स्वागत किया गया।

श्री व्यास जी की अध्यक्षता में तीन दिन तक अधिवेशन हुआ। इस बीच में सर्वश्री सुमनेश जोशी, गणेशदास, मथुरादास, रूतीलुल-रहमान (अजमेर) कन्हैयालाल वैद्य (बीकानेर) आदि के महत्वपूर्ण भाषण हुए। अधिवेशन सानन्द समाप्त हुआ। बीकानेर सरकार क जासूसों ने नागौर में भी बीकानेरी नेताओं का पीछा किया। तारानाथ रावल और केदारनाथ मिश्र ने कई बार यह

चेष्टा की कि निजी बातचीत के बीच चुपचाप पहुँच कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जाय । परन्तु भेद खुल जाने पर उन्हें अपमानित हो पलायन करना पड़ा ।

श्री मघाराम आदि नेताओं का नागौर जाना बेकार नहीं रहा । वहां पहुँचकर श्री जयनारायण व्यास आदि नेताओं मे बीकानेर की राजनीतिक गति विधि के सम्बन्ध मे पूरा विचार विनिमय हो गया । बीकानेर में प्रजापरिषद् का कार्यालय खोलने के प्रश्न पर श्री व्यास की यही राय रही कि परिषद का कार्यालय खोलने के स्थान पर ऐसे वाचनालय की स्थापना की जाय जहां जनता आकर समाचार पत्रों को पढ़ा करे ।

१८ वाचनालय की स्थापना

श्री व्यासजी के परामर्शानुसार वैद्यजी ने तेलीवाड़े मे राष्ट्रीय वाचनालय स्थापित कर दिया । इस सत् कार्य के लिये भी प्रजा-परिषद के नाम पर डर के कारण कोई मकान देने को तैयार नहीं होता था, इसलिये श्रीमघाराम ने अपने नाम पर भाड़ा चिठ्ठी लिखकर आईदान प्रोहित से ८) किराये पर मकान लिया । ६-७ दैनिक पत्र भी वाचनालय में आने लगे । धीरे-धीरे पाठकों की संख्या मे वृद्धि हुई । जनता में प्रचार बढ़ा । राष्ट्रीय नारों और राष्ट्रीय गानों की तान वायुमण्डल में गूंजने लगी । अधिकारियों के कान खड़े हुए तथा पुलिस की घुड़दौड़ जारी हो गयी ।

१६. संगठन के लिए दौरा

बीकानेर प्रजा परिषद् के संगठन कार्य में गति लाने के लिये श्री मघाराम ने कुछ कार्य-कर्ताओं के साथ मे लेकर डूंगरगढ़, रतनगढ़ और सरदार शहर आदि कस्बों का जब दौरा किया तो ज्ञात हुआ कि राज्य का जनता पर इतना आतंक है कि प्रजा-परिषद का सदस्य बनने में उन्हें डर लगता है । डूंगरगढ़ पहुँचने पर श्री मघाराम ने जनता

में फैले भय का वर्णन किया। पुलिस थाने के कर्मचारी गरीबों को अधिक तंग करते हैं। जनता कपड़ा, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण बहुत दुखी है। राज्य के गुप्तचर यहां भी पीछे लगे हुए थे। उनके और कुछ हाथ न लगा तो एक गुप्तचर ने मेराराम व्यास को धोखा देकर परिषद की रसीद बुक में से एक सफा ही फाड़ लिया। रतनगढ़ और सरदार शहर का दौरा करने के बाद परिषद के कार्यकर्ता बीकानेर लौटे। इस दौरे में इन्हें अनुभव हुआ कि शहरी जनता के मुकाबिले किसानों में कुछ अधिक चेतना थी। बीकानेर लौटने के कुछ दिन बाद ही श्री मघाराम अपने लड़के रामनारायण को साथ लेकर राज्य के देहातों का दौरा करते-करते गंगानगर पहुँचे। जनतामें परिषद का कुछ प्रचार करके प्रजा-परिषद की गंगानगर शाखा की स्थापना हुई और रावमाधोसिंह को प्रधान तथा श्री जीवनदत्त शास्त्री को मन्त्री चुना गया। यहां सफलता मिलने पर गंगानगर के देहातों में प्रचार कार्य चालू हुआ। इसके पश्चात वैद्य जी रावमाधोसिंह और श्री रामनारायण अबोहर मंडी पहुँचे, जहां इन लोगों ने प्रवासी बीकानेरी जनता में प्रजापरिषद का प्रचार किया। अबोहर के बाद फाजलका और पंजाब के अन्य स्थानों में प्रचार कार्य किया गया तथा सदस्य बनाये गये। गंगानगर होते हुए बीकानेर लौटने पर श्री मघाराम ने नगर में प्रचार कार्य जारी रखा। दौरों का फल स्पष्ट दिखलाई देने लगा। जनता में अपने कष्टों को प्रकट करने की हिम्मत आ गयी।

चौथा अध्याय

इस अध्याय में:—

१ दुधवाखारा काण्ड, २ ठाकुर सूरजमल के अत्याचार ३. चूरू में प्रचार, ४. स्वामी गोपाल दास जी ५. बीकानेर में प्रचार ६. दुधवाखारा पर वक्तव्य ७. श्री हनुमान सिंह की गिरफ्तारी ८. पुलीस के अत्याचार, ९. जेल में रिश्वतखोरी, १० मुकदमे का स्वागत ११. जेल में अनशन १२. गिरफ्तारियों का दौर जारी, १३. श्रीहनुमान सिंह की भूख हड़ताल, १४. सात नेता रिहा, १५. राम सिंह नगर गोली काण्ड के घायलों से भेंट, १६. श्री हीरा लाल जी बीकानेर में १६ रिहाई के बाद श्री वैद्यजी का कार्य।

१. दुधवाखारा काण्ड

राज्य के किसान पट्टेदारों के जुल्मों से पीड़ित थे अवश्य, परन्तु आवाज उठाने की हिम्मत उनमें नहीं के बराबर थी। हाल में किये गये प्रचार से जनता में कुछ जान आयी। इसी बीच दुधवाखारे के अग्रगामी किसान श्री हनुमान सिंह अन्य किसानों के साथ पट्टेदार सूरजमल सिंह के अत्याचारों का वर्णन वैद्यजी से करने ५ जून १९४५ को बीकानेर जा पहुंचे। किसानों की बेदखली, झूठे मुकदमों से तंगी, मकानों का छीनना और किसानों के पशु-धन की चोरी आदि की इतनी करुण कहानियां उन्होंने सुना डालीं कि उन पर साधारण रूप से विश्वास नहीं हो पाता था, परन्तु थीं वे सब सच्ची। उन लोगों का कहना था कि इन कष्टों के सम्बन्ध में बीकानेर के महाराज के पास भी अनेक प्रार्थना-पत्र भेजे गये, परन्तु उनका कोई असर नहीं हुआ। इन लोगों ने जांच करने की मांग की और आश्वासन पाकर महाराज से फरियाद करने माउण्ट आबू चल दिये।

तीन दिन बाद श्रीमघाराम, श्री चम्पालाल उपाध्याय और श्री राम नारायण को साथ ले ८ जून की रात को दुधवाखारा स्टेशन पहुंच गये। गंगानगर के श्री माधोसिंह को भी तार द्वारा बुलावा भेज दिया। स्टेशन से गांव ६ मील दूर था, अतः किराये के दो ऊंट लेकर तीनों व्यक्ति बहुत रात गये गांव की धर्मशाला पर पहुंचे। गुप्तचर विभाग का भूत भी इनके पीछे लगा हुआ था। धर्मशाला के ब्राह्मण रखवाले ने यह कह कर इन लोगों को वहां नहीं ठहरने दिया कि धर्मशाला के मालिक सेठ की आज्ञा है कि सफेद टोपी वालों को न ठहरने दिया जाय। बहुत समझाने पर भी वह किसी तरह राजी नहीं हुआ। इस सब काण्ड को धर्मशाला में ठहरा हुआ एक व्यक्ति देख रहा था। उसने इन लोगों को संकट में देख कर मदद की और पास के एक मौहरे के सामने बने हुए चबूतरों पर सो जाने को कहा। तीनों

व्यक्तियों तथा पीछे लगे गुप्तचर मोहनलाल ने वहीं आसन जमा दिया, परन्तु नींद नहीं आयी।

प्रभात होते ही एक राहगीर-किसान से पता पूछ कर तीनों कार्यकर्ता श्री गणपतसिंह बुडानिया के मकान पर पहुँच गये। इन लोगों को पहुँचे कुछ देर भी नहीं हुई थी कि मोहन लाल पाडे और पुलीस चौकी का जमादार वहां जा पहुँचे तथा लगे धमकाने। जब उन लोगों से साफ-साफ कह दिया गया कि दूसरों के दुखों को सुनने का सबको अधिकार है, तुम्हारे जो मन में आवे वह तुम करो, तब वे वहां से मुंह की खाकर खिसके। उसी दिन राव माधौ सिंह भी गंगानगर से आ गये और जांच आरम्भ कर दी गई। निम्नलिखित किसानों के अतिरिक्त भी कई व्यक्तियों ने अपनी कष्ट कहानी कही– (१) चांदू जाट (२) गणेश जाट, (३) गंगाराम जाट, (४) चेतन जाट (५) माला-राम (६) भूरा राम (७) लखूराम, (८) भादर (९) ज्ञाना राम (१०) गणपतिराम (११) लूणा राम (१२) मूलाराम (१३) गोपालराम (१४) नरसिंह राम (१५) रामलाल।

२. ठा० सूरजमल के अत्याचार

किसानों ने परिषद के कार्यकर्ताओं को बतलाया कि हमारे मकान और ५ ५ हजार की लागत के कुण्डों को ज़ब्त कर लिया गया है। यह कुण्ड ही जीवन का सहारा होते हैं, क्योंकि इन्हीं के बल पर किसान और उनका पशुधन पानी के लिए १२ महीने निर्भर रहता है। यही नहीं, जीवन निर्वाह की मुख्य आधार जमीनों को छीन कर सेठों को दे दिया गया। इसके साथ ही पशुधन की चोरी करा कर गिरे गरीबों की कमर पर लात और मारी जाती है। यह कष्ट देकर भी जब शांति नहीं होती तो किसानों पर झुठे मुकदमे चला कर उन्हें भरसक तंग करने की चेष्टा करके गांव से निकल जाने को बाध्य किया जाता है। उन लोगों का कहना था कि ठाकुर साहब महाराज के

तहसील राजगढ़ के किसान कार्यकर्त्ताओं की एक मण्डली

जनरल सेक्रेटरी हैं, अतः वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती ।

यहां नोपाराम ब्राह्मण पर हुए अत्याचार का उदाहरण दे देना अनुचित न होगा । नोपाराम का कहना था कि ठा० सूरजमलसिंह के पिता के साथ मेरे पिता भैराराम गया जी गये थे, वहां ठाकुर साहब के पिता ने उनको २५ बीघे जमीन दान में दी । पर उक्त दान की जमीन को छीन कर एक सेठ को दे दिया गया और एक झूठा मुकदमा चला कर अदालत से १००) जुर्माना करा दिया गया । यहां यह बात ध्यान मे रखने की है कि जमीन का दान कोरा जबानी न होकर नीचे लिखे दान-पत्र के द्वारा हुआ था —

लिखतु ठाकुर डालसिंह जी—मैं सम्वत १९४३ में चैतर श्री गया जी गया छा, भैराराम ब्राह्मण को साथ ले गया छा । श्री गया क्षेत्र पर पीतरां का पिंड भरया जद डोली बीघा पचीस दीनी, भैराराम वल्द तुल्छी के बेटे ने दीनी छ । यह डोली श्री गया जी पर दीनी छः । हमरा पुत-पोता कोई लगान नहीं लेसी । इसकी साख चांद-सूरज बीच में छ । नोपजी हाल पेट में दीनी छ । लाला सरूप गलसू जगनी भादवा सुदी १ सं० १९४६ । द० डालसिंह, ऊपर लिखा सही छ. राज ।

सा० गंगा राम सा० मुगाला धानू

—०—

दर्द भरी गाथाओं को सुनने के बाद श्री सवाराम अपने साथियों के साथ गांव का निरीक्षण करने तथा वास्तविक स्थिति को देखने निकले । उस समय वहां की आबादी लगभग निम्न प्रकार थी —

कुछ हजारपति सेठों और अन्य लोगों के मकान भी।

इनलोगों को गाव में फिरने पर ज्ञात हुआ कि १० मकानों के चमारों को ठाकुर सा० ने जबरदस्ती निकाल बाहर किया है। इसी प्रकार कुछ हवेलिया भी खाली करा ली गयी हैं। यह भी बतलाया गया था कि १५-१५ और २०-२० रुपये की कुर्की बकाया पर मकानों का मलबा निजी आदमियों को बेच दिया गया। गाव के अनेक व्यक्ति अत्याचारों के कारण गांव छोड कर भाग गये हैं।

सब बातों की एक सीमा होती है, परन्तु ऐसा जान पड़ता था कि ठा० सूरजमलसिंह के अत्याचारों की सीमा नहीं थी। दुधवाखारा का पानी इतना खारी है कि इसे पीकर पशु ४-५ घटे और मनुष्य १-२ घण्टे के अन्दर ही अपनी अन्तिम घडी गिनने लगता है। जनता ने पीने का पानी एकत्र करने के लिये कुण्ड और तालावों का निर्माण किया है। यहां यह सोच कर किसके रोमान्च खडे न हो जायगे कि जल के एकमात्र साधनों पर कब्जा करके गरीब जनता को ठाकुर ने किस तरह तडफाया। कहते हैं कि जब दुख पाकर किसान बहुत गिडगिडाये तो ठाकुर साहब के यह वज्र शब्द निकले कि "बकरियां भी मरते समय मिमियाती हैं, मगर मास खाने वाला मिमियांने की परवाह नहीं करता।" यह भी ज्ञात हुआ है कि ठाकुर साहब की इच्छानुसार जब कुछ लोगों ने झूठे मुकदमों में गवाही दी, तब कुछ कुण्ड वापस किये गये।

हम पहले ही कह आये हैं कि दुधवाखारा की जनता के कष्टों का पार न था। पुलिस की चौकीवाले रक्षक के स्थान पर भक्षक बने हुए थे। एक समय पुलिस की चौकी गांव के बीच ऐसे मकान में थी जिसके अन्दर विशाल कुण्ड है। गाव की बहू-बेटियों को वहां पानी लेने जाना ही पडता और उसके साथ उन्हें बेइज्जती भी सहनी पडती थी। आये दिन पुलिस की चौकी पर बलात्कार-काण्ड हुआ ही करते। यह बातें जब सर मनुभाई मेहता के कान में पड़ीं, तब वहां से

हटकर पुलिस की चौकी के बाहर पहुंची थी। कहते है कि पुलिस चौकी पर होने वाले अन्यायों के कारण ही लड़कियों का स्कूल दिया गया। अध्यापिकाओं और लड़कियों के सतीत्व नष्ट करने की दर्दभरी कहानियों को यहां न दोहराना ही हम ठीक समझते हैं।

लोगों की जबानी मालूम हुआ कि दुधवाखारा के सेठ मनुष्य शरीर धारण किये हुए वास्तविक जोंक है। यह लोग खून के प्यासे अत्याचारों के भूखे है। वि नों को बेघरबार करके बड़े बड़े न और १५०-१५० बीघे के नौहरे बना लिये गये हैं। सामाजिक जीवन की सुव्यवस्था तो गांव मे जरा भी नहीं है।

किसानों के कष्टों का सच्चा चित्र अपनी आंखों देखने के बाद चारों कार्यकर्ता सायंकाल को दुधवाखारा स्टेशन और वहां से चूरू पहुंच कर पतराम कोठ्यारी के नौहरे मे जा ठहरे।

३. चूरू में प्रचार

चूरू पहुँचकर वैद्यजी ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर पं० बदरीप्रसाद आचार्य से प्रजापरिषद् की शाखा स्थापित करके के सम्बन्ध मे मिले। इसके बाद सर्वहितकारिणी सभा के मन्त्री श्री चन्दनमलजी बहड़ ने इन लोगो को यही राय दी कि प्रजा परिषद के सदस्य बनाने का कार्य तो अभी जारी कर दिया जाय और जब कुछ अधिक सदस्य हो जाय तब चुनाव करा दिया जायगा। अत. २-३ दिन चूरू मे रुकने के बाद कार्यकर्तागण बीकानेर लौट आये।

४. स्वामी गोपालदासजी

यहां सर्वहितकारिणी सभा के संस्थापक स्वर्गीय स्वामी गोपालदास जी का जिक्र कर देना अनुचित न होगा। स्वामीजी को बीकानेर के प्रथम राजनीतिक षड्यन्त्र मामले में गिरफ्तार किया गया और लम्बी सजा दी गयी थी। सजा काटने के बाद आप अधिकतर हरद्वार के स्वर्गाश्रम मे रहने लगे और वहीं

स्वर्गवास हुआ। हितकारिणी सभा के मन्त्री श्री बहड़ जी भी षड्य केस के अभियुक्त और लम्बी सजा भोगने वाले तपे हुए देश हैं।

५. बीकानेर में ार

वैद्य जी चूरू से बीकानेर लौट रहे थे राज्य अ रियों ने श्री वरदयाल जी वकील को नजरबन्दी से रिहा देश निकाले की देदी।

बीकानेर श्री म जी ने दुधवाखारे में नों पर होने वाले अा चारों का भण्डाफोड करना आरम्भ कर दिया। समाचार पत्रों और छपे परचों द्वारा जनता को पूरी जानकारी कराई गयी। ज ा में नयी चेतना दिखलाई देने लगी। नगर में हर व्यक्ति के मुंह से राष्ट्रीय नारे सुनाई देते थे। राष्ट्रीय वाचनालय में भी पाठकों की संख्या बढ़ गयी। जनता में नया जीवन देखकर को आन्दोलन चलने की होने लगी। इसी समय एक दिन श्री मघाराम अपने भाई सेराराम के दिल्ली गये और वहा जा कर देशी राज्य-लोक परिषद के मन्त्री लोक श्री जयनारायण व्यास को दुधवा-खारा में होने वाले अत्याचारों की कहानी सुनायी।

६. दुधवाखारा पर वक्तव्य

श्री व्यासजी की राय के अनुसार वैद्यजी बीकानेर सर को दुधवाख के अत्याचारों के सम्बन्ध में लिख भी न पाये थे कि राज्य के अधिकारियों की तरफ से एक विज्ञप्ति निकली कि किसान नेता हनुमानसिंह ानों को बहकाता है और किसानों की बातें झूठी हैं। इस सरकारी विज्ञप्ति को देख कर श्री मघाराम ने दुधवाखारा की स्थिति के सम्बन्ध में निम्न आशय का वक्तव्य दिया, जो देश के अनेक पत्रों में प्रकाशित हुआ:—

"बीकानेर राज्य प्रजापरिषद के प्रधान श्री मघाराम जी ने

एक वक्तव्य में कहा है कि बीकानेर सरकार ने अंग्रेजी-पत्रों में दुधवा-खारा की स्थिति के सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है वह वहां के किसानों पर की गई ज्यादती पर पर्दा डालने वाली है और उसमें मुख्य प्रश्न की सर्वथा उपेक्षा की गयी है। सरकार ने कहा है कि लोगों को, एक विशेष उद्देश्य से वहां रखी गयी फौज के सम्बन्ध में शिकायत है, जब कि वास्तविक शिकायत यह है कि उनकी पुरानी जमीनें जप्त करली गई है। मैंने इस गाव में जाकर स्वयं जांच की है। मैंने और कागज-पत्र भी देखे हैं। मेरे पास इस गांव के १९ किसान अपनी शिकायतें ले कर आये थे। उनकी जमीने, पुराना कब्जा होने पर भी, दबा ली गयी हैं। ठाकुर के पूर्वजों ने एक ब्राह्मण को गयाजी यात्रा की समाप्ति पर २५ बीघा जमीन प्रदान की थी। वह इस भूमि से पट्टा होने पर भी बेदखल कर दिया गया है। ये किसान रण हैसियत के हैं। जप्तजमीनें पानेवाले वशाली जमींदारों और बडे सेठों के मुकाबलें में गरीब किसान हार जायगें। सरकारी विज्ञप्ति निकाल कर इस घोर अन्याय पर परदा डालने से काम न चलेगा। प्रत्येक मामले की उचित जाच करके न्याय किया जाना आवश्यक है।"

बीकानेर राज्य प्रजापरिषद की कार्यकारिणी ने भी एक प्रस्ताव में कहा कि "दुधवाखारा के किसान वहा के ठाकुर सूरजमलसिंह से अत्यन्त पीडित है। उन्होने उनके सब अच्छे-अच्छे खेत जिनमें कुएड भी थे व घर वगैरा छीन लिये है और बदले में दूसरे खेत देने के वायदे भंग किये गये है। ठाकुर साहब राज्य के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसलिये न्याय-विभाग, पुलिस-विभाग और कर-से पीडित जनता को राहत या सहायता मिलना संभव नहीं। इस स्थिति में परिषद की कार्यकारिणी महाराज से प्रार्थना करती है कि वे दुधवाखारा की जनता की ठाकुर साहब की ज्यादतियों से रक्षा करें।"

७. श्री हनु ानसिंह की गिरफ्तारी

दुधवाखारा के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के बाद जब वैद्य जी २१ जून १९४५ को दिल्ली से बीकानेर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि दुधवाखारा के २१ स्त्री-पुरुष उनके मकान पर ठहरे हुए हैं। श्री रा रायण से मालूम हुआ कि राज्य के कर्मचारियों ने इन्हें में नहीं ठहरने दिया, अतः इन लोगों को यहां आना पड़ा। आगन्तुकों में प्रमुख थे श्री गणपतसिंह और श्री बेगाराम। श्री गणपतसिंह के भाई श्री हनुमानसिंह को पुि ने गिरफ्तार कर था। ी दाकियानूसी नीति के अनुसार पु उन्हें तंग कर रही थी। इसी बीच श्री हनुमानसिंह ने भूख हड़ कर दी, जिसे छः दिन हो गये थे। वैद्य जी ने ि नों के कष्टों की नी सुनी और तरह से सहायता करने का आश्वासन दिया। के किसानों में इतना जोश था कि २ जुलाई १९४५ तक दुधवाखारा राजगढ़ के लगभग ३०० किसान बीकानेर आ पहुँचे। श्री हनुमानसिंह की रिहाई के सम्बन्ध में बीकानेर महाराज, पं० जवाहरलाल नेहरू, अं रेजीडेण्ट और देश के अन्य नेताओं को तार दिये गये २ जुलाई की में बीकानेर राज्य प्रजापरिषद की कार्यकारिणी ने लि प्रस्ताव सर्ि से स्वीकार :—

तारीख २ जुलाई १९४५ को बीकानेर प्र रिषद की ारिणी की बैठक ६ बजे शाम को पं० जी के सभापतित्व में हुई। सर्व ति से प्र पास गया कि "बीकानेर महाराज से व उनकी सरकार से कहा कि दुधवाखारा के हनुमानसिंह जी ी नेता ने जो एक से र है, उनकी मांगें पूर्ण करके, अन तुड़वा दिया जाय, प्रजापरिषद ने निधियों द्वारा दु जांच कराई थी। में उन को [बीकानेर ग ट व ठाकुर द्वारा

उनकी पुरानी मौरूसी जमीनें व घर व कुण्डों की जमीनें के बेदखल करके उन पर झूठे मुकदमे संगीन जुर्मों में चालान करके, काफी परे हैं। इसके लिए, आज की यह कार्यकारिणी महाराज के प्रति व ठाकुर साहब के प्रति घोर खेद करती है। महाराज बीकानेर के पास कई दफा नों का प्रतिनिधि मण्डल और सब जुल्मों की अर्ज की गयी। इसका यह फल हुआ कि होममिनिस्टर से मिलने के बहाने बुलाकर बीकानेर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कई प्रकार से अत्याचार भी किये गये, जिसके फलस्वरूप श्री हनुमानसिंह ने अनशन आरम्भ कर दिया। सुना जाता है कि हनुमानसिंह जी की हालत बहुत बुरी है। खतरा होने का अंदेशा है। आज उनके भाई गणपतसिंह, पत्नी मिलने के लिये गये, परन्तु राज्य कर्मचारियों ने उन्हे मिलने नहीं दिया और न कोई संतोष-जनक उत्तर ही दिया। दुधवाखारा के बहुत बच्चों सहित बीकानेर आ गये हैं और श्री हनुमानसिंह की हालत सुनकर बहुत दुखी हैं। इसलिए आज की कार्यकारिणी बीकानेर से अपील करती है कि शर्त श्री हनुमानसिंह को रिहा कर दिया जाय। उनके खेत, कुण्ड व घरों की जो जमीन बेदखल कर ली है, उसे वापस दिया जाय; वरना हमारा अगला कदम उठेगा।"

नोट—

"तीन दिन के अन्दर उनको रिहा कर देने की माग का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। इस प्रस्ताव की एक-एक कापी दीवान बीकानेर तथा अन्य संबन्धित नेताओं को भेजी जाय।

म प्रधानमन्त्री

ह० ाम वैद्य ह० चंपालाल उपाध्याय

प्रस्ताव की प्रतिलिपियां राज्य के अधिकारियों और समाचार

पत्रों को भेज दी गयीं ।

राज्य के अधिकारी इस बात को कहां सह सकते थे कि ३०० के लगभग किसान अपनी करुण कहानी को कहने के लिये राजधानी में ठहरे रहें । ४ जुलाई १९४५ को लगभग ३०० पुलिस के सिपाहियों ने जसूसर गेट से श्री मघाराम के घर के बीच वाले स्थान को घेर लिया । यहीं बाहर के किसान पड़े हुए थे । पुलिस घेरे से सन्तुष्ट नहीं हुई । उसके अधिकारीवर्ग ने, जिसमें राजवी सोहनसिंह डी० आई० जी० पी०, कुन्दन लाल इन्सपेक्टर, मदनलाल इन्सपेक्टर, देवीसिंह सब-इन्सपेक्टर, ताराचन्द कोतवाल, नित्यानन्द एस० पी० आदि थे, किसान स्त्री-पुरुषों को डराना, धमकाना तथा बुरी तरह पेश आना आरम्भ कर दिया । राजवी सोहनसिंह इन सब में अधिक बदनाम थे । भूतपूर्व महाराज के समय से ही इनके कर्मों के कारण जनता इनसे तंग थी। उस समय तो इन्हें कर्नल पद से हटा दिया गया था, परन्तु अब यह जनता के जान-माल की रक्षक पुलिस के अधिकारी बना दिये गये थे । पुलिस की कुचेष्टाओं का किसानों पर कुछ भी असर नहीं हुआ । ६ जुलाई को अल्टीमेटम की अवधि समाप्त होती थी, उसी दिन श्री रामनारायण के नेतृत्व में १५० किसान श्री लक्ष्मीनाथ के दर्शन करने के लिये वैद्य जी के मकान से रवाना हुए । वे मन्दिर पर पहुँच भी न पाये थे कि मार्ग में ही जसूसर गेट पर राजवी सोहनसिंह सशस्त्र पुलिस के साथ आ पहुँचे और सब को घेर लिया । श्री रामनारायण को सोहनसिंह ने खूब मारा और गिरफ्तार कर लिया । साथ के किसानों पर भी डण्डे बरसाये गये । जब यह समाचार वैद्य जी को मिला तो वे २५० किसानों के साथ जसूसर गेट पहुँचे । अकारण लाठी बरसाने और गिरफ्तारी का कारण पूछते ही राजवी सोहनसिंह आग बबूला होगये और श्री मघाराम को घसीटा और दरवाजे के बाहर तथा भीतर लेजा कर खूब पीटा गया । वैद्य जी की गिरफ्तारी का समाचार मिलते ही शहर में सनी फैल गयी । प्रजापरिषद् के कार्यकर्ता—सर्व श्री किशनगोपाल

उर्फ गुटड महाराज, चम्पालाल उपाध्याय, मुलतानचन्द दर्जी, श्रीराम आचार्य आदि के नेतृत्व मे लगभग ५०० आदमियो का जुलूस कंदोइयो के बाजार से चलकर शहर में घूमता हुआ जसूसर दरवाजे की तरफ जारहा था। सोनगरी के कुए के पास पुलिसने उसे रोका और कर्मकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।

८. पुलिस के अत्याचार

इधर श्री मघाराम को हथकडी डालकर पुलिस-लाइन भेज दिया गया, जहा पानी पीने की भी सुविधा नही दी गयी। दूसरे दिन नाजिम वृद्धिचन्द्र नित्यानन्द के साथ हवालात पहुंचे और पुलिस की मांग पर १५ दिन का रिमांड दे दिया। अपराध के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर नाजिम महोदय ने यही जबाब दिया कि "तुम लोगों को ठीक करना है।" उसी रात को १० बजे वैद्य जी को हथकडी डालकर ट्रेनिग स्कूल के कमरे मे ले जाया गया। वहां दीवानचन्द आदि पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे। कमरे के द्वार बन्द कर उन निर्मम, अधिकार के नशे मे चूर, नौकरशाही के गुलामों ने श्रीमघाराम को इतना मारा कि वे बेहोश होगये। उसी तरह लगातार १५ दिन तक मार और बेहोशी, मार और बेहोशी का दौर चलता रहा। न वो पुलिस ही अपने कुकर्म से बाज़ आती और न वैद्य जी ही माफी मागते। यह मालूम होता था कि मानो दोनों मे अपनी-अपनी टेक पूरी करने की होड लगी थी। १८जुलाई को जब उनकी माता और बहन दीवान की आज्ञा पाकर उनमे मिल गई, तब पुलिस के अत्याचारों के सम्बन्ध मे कुछ जानकारी हुई। उन दोनों ने लौट कर भारतीय दण्ड-विधान की ३३० धारा के अनुसार पुलिस पर इस्तगासा कर दिया और डाक्टरी परीक्षा की मांग की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। २१ जुलाई को पुलिस ने चालान किया और सायंकाल सर्वश्री मघाराम, रामनारायण, किशनगोपाल, श्रीराम–

आचार्य को हथकड़ी डाल जि मजिस्ट्रेट श्री न ल चोपड़ा के सामने पेश किया गया। वैद्यजी ने रीढ़ की हड्डी तथा अन्य स्थानों लगी क चोटों को दिख ा, परन्तु चोपड़ा महोदय ने देखने से इन्कार ही कर दिया। वहां से सब लोगों को सदर जेल ग कोठरियों में बन्द दिया गया। १ स्त को वैद्य जी की । और बहन उनसे सकीं।

जेल में राजबन्दियों को यातना और बाहर उनके घर व को कष्ट दिये जा रहे थे। श्री ाराम की वृद्धमाता को तीन दिन जं में ले जाकर रखा गया। मुंह में दांत न होने पर भी भुने चने खाने को दिये गये। भाई सेराराम को पुि लाइन में लाकर इतना । गया कि ी ४ महीने तक वह बीमार रहा। इन सब ाचारों के विरुद्ध किसान औरतों ने जब जुलूस नि , तब उन्हें भी पुलिस मार बुरी तरह सहनी पड़ी। ि ने जब अदर्शन किया, तो उन्हें भी गिर ार कर खूब पीटा गया। जेल के डाक्टर ने मुआयना ि , तब राजबंदियों की चोटें नहीं ीं। सदर जेल में इन लोगों के बहुत बुरा वि होता था। मिट्टी मिली सूखी रोटी और वह भी दो दी जाती थीं। दालमें कीड़े आदि पड़े रहते थे। कोठरियों के एक-एक द्वार भी बोरियों से बन्द दिये जाते थे। विदित हुआ है कि जिन बँद ों में इन लोगों को रखा ज था वहीं इनके पाखाने-पेशाब करने का प्रबन्ध था, जिसके कमरे ुन्ध से भरे रहते थे। इन्हें २४ घन्टे में एक बार स्नान के ि ए ि ाला जाता, वह भी एक साथ नहीं। र महोदय भी दो-चार दिन बाद ही एक बार फेरी जाते और जंगलों के बाहर से ही बातें लेते। जब उससे कष्टों के न्ध में कहा जाता है, तो वह यही ता कि महाराज के सामने ज क्षमा लो, इतना उठाने की क्या वश्यकता है। उस सीख का उसे यही जवाब मिलता कि "जिसने राध ि हो क्षमा मांगे। ी अपराधी

-तो लोग हो जो बेगुनाहों पर जुल्म कर रहे हो। "यही सीख देने जेल के मिनिस्टर भी ।; बार जेल में पहुँचे, पर वि ही रहे। इस -बीच जिला मजिस्ट्रेट की अद में पेशी की तारीखें पड़ती, परन्तु पेश -नहीं जाता। में कई पेशियां निकलने के बाद एक दिन इन -लोगों को अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने जमानतों पर छोड़ने का रखा, जो अस्वीकार कर दिया गया। इस पेशी के चार दिन बाद ही रक्षा बन्धन का त्योहार था। उस दिन श्री किशनगोपाल -की बहन राखी बांधने पहुँची और उनसे भाई की बीमारी का हाल कहा। : वे दूसरे दिन ही जमानत देकर रिहा हो गये। श्रीराम- जेल में बीमार हो गये थे, अतः उनकी स्त्री के कहने पर उन्हें महाराज के पास लालगढ़ ले जाया गया और वहां रिहाई हो गयी। इसी तरह श्री हनुमानसिंह को भी छोड़ दिया गया। अब केवल दो व्यक्ति जेलमें रह गये थे—श्रीमघाराम और उनके पुत्र श्री नारायण। इन लोगों ने कष्ट सहना ही -ष्य । महाराज के पास जाकर बेगुनाह होते हुए भी माफी मांगना, न्याय की हत्या ही करना था। जब राज्य अधिकारियों की एक भी चाल न चली तो उन्होंने १७ नं. की कोठरी में वैद्य जी को बँद कर देने की आज्ञा दे दी। यह कोठरी सबसे गंदी और ठंडी थी। से घिरी होने के कारण इस में सूर्य की रोशनी तो नाम को ही आती थी। भोजन का न भी बहुत ही बुरा दिया , यहां तक कि पानी भी ताजा नहीं देते। खाने-पीने का अत्यन्त प्रबन्ध देख कर वैद्य जी ने जेलर से एक दिन स्पष्ट कह दिया कि या तो ठीक भोजन दिया जाय अन्यथा भूख हड़ताल कर दी जायगी। एक दिन उन्हे भूखा भी रहना पड़ा। दूसरे दिन से -सामग्री ठीक मिलने का आश्वासन और प्रतिदिन ० घन्टा धूप में घूमने की अनुमति मिली।

९. जेल में रिश्वतखोरी

श्री मघाराम को जब कोठरी के बाहर एक घन्टा टहलने का अवसर मिला, उस समय उन्हें जेल में चलने वाली धांधली और रिश्वतखोरी का पता चला। जेल का बड़ा जमादार कैदियों से सख्ती से काम तथा १) महावारी रिश्वत लेता। जो व्यक्ति भेंट नहीं देता, उसे अच्छा काम करने पर भी पीटा जाता। और कुछ बहाना न मिलने पर आपस में ही कैदियों को लड़ा दिया जाता तथा उसका फैसला करते समय कैदियों की पीटते-पीटते जान तक लेली जाती। दर्जी और कालीन खाने में काम कराने के लिये ४०-५०) रिश्वत देने पडते। इसी प्रकार की रिश्वतखोरी के मामले में आत्मासिंह, संदूरासिंह और रवीवीसिंह को बडी बुरी तरह पीटा गया। जेल में जो खाना दिया जाता वह इतना बुरा और कम होता कि कैदियों को भूखा रहना पडता था। जो कैदी पैसावाला होता उसके लिये तो जेल के अन्दर ही शराब, अफीम और गांजा आदि तक मिल जाते—पर गरीब का सब तहर मरण था। जेल में लोगों को सुधार के लिये भेजा जाता है, परन्तु कुप्रबन्ध के कारण साधारण बदमाश कैदी भी अपने दुर्गुण मे कुछ वृद्धि करके ही निकलता। जेल में भी अधिकारी वर्ग अपनी तरकीबों से दल बंदी पैदा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। उस समय सुगनसिंह आदि राजपूत कैदियों का एक दल था, जिस पर बडे जमादार की कृपा थी, और दूसरा दल था भावा सिंह, चरड़ सिंह, और अत्मासिंह का, जो न्याय का पक्ष लेने के कारण सदैव कोप का भाजन रहता।

१०. मुकद्दमे का स्वांग

सरकार ने सर्वश्री मघाराम रामनारायण और किशनगोपाल उर्फ गुटड महाराज पर मामला चलाया। जब इन लोगों ने देखा कि

न्याय पाने का कोई मार्ग नहीं है, तो मुकदमे में भाग लेने से ही इन्कार कर दिया । सफाई के गवाह के रूप में लोकनायक श्री जय नारायण व्यास और श्री हजारीलाल जड़िया के नाम दिये गये परन्तु राज्य के अधिकारियों ने इनकी गवाही लेने से इन्कार किया।

लगभग ४ महीना जुडीशल हवालात में रखने के बाद श्री मघाराम और श्री रामनारायण को जिला मजिस्ट्रेट किशनलाल चोपड़ा ने ६--६ महीने की कड़ी सजा की आज्ञा देदी । जमानत पर छूटे हुए श्री किशनगोपाल को भी दोनों के साथ उतनी ही सजा मिली । अदालत का निर्णय होने पर सर्वश्री गंगादास कौशिक और दाऊदयाल आचार्य ने तीनों को सूत की मालाएं और ताराचन्द इन्सपेक्टर ने हथकड़ियां पहनादीं । अदालत राष्ट्री नारों से गूंज उठी । जेल को जाते हुए भी राष्ट्रीय नारे लगाये गये ।

११. जेल में अनशन

जेल में तीनों नेताओं के पहुंचते ही जेल के कपड़े पहनने का प्रश्न आया । तीनों ने उस नियम को स्वीकार करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया । इसके बाद तीनों के पैर में २--२ सेर के लोहे के कड़े डाल दिये गये और अलग-अलग कोठरियों में रखा गया । जेल के छोटे-बड़े अधिकारी जेल के कपड़े न पहने पर १८ सेर आटा पिसवाने और बेतों की मार दिये जाने की धमकी देते । इस प्रकार के आचरण के विरुद्ध १८ नवम्बर को श्री मघाराम ने आमरण अनशन आरम्भ कर दिया और जेलर को अपनी शर्तें सुना दी, जो निम्न प्रकार से थीः—

१ पैर से लोहे का कड़ा हटे, २. घर का कपड़ा पहनेंगे, ३ अपने हाथ का बना अथवा स्वच्छ भोजन करेंगे, ४. पुस्तक पढ़ने और पत्र लिखने की सुविधा, ५ इच्छाअनुसार कार्य, ६. घूमने की सुविधा ७ गरमी में बाहर सोने का प्रबन्ध, ८ घरवालो से १५ दिन में मुलाकात

२१ नवम्बर को श्री नारायण और २२ तारीख को श्री किशनगोपाल ने भी अ न आरम्भ कर दिया। अनशन करने के बाद इन लोगों को शः १२, २ और ७ नंबर की कोठरियो में अलग-बंद दिया गया। इधर अनशन को जारी हुए १२ दिन हो चले थे, उधर रात को न सोने देने के के कारण श्री रामनारायण को बुखार आने लगा और ली में दर्द आरम्भ हो गया। बीमारी के कारण श्री रामनारायण को बेहोशी आने लगी और अन्य दोनों व्यक्ति भी बहुत कमजोर हो गये। इस बीच जेल के अधिकारी कुंवर वंतसिंह जेल में जा न तोड देने के लिए अनेक प्रकार से धमकाते और कहते कि बगा करने वालो के साथ सख्त व्यवहार ि जायगा, वे मरना चाहें मर जायं इसकी कोई ह नहीं। श्री-मघाराम के अ के २८ वें दिन राज्य का सबसे बडा डाक्टर जेल में पहुँचा और तीनों व्यक्तियों की परीक्षा की। श्री रामनारायण की हालत चिन्ता क होती जा रही थी, पर वह अपने प्रण पर अटल थे। रात को डाक्टर इधर से उधर दौडा करते। वैद्य जी की भूख हडताल के ३२ वे दिन डाक्टर मेनन और अन्य डाक्टर जेल पहुँचे तथा जबरदस्ती रबड की नली से दूध पिलाने को कहा। श्री रामनारायण को जब अनेक व्यक्तियों द्वारा पकड़ लेने पर, नली डाल दूध पिलाया गया, तो उन्हें न हुआ और उसके साथ रक्त भी गया। दीवान की आज्ञा से ३३ वें दिन श्री मघाराम के भाई श्रीराम जब मुला के लिये जेल पहुँचे, तब उन्हें उन कष्टों का पता चला। राजनीतिक बंदियों की भूखहडताल का ३४ वां दिन था। जेल सुपरिटेण्डेण्ट ठा० जसवंतसिंह और डा० मेनन जेल पहुँचे। इन लोगों ने जाकर आमरण अनशन करनेवालों को सूचना दी कि महाराज ने सारी शर्तें मंजूर कर ली हैं तथा सबको साथ रखने की अनुमती देदी है। यह सूचना पाकर तीनों दृढ़-प्रतिज्ञ व्यक्तियों ने अनशन त्याग दिया। भोजन और टहलने का ठीक प्रबन्ध होने पर तीनों के स्वास्थ्य में सुधार हो गया।

१२. गिरफ्तारियों दौर जारी

राज्य अधिकारियों ने राजनीतिक बन्दियों की आमरण भूख हड़ताल को तो उनकी मांगें स्वीकार कर समाप्त कर दिया, परन्तु उनकी दमन-नीति में कुछ भी फरक नहीं आया। बीकानेर की सरकार ने धीरे-धीरे करके कुछ दिन के अन्दर ही निम्नलिखित नेताओं को जेल की सीखचों के पीछे भेज दिया।—सर्वश्री बेगाराम, कूंभाराम, स्वामी केशवानन्द, बाबू रघुवरदयाल गोयल, चौधरी गणपतसिंह और हीरालाल शर्मा। श्री बेगाराम के साथ दो किसानों नेताओं को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। कुछ दिन बाद इन तीनों व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया। वैसे तो यह सब राजबन्दी अलग अलग रखे जाते थे, परटहलने के समय इन सब को कुछ समय के लिए मिलने का मौका मिल जाता था। जेल में राजबन्दियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। इसके विरुद्ध कहा सुनी भी की गई, परन्तु जब कुछ असर न हुआ तो श्री रघुवरदयाल और श्री गणपतसिंह ने अनशन आरम्भ कर दिया। जब इन लोगों को लगभग १९ दिन भूख हड़ताल करते हो गये, तब कहीं सरकार ने उनकी सब शर्तों को स्वीकार किया।

१३. श्री हनुमानसिंह की भूखहड़ताल

दुधवाखारा के किसान नेता श्री हनुमानसिंह को राज्य के अधिकारियों ने अपनी दमन नीति के फलस्वरूप अनूपगढ़ में गिरफ्तार कर रखा था। वहां उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। अच्छी तरह भोजन की सामग्री देना तो दूर, उन्हें पीने का पानी भी ठीक तरह नहीं दिया जाता। इसी प्रकार के बुरे व्यवहार के विरुद्ध श्री हनुमानसिंह ने भूख हड़ताल जारी कर दी। आपको जब अनशन करते ३८ दिन के लगभग हो चुके तब अधिकारियों ने

उन्हें अनूपगढ से बीकानेर की जेल में बदल दिया । जेल में लाने के समय श्री हनुमानसिंह की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। अधिकारियों ने इस बात की बहुत चेष्टा की कि वे अनशन तोड़ दें, क्योंकि राजबन्दी की चिंताजनक हालत को देखकर राज्य अधिकारियों की घबराहट भी बढती जाती थी । जब श्री हनुमानसिंह पर अनशन त्यागने के लिए बहुत दबाव डाला गया, तो उन्होंने पानी ग्रहण करना भी बन्द कर दिया ।

१४. नेता रिहा

एक दिन स्थानापन्न प्रधान मंत्री महाराज नारायणसिंह जेल में पहुँचे और राजबन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में श्री रघुवरदयाल से बातचीत की । बातचीत के बाद गोयल जी ने अन्य राजबन्दी सा ों के पास पहुँचे श्री हीरालाल को छोड़ अन्य व्यक्ति को रिहाई के सम्बन्ध में सूचना दी । श्री मघाराम ने जब श्रीहीरा लाल को रिहा न करने का विरोध किया, तो श्री रघुवर दयाल ने उनसे यही कहा कि उन्हें भी ५-७ दिन के बाद छोड़ देने का आश्वासन दिया गया है । यह भी विचार रखा गया कि श्री हीरालाल के मुकदमे की पैरवी करके उन्हे रिहा करवा दिया जायगा। यह विचार विनियम होने पर सर्वश्री हनुमानसिंह, चौधरी कुंभाराम, मघाराम, रघुवरदयाल, कृष्णगोपाल और रामनारायण को बन्द मोटर में बिठाकर घरों पर पहुँचाने का प्रबन्ध कर दिया गया।

वैद्य जी और उसके लडके के घर पहुँचने पर बहन खेतूबाई और अन्य सम्बन्धियों ने बीकानेर में होने वाली जाग्रति, सरकारी दमन और राजगढ में चलने वाले किसान आन्दोलन आदि के सम्बन्ध मे पूरा ह कह सुनाया ।

१५. रायसिंहनगर गोली-कांड के घायलों से भेंट

जेल की नाओं को भोग कर घर आने के दूसरे दिन श्री वैद्य

शहीद श्री बीरबलसिंह

रायसिहनगर गोलीकाण्ड के शिकार होनेवाले बीकानेर के पहिले शहीद।

श्री जेठा चौधरी

पट्टेदार नोखा के आप क्रोध के शिकार हुये और बुरी तरह घायल किये गये।

चौधरी रामलालसिंहजी

फेकाना परिषद्के प्रधान । आपको
डेढ़ वर्षकी सजा हुई है ।

कुंवर मोहरसिंह जी

आप राजगढ़ के रहने वाले है । जेल में
एक वर्ष की सजा काट रहे हैं ।

श्री बीकानेर अस्पताल पहुचे और वहां रायसिंहनगर गोली-काण्ड में घायल हुए श्री मोहनसिंह आदि व्यक्तियों से मिले। रायसिंह-नगर काण्ड में शहीद होने वाले बीरबलसिंह के सहचर साथी थे।

१६. श्री हीरालालजी शास्त्री बीकानेर में

लाल नेताओं की रिहाई के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज्ञा से रायसिंह गोली काण्ड की जाच के लिए श्री हीरालाल जी शास्त्री और श्री गोकुलभाई भट्ट बीकानेर पहुँचे। आप दोनों का जलूस निकाल कर जनता ने भव्य स्वागत किया। मार्ग में कई स्थानों पर मालाओं आदि से आपका सम्मान किया गया। शास्त्री जी, भट्टजी और गोयल जी ने मौके पर जाकर गोली-काण्ड की जाच की। वहां से लौटकर आप लोग राज्य के अधिकारियो से भी मिले। अपने प्रयत्न से इन लोगों ने प्रजापरिषद् और राज्य की सरकार के बीच संधि करा दी। समझौते से तय हुआ कि तिरंगा झडा प्रजा-मडल के दफ्तर या सभा-स्थल पर लगाया जा सकता है, परन्तु जलूस के साथ नहीं निकाला जा सकता। समझौते के अनुसार सार्वजनिक सभा की गई, जिसमे श्री शास्त्रीजी और श्री गोकुलभाई भट्ट ने जनता से दृढ संगठन करने की अपील की।

१७. रिहाई के बाद श्री वैद्यजी का कार्य

नेताओं की रिहाई के कुछ दिन बाद श्री रघुवरदयाल गोयल के मकान पर प्रजापरिषद की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमे वैद्य जी को विशेष रूप से बुलाया गया। उक्त बैठक में प्रजापरिषद की शाखाए स्थापित करने तथा संगठन के सम्बन्ध में विचार हुआ। श्री शास्त्री जी के चले जाने के कुछ दिन बाद बीकानेर नगर कमेटी का चुनाव हुआ और श्री मघाराम जी को अध्यक्ष तथा श्री गगादत्त जी रंगा को मत्री चुना गया। आपके अध्यक्ष काल में संगठन का कार्य

जोरों से आरम्भ किया गया। इसी बीच जब वैद्यजी दिल्ली पहुँचे, तो आप के सम्मान में टिहरी प्रजामण्डल की दिल्ली शाखा की ओर स्वा का आयोजन किया गया। २५ अगस्त १९४६ की इस स्वागत सभा में १२ महीने के जेल अनुभवों का वैद्यजी ने मार्मिक वर्णन करने के बाद सबको सम्मान प्रदर्शन के लिये धन्यवाद दिया।

पांचवां अध्याय

इस ध्याय में:—

१. स्वतन्त्रता के पुजारी–श्री मघाराम जी वैद्य
(लेखक–श्री किदारनाथ शर्मा, एम. ए.)

२. बीकानेर का जैन ओसवाल समाज,

३. रायसिंहनगर गोली-काण्ड —

बीकानेर राजनीतिक सम्मेलन

जलूस में झण्डा

शहीद श्री बीरबलसिंह

४ कांगड़–काण्ड—

कांगड़ ग्राम का इतिहास

विरोध आरम्भ

कांगड़–कां

स्वतंत्रता के पुजारी—श्री मघारामजी

वैद्य मघाराम जी को यदि हम फालादी आदमी कहे तो अत्युक्ति न होगी। अपने प्रारम्भिक जीवन से ही उनके हृदय में स्वतंत्रता के प्रति अगाध प्रेम और निर्धनो और दलितो के प्रति हार्दिक सद्-भावना रही है। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन १६२६ में ही प्रारम्भ कर दिया था। इसी समय से वे जेल के सीखचो के शेर रहे हैं। उन्हे दो बार देश-निर्वासन का दण्ड मिल चुका है। वे प्रथम बीकानेरी हैं जिन्होंने उस युग में स्वतन्त्रता की आवाज बुलन्द की, जब खादी पहनना भी साहसी शहीदों का काम समझा जाता था। तभी से उनका बल तथा अनुगामी दल बढ़ने लगा था। सदा ही उन पर राज्य की पैशाची नीति का प्रयोग होता रहा है। पर इस दमन का उनके हृदय पर रंचमात्र भी प्रभाव न हो सका। कठिनाइयों और कष्टों से तो उनका उत्साह, हार्दिक बल और शक्ति सदा दुगुनी ही होती रही है।

मघाराम जी जीवन मे सादगी पसन्द, व्यवहार में सुहृदवत् और आकृति में मार्क्स के अवतार से प्रतीत होनेवाले व्यक्ति है। उनके समान आत्म-विश्वासी व्यक्ति थोड़े ही होते हैं। वे कोरे सिद्धान्तवादी कम मात्रा में हैं और सच्चे संगठन-कर्त्ता अधिक-मात्रा में। उन्हें क्रान्तिकारी कहना अंशमात्र भी असत्य नहीं है। वे अकेले त्तियों का सामना करने में भी रंचमात्र भयभीत नहीं होते। जीवन के प्रति उनका वीरों का-सा दृष्टिकोण है। उनमें अपने समस्त विचारों को कार्यान्वित करने की क्षमता है। इन्हे समझौता पसंद नहीं है।

उन्हें अपने प्रचार और अखबारी दुनियां में प्रसिद्धि प्राप्त करने का मोह नहीं है। इनका जीवन यह पूर्णतः प्रमाणित कर देता है

कि शक्ति, अधिकार, उच्चपद, प्रचार और धन को चरित्र, नम्रता और बलिदान के सामने झुकना पड़ता है। उन्होंने प्रजापरिषद के नवयुवक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत कुछ उपार्जन करके रख छोड़ा है पर अब भी वे प्रजापरिषद की अनुपम सेवाएं कर रहे हैं।

यद्यपि अधिक आयु प्राप्त करने से उनकी बुद्धि विकसित हो चुकी है, अनुभव से उनकी विचारधारा पूर्ण हो चुकी है, फिर भी उनमें एक नवयुवक का सा यौवन विद्यमान है। आज भी उनका मस्तिष्क ताजा, दृष्टिकोण स्पष्ट और कर्म वीरों के से हैं।

मेरी लेखनी में वह शक्ति नहीं है कि बीकानेर राज्य की स्वतंत्रता के इस पुजारी और राष्ट्रीयता के जन्मदाता का यथातथ्य गुणगान कर सके।

गंगानगर, बीकानेर —किदारनाथ शर्मा, एम. ए.

—— ——

२. बीकानेर का जैन ओसवाल समाज

बीकानेर राज्य के निर्माण और उत्थान में जैन ओसवाल समाज ने जो महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। राज्य की स्थापना के समय से ही इस समाज का सम्बन्ध बीकानेर से चला आ रहा है। जब राव बीका जी ने १५४५ में बीकानेर की स्थापना निर्जन मरुस्थल में की थी, उस समय ओसवाल वंश के दो नररत्न दीवान चोथरा बच्छराज और वैद्य लाखणजी, आप के साथ थे। आप लोगों के बाद इसी घराने में कर्मसिंह बछावत राव लूणकरणजी के मंत्री हुए और उन्होंने नारनौल के युद्ध में सद्गति प्राप्त की। कर्मसिंह जी ने श्री नेमिनाथ का जैन मंदिर और धर्मशाला बनवायी थी। यह स्मृति चिह्न श्री लक्ष्मीनारायण जी के बगीचे में अभी तक विद्यमान है। राव जैतसिंह जी के राज्यकाल में वरसिंह और नगराज मंत्री बने, जो इसी समाज के थे। कहा जाता है कि नगराज को मंत्री-काल में जोधपुर के राजा मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया। नगराज ने अपने रणकौशल का परिचय दिया और अपनी सेना के साथ जोधपुर जा धमके तथा विजय स्वरूप वहां से लूट का माल ले आये। इधर जब मालदेव को इस आक्रमण का पता चला तो वे अपने राज्य को लौटे। इस तरह मंत्री की चातुरी और वीरता से बीकानेर के सम्मान की रक्षा हुई। राव कल्याण सिंह और राजा रायसिंह के शासन काल में ओसवाल घराने के संग्राम सिंह और बछावत कर्मचन्द मंत्री थे। मुगल सम्राट अकबर कर्मचन्द की राजनीति और दूरदर्शिता से इतना प्रभावित हुआ कि उनको तोशक जिले का शासक और कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। आपने प्रजा की भलाई के अनेक कार्य किये। बीकानेर का गंगानगर प्रदेश, जहां से राज्य की खाद्य सामग्री

प्राप्त होती है, राजा रतन सिंह के दीवान महाराव हिन्दूमल वैद्य ओसवाल की बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और प्रतिज्ञा को पूरा कर दिखाने की क्षमता के ही कारण, राज का अंग बन सका है।

नीति और बुद्धिकौशल के अतिरिक्त ओसवाल समाज ने रणवीर योद्धाओं को भी जन्म दिया है। प्रसिद्ध योद्धा सेनानी श्री अमरचन्द सूराणा ओसवाल ही थे । संवत् १८६० मे अमरचन्द जी सूराणा और खजाची सुलतानमल के नेतृत्व में ही सेना चूरू भेजी गयी थी। इन्हीं के नायकत्व से संवत् १८६१ में भटनेर (हनुमानगढ़) और १८७१ में चूरू विजय किया गया। १८६६ संवत् मे बागी ठाकुरों के विद्रोह को भी इन्होंने शान्त किया।

राज्य के अन्य विभागों में भी ओसवाल जाति के कई वंशों ने इतने महत्त्वपूर्ण कार्य किये है कि वे अपने राजकीय कार्य से प्रसिद्ध हो गये है—जैसे बक्शी, दफ्तरी, खजांची, रामपुरिया, हाकिम और कोठ्यारी आदि। राजा सरदारसिंह के स्वर्गवास के बाद श्री डूंगरसिंह को उत्तराधिकारी बनाने में वैद्य बरठिया आदि ओसवाल मुसाहिबों का विशेष हाथ रहा था। इस समाज के कोचर मुहतों ने भी राज और प्रजा की अनेक सेवाएं की हैं। मुहता शाहमल जी ने दीवान का काम करके बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। वर्तमान काल में शिवबख्श जी कोचर अपनी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है ।

अन्य जातियों की अपेक्षा ओसवालो मे शिक्षा का अनुपात अधिक है । इस जाति मे स्त्रियों की शिक्षा का माप-दण्ड भी ऊंचा है। व्यापारिक कार्य करने के कारण इस समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी है। बीकानेर के उद्योग-धन्धों के विकास का श्रेय इसी जाति को प्राप्त है। ऊन, रुई और हाथ की बुनाई का उद्योग-धन्धा ओसवालों ने ही उन्नत किया है।

बीकानेर राज्य में हस्त लिखित प्राचीन साहित्य की रक्षा करने का श्रेय जैनो को ही प्राप्त है। बीकानेर मे सब से अधिक पुस्तक भण्डार

३. रायसिंहनगर गोली-काण्ड

बीकानेर राजनीतिक सम्मेलन

बीकानेर राज्य के प्रथम राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन ३०जून व १ जुलाई १९४६ को रायसिंहनगर में करने का निश्चय हुआ। इस सम्मेलन के सभापति थे बीकानेर षडयन्त्र केस के अभियुक्त श्रीसत्यनारायण वकील। २९ जून को गंगानगर से चलने वाली रेलगाड़ी में सैकड़ों व्यक्ति राष्ट्रीय झण्डे लेकर रायसिंहनगर पहुँचे।

पास के गांवों और मंडियों से भी काफी जनता सम्मेलन में भाग लेने पहुँच गई थी। ग्रामीण जनता मे बड़ा जोश था। बाहर से आनेवाले प्रमुख व्यक्तियों में लोक सेवक मण्डल लाहौर के उपप्रधान श्री अचिन्तराम जी, पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य श्री रामदयाल जी वैद्य और पंजाबी रियासतों के उत्साही कार्यकर्त्ता श्री फकीरचन्द्र जी के नाम उल्लेखनीय हैं। जनता की भीड जब रायसिंहनगर पहुँची तो पुलिस ने उनके हाथ से तिरंगा झण्डा छीनने की दो दफा चेष्टा की, परन्तु ग्रामीणों के महान जोश के सामने की एक न चली। जनता राष्ट्रीय झंडा ले सम्मेलन के पण्डाल में जा पहुँची और वहां उसे फहरा दिया। राज्य ने यह नियम बना रखा था कि तिरंगा झण्डा न फहराया जाय और जुलूस के ए एक महीने पहले आज्ञा प्राप्त करना आवश्‍ है। २९ जून की रात राज्य की ओर से कोई आज्ञा नहीं मिली। कार्यकर्त्ता

जबरदस्ती कोई संघर्ष मोल नहीं लेना चाहते थे, अतः ३० जून को बिना जलूस निकाले और झण्डाभिवादन किये सम्मेलन का कार्य आरम्भ कर दिया गया। राज्य के अधिकारियों के कृत्या से जनता को बड़ा क्षोभ हुआ। सायंकाल को अधिवेशन की दूसरी बैठक होने वाली थी। श्री अचिन्तराम जी और अन्य दर्शक भी अधिक सख्या मे आ पहुंचे थे। अधिवेशन आरम्भ होने से पहले ही बीकानेर के गृह मन्त्री की लिखित आज्ञा मिली कि बिना तिरंगे झण्डे के जलूस निकाला जा सकता है। कहां महाराज द्वारा उत्तरदायी शासन सौंपने की तैयारी और कहां तिरंगा झंडा फहराने तक की आज्ञा नहीं, यह सब बड़ा ही उपहासास्पद मालूम होता था। एकत्र हुई जनता झण्डे पर लगाये गये प्रतिबंध के विरुद्ध थी।

जलूस में झंडा

३० जून की रात को चुने हुए कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया कि प्रातःकाल तिरंगे के साथ जलूस निकाला जाय। दिन निकला। जलूस की तैयारियां होने लगी। इसी बीच अधिकारियो ने पण्डाल में तिरंगा लगाने, परन्तु जलूस में न निकालने की राय दी। कुछ व्यक्ति इस पर सहमत भी हुए, परन्तु अधिकाश तो जलूस में झण्डा निकालने के पक्ष में थे। जलूस चलने से पहले झण्डाभिवादन हुआ। उस समय एक झण्डे के स्थान पर दर्जनों झण्डे इधर उधर फहराते नजर आ रहे थे। जलूस था कि मानो जनगंगा राष्ट्रीय जोश मे उमडी चली जा रही थी। लौटते समय कुछ नौजवानों ने तिरगे झण्डे जलूस में फहरा ही दिये। यह देखते ही पुलिस के लगभग ५० सिपाही उन्हे छीनने की चेष्टा करने लगे, परन्तु जनता के भारी जोश के सामने वे सफल नहीं हुए।

पण्डाल में लौट कर अधिवेशन का कार्य आरम्भ हुआ। श्री मौहरसिंह अपने राष्ट्रीय गानों से जनता में जोश भर रहे थे।

जनता भी मंत्रमुग्ध सी उनका आनन्द ले रही थी। इसी समय समाचार मिला कि रेलवे स्टेशन पर कुछ व्यक्तियों को तिरंगा झण्डा हाथ में होने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया है। जनता का मन व्यग्र हो उठा और वह अधिवेशन की कार्यवाही छोड़ स्टेशन की ओर चल दी। वहां पहुंचने पर जब ज्ञात हुआ कि पुलिस एक आदमी को पकड़ कर रैस्टहाउस ले गयी है, तो सब लोग उधर चल दिये। जिस व्यक्ति को पुलिस ने स्टेशन पर पकड़ा था, वे दुधवाखारा के श्री हनुमानसिंह के भाई चौधरी मेगाराम थे। रैस्टहाउस में ले जाकर उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वे अचेत हो गये। इनका अपराध यही था कि रायसिंहनगर के स्टेशन पर जब वे गंगानगर के लिये टिकट ले रहे थे, उस समय उनके पास तिरंगा झण्डा था। मार्ग में पुलिस के उच्चअधिकारी और नाजिम आदि ने भीड़ को रोका और बिना चेतावनी दिये अथवा कुछ कहे सुने ५० सिपाहियों की सहायता से जनता पर आक्रमण कर दिया। जिन तीन-चार युवकों पर झण्डे थे, उनकी तो बुरी तरह पिटाई की गयी। सिपाही उनकी छातियों पर चढ़ कर उन्हें रौंदने लगे। लाठियां अधिक पड़ने से एक युवक तो बेहोश हो गया। पुलिस को अब भी शांति नहीं मिली। उसने बेहोश और घायल युवकों को घसीटते हुए रैस्टहाउस ले जाने की कोशिश की। जनता यह नहीं देखना चाहती थी कि शान्त रहते हुए भी उसे पीटा जाय तथा घायल व्यक्तियों को उससे छीना भी जाय। उसकी शांति का बांध टूट गया। पुलिस के चंगुल से अपने भाइयों को छुड़ाने के लिये जब उसने कोई चारा नहीं देखा, तो सिपाहियों पर पत्थर बरसाना आरम्भ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप घायलों को वहीं छोड़ पुलिस भाग खड़ी हुई। ईंटों के इस आक्रमण से कुछ पुलिस वाले घायल हो गये। जनता स्टेशन की ओर लौटी। कुछ व्यक्ति इधर-उधर रह गये। ईंट-पत्थर फिकना बंद था। इसी बीच पास के फ़ौजी कैम्प से छै: सशस्त्र सैनिक रैस्टहाउस में

बुलाये गये और उन्होंने बिना किसी चेतावनी दिये छिप कर गोलिया चलाना आरम्भ कर दिया। जनता ने इन गोलियों को खाली और भयभीत करने के हेतु चलाया जाना समझा, लेकिन जब उनके भाई घायल हो जमीन पर गिरने लगे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह गोलिया खाली भय का नहीं, मौत का भी सदेश ला रही हैं। यह देख कर जनता अपनी रक्षार्थ दौड़ी। लाठी प्रहार से एक दर्जन से अधिक और गोली की मार से पांच व्यक्ति घायल हुए। एक सिख युवक और दो बालक—जिनकी उम्र १३ और १५ साल की थी, अधिक घायल हुए। एक व्यक्ति तो ऐसा घायल हुआ कि फिर वह स्मशान यात्रा के लिये ही उठा। सैनिक अन्धाधुन्ध गोली चला रहे थे। गोलियों की मार काफी दूर तक थी। तीन फलांग की दूरी पर बसी मण्डी में भी गोलिया पहुंची। यह सब अपनी आखों देखते हुए भी एक उच्च अफसर ने कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सामने सफेद झूठ बोलते हुए कहा था कि गोलिया हवा मे चलाई गई थी, अत. उनसे कोई व्यक्ति आहत नहीं हुआ। विदित हुआ है कि उक्त अफसर ने ही कई व्यक्तियों को चिढ़ाते हुए कहा था—"क्या तुम भी आजादी चाहते हो? चार-पाच को तो मैं आजादी (मौत) दे आया हूँ।"

शहीद श्री बीरबलसिंह

रैस्टहाउस से सैनिकों द्वारा चलाई गई गोलियों से घायल हुए व्यक्तियों मे गंगानगर के श्री बीरबलसिंह मोची भी थे। गोली लगने के समय आपके हाथ में झण्डा था। गोली खाकर गिरजाने पर आपको अस्पताल ले जाया गया। वहां लगभग १॥ घण्टे तक जीवित रहने के बाद आपके प्राण पखेरू राज्य के अत्याचारो का विरोध करते हुए इस संसार से उड़ गये। जनता में शोक छा गया, पर राष्ट्रीय जोश की मात्रा अधिक बढ़ गयी। दूसरे दिन शहीद बीरबलसिंह के शव का रायसिंहनगर मे जलूस निकला। आजाद हिंद फौज के कर्नल

और आतंक जमाने की चेष्टा की गयी, तो वे लोग रुपया लाने के बहाने ग्राम में लौट आये। इधर ग्राम में सरकारी अफसर आ पहुंचे थे। इन लोगों ने भी यही जोर दिया कि ठाकुर साहब को पूरी रकम देदी जाय। और कोई चारा न देख कर ग्राम के ३५ व्यक्ति बीकानेर महाराज से अपनी प्रार्थना करने चल दिये। गांव का कुल रकवा ११ हजार बीघा है और उस में लगभग ७०० आदमी रहते हैं, जिनके घरों की आबादी निम्न प्रकार है—जाट६०, नायक ७, चमार १२ ब्राह्मण ५, शामी ५, नाई २, भाट १, महतर १, ढोली १ नाथ २, राजपूत १, सुनार ५, चारण २, गांव में कुल २ कुए हैं और एक । कुएड परमा नामक जाट ने बनवाया था। रतनगढ के साहूकारों का बनवाया हुआ १ पक्का तालाब भी है। ग्राम में न तो पढ़ाई और न चिकित्सा की व्यवस्था है। इतने बड़े गांव में केवल ४-५ व्यक्ति साक्षर हैं। एक को छोड़ कर गांवों के सब चमारों से मुफ्त काम लिया जाता है।

कांगड़-कांड

ठाकुर साहब भी चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्हें तो [illegible] न किसी प्र रुपया वसूल करने की पड़ी थी। २६ अक्तूबर को प्रातः काल ठा साहब के लगभग १५० व्यक्ति [illegible] आ के लूट मार आरम्भ कर दी। माल असवाब के साथ-साथ स्त्री-पुरुषों को भी जबरदस्ती गढमें खींच कर ले जाया गया। जब ग्राम के कछ लोगोंने औरतों की बेइज्जती करने का विरोध किया, तो उन्हें लट्ठों की चोटे सहनी पड़ी तथा इसी झगड़े में चौधरी सूरजराम का लाठी से सिर फोड दिया गया। गढ मे बदी के रूप में ले जाये गये इन ग्रामिणों पर बहुत अमानुषिक अत्याचार किये गये। अन्त में इन लोगों को पूरी रकम और जुर्माने देने तथा मार और गालियां सहनी पड़ी। औरतों से भी २५) तक जुर्माना वसूल किया गया।

कागड़-काण्ड के कार्यकर्त्ता

(खड़े हुये) चौधरी मोजीराम, श्री गंगादत्त रंगा और श्री रूपराम।

(बैठे हुये) स्वामी सच्चिदानन्द और प्रो० केदारनाथ एम. ए.।

(नीचे बैठे हुये) श्री दीपचन्द और श्री हेमराजजी।

थे। सातों व्यक्तियों को किले में ले जाया गया। वहां पहुंचने पर इन लोगोंको एक-एक करके इतना पीटा गया कि सब बेहोश हो पिटाई का प्रकार भी निराला ही था। इन लोगों को नंगा करके उल्टा जमीन में लिटाया गया और ५ व्यक्ति सब ओर से दबाने के लिए लगा दिये गये। यह सब होने पर कोड़े और जूतों की इतनी मार दी गई कि मूर्छा आ गई। इस तरह सब को तीन-तीन बार पीटा गया। श्री रूपराम को तो गांव के लोगों के सामने, उन्हें भयभीत करने के विचार से, बुरी तरह पीटा गया। जब इन अत्याचारों से उन नरपिशाचों को कुछ शांति नहीं मिली, तो कार्यकर्ताओं के गुप्तांगों में नुकीले डंडे छेदे गये। यज्ञोपवीत तोड़ देना, चोटी उखाडना और बुरी-बुरी गाली देना तो एक साधारण सी बात थी। दिन भर की पिटाई के बाद गंदे बोरों पर सोने को जब इन लोगों को बाध्य होना पड़ा, तो नींद पल भर के लिए भी पास न फटकी। कहते हैं कि इधर सात व्यक्ति कठोर यातना सह रहे थे, उधर ठाकुर साहब शराब पीने में मस्त थे। २ नवम्बर को अंतिमबार फिर मार दी गयी और ठाकुर के दूसरे पुत्र की गालियां खाने को मिलीं। अंत में सब को बिना भोजन दिये गढ से निकाल दिया गया। इतना कष्ट दिये जाने पर भी यह सातों व्यक्ति अहिंसक वीर की तरह अपने महान उद्देश्य—जन सेवा, को पूरा करने के लिये कष्ट की कसौटी पर खरे उतरे।

ग्रामवासियों के लिखित न से ज्ञात हुआ है कि इस काण्ड के सिलसिले में मूला नामक जाट का खेत ही नहीं, घरबार तक जब्त कर लिया गया और बेचारे को गांव से निकाल दिया। इसी तरह का बुरा व्यवहार विद्यार्थीभवन रतनगढ के श्री शीशराम भजनोपदेशक और चौधरी हरीराम मास्टर के साथ किया गया। इस लोगों को २४ घंटे लगातार नंगा करके पिटाई होती रही। यहां हम कांगड़ के कुछ ग्रामीणों द्वारा ११ नवम्बर सन् १९४६ को दिये गये लिखित न से उन अंतिम शब्दों को दिये बिना नहीं रह सकते, जिन से वह मूक

आह निकलती सुनाई देती है, जो अंत में जाकर ज्यों तक को भस्म कर देने की शक्ति रखती है:—"हमें अब संसार में कोई दुःख सुनने वाला नजर नहीं । । कहां जांय, किसे सुनाएं ? महाराज व ने भी अपने कान मूंद लिये हैं । वह भी अपने भाई-बेटों की सुनते हैं, हमारी क्यों सुनने लगे । अगर संसारमें कहीं ईश्वर है, तो सुनेगा, वरना खैर है"।

कांगड काण्ड की आप-बीती का बयान देने वाले व्यक्तियों के हैं.—सर्वश्री नाथ जोगी, बखसाराम, गोपालराम, सेरा , बनाराम, गोमाराम, चुनाराम, चुनाराम (दू) रूपाराम शु ाम और गणपत नाथ जोगी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट सूची

परिशि (१)

पुलिस के अत्याचार

बीकानेर में १६३२ में राज-द्रोह का जो ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया था और जिसका विवरण इस पुस्तक के पहले अध्याय पहले खण्ड में दिया गया है, उसमें पु की ज्यादतियों और अत्याचार की विशेष रूप से चर्चा की गयी थी। उसी मुकदमे के अभियुक्त श्री चन्दनमल बहड़ ने जिला जज की अदालत में जो दरख्वास्तें दी थीं, उनकी नकलें यहां दी जा रही हैं:—

दरखास्त (१)

ब अदालत डिस्ट्रिक्ट जजी, सदर बीकानेर

जनाबे आली,

मुकदमा सदर में मुस्म मुलजिम की अदब से गुजारिश है कि कारवाई मुकदमा शुरू करने से पेश्तर पुलिस ने मेरे ऊपर जो रोमाञ्चकारी अत्याचार व पाशविक जुल्म किये हैं, उनकी बराय-महरबानी तहकीकात फरमाई जाकर तदारुक फरमाया जावे।

१—यह कि तारीख १३ जनवरी को मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर की तलाशी पुलिस ने ली। इन्स्पेक्टर पुलिस राजवी चन्द्रसिंह मय पार्टी मेरे घर में बिला इत्तला दिये सीधे ही घुस गये, जबकि मेरी स्त्री के सिवाय कोई घर का आदमी न था। और गो सायल की स्त्री पर्दानशीन व जीइज्जत घराने की है, मगर बावजूद इसके भी चन्द्रसिंह राजवी जी इन्सपेक्टर ने उसको धमकियां देकर अपने ों का जवाब देने को मजबूर किया। इन धमकियों की वजह से

व अचानक इस तरह मय पार्टी उनके घर में घुस आने की वजह से उस शरीफ औरत पर रोब बरपा कर दिया और वह निःसहाय अबला बेहोश हो गई और उसका बदन थर-थर कांपने लगा और चक्कर आने लगे।

२—यह कि इस असना में सायल की माता व चचेरा भाई इत्तफाक से वहां आ गये। इन्सपेक्टर साहब पुलिस ने अपनी पार्टी के रूबरू उन जीइज्जत स्त्रियों की जामा तलाशी किसी एक मुसम्मात गीगली से कराई ताकि उनको लोगों के सामने बेहुरमत व जलील किया जावे। इन्सपेक्टर साहब पुलिस मुसम्मात गीगली को उन स्त्रियों के बदन को कभी अपने हाथ से व कभी बेत से छूकर हिदायत करते थे कि यहां की तलाशी लो, व यहां की तलाशी लो। यह अर्ज कर देना मुनासिब होगा कि सायल मुलजिम एक पोजीशन का आदमी है और वह शहर चूरू की म्युनिस्पल कमेटी व अनिवार्य शिक्षा कमेटी का चुना मेम्बर है और कलकत्ते में स्टर्लिंग एक्सचेन्ज की दलाली करता है।

३—यह कि तलाशी १२ बजे दोपहर से लगाकर १२ बजे रात तक ली जाती रही, मगर इस असना में खाना बनाने व बाल-बच्चों तक को खिलाने तक की सहूलियत भी नहीं दी गयी। बवक्त तलाशी एक टीन के छप्पर के नीचे जो चारों तरफ से खुला और जिसमें गाय व बछड़े बंधे रहते हैं, इन स्त्रियों व बच्चों को बैठाये रखा।

४—यह कि गो वारण्ट तलाशी महज सायल मुलजिम के खिलाफ था फिर भी इन्सपेक्टर साहब पुलिस ने उस हिस्से मकान की तलाशी ली, जो मेरे चचेरे भाई के कब्जे में है और जो कि मुझ से कोई सरोकार नहीं रखता व अलहदा रहता है, खिलाफ कानून व जाब्ता मन्शा वारण्ट ली। हालां कि मेरे भाई श्रीलाल ने इस बात पर सख्त एतराज किया मगर एतराज की कुछ सुनाई न की गई और श्रीलाल

की औरत के बक्सों व ट्रंकों के ताले तोड़ दिये गये, क्योंकि वह अपने मायके गयी हुई थी और चाबियां उसी के हमराह थीं।

५—यह कि गो वारण्ट खाना शी में यह साफ लिखा हुआ था कि पुलिस महज ऐसी दस्तावेजात अपने कब्जे में लेवे जो बीकानेर राज्य के खिलाफ हिकारत व बे दिली फैलाने की मन्शा रखती हों, मगर ताहम भी पुलिस ने बिला अख्तियार भारतीय राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें व सायल मुलजिम की बनायी हुई कविता कि जो अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के अष्टम अधिवेशन कत्ता के मौके पर सभापति लाला लाजपतराय के स्वागत में पढी गयी थी, ४८ प्रतियां व अन्य ाज सुधार-संबन्धी जातीय पत्र-पत्रिकाएं भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लीं।

६—यह कि वारण्ट खानातलाशी की तामील इस तरीके से की गयी कि खौफ बरपा कर दिया जाय और गो वक्फा तलाशी में कि जो बारह घन्टे का था. तमाम घर को बुरी तरह से छान-बीन कर डाला, फिर भी इन्सपेक्टर साहब ने जान-बूझ कर वर्दी के साफे को वहीं कहीं छिपा दिया यह बहाना बनाया कि अपना पल्लू ढूंढने के ए मैं फिर आऊँगा। जिस वजह से मेरे घर वाले दुबारा तलाशी के डर में मुब्तिला रहे।

७—यह कि एकाएक १५ जनवरी को करीब ६ बजे शाम को वही इन्सपेक्टर पुलिस हमराह अफसरान व कानिस्टेबलान पुलिस मेरे घर में घुस आये और मुझे बआवाज बुलन्द कहा कि तुम्हें कुछ देर के लिये कुँवर बल सिंह जी साहब डी० आई० जी० पी० रैस्टहाउस पर बुला रहे हैं, चलो। चूंकि खाना तैयार था मैंने खाना खा लेने की मोह चाही, पर उन्होंने कोई मोहलत न दी और कहा कि चलो, वहां ी ही देर लगेगी। वापसी पर खा लेना। ब अमा मजबूरी साथ हो या।

८—ज्यों सायल मुलजिम रैस्टहाउस पर पहुँचा, पुलिस के

अफसर साहब ने मुझे एक बगल के कमरे में बन्द कर दिया और हुक्म दिया कि तुम को हमारे साथ बीकानेर चलना होगा, तुम्हारा बिस्तर व सफरखर्च व खाना यहीं मंगवा देता हूँ। मगर तुमको अब घर नहीं जाने दिया जायगा और न तुम अब किसी से मिल ही सकते हो।

९—मेरा भाई जो बहुक्म पुलिस मेरा खाना व बिस्तर लेकर आया उसे मुझ से मिलने व देखने तक भी नहीं दिया गया। और टेढ़ेमेढ़े रास्तों से सर्दी में रात के ग्यारह बजे मुझे रेलवे स्टेशन चूरू पर लाकर एक कमरे में बन्द कर दिया गया। और बाद अजां मुझे छिपा कर रेल के अन्धेरे डिब्बे में बैठा कर खिड़कियां डाल दी गयी, ताकि मेरे ले जाने का सुराग किसी को न लग सके।

१०—तारीख १६-१-३२ को बीकानेर पहुँचने पर मुझे शहर से बाहर बियाबान जंगल में एक निहायत ही गन्दे व बेआबाद मकान में हिरासत में रख दिया और चार कान्स्टेबल हर वक्त मुझ पर कड़ा पहरा देते रहे व इन्स्पेक्टर साहब पुलिस मजकूरावाला मुझे धमकियां, लालच व फुसलाहट से तंग करते थे।

११—१६ जनवरी को एकाएक शाम को ५ बजे राजवी चन्द्रसिंहजी इन्स्पेक्टर ने मुझे बिस्तर बांधने का हुक्म दिया, और मुझे टेढ़ेमेढ़े रास्तों से स्टेशन ले गये। इन्स्पेक्टर साहब खुद तो साईकल पर सवार थे और मुझे उनके साथ पैदल ही भाग-दौड़ कर १५ मिनट में करीब डेढ़ मील का रास्ता तै करना पड़ा। और रेलवे स्टेशन पर लाया जाकर मैं बन्द डिब्बे में बैठा दिया गया। दो कान्स्टेबलान सय इन्स्पेक्टर साहब मजकूरावाला मेरे हमराह बन कर बैठ गये और मुझे बारबार दरयाफ्त करने पर भी यह नहीं बताया कि कहां ले जा रहे हैं। एकाएक रतनगढ़ स्टेशन पर मुझे उतारा गया। और धर्मशाला में रामसिंह छात्र ट्रेनिंग स्कूल व लछमनसिंह कान्स्टेबिल के पहरे में

बैठा कर इन्स्पेक्टर साहब खुद चले गये और थोडी ही देर बाद हमराह
हवलदार रेलवे पुलिस व एक दीगर कांस्टेबिल इन्स्पेक्टर साहब वापस
आये और आते ही मुझे हथकड़ियां डाल दी और कहा कि तुम्हे
१२४ अ में गिरफ्तार किया जाता है। रात को दो बजे मैजिस्ट्रेट
साहब रतनगढ के रूबरू कमरे अदालत में हाजिर किया और १५
रोज का रिमाण्ड पुलिस ने ले लिया, गो सायल मुलजिम ने एतराज
भी किया।

१२—२० जनवरी को मुझे बीकानेर लाइन पुलिस में लाया
गया और महज जलील व जेरबार करने की गरज से मेरा बिस्तर भी
मेरे कंधों पर लदवाया गया। पुलिस लाइन में मुझे नम्बर ६ की
कोठरी में हथकड़ियां लगे बैठाकर, हथकड़ी जंजीर का दूसरा सिरा
चारपाई में ताले से जड़ दिया गया। २१ जनवरी से ३ फरवरी तक
मबेरे एक गज से भी चौड़े पांव करा कर व हाथों को सीधा फैलाया
रखकर मुझे खड़ा किया जाता था। ता० २१-१-३२ को रामसिंह ने मुझे
सीधा खड़ा रखने की निगरानी में बहुत सी मां बहन की फोश
गालियां दी, गला पकड़कर मेरा सिर दीवार से टकराया और छाती व
सिर में घूंसे लगाये, व नीज मारने के लिए अपना जूता भी उठाया
और फोतों पर ठोकर मारने की भी चेष्टा की।

१३—ता० २२ जनवरी को आई० जी० पी० साहब व डी०
आई० जी० पी० साहब ने मुझे गालियां दीं और अपने श्रीमुख से
फरमाया की यही साला सब में बदमाश है। यह बहन
मादर........ (वगैरह) फौश गालियां देकर कहा, यों इकबाल
नहीं करेगा। इतना कहकर खुद उन्होंने मेरे बायें कान व गाल पर
थप्पड़ लगाये व बाद में अब तक मैं वहां रहा इनका ऐसा ही सलूक
मेरे साथ रहा। यही वजह मेरे कान में बहुत अर्से तक दर्द रहा और
अब पूरे तौर पर मुझे उस कान से सुनाई भी नहीं देता।

१४—करीब तीसरे या चौथे रोज राजवी चन्द्रसिंह जी ने आई०

जी० पी० व डी० आई० जी० पी० साहब से मेरे रूबरू मेरी तरफ-इशारा करते हुए कहा कि मैं आज ही ट्रेन से इस की मा व औरत व बच्चों को चूरू में यहा बुला लूं, या यहीं पुलिस लाइन से बाहर रखूं। इस पर आई० जी० पी० साहब ने फरमाया कि यह काफिर सुअर ऐसे नहीं बताता, तो कोई हर्ज नहीं। उन सब को यहीं बुला लो और इसी के सामने उन की भी दुर्गत करो। "उनके. .. .में मिरचें भर दो, नंगी करके ...पर बेंतें लगाओ।"

१६—चन्द्रसिंह जी इन्स्पेक्टर मुझसे फरमाने लगे कि मैं देख आया हूं, तेरी औरत का दिल बड़ा कमजोर है और वह बीमार भी है। बरवक्त तलाशी वह बेहोश हो गई थी, और उसको चक्कर आने लगे थे। अगर तू हमारा कहना नहीं मानेगा, तो तेरे सामने ही उनकी दुर्दशा की जावेगी—

(क) उनके स्तनों पर तेजाब लगाई जायेगी।

(ख) व्यभिचारी, भयंकर, खूंख्वार अशखास उन पर छोड़े जायंगे।

(ग) तेरी ३ वर्ष वाली लड़की के भी मिरचें भरी जायगी।

(घ) छः महीने वाले बच्चे को पक्के फर्श पर पटकवाऊंगा।

(ङ) आठ वर्ष वाले लड़के को औंधा लटकवाऊंगा।

'फिर साले, हरामजादे, उस वक्त तेरी आखें खुलेंगी। और वह तुझे शाबाशी देंगी कि 'तू अच्छा पैदा हुआ कि हमारी तू ने यह हालत करवाई'। और तुझे भी तभी होश आवेगा कि देशभक्ति कैसे की थी और कैसे कांग्रेसमैन का बच्चा बना था। नहीं तो, मैं जैसा कहूँ वैसा लिख दे। "एक दिन हवालात में बन्द एक औरत भी मुझे दूर से दिखलाई और कहा कि पहचान ले। बस यह आखिरी मौका है वरना उनकी भी दुर्गत अभी कर दी जावेगी।

१६—मेरी कोठरी से कुछ दूर पर रोने के किस्म का शोर-गुल करवाया जाता था, और उस असना में चन्द्रसिंह जी मुझसे कहते थे, "क्यों औरतों की मिट्टी खराब करवा रहा है? अब भी तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आई है? अगर तू चाहता है तो उनको तेरे सामने ही लाकर यह सारी कारवाई दिखलवा दी जायगी।'

१७—मेरे दोनों हाथों की अंगुलियों की कंघी बनाकर इंस्पेक्टर चन्द्रसिंह जी अपनी भरपूर ताकत से खूब जोर से दबाया करते थे। और यह हरकत उनकी दिन में दो-दो तीन-तीन मरतबे पांच-पांच मिनट के लिए हो जाया करती थी। इस तरह करने से मेरे हाथों पर बुरा असर हुआ। अब भी मामूली काम करते वक्त हाथ कांपने लग जाते हैं। खड़ा रखना, गालियां देना, दीवार से सिर टकराना—इन आला अफसरों का रोजमर्रा की कारवाई का एक मामूली सा हिस्सा था।

१८—सूखी व जली हुई व धुएं से पीली हुई किरकिरे आटे की रोटियां दी जाती थीं और केवल मिरच के कूटे हुए बीज उनके साथ दिये जाते थे।

१९—पेशाब व पाखाने की हाजत होने पर भी बगरज तकलीफ देने दो-दो ढाई-ढाई घण्टे के बाद हाजत रफा कराई जाती थी, और जब पाखाना के लिए जाते थे, तब हथकड़ियां पकड़े कांस्टेबिल एक गज के फासले पर खड़ा रहता था। रात को मेरे आधे बदन पर चारपाई डालकर सिपाही को उस पर सुलाया जाता था, व एक-एक घण्टे बाद हथकड़ी संभालने के बहाने मुझे आवाज देकर जगा लिया जाता था।

२०—उपर्युक्त खुराक व सख्तियों की वजह से मेरे बवासीर के मस्से फूल गये और उनसे खून आने लगा। और गो मेरी धोती खून से बिलकुल खराब हो गई थी, मगर तो भी धोती नहीं बदलने दी गयी, हालांकि दूसरी धोती मेरे पास थी। और न सायल मुलजिम

को नहाने ही दिया गया और न कोई बाकायदा इलाज कराया गया।

२१—यह कि हर तरीके से मुझको शारीरिक व मानसिक वेदनाएं देकर पु   ने जो चाहा मुझसे लिखवाया। राजवी चन्द्र सिंह जी मुझे हरदम डराते रहते और अपनी मरजी के खिलाफ लिखने के लिए मजबूर करते थे। उनका कैम्प मेरी ही कोठरी में था और चौबीसों घण्टे वह मुझे तंग करते, डराते रहते व गालियां देते रहते।

२२—यह कि जब कभी मै बवासीर की व उपर्युक्त असह्य तकलीफात की वजः से कराहता था, तो उक्त इन्सपेक्टर साहब फरमाया करते कि 'स.ला, सुअर इसकी छोकरी को .... . । कितनी बहानेबाजी करता है। कोई परवाह नहीं, अगर मर जायेगा तो जंगल में फेंक देंगे। हमसे कौन जवाब तलब कर सकता है?' जितना तंग किया जा सके करो'। और साथ में यह भी कहते थे कि मेरे दिल में तो   । है कि तेरा सिर काट लूं या लठ्ठ से फोड डालूं' मगर मै सोचता हूँ कि तू शायद अब भी रास्ते पर आजाय और जैसा मैं चाहूँ वैसा लिख दे। और यह भी कहा करते थे कि अगर तुम मेरी मर्जी के मुआफिक लिख दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुझे माफी दिला दूंगा। लेकिन जो मैं बताऊं वह अफसरों के सामने कहनी पड़ेगी। इस मामले में हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, किसी अदालत की ताकत नहीं है—तुम्हें बरी करने की। अदालतों की तो बात ही क्या है, इस मामले मे हम पुलिस वालों की मर्जी के खिलाफ खुद दीवान साहब कुछ नहीं कर सकते।

२३—इन असह्य मानसिक वेदनाओं व शारीरिक कठोर पीड़ाओं का वक्त बिल आखिर निहायत ही मुश्किल से गुजरा। सायल के शरीर की निहायत ही कमजोर हालत हो गयी थी। मगर ताहम भी ३ फरवरी को पुलिस लाइन से रेलवे स्टेशन तक का रास्ता मेरे कंधे पर बिस्तर लदवा कर पैदल ही भाग-दौड़ करके तै कराया गया,

और बदस्तूर बन्द डिब्बों में मुझे रतनगढ़ ले जाया गया। और एक गन्दी कोठरी में थूक व पेशाब पर मुझे सुलाया गया व रात व दिन बन्द रखा गया। ६ बजे शाम को जनाब नाजिम साहब के रूबरू उनके घर पर मुझे पेश किया गया और १५ रोज का रिमांड मेरे खिलाफ [illegible] हासिल [illegible] लिया [illegible]। मेरा चचेरा भाई, जो रतनगढ़ में मुझसे मिलने आया था, उससे मुझे नहीं [illegible] ने दिया गया, ह [illegible] कि वही मेरा [illegible] वा[illegible] था, जो मेरे जिन्दा होने की [illegible] लेने [illegible] था। चूंकि पुलिस के रवैये से व नीज जो गुप्त तरीकों से मुझे [illegible] था, उससे मेरे घर वालों के दिल में यह दहशत बैठ गयी थी कि मैं शायद जिन्दा न होऊं। इन्स्पेक्टर साहब चन्द्रसिंह जी ने मेरे भाई को बुरी तरह से डरा कर दूर से ही भगा दिया। रतनगढ़ से तारीख ४ फरवरी की रात की ट्रेन से मुझे वैसे ही छिपा[illegible] बीकानेर लाया [illegible]। और मेरे [illegible]फ इस बार हवालात जुडिशल का वारण्ट था, मगर फिर भी इंस्पेक्टर साहब पुलिस मुझे बदस्तूर रास्ते मे [illegible] देते, डराते धमकाते रहते व हर प्रकार से तंग [illegible]ते आरहे थे। और नीज मुझे जलील करने की गरज से उन्होंने मुझे नंगा करके तलाशी भी ली।

२४—रेलवे स्टेशन बीकानेर पर पहुँचने पर भी मुझे चारों तरफ से बन्द डिब्बे मे ही करीब १॥ घंटे तक रोक रखा गया और मेरी दरख्वास्त पर मुझे हाजत रफा करने की इजाजत नहीं दी गयी। इसके बाद बिस्तर मेरे कंधों पर रखा कर कोट दरवाजे के पास एक निहायत ही गन्दे बदबू वाले नौहरे में एक घन्टे तक बैठाया गया और फिर करीब दोपहर के मुझे सदर में लाया गया। जेल में वही पुलिस की गारद मेरे आगे पहरे के लिये रात-दिन तैनात [illegible]ी गयी। दो रोज तक तो मुझे तनहा एक बैरक में बंद रखा गया, मगर फिर मुझे कैद तनहाई की कालकोठरी में बन्द [illegible] दिया और उसके दोनो दरवाजे कर दिये, जिससे कि निहायत ही परेशानी हुई व पा[illegible] होने की

सी हालत होगयी। सिर में चक्कर आने लगे और दम घुटने लगा इस तंग कोठरी में ही टट्टी व पेशाब की हाजत रफा करनी पड़ती थी और जिस वजह से दिन रात बदबू रहती थी। दूसरे रोज से कालकोठरी का बाहरवाला दरवाजा खुला रख दिया जाने लगा। मगर तो भी पु कान्स्टेबिल घंटों के लिये कभी-कभी बाहरवाला दरवाजा बन्द कर दिया करते थे और मेरे मना करने पर धमकियां देते थे कि अभी हमारे ही कब्जे व अधिकार में हो, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और जब कभी चाहते थे मेरी तलाशी सख्त तरीके से ले लिया करते थे। और दीगर पुलिस अफसरान जो हर तीसरे घंटे गश्त पर आते थे, जब चाहते मेरी तलाशी लेलिया करते थे। और रात में हाजरी बोलने के बहाने नींद में उठा लेते थे, हर घंटे के बाद।

२५ यह कि पुलिस ने मुझको जेरबार व तंग करने के लिये हर तारीख पेशी पर बिना किसी माकूल वजह के तीन माह तक बदस्तूर इलतवा (रिमाण्ड) ली। और मायल के खिलाफ वारंट हवा जुडीशल था, मगर तो भी वह तनहा बन्द रखा गया। और पुलिस ने जेल अफसरान पर नाजायज दबाव डालकर २३ अप्रैल तक उसी तरह से कैद तनहाई में डालेरखा। हर तारीख पेशी पर अदालतवाला से इस अमर की शिकायत की जाती थी, मगर पता नहीं किस वजह से अदालतवाला के हुक्मों की तामील नहीं होती थी।

गो तारीख १३ अप्रैल को आठ मुलजिमान के खिलाफ एक ही इस्तगासा पुलिस की जानिब से पेश किया गया, मगर फिर भी हमको अलहदा-अलहदा तनहा बन्द, खिलाफ कायदा व कानून, तारीख २३ अप्रैल तक रखा गया और इस असना में भी चौबीसों घण्टे बन्द रखे जाते थे और किसी से बातचीत करना तो दूर किनार, कोई भी आदमी हमारे पास से भी नहीं गुजर सकता था। ऐसा कड़ा इंतिजाम रखा गया था।

सिर्फ यही नहीं। अब भी पुलिस मेरे वा न को तंग करती है।

जब कभी मेरा चचेरा भाई मिलने ता है तो उसके पीछे पु
लग जाती है, और वह इस डर से मेरी मुकम्मिल पैरवी नहीं कर सकता, और इस वजह से वकील लोग भी भयभीत हो कर मेरे भाई से बात नहीं करते।

अब सायल मुलजिम की अदब से प्रार्थना है कि जो पाशविक व्यवहार व वहशियाना सलूक अफसरान पुलिस ने मेरे प्रति
उससे मेरे दिल, दिमाग व जिस्म पर बहुत बुरा र पड़ा है। काररवाई पुलिस कितनी क्रूरतापूर्ण व खिलाफ कानून थी, उक्त बातों से साफ जाहिर है। मैं हजूरवाला से मनुष्यता के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, न श्रीजी साहब बहादुर के रामराज्य व विश्वव्यापी यश की लज्जा-रक्षा के नाम पर, व धर्म व न्याय के नाम पर सविनय निवेदन करता हूँ कि—

(१) तहकीकात फरमाई जावे।

(२) पुलिस के उपयुक्त दुराचार व अन्याय की तरफ श्रीजी साहब बहादुर दाम इकबालहू व उनकी दयालु गवर्नमेण्ट की तवज्जह दिलाई जावे।

तारीख २७ मई १९३२ ई०

प्रार्थी

चन्दनमल बहड़

श्री चन्दनमल बहड़ की उपरोक्त दरखास्त से पुलिस और भी कुपित हो गई। फलतः जब वह उन्हें उनके दूसरे मुकदमे में रतनगढ़ ले गयी, तो उसका बदला निकाला। इस सम्बन्ध में श्री चन्दनमल ने नीचे लिखी दरखास्त अदालत को और दीः—

दरबार (२)

श्रीमान् जी,

जब से मैंने पुलिस की शिकायतों वाली दरखास्त दी है तब से

पुलिस मेरे और भी विरुद्ध हो गयी है, और मुझको अकारण कष्ट पहुँचाना ही अपना कर्तव्य समझती है। उदाहरणार्थ जब मैं १५-६-३२ को अपने दूसरे मुकदमे में रतनगढ़ भेजा गया तो तीन वक्त के लिये मुझको केवल ।) आने के पैसे खाने के लिए दिये गये। नतीजा यह हुआ कि एक वक्त मुझको बिलकुल भूखा रहना पड़ा और दो वक्त भी भरपेट खाना न मिल सका। इसके अतिरिक्त, रतनगढ़ में जिस थाने की कोठरी में मुझको ठहराया उसमें जुएं (छोटे-छोटे जानवर) इस बहुतायत से थे कि किसी आदमी का तो क्या जीवधारी तक का सोना वहां असम्भव था और उनके चिपट जाने के कारण मेरे तमाम जिस्म में सूजन आ गयी।

पुलिस ने आज मेरे हाथ में पहले एक बड़ी हथकड़ी लगायी। उसे फिर निकाल कर इतनी छोटी लगा दी जिससे मेरी खाल दबकर उचट गई। मेरे कहने की कोई सुनवाई नहीं की गई और जब सायल ने हथकड़ी की शिकायत की कि यह हाथों को भींचती है, तो पुलिस वालों ने खफा होकर फरमाया कि हमको तो तुम्हारे लिये बच्चों वाली हथकड़ी के लगाने का हुक्म है, यह तो फिर भी बड़ी है। हथकड़ी सख्त लगाने के कारण हथकड़ी के बीच की चमड़ी उखड़ गई कि जिसका निशान अब तक मौजूद है। इसके अतिरिक्त, मैंने कान की शिकायत भी पहले की थी और उस पर पी. एम. ओ. साहब ने आपकी आज्ञानुसार देखा भी था। उस समय उन्होंने यह कहा था कि कान का डूम सूज गया है। मगर दो दिन तक सफा करने के सिवाय फिर मैं शफाखाने नहीं बुलाया गया और कंपौंडर साहब जेल में मामूली दवा डालते रहे। परन्तु अब तक मेरे सुनने में कोई फर्क नहीं हुआ है। इसलिये आशा है कि एक्सरे से दिखा कर इलाज करने का हुक्म दिया जावे। अन्त में यह भी निवेदन है कि पुलिस को भी यह आज्ञा दी जावे कि वह इस तरह से हमको अपने दुश्मन समझ कर जरा-जरा सी बात पर हमको तंग, परे व जलील करके उस

बात के लिये मजबूर न करे कि हमें उसके विरुद्ध किसी कड़ी नीति का अवलम्बन करना पड़े।

हम भी एक निरअपराधी नागरिक की हैसियत से वही बर्ताव चाहते हैं, जो निरअपराधी के साथ एक सभ्य गवर्नमेंट को करना चाहिये। चूंकि अदालतवाला ही एक ऐसी ताकत है जो दोनों फरीकों के न्याय संरक्षण के लिये मुकर्रर है, इसलिये प्रार्थना है कि इन बातों पर विचार करके हुक्म मुनासिब फरमाया जावे।

तारीख १८-६-३२ ई० { प्रार्थी
चन्दनमल बहड

परिशिष्ट (२)

वैद्यराज का प्रमाण-पत्र

DESH BHAKTA COLLEGE

Established in
1929

Registered by the Government of India

DIPLOMA

This is to certify that P. Magharam of Dungargarh (Bikaner State) having completed the curriculum of study and passed the examinations prescribed by the regulations of this college, is declared to have thoroughly qualified in the principles and practice of Ayurvedic science and medicine and books, and is hereby entitled to a diploma of Vaidyaraj

SPECIAL REMARKS

P. Magharam a good practitioner of Ayurvedic science and medicines and books.,

Signed and sealed by this 17th day of December 1929

Seal of
DESH BHAKTA COLLEGE,
Estd. 1929. Agra.

Sd—
Principal or
General Secretary

———

युर्वेद शास्त्री का प्रमाण-पत्र

Kaviraj sushil kumar Sen, M Sc.,
Bhishgacharya Kaviratna.

Kalpataru Palace
Chitranjan Avenue,
Calcutta
10. 5. 39

CERTIFICATE OF PROFICIENCY

This is to certify that Sj. Meghlal Sarswat son of Chunnaram Saraswat of 63 Banstalla Street Calcutta, studied Ayurveda under me for four years He is wellversed in Ayurveda & is practising in Ayurvedic Medicine for the last three years. I confer on him the title of Ayurvedashastri for his proficiency in Ayurveda.

Sd/ Sushil Kumar Sen,

Pranacharya, M. Sc., Bhisgacharya, Kaviratana, etc., Vice-Principal & Chief Physician, Deputy Superintendent, Vishwanath Ayurveda Mahavidyalaya & Hospital, Calcutta, Member. General Council & State Faculty of Ayurvedic Medicine, Bengal, Fellow & Examiner, Benares Hindu University etc. etc.,

---

GE AL COUNCIL AN STAFF FACULTY OF AYU VE IC FDICINE ENGAL

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No.6018 The 15th December 1939

Name	Address or appointment	Date of Registration	Qualification & dates there of
Megblal Saraswat	63 Banstalla Street Calcutta	6.10 39	Ayurved Shastri (1939)

I declare that the certificate reproduces the entries in the proper columns of the Register of Ayurvedic practitioners in respect of the name specified in the certificate

Seal of
G.C. & State Faculty of
Ayurvedic Medicine,
Bengal.

(Sd) Parangamohan
Dasgupta
Registrar.

मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी से प्राप्त प्रमाण-पत्र

MARWARI RELIEF SOCIETY

(Registered under the Indian Companies Act, 1913)

Estd. 1913.

AYURVEDIC RASAYANSHALA

Tele. "Sevasamaj" 13, Sircar Lane,
Phone B. B. 1868. Calcutta, 24 June, 1937.

It is to be certified that, Pt. Magha Ram Sharma Vaidya worked in the Ayurvedic Department of the Marwari Relief Society under me for two years.

I found him honest, intelligent and painstaking I want him every success in life.

Sd/ S S. Awasthi
MANAGER.

Telegram: "SEVASAMAJ" Phone-B B. 2990

MARWARI RELIEF SOCIETY

Ayuryedic Rasayanshala.
391 Upper Chitpur Road,
Calcutta, the 12th May, 1938

This is to Certify that Pt Magha Ram Vaidya has worked in this Society for a period of 12 months 5 days i. e. from the 8 th May 37 to 12 th May 38 During his discharge of duties he proved himself to be an industrious and honest worker and he worked to the satisfaction of his immediate officers He behaved well and bears a good moral character.

Sd- Baijnath Pd
Hony. General Secretary,
Marwari Relief Society,
391, Upper Chitpur Rd
Calcutta.

A A I LI FS C Ti

(Registered under the Indian Companies
Act, 1913.)
Estd. 1913.

AYU VE IC RASAYANSHALA

Telegram: "SEVASAMAJ" 391, Upper ChipturRoad
Phone B. B 2990 Calcutta, The 18th Jan. 1939

This is to certify that Pt. Magha Ram Sharma Vaidya is serving in this department as a salesman of the Harrison Road Shop, for the last two years. He possesses a good experience in Ayurvedic Treatment and so far I understand he is industrious and painstaking. He is sincere, honest and bears a good Moral character.

I wish him every success in his future career.

Sd. S. K. Kothari,
B. A.
Manager.

परिशि (३)

हरखा उपाध्याय वाले मुकदमें में दिये गये फैसले की नकल

तजवीज अदालत इजलास बाबू शेरसिंह जी साहब, एम ए-- एल. एल बी डिस्ट्रिक्ट जज, सुजानगढ़ ता १४-९-२६, मुकदमे का नं १४। सीगा विभाग नंबरी फौजदारी-राज-बनाम—

मघाराम वल्द चुन्नीलाल, कौम ब्राह्मण, साकिन, डूंगरगढ़, मुलजिम जुर्म—किसी सरकारी मुलाजिम को इस गर्ज से झूठी खबर देना कि वह अपना अखत्यार जायज किसी और शख्स को नुकसान या रंज पहुँचाने के लिये नाफिज करे। जेर दफा १८२ ताीरातहिंद खिलाफ मघाराम मुलजिम इस बयान से पेश हुआ है कि ाम मुलजिम ने ता० २६-९-२८ को दफ्तर साहब, होम मिनिस्टर व दफ्तर इन्सपैक्टर जनरल साहब पुलिस में झूठी तहरीरी रिपोर्ट मगशर बदी अमर पेश की कि २४-९-२८ को डूंगरगढ़ में एक शख्स मुस्मीहरखा उपाध्याय बनियत मुजर माना, मुस्मी मांगीया सुनार के न में रात के वक्त दाखिल हुआ और दाखिल होकर हरखा उपाध्याय ने मांगीया सुनार को जदोकोब किया, और जबरदस्ती मांगीया सुनार से कुछ रुपया व कपडे छीन कर ले गया। इस पेश होने पर इस्तफसार मुलजिम लिया गया तो मुलजिम ने अपनी रिपोर्ट पेश करना तो तसलीम किया, मगर इससे इन्कार किया कि वह रिपोर्ट झूठी थी। इस्तगासे की जानिब से हरखा उपाध्याय व

मु० कमलावती व वेरुजाट, व दुलीचन्द कूडलिया व कुं० सवलसिंह जी साहब डी. आई. जी. पी. व मु० भैरौं बख्स जी तहसीलदार डूंगरगढ़ की शहादत कराई गई।

कुं. सबलसिंह साहब की शहादत मुतल्लिक तफतीशके है, और मु. भैरौंबख्श जी तहसीलदार की शहादत सिर्फ इस वजह से कराई गई है कि जब कि कुं. साहब मौसूफ डूंगरगढ़ में वारदात बयान करदां था मौका देखने के लिये जा रहे थे, तो रास्ते में तहसीलदार साहब इत्तफाकन कुं. साहब मौसूफ को मिल गये। और कुंवर साहब मौसूफ तहसीलदार साहब को अपने हमराह ले गये, और तहसीलदार साहब की मौजूदगी ही में नकशा मौका तैयार हुआ, जो मिसिल में शामिल है और जिस पर तहसीलदार साहब के दस्तखत मौजूद हैं, यानी तहसीलदार साहब की शहादत महज नकशा मशमूला मिसिल की तसदीक के लिये है—अलावा शहादत कुंवर साहब मौसूफ जो मुतल्लिक तफतीश के है। व शहादत तहसीलदार साहब जो महज नकशा मौका मुसमूल मिसिल की तसदीक के मुतल्लिक है।

मघाराम मुलजिम के खिलाफ जुर्म जेर दफा १८२ ताजीरातहिंद कायम नहीं रहता, तावक्त कि यह साबित न हो कि मघाराम मुलजिम ने दीदोदानिस्ता झूठी रिपोर्ट हरखाराम उपाध्याय को नुकसान पहुँचाने की गरज से तहरीर कराई व सूरत मौजूदा इस्तगासे ने साबित यह नहीं किया कि यह रिपोर्ट झूठी थी। जब कि वाकयाद से यह मालूम होता है कि हरखा उपाध्याय मांगीया सुनार की छत पर गया तो फिर यह नतीजा मौजूदा शहादत इस्तगासे अखज नहीं किया जा सकता कि हरखा उपाध्याय का मांगीया सुनार को मारपीट करना और उ ी चीजें उठा कर ले जाना गैर अगलब था और जब तक यह करार नहीं दिया जावे--मघाराम मुलजिम के खिलाफ जुर्म जेर दफा १८२ ताजीरातहिंद कायम नहीं रहता—लिहाजा—अदालत हुक्म देती है कि—

ब अदम सबूत जुर्मजेर दफा १८२ ताजीरातहिन्द मघाराम मुलजिम बरी किया जावे—हुक्म सुनाया गया। मिसिल दाखिल दफ्तर होवे।

द० बाबू शेरसिंह जी साहब।

परिशिष्ट (४)

देश निकाले की आज्ञा

(नकल)

बीकानेर के गृह-विभाग की मोहर

१६-३-३७

चूंकि बीकानेर गवर्मेन्ट की राय में यह विश्वास करने के लिये काफी वजूहात हैं कि तुम मघाराम वल्द चुन्नीलाल ब्राह्मण जनता के अमन-अमान व भलाई के खिलाफ कारवाई कर रहे हो, और चूंकि तुम्हारा इस रियासत में रहना अनुचित है, इसलिए बीकानेर रियासत की रक्षा के एक्ट नम्बर ३ सन् १९३२ जैसा कि वह एक्ट नं० ६ सन् १९३६ के द्वारा तरमीम किया गया है, उनकी दफा १६—८ की रूसे जो अख्त्यारात दिये गये हैं उनके मुताबिक तुम को हुक्म दिया जाता है कि तुम मघाराम बुधवार ता १७ मार्च सन् १९३७ की आधीरात तक बीकानेर रियासत को छोड़ दो और गवर्मेण्ट बीकानेर की लिखित आज्ञा बिना इलाके रियासत हाजा में दाखिल मत होओ।

गवर्नमेंण्ट आव बीकानेर की आज्ञा से हैवीटन हार्डिंग

स्पेशल औफीसर

होम डिपार्टमेंण्ट

परिशिष्ट (५)

ढाका नारायणगंज के पीड़ितों के सहायतार्थ निकाली गई अपील

१९ अप्रैल १९४१ मंगलवार को रात ९॥ बजे भारतलक्ष्मी के रंगमंच पर नयी कहानी के साथ—

—क्या—

जवानी की रीति

बंगाल के गौरवमय स्थान ढाका, नारायणगंज में हिन्दू मुसलमानों और मुसलमान हिन्दुओं की जान के ग्राहक हो रहे हैं। पीड़ितों को खाने के वास्ते अन्न नहीं मिलता, रहने के लिये घरबार से विहीन हो गये हैं। आप लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए—आप लोग ही विचार कर सकते हैं। पीड़ित जनता आप महानुभावों से बड़ी-बड़ी आशा लगाये आकाश के तारे गिन रही है। छोटे-छोटे बच्चे अन्न-जल के बिना चिल्ला रहे हैं। बंगाल के बड़े-बड़े नेता रात दिन परिश्रम करके चन्दा इकट्ठा कर पीड़ितों को अन्न-वस्त्र की व्यवस्था कर रहे हैं। दंगाइयों का गांवों में भी जोर बढ़ रहा है। आप लोग टिकट खरीद कर बच्चों को मरने से बचाएं और पुण्य के भागी बनें। इस गौरव-मय काम का भार आलइण्डिया यूथ लीग की शाखा बड़ाबाजार यूथ लीग ने अपने ऊपर लिया है।

विनीत

मघाराम शर्मा

मन्त्री, बड़ा बाजार यूथ लीग

नं. २०७ महर्षि देवेन्द्ररोड, कलकत्ता

परिशिष्ट (६)

नेताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में श्री मघाराम वैद्य का वक्तव्य

पण्डित मघाराम जी वैद्य प्रधान बीकानेर राज्य प्रजा-परिषद ने एक वक्तव्य देते हुए कहा है कि २२ जुलाई १९४२ को बीकानेर राज्य में जनता की प्रतिनिधि संस्था के रूप में राज्य के प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा बीकानेर प्रजापरिषद नामक संस्था को जन्म दिया गया। थोड़े बाद ही स्वर्गीय महाराजा साहब की सरकार ने परिषद को कुचलने के लिये सभापति श्री रघुवरदयाल गोयल को राज्य से जबरन निर्वासित कर दिया और ९ अगस्त १९४२ को अन्य कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया। १६ फरवरी १९४३ को वर्तमान महाराज साहब ने राज्य गद्दी पर विराजने के बाद ही प्रजा-परिषद के तमाम पकड़े हुए कार्यकर्ताओं को सभापति सहित सम्मान पूर्वक रिहा कर दिया। रिहाई के बाद तमाम कार्यकर्ता उत्सुकता से महाराज साहब के 'ठहरो और देखो' के आश्वासन की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच महाराज साहब, प्राइम मिनिस्टर तथा होम मिनिस्टर साहब से गोयल जी की कई बार बातचीत हुई। २६ अगस्त १९४४ को श्रीजीसाहब बहादुर से मिलकर लौटते समय रास्ते में ही गोयल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कई साथी भी पकड़ कर बुला लिये गये तथा भिन्न-भिन्न स्थानों में नजरबन्द कर दिये गये। सन् १९४५ के आरम्भ से ही परिषद के बचे हुए कार्यकर्ताओं ने संस्था के पुनः संगठन का कार्य फिर से चालू कर दिया है और सभापति का भार मेरे कन्धों पर गया है। राज्य की आबादी १३लाख से भी कहीं ऊपर है। लोगों में उत्साह भी काफी है, किन्तु परिषद २॥ साल से अपना अस्तित्व बनाये

रखने के लिए मुसीबतों से गुजरने के कारण अभी तक अपनी सही स्थिति जनता के सामने नहीं रख सकी। प्रधान के नाते राज्य की म जनता से अपील करता हूँ कि वे इस जन प्रतिनिधि सभा में शामिल हो कर राज्य में संचलित कानूनों के अन्दर रह कर अहिंसात्मक तथा शांति पूर्ण उपायों द्वारा रचनात्मक कार्यों में जुट पड़ें और इस तरह से राज्य तथा जनता की भलाई के लिये आगे कदम बढाये। जहां तक मुझे मालूम है सरकार दमननीति से काफी परेशान तथा ऊबी हुई है और बदनामी से बचना चाहती है। यही कारण है कि सरकार ने नये सिरे से छेड़छाड़ नहीं की है। इस बुद्धिमानी के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। प्रजा-परिषद को भी छेड़छाड पसन्द नहीं है। उसका कार्यक्रम साधारण संगठन दृढ़ करना एवं रचनात्मक कार्यों को करना है, जिससे राज्य की नयी शक्तियों का विकास हो और जनता के हितों की रक्षार्थ रियासत मे सुसंगठित प्रयत्न किया जा सके। ३१ मई तक साधारण सदस्य बनाये जायंगे और जून में कार्य कारिणी का नया चुनाव किया जायेगा। इसके बाद परिषद का आम अधिवेशन भी परिषद के विधान के अनुसार सुभीते से होगा।

(२६ मार्च १६४५, विश्वमित्र, दिल्ली)

परिशि (७)

नजरबन्दी और निर्वासन का विरोध

बीकानेर राज्य प्रजा-परिषद की कार्य-कारिणी समिति की बैठक ५ अप्रेल १६४५ को श्री मघाराम वैद्य की अध्यक्षता में बीकानेर में हुई, जिसमें नीचे लिखे प्रस्ताव पास किये गये:—

इस समिति की राय में श्री रघुवरदयाल जी वकील का प्रतिबन्धों

के साथ लूणकरनसर में और श्री गंगादास जी कौशिक का अनूपगढ़ में नजरबन्द के तौर पर रखा जाना अनुचित और नागरिक अधिकारों का अपहरण है। यह समिति श्री महाराज साहब से प्रार्थना करती है कि वे इन व्यक्तियों को नागरिक स्वतन्त्रता देकर अपनी घोषणाओं को सार्थक करें।

यह समिति श्री दामोदरप्रसाद सिंहल के बिना कारण बताये डूंगर कालिज से निर्वासन को अन्याय-पूर्ण समझती है, तथा बीकानेर सरकार से अनुरोध करती है कि वह उक्त आज्ञा को रद्द करके श्री दामोदरप्रसाद सिंहल को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करें।

(विश्वमित्र, दिल्ली)

परिशिष्ट (८)

प्रजा परिषद के कार्य पर श्री मघाराम वैद्य का वक्तव्य

दिल्ली के वीर अर्जुन दैनिक समाचार पत्र में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के सभापति श्री मघाराम वैद्य का वक्तव्य सम्बन्धी जो समाचार २६ अप्रेल १६४५ के अंक में प्रकाशित हुआ था इसका उद्धरण यहा देते है —

बीकानेर (डाक द्वारा) बीकानेर राज्य प्रजा-परिषद के सभापति श्री मघाराम वैद्य ने निम्न वक्तव्य दिया है:—

श्री रघुवरदयाल की गिरफ्तारी के बाद बीकानेर राज्य प्रजा-परिषद का कार्य भार एक राय से सदस्यों ने मेरे कंधे पर डाला है। मैंने प्रजा परिषद के पुन. संगठन का कार्य आरम्भ भी कर दिया है। मुझे खुशी है कि बीकानेर की जनता ने मेरे प्रयत्नों का स्वागत किया है। हमारे संगठन का कार्य दिन प्रति-दिन मजबूत होता जा रहा है।

केि ी तक हम अपने संगठन को एक आदर्श संगठन कहने की स्थिति में नहीं हैं। अभी हमें अपना कार्या ऐसे गुप्त स्थान पर रखना पड़ रहा है जहां हम लोग आसानी से बातचीत कर सकें। बेशक हमारे काम में रुकावटें आ रही हैं। लेकिन मुझे अपने मित्रों की शक्ति पर विश्वास है और मैं बहुत जल्दी ही सारी रिया में दौरा कर प्रजा-परिषद् का संगठन दृढ़ करने का निश्चय कर रहा हूँ।

आपने आगे कहा है कि अभी अपनी कार्यकारिणी की बैठक में हमने जो निर्णय किये हैं उन्हें पूरा करने के लिये मैंने ने सभी मित्रों को काम सौंप दिये हैं। संगठन के साथ-साथ हमारे सामने सबसे पहला सवाल बीकानेर के लोकनेता सर्वश्री रघुवरदयाल जी गोयल गंगादास जी कौशिक और विद्यार्थी नेता दामोदरप्रसाद सिंहल की निर्वासन-आज्ञा को रद्द कराना और इसके लिये निरंतर लोकमत तैयार करना है।

परिशिष्ट (६)

रावमाधौसिंह का नाटकीय निर्वासन

बीकानेर के नहरी इलाके की गंगानगर प्रजापरिषद के प्रधान राव माधौसिंह जी के बीकानेर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धारा ६ के अनुसार दीवान साहब द्वारा निर्वासित किये जाने के जो विस्तृत समाचार मिले हैं उन से मालूम होता है कि परिषद से अलग होकर माफी मांगने से इन्कार करने पर ही उनको निर्वासित किया गया है। इसके लिए उनको दो बार मोहलत दी गई। माफी मांगने के लिये बिल्कुल भी तैयार न होने पर २६ जुलाई को उन्हें थाने मे बुलाकर राज्य के लिक सेफ्टी एक्ट की धारा के अनुसार २४ घंटे के भीतर राज्य से निकल जाने की प्राइम मिनिस्टर की आज्ञा दिखला

दी गयी। २७ जुलाई को दोपहर के समय उनको एक लारी में बैठाकर, जनता के डर से, गंगानगर शहर के बाहर ३ मील की दूरी पर ले जाकर तीन मासी नहर पर ठहराया गया और पुलिस के अफसरों तथा सिपाहियों की निगरानी में रेल से भटिण्डा ले जाकर रात को छोड़ दिया गया।

गत २४ जुलाई को राव माधोसिंह और बीकानेर के दीवान के बीच जो बातचीत हुई थी, वह काफी मनोरंजक थी। डी० आई० जी० पी० ने दुभाषिये का काम किया। बातचीत निम्न प्रकार है:—

दीवान—तुम लोगों ने यह गड़बड़ी मचा रखी है।

राव माधोसिंह—गड़बड़ी का खुलासा कीजिये, क्योंकि गड़बड़ी कई प्रकार की होती है।

दी०—प्रजा परिषद् की गड़बड़ी।

रा० मा०—क्या प्रजा परिषद् ऐसी संस्था है जिसे गड़बड़ी मचाने वाली कहा जाय?

दी०—हां! प्रजापरिषद् राज्य विरोधी संस्था है।

रा० मा०—मैं इस बात को नहीं मानता। प्रजा-परिषद् तो राज्य और प्रजा की सदा हितैषी संस्था है।

दी०—तो तुम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयनारायण व्यास से क्यों सम्बन्ध रखते हो?

रा० मा०—भारतीय रियासतें वर्तानियां हुकूमत से क्यों सम्बन्ध रखती हैं?

दी०—तुम लोग दुधवाखारा क्यों गये थे?

रा० मा०—मैं गया था अपने प्रधान की आज्ञानुसार जांच करने।

दी०—तुम्हें जांच करने का क्या अधिकार है?

रा० मा०—पिरद्ग्रस्त लोगों की सहायता करना मेरा इन्सानी फर्ज है।

दी०—तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम अपनी तकलीफें बताओ?

रा० मा०—कौन है तकलीफ सुनने वाला ? मै नहीं मानता कभी तकलीफ सुनी जाती है। यदि सुनी जाती हे तो अनेक फरियादी बाहर बैठे है, उनकी तकलीफ सुनिये। मेरी तकलीफ आप पूंछ रहे हैं, इसका कारण मै समझता हूँ। केवल मैं ही तो जनता नहीं हूं। आप मेरे साथ आइये और हा देखिये। दो-दो ढ़ाई ढाई मास से रोगियों तक के लिये तेल नहीं मिलता; कपड़े तो मरे हुए लोगो के लिये भी नहीं। प्रसूता स्त्रियों तक को खांड नहीं मिल रही। मैं तो यही कहूँगा कि व ान पदाधिकारियों की घूंसखोरी व स्वेच्छाचारिता ही सच्ची क्रांति तथा राजद्रोही पैदा करने वाली है।

दी०—तुम्हारी जन्मभूमि कहां है ?

रा० मा०—भादौं तहसील नारनौल।

दी—तुम्हें तकलीफ है तो तुम वहां चले जाओ ?

रा० मा०—मैं वैधानिक रूप से यहां का नागरिक हूँ, क्योंकि बीस वर्ष से राज्य में रहने वाले को विधान देशी मानता है। मैं तो यहां ४० वर्ष से रह रहा हूँ। मेरी जायदाद भी राज्य मे है।

दी०—अच्छा तुम्हें तीन घंटे की मोहलत दी जाती है। सोच-झकर माफी लिख दो, अन्यथा निर्वासित कर दिये जाओगे।

रा० मा०—आप की मोहलत की मुझे जरूरत नहीं। मुझे २ मिनट की भी मोहलत नहीं चाहिए। आज्ञा-पत्र दीजिये, मै चला जाऊंगा।

दी०—मैं रहम करता हूँ।

रा० मा०—आ ी मोहलत और रहम की मुझे जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है हुक्म की।

इतने वार्तालाप के बाद रावमाधौसिंह को बाहर भेज दिया गया और फिर शाम को बुलाया गया।

दीवान—बीकानेर वालों ने माफी मांग ली, तुम भी मांग लो।

रा० मा०——मैं माफी नहीं मांग सकता।

इसके बाद एक दिन की मोहलत और देने के बाद राव माधौ सिंह को जबरन निर्वासित कर दिया गया।

('प्रभात' पत्र मे प्रकाशित)

परिशिष्ट (१०)

अनशन के संबंध में सरकारी प्रकाशन-विभाग का वक्तव्य

बीकानेर राज्य के प्रकाशन विभाग ने समाचारपत्रों में प्रकाशित इन खबरों का प्रतिवाद किया है कि पं० मघाराम तथा इनके पुत्र रामनारायण तथा किशनगोपाल 'गुट्टड़' पिछले दिनों से जेल अधिकारियो के कथित दुर्व्यवहार के कारण भूख हडताल पर है। वक्तव्य में कहा गया है कि लोग पूर्णतः भूखहडताल पर नहीं और बिना किसी जबरदस्ती के स्वतंत्रता पूवक ग्लूकोज ले रहे है। वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि इन लोगों का दुधवाखारा के ठाकुर के साथ एक निजी जमीन के झगडे के सिलसिले में आन्दोलन खड़ा करने वाले एक गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होने के कारण दडित किया गया है।

(२२—११—४९, वीर अर्जुन दिल्ली)

परिशिष्ट (११)

राजबंदियों के सम्बन्ध में श्री रघुवरदयाल जी का वक्तव्य

बीकानेर प्रजा-परिषद के भूतपूर्व प्रधान श्री रघुवरदयालजी गोयल ने बीकानेर के भूखहडताली राजनीतिक बंदियो के संबंध में निम्न वक्तव्य दिया.—

पं० मघाराम जी वैद्य प्रेसीडेण्ट बीकानेर राज्य प्रजापरिषद तथा

उनके दो साथी किशनगोपाल जी 'गुट्टड' तथा रामनारायण शर्मा को श्री वी०डो० चोपडा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा नौ महीने के कठिन कारावास का दण्ड दिया गया। जिस दफा के नीचे दण्ड दिया गया वह फैसला सुनाते समय नहीं बतायी गई, न फैसला ही पढ़कर सुनाया गया। इन दोनों बातों का करना कानूनन आवश्यक था। जहा तक सूचना मिली है सजा को तीन सप्ताह से ऊपर हो जाने पर भी, अभीतक फैसले की नकल नकल-विभाग से नही दी गई है। जहा तक मालुम हुआ है इन लोगो के विरुद्ध राजनीतिक अपराध के अतिरिक्त और कोई भी जुर्म-इल्जाम नहीं लगाया जा सका, न रियासत के अधिकारी ही नाटकीय मुकदमे में इनके विरुद्ध कुछ और प्रमाणित करने मे सफल हो सके। न्याय, कानून या किसी भी सभ्य-सरकार के जेल नियमों के अनुसार ऐसे लोगों के साथ नैतिक अपराधियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार से भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिये। लेकिन बीकानेर सरकार के विचार इस बारे में कुछ खास से हैं। 'बीकानेर प्रिजन्स एक्ट' के नीचे कोई भी मुश्तहर शुदा जेल नियम नहीं बनाए गये हैं। जब मैं सेन्ट्रल-जेल मे था, तो मुझ से एक अधिकृत व्यक्ति ने कहा था कि वहां का सारा कार्य पिछला रिवाज, जाप्ता तथा अमलदरामद से चलता है। दूसरे स्थानों में जो कुछ भी सजा पाए व्यक्तियों के विरुद्ध बनाया जाता है, वह तो वैसा ही उसी दिन से वहां लागू कर दिया जाता है। यदि कोई बात उन्हें फायदा या सहूलियत पहुँचाने वाली हो तो उसकी परवाह नहीं की जाती। बिना किसी संकोच के बीकानेर मे राजनीतिक बंदियों के साथ नैतिक अपराधियों से भी कही बुरा वर्ताव किया जाता है। ज्यादातर इन लोगों को 'हरामखोर' कह कर पुकारा जाता है। राजनीतिक बंदियों का सा व्यवहार करने की मांग पर बुरी तरह झिडका, फटकारा तथा गाली-गलोज भी दी जाती है। इस प्रकार के व्यवहार के विरुद्ध पं० मघाराम तथा उनके दो साथियों ने १८ और २३ नवम्बर से भूख हडताल कर दी है। आज उनकी भूख हडताल का २७ वां दिन है।

उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। छाती में दर्द, निमोनिया तथा बेहोशी आदि होने लगीं हैं। ऐसी हालत में डाक्टरी सहायता दिये जाने के बजाय, उन्हे अधेरी, ठंडी, तग काल-कोठरी में बद किये जाने का हुक्म दे दिया गया ह। उनके पैरो में लोहे के कडे डाले हुए ह। मुलाकात की सुविधा जेल नियमों के अनुसार जरूर दी गई है। ऐसी बुरी हालत में मालूम होता है कि रियासत के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बीकानेर के लोग बीकानेर सरकार के इस भद्दे रवैये से बडे दु खी ह, किन्तु हाल ही मे हुए बीकानेर सरकार के निरंकुश दमन द्वारा उत्पन्न किये गये भय के वातावरण में उसे सार्वजनिक सभा इत्यादि के द्वारा मत प्रकट करने का साहस नहीं। आश्चर्य है जब बीकानेर महाराज अपनी रियासत को भारतवर्ष की उन्नतिशील रियासतो में से एक बनाना चाहते हैं, उनकी सरकार पीछे रह रही है। समझ में नहीं आता कि इस तीनों चीजों का मेल किस तरह बिठाया जा सकता है। (२५-१२-४५ नवयुग संदेश)

परिशिष्ट(१२)

सरकारी विज्ञप्ति का प्रतिवाद

बीकानेर (डाक द्वारा) बीकानेर सरकार ने हाल ही मे एक विज्ञप्ति प्रकाशित कराके बतलाया है कि राजबंदियो ने स्वेच्छा से अनशन तोड दिया है तथा डाक्टरी सहायता न देने, जेल अधिकारिकों द्वारा अपमान-जनक व्यवहार करने व संबंधियो से न मिलने दने की खबरें निराधार हैं। इस विज्ञप्ति के कुछ दिन पहले ही बीकानेर सरकार ने एक विज्ञप्ति इन्हीं राजनैतिक बन्दियों के बारे में प्रकाशित कराके बतलाया था कि ये राजबंदी न तो पूर्ण भूख-हड़ताल पर ही है और न यह राजबन्दी हैं, क्योंकि इन्होंने दूधवाखारा के ठाकुर के सिलसिले में आन्दोलन खडा

करने वाले एक गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होने के कारण दंडित किया गया है। दोनों सरकारी विज्ञप्तियां परस्पर विरोधी हैं। एक में उनका अनशन न करना बतलाया जाता है, तो दूसरी में स्वेच्छा से अनशन तोड़ना। प्रथम विज्ञप्ति में उन पर एक गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, जबकि उसके बारे में दावे के साथ कहा जा सकता है कि वे सिवाय प्रजा परिषद् के किसी राजनीतिक संस्था के सदस्य नहीं थे और न प्रजापरिषद बीकानेर सरकार द्वारा गैरकानूनी ठहराई गई है, हालांकि उसको कुचलने का कई प्रकार से निष्फल प्रयत्न किया जा रहा है। राजबंदियों का दुधवाखारा के किसान आन्दोलन से संबंधित बतलाकर बीकानेर सरकार ने स्वतः ही अनजान में उन्हें राजनीतिक बंदी मान लिया है और तदनुसार अनुचित व्यवहार करने पर उनका अनशन करना भी अपनी विज्ञप्ति में स्वीकार कर लिया है; किन्तु साथ ही विज्ञप्ति में उनका स्वेच्छा से अनशन तोडना व बुरे व्यवहार का न करना भी बतलाया गया है। उनके साथ जो अवांछनीय व्यवहार किये गये हैं, उन पर तो उसके बाहर आने पर ही प्रकाश पड़ेगा। विश्वसनीय खबरों के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उसके गले में रबर की नली डालकर पेट में जबरन दूध उतारने की कोशिश की गई, फिर भी उनकी अवस्था में सुधार न होने की रिपोर्ट जब महाराजा साहब के निजी डाक्टर श्री मेनन ने उनको दी, तब उन्होंने हस्तक्षेप करके जेल सुपरिण्टेण्डेंट को टेलीफोन पर उनकी मांगें पूरी करने व उन्हें राजनीतिक बंदी मान लेने की आज्ञा दी। अपनी शर्तें पूरी हो जाने पर बन्दियों ने अपने २४ दिन के अनशन को तोड दिया। वे १७ नं० की कोठरी में बंद कर दिये गये हैं, पर आश्वासन के बाद भी उनकी संबंधियों से मिलाई नहीं कराई गई। महाराजा साहब के हस्तक्षेप के बाद भी ऐसी विज्ञप्ति को देख कर सब को आश्चर्य है। यदि बीकानेर सरकार को अपनी सचाई तथा ईमानदारी पर पूरा विश्वास था, तो हरिभाऊ उपाध्याय तथा दूसरे पत्रकारों को अनशन के

वक्त क्यों नहीं मिलने दिया गया। यदि अब भी उसमें नैतिक साहस है तो खुली निष्पक्ष जांच करावे।

(२२-१२-४५, वीर अर्जुन, दिल्ली)

परिशिष्ट (१३)

बीकानेर के सम्बन्ध में रियासती कार्यकर्ता संघ का प्रस्ताव

बीकानेर राज्य से बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं 'दुधवाखारा के किसानों, खादी-भण्डार और वाचनालय जैसी रचनात्मक संस्थाओं पर होने वाले तरह-तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दमन के जो समाचार कुछ अर्से से आ रहे हैं, उनसे यह संघ इस नतीजे पर पहुँच रहा है कि बीकानेर सरकार वहां प्रजातांत्रिक भावना व किसी प्रजासंस्था को पनपने देना नहीं चाहती, व जो भी ऐसा प्रयत्न करते हैं, तो उन्हे हर तरह से भयभीत कर दबा देना चाहती है। यह संघ बीकानेर सरकार की ऐसी प्रवृतियों व कारवाइयों की घोर निंदा करता है। साथ ही यह श्रीमान बीकानेर नरेश का भी ध्यान इन कुप्रवृतियों की ओर आकर्षित कर उनसे निवेदन करना चाहता है कि यदि वे समय रहते इस स्थिति को न सुधार लेंगे व जनता को वहा की सरकार या अधिकारियों की दमनकारी प्रवृत्तियों से बचाकर सच्चे अर्थ में पूर्ण नागरिक स्वतंत्रता नहीं अनुभव करने देंगे व प्रजासंस्थाओं को अपना काम बेरोकटोक नहीं करने देंगे, तो वहा न केवल पारस्परिक कटुता ही बढती जायगी, बल्कि ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि जिससे खुद महाराज साहब व बीकानेर सरकार तथा वहा के प्रजाजन सब को नयी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पडेगा।

यह संघ बीकानेर के पीड़ित नागरिकों को भी यह आश्वासन देना चाहता है कि उन पर हुए दमन व अत्याचार में इस संघ की पूर्ण सहानुभूति है और वह बीकानेर राज्य में नागरिक स्वतंत्रता तथा उत्तरदायी शासन प्राप्त करने के प्रत्येक उचित कार्य तथा आन्दोलन में उनके साथ है। इस संघ को श्री मघाराम तथा उनके अन्य साथियों द्वारा सरकारी दुर्व्यवहार के विरोध में अनशन करने तथा उनकी चिन्ताजनक अवस्था सम्बन्धी समाचारों से अत्यन्त चिन्ता है। संघ श्री हरिभाऊ जी को इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच व कार्यवाही का अधिकार देता है।

श्री हजारीलाल जी जडिया का लोकयुद्ध आदि पत्रों में यह वक्तव्य पढ़कर इस संघ को आश्चर्य हुआ है कि बीकानेर में संघ द्वारा मान्य श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय और श्री देशपाण्डे जी की मुलाकात के अवसर पर बीकानेर राज्य की तरफ से सात हजार रुपया दान खाते में खर्च किये गये है। इस प्रकार का प्रकाशन इसी उद्देश्य को लेकर किया गया है कि लोगों में भ्रम फैलाया जाय कि संघ के जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक या अन्य तरीके पर दान लेकर बीकानेर जनता के हित की अवहेलना की है। संघ को अधिकृत रूप से यह जानकर सन्तोष हुआ है कि जो वक्तव्य श्री जडिया जी द्वारा दिया गया बताया जाता है, वह उनका अधिकृत वक्तव्य नही है, तथा लोक-युद्ध के प्रतिनिधि को श्री जड़िया जी ने खासतौर से यह कह दिया था कि बीकानेर मे सात हजार रुपये के दान सम्बन्धी बयान मिला था, परन्तु श्री हरिभाऊ जी ने उनके द्वारा ऐसा दान लिये जाने या स्वीकार किये जाने की बात का खण्डन किया था। श्री जडिया जी ने लोक-युद्ध के प्रतिनिधि को इस खण्डन को लोक-युद्ध में खासतौर पर प्रकाशित करने को कहा था, परन्तु वह बात प्रकाशित नहीं की गई। इस संघ को अधिकृत रूप से यह भी मालूम हुआ है कि बीकानेर सरकार ने उस अवसर पर वैसा कोई दान किसी व्यक्ति

या संस्था को नहीं दिया, अत. यह संघ यह घोषित करता है कि इस तरह की जो शरारत भरी बातें प्रकाशित की गई है, वे सस्था विरोधी, गैरजिम्मेदार पत्रकारिता का ही काम है और उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए। परन्तु यह संघ श्री जड़िया जी से यह माग करता है कि उक्त कथित वक्तव्य के सम्बन्ध मे वे अपना खण्डन, दान लेने व न लेने के विषय मे अपने विचार प्रकट करें, अन्यथा लोगों मे यह भ्रम होना अनिवार्य है कि श्री जड़िया जो स्वयं ऐसा भ्रम फैलाने के जिम्मेदार हैं।"

(उदयपुर मे स्वीकृत और ८-१२-४५ को विश्वमित्र, दिल्ली में प्रकाशित)

परिशिष्ट (१४)

जयहिंद की वेदी पर

२७ दिसम्बर का दिन। रामपुरीया इण्टरकालेज मे छटी क्लास में हाजरी लेने के समय श्री द्वारकाप्रसाद कौशिक ने 'प्रेजेण्टसर' के स्थान पर "जयहिन्द" कह दिया, इस पर सारे कालेज में सनसनी फैल गई। कालेज के अधिकारियों ने कौशिक को निकाल देने की धमकी दी। विद्यार्थी कौशिक भी अड गया और लिखित आज्ञा चाही, परन्तु प्रोफेसर बोस के हस्तक्षेप करने पर उस दिन मामला टल गया। दूसरे दिन जब कौशिक ने जयहिन्द कहा, तब उस कालेज से निकाल दिया गया और इस सम्बन्ध में कोई लिखित आज्ञा भी नहीं दी गयी।

(२ १. ४६, विश्वमित्र, दिल्ली)

परिशिष्ट (१५)

पुलिस ने राष्ट्रीय झण्डे उतारे

बीकानेर, १२ फरवरी । बीकानेर में कल बजाज-दिवस मनाया गया । गत २६ जनवरी को जो राष्ट्रीय झण्डे फहराये गये थे, वे अभी तक फहरा रहे थे । अधिकारियों के अनुरोध पर कार्यकर्ताओं ने झण्डे ार लेने और फिर अन्य राष्ट्रीय अवसर पर फहराने का निश्चय किया । किन्तु उसके पहले ही पुलिस झण्डे उतारने के लिये सचेष्ट हो गई । निर्वासित बाबू रघुवरदयाल जी गोयल के मकान का झण्डा उतारने के लिये पुलिस का एक आदमी, जब उनके पडौसी के मकान में घुसने लगा, तब मकानदार ने उसे रोका । पर म दार को हिरासत में ले लिया गया । बाद में वहां जाने पर उसे झ नहीं मिला । गोयल जी के मकान में जबरदस्ती घुसने की जब कोशिश की गई, तब उनकी धर्मपत्नी घर से बाहर आ गयीं । श्री मघाराम जी वैद्य के मकान से भी निशान लगा कर झण्डा उतार दिया गया और रोकने की कोशिश में वैद्य जी की बहन की ाई में चोट आ गई । इसी तरह कौशिक जी के मकान से भी झण्डा उतारा गया । यह सब कार्यवाही रात को हुई ।

(१६. २. ४६ विश्वमित्र, दिल्ली)

परिशिष्ट (१६)

श्री हीरालाल शर्मा के बयान का मुख्य अंश

बीकानेर राज्य प्रजापरिषदके स भापति श्री रघुवरलाल जब बीकानेर की गैरजिम्मेवार सरकार द्वारा बीकानेर राज्य मे निर्वासित

कर दिये गये थे, तब बीकानेर सरकार की इस कार्यवाही के विरोध में एक आम सभा रतन विहारी पार्क में सैनिक के सम्पादक श्री जीवाराम पालिवाल की अध्यक्षता में ता० २६ जून १९४६ को की गई थी, जिसमें बीकानेर प्रजापरिषद की कानपुर शाखा के अध्यक्ष श्री हीरालाल शर्मा ने भी भाषण दिया था। इस पर श्री हीरालाल शर्मा को बीकानेर सरकार ने उसी रात को २ बजे के करीब गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के सिलसिले में श्री हीरालाल शर्मा ने सेशनजज की अदालत में जो वयान १ अप्रेल १९४७ को दिया उसका मुख्य अंश यहां दिया जाता है:—

श्रीमान्

मैं ठिकाना बीदासर तहसील सुजानगढ़ का रहने वाला हूं, वहा मेरे परिवार की काफी सम्पत्ति है, हम लोग न जाने कबसे वहीं रहते हैं, मेरे पिताजी दूसरे अनेको की तरह कानपुर मे घी का व्यौपार एक अरसे से करते हैं। मैं भी उन्हींके साथ प्राय. वहां रहता हूँ। मैं वहां की स्थानीय कांग्रेस कमेटी का एक कार्यकर्त्ता रहा हूँ और हूं।

जब बीकानेर ने जाग की करवट ली और यहां श्मशान की शान्ति भग हुई, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी मातृभूमि की सेवा में अर्थात यहां की जनजागृति मे भरसक कुछ हिस्सा अदा करूं। कानपुर में रहते मैंने बीकानेर राज्य प्रजापरिषद की एक प्रवासी शाखा, वहा खोलने का आयोजन किया, जो बीकानेरी भाई वहा रहते हैं उन्हे उसका सदस्य बनाकर संगठित किया। बीकानेर की समस्याओं पर वहा के जनमत को बनाया। " इतना सब, यहां के होम डिपार्टमेन्ट के लिए काफी था, मैं उसकी नजरों में चढ़ गया, मेरी बदमाश गुन्डों की तरह एक अलग फाइल बना ली गई, जैसा कि हर राजनैनिक कार्यकर्ता के साथ किया जाता है और मेरी भी निगरानी रक्खी जाने लगी। कुछ गुप्तचर कानपुर तक मेरे बारे मे जानकारी करने और मेरी हलचलों पर निगरानी रखने भेजे गए"" ।

वक्त आगा कि मैं बीकानेर आया, मौका यहां के कुछ कार्यकर्त्ता गोयल आदि की निर्वासन आज्ञा तोड कर गिरफ्तार होने और उसके विरोध में बीकानेर भर में सभाएं तथा प्रदर्शन करने का था। बीकानेर में एक सभा का आयोजन ऊपर लिखे कारण से किया गया और वक्ताओं के अलावा मैं भी बोला। मुझ पर जिस किस्म के भद्दे, ओछे, जलालत भरे इल्जामात लगाये गये हैं, वे हरगिज सही नहीं हैं। ये सब शरारत भरे हैं। इनके पीछे एक बुरी नीयत और बडा हाथ है, क्यों है, इसका जिकर मैं आगे चलकर करूंगा।

राजनीति में मैं गांधीवादी हूं मेरा सत्य, अहिंसा में पूरा विश्वास है और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं इन सिद्धान्तों पर चलूं और आचरण इन के अनुकूल बनाऊं। बीकानेर राज्य परिषद् का उद्देश्य है कि कि वैधानिक और शांतिमय उपायों द्वारा महाराज की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना कि जिसका पाबन्द मैं सदा से हूँ और जब तक यह उद्देश्य है रहूँगा। मैंने उस फार्म पर दस्तखत किये हैं जिसमें यह उद्देश्य साफ-साफ बड़े शब्दों में लिखा है। ··मैंने अपने भाषण में महाराज बीकानेर का नाम हरगिज नहीं लिया, न उनको कान पकड़कर निकालने या हटाने की बात कही। अगर मैं सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के नाते अपने जमीर का सच्चा होऊं, जैसा कि मैं हूँ और अपने आपको मानता हूं तो फिर ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ, न ऐसी बात कहने की कोई जरूरत मानता हूं।···हां, यह अवश्य है कि मैं अपने भाषण में पाश्चात्य देश के राजाओं की मिसाल देकर, उनके उनकी प्रजा के साथ किए गए अत्याचारों, प्रजा से उनके सम्बन्ध और उसके अन्तिम परिणामों पर जरूर रोशनी डाल रहा था और उन मिसालों से यहां के इस देश के राजा-महाराजाओं से भी सबक लेने या सीखने के लिए अपील कर रहा था कि भाड़े के शरारतियो ने पूर्व निश्चय के अनुसार शोर मचाकर मीटिंग भंग कर दी मैं कहीं नहीं भागा, भागने का कहना गलत है, मैं वहीं रहा, मुकदमा चलाने

की बात पीछे सोची गई है, जब कि एक बडे अफसर के घर इकट्ठे होकर मीटिंग भंग करने का इनाम तकसीम कर यह निश्चय किया गया।

मैं यह आज भी मानता हूँ कि सत्ता का स्रोता जनता है, यह सत्ता जनता ही हमेशा अपनी भलाई के लिए किसी को भी सौंप देती है और चूंकि यह सत्ता उसकी सौंपी हुई होती है, इसलिए वह उसे कभी भी उसके (सत्ता के) ठीक उपयोग न करने अथवा दुरुपयोग करने पर अथवा जिस काम केलिए वह सौंपी गई हो, उस काम में न लाने पर वापस ले लेना, अथवा लेकर, किसी भी दूसरे व्यक्तियों के समूह को, जिसे या जिन्हें वह उस काम के लिए ठीक योग्य और उचित समझे देदेने, सौंप देने का अधिकार रखती है। मैं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या परिवार का दूसरे व्यक्तियों या जनसमूह पर शासन करने, राज्य करने या अधिकार जमाए रखने का नैसर्गिक अधिकार नहीं मानता। मेरा यह निश्चित मानना है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या परिवार, जन साधारण पर उसकी इच्छा के विरुद्ध जोर जुल्म से, अपना अधिकार या सत्ता, अधिक दिन तक जमाए रखने में सफल नहीं हो सकता। ऐसी कार्यवाइयों का निश्चित परिणाम वही होता है जो पाश्चात्य देशों मे राजाओं के साथ वहा की जनता ने किया है। ...यदि इन मान्यताओं का रखना, बनाना, और ऐसा मानते हुए सच्चाई से उसका कहना, प्रचार करना, अपराध है तो मुझे सबसे बड़ा अपराफी माना जाना चाहिए इसमें कोई सन्देह नहीं और मुझे विना किसी रियासत के बडे सा बड़ा कड़ा दण्ड जो कभी कानून में हो, आप दे सकते हो, दिया जाना चाहिए और मैं ऐसी बलिवेदी पर कुर्बान होने में अपना गौरव समझूंगा, क्योंकि इस रास्ते में से पहले कई महापुरुष जा चुके हैं, जा रहे हैं और भविष्य में भी जायंगे...।

मुझे खेद, दुःख तथा आश्चर्य है कि मेरी बातों का उलट-शुलट और गलत, शलत, किसी गर्ज नाजायज से रखकर, मुझ पर मुकद्दमा चलाने की मंजूरी लेकर मुझे एक इतने बडे मुकद्दमे में फंसाकर बिना किसी वास्तविक कारण के ला खड़ा किया गया। लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं सच्चा हूं। यदि उचित बात के कहने, लिखने पर पीस भी दिया जाऊंगा तो क्या?

हमें आज भी नागरिक अधिकार सच्चे मायनों में नहीं है। बोलने, मिलने पर, गलत, बेबुनियाद, बहानों से रुकावटें हैं और लिखने की तो कोई सोच ही क्या सकता है, उस पर दकियानूसी एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट की नंगी त ारें लटकी हुई है। हां तारानाथ रावल जैसों को शायद मंजूरी मिल सकती है।

बीकानेर की गैरजिम्मेवार सरकार सदा इस कोशिश में रही कि बीकानेर में जन-जागृति न हो, यहां श्मशान की शांति बनी रहे, बीकानेर बाहर की दुनिया से एक अलग जगह बनी रहे।...दासी, भैंसिया, केदार, रावल जैसे खरीदे हुए व्यक्ति हर काम के लिए तैयार हैं, जहां जैसी जरूरत हो, उन्हें लगाया जा सकता है। उसके लिए, जितना थोड़ा कहा जाय और वाणी पर संयम रखा जाय, उतना ठीक है।

२८–९–४६ को जो प्रथम मीटिंग बीकानेर के राजनैतिक इतिहास में अलवर के श्री मास्टर भो नाथजी के प्रयास से जो राजगढ़ लाठीचार्ज की जांच के सिलसिले मे अंग्रेजी दैनिक "हिन्दुस्तान टाइम्स" के विशेष प्रतिनिधि के साथ आए हुए थे, हुई उससे बीकानेर की गैरजिम्मेवार सरकार बौखला गई और जब ने जन-जागृति के बढ़ते प्रवाह को रोकने में अपने आपको असमर्थ पाया, तब उसने मुकाबले में मीटिंग करने, सरकारी नकली संस्थाएं खडी करने, परिषद की मीटिंग को भंग करने, उसके कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकद्दमें बनाने शुरू किये, कि जिसका प्रथम शिकार उस दिन की

मीटिंग और में हुए। उसके बाद से आज तक सरकारी दफा चालू है। उधर उत्तरदायी शासन देने की बात है, इधर नागरिक अधिकारों को दबोच कर दफा चल रही है, समझ में नहीं आता कि इन दोनों बातों का मेल कैसे बैठता है। क्या उत्तरदायी शासन अनुत्तरदायी व्यक्तियों के हाथ में देने से काम चल जायेगा। ...शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार ने भी ठीक इसी प्रकार की कारंवाइयां की थी .. हमारी सरकार को भी बजाय सारी गलतियां और बेहूदगियों का अनुभव करके कटुता फैलाकर रास्ते पर आने के उनसे, वहां की परिस्थिति के अनुभव से शिक्षा प्राप्त कर ठीक बात को ठीक तरह से, ठीक पर करना, जान लेना, सीख लेना चाहिए, नहीं तो समय निकल जाने पर उसे पछताना पड़ेगा ।

मेरा विचार कारंवाई में हिस्सा लेने का नहीं था, लेकिन कई मित्रों, सम्बन्धियों के आग्रह ने मुझे विवश किया और मैंने हिस्सा लिया और इसीलिए यह बयान भी देता हूं। मैं जानता हूं कि आज का न्याय विभाग भी उसी गैरजिम्मेवार सरकार का एक अङ्ग है, और आप श्रीमान उसके एक पुर्जे। लेकिन फिर भी आप मानव हैं, आप भी बीकानेर के नागरिक हैं, ...आपकी स्वतंत्र राय में यदि मैंने कोई अपराध किया है तो कड़ी से कड़ी सजा दें और यदि अन्यथा हो, तो फिर सोच लें कि आपको साहस के साथ क्या करना है। यह शरीर, यह पद सब नश्वर हैं, आज हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं। एक बन्दी और कह-लिख भी क्या सकता है।

बीकानेर स्वतन्त्र भारत के साथ फले-फूले, शीघ्र ही ठीक प्रकार का उत्तरदायी शासन का उपभोग करे, यही कामना है। जय हिन्द।

परिशिष्ट (१७)

रिहाई आज्ञापत्र

बीकानेर राजपत्र, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रविवार,
तारीख २८ जुलाई, सन् १९४६ ई०

दफ्तरसाहब प्राइम मिनिस्टर
नोटिफिकेशन

श्री लालगढ़ ता० २७ जुलाई सन् १९४६ ई०

नं. ४२—श्रीजी साहब बहादुर जिन नये वैधानिक सुधारों के मुख्य विवरण को ३१ अगस्त को अपनी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर घोषित करने की इच्छा प्रकट कर चुके हैं, उन सुधारों की शिरूआत करने के लिए राज्य में उचित वातावरण कायम हो; इस गर्ज से श्रीजीसाहब बहादुर ने खाविन्दी फरमाकर तमाम राजनैतिक अपराधियों को जिनकी संख्या है, जो पकड़े हुए हैं या दोषी ठहराये जा चुके हैं, रिहा करने का हुक्म बख्सा है।

२—श्रीजीसाहब बहादुर ने यह भी हुक्म फरमाया है कि जो मुकदमात उन लोगों के खिलाफ, जो रिहा किये जा रहे हैं, जेरतजवीज है उठा लिए जायं।

३—इस नतीजे पर पहुँचने में श्रीजीसाहब बहादुर सिर्फ उस विचार में प्रवृत हुए हैं, जिससे कि नये सुधारों की सुगम वृद्धि मे व उनको कायम करने में किसी प्रकार की कमी न रह जाय।

बाइ कमान्ड
नारायणसिंह
फार प्राइममिनिस्टर

परिशिष्ट १८

अदालत सिटी मजिस्ट्रेट सदर राज श्री बीकानेर

तजवीज (निर्णय)

तजवीज अदालत व इजलास में दुर्गादत्त जी कीराडू,
बी. ए. एल. एल. बी, सिटीमजिस्ट्रेट सदर
मुकदमे का नम्बर २३६ सन ४६
सीगा (विभाग) नम्बरी, फौजदारी

राज ाम

बधूड़ा उर्फ रामनारायण वल्द मघाराम ब्राह्मण सा० बीकानेर मोहल्ला जसूसर दरवाजा बाहर मुलजिमान

जुर्म दफा ३८४ ता० बी०

जिस तरह से यह मुकदमा जहूर मे आया उसके वाकेयात इस तरह पर हैं कि रामकिसन डागा सा० बीकानेर जो कलकत्ता से बीकानेर आया हुआ था, यह अपनी औरत व लड़के जगन्नाथ व उमर ११ को बीकानेर छोड़कर और ८४००) के नोटों की नई गड्डीयां ट्रंक में बन्द करके वापिस चलागया और चाबियांअपनी बीवी को देगया। यह चाबियां उसके लड़के के पास भी रहा करती थी। जब वह कलकत्ता से वापिस आया और कपडे रखते वक्त नोट संभाले तो तीन गड्डी नोट ५) ५) व एक गड्डी एक-एक के नोटों की कुल १६००) नहीं मिले। पूछ-ताछ करने पर उस के लडके जगन्नाथ ने बतलाया कि बधूडा वल्द मघाराम ने उस को पकड कर छुरी दिखा कर कहा कि तुझे अभी जान से मारदूंगा वरना तेरे घर से काफी रुपये लाकर दे दे। इस डर व धमकी में आकर उसने १५००) के नोट ५) ५) के १००) के नोट एक-एकवाले मुलजिम को देदिये। इसपर उसने बधूड़ा की तालाश की मगर

वह नहीं मिला। दौरान तलाश में उसको गनेशदास से पता चलाकि वधूड़ा मुलजिम ने ६२१) में यक्का-घोड़ा खरीदा है। इस वाके की इत्तला रामकिसन ने सिटि पुलिस बीकानेर में ता० १८१-२-४३ को रपट जिस की नकल E X P I है दी जिस पर मुकदमा जेर दफा ३६२ ता० बी० कायम किया जाकर तफतीश शुरू हुई। दौरान तफतीश में मु० मोहम्मद रमजान S. P. I. ने ता० १८-१२-४३ को ८६४) गनेशदास गवाह से वरामद किये और मुस्तगीस से बाकी रुपये मु० नोपसिह ने बजरीये फर्द EXP4 तहवील मे लिये। इस तरह से पुलिस की तरफ से बधूडा के न मिलने पर व जुर्म दफा ३६२ ता० बी० का चालान वास्ते कारवाई दफा ५१२ जा० फो० पेश किया गया, जिसमें शहादतें लिये जाने पर अदालत हाजा से १२-७-४४ को राजवी श्री अमरसिंह जी सिटी- मजिस्ट्रेट ने यह हुकम दिया कि जुर्म ३६२ ता० बी० नहीं बनता, बल्कि ३८४ ता० बी बनता है। इस पर पुलिस की तरफ से मुकदमा जेर दफा ३६२ ता० बी बजरीये फाईनल रिपोर्ट खारिज कराया जाकर साहब D. M. सदर से २६-६-४५ को मंजूरी हासिल की जाकर बधूड़ा मुलजिल के खिलाफ इस्तगासा व जुर्मदफा ३८४ ता० बी० ता० १६-६-४६ को पेश किया है।

इस्तगासे की ताईद मे मु० नोपसिह मु० मोहम्मदरमजान, गणेश दास, गनपतलाल, हरसचन्द्र, किशन गोपाल, मु० कृपालसिंह, S P.P. पूनमीया गवाहान की शहादत कराई गई है।

मु० मोहम्मद रमजान S I P का बयान है कि उसने ८६४) के नोट गनेशदास गवाह से वरामद किये थे जिसकी फर्दकी नकलEXPO मुताबिक असल है। उसने गोपालकिशन से इक्का-घोडा बरामद किये थे, जिस की फर्द की नकल EXP 10 है। गनेशदास का बयान है कि उसके पास से मुलजिम ने इक्का खरीद किया था। ६५०) में खरीदा था। ५००) नकद देदिये थे, १५०) की चीट्टी लिखाकर दी थी।

मुलजिम ने घोडी भी उससे खरीद की थी। इस तरह से ६२५) में यक्का-घोडी का बेचाण उसने गनपत अर्जिनवीस से और दरखास्त मुन्तकली लाईसेंस लिखकर देदी। म्यूनीसिपलबोर्ड वालों ने कहा कि दो दिन बाद लाईसेंस मुन्तकिल करा लेना। इस पर मुलजिम व वह घर आगये। मुलजिम यह कह कर कि उसके घर इक्का-घोडी बान्धने की जगह नहीं है, उसको कोठडो में छोड़ गया। दूसरे दिन मुलजिम इक्का घोड़ी लेगया। इसके बाद पुलिस आई और बधूडा के दिये हुए ८६४) लेगई। गनपतलाल गवाह ६२५) की रसीद EXP 7 व दरखास्त मुन्तकली लाईसेन्स EXP 8 को असल अपनी लिखी हुई होना बयान करता है। हरखचन्द गवाह चिट्ठी EXP 6 की असल बधूडा के कहने से लिखना बयान करता है। किशनगोपाल गवाह मुलजिम का गनेशदास से इक्का ६५०) में मोल लेकर चिट्ठी लिखना व उस चिट्ठी मे साख करना बयान करता है। मु० कृपालसिंह S I इस्तगासा EXP 12 की तसदीक करता है। पूनमीया गवाह का बयान है कि ३–४ साल की बात है गनेशया को कोठड़ी मे जुआ हो रहा था। वहां पर गनेशया व मुलजिम ने इक्का घोडी लेन-देन की बात-चीत की थी। मुलजिम के पास १०) १०) के नोट थे। कितने नोट थे, गिने नहीं। न यह पता कि उसके पास नोट कहां से आये।

मु० नोपसिंह C I हालात तफतीशी बयान करते हैं। इस मुकदमे में रामकिशन व जगन्नाथ गवाह की शहादत अहम थी, जो इस्तगासे की तरफ से मोहलत दिये जाने पर भी पेश नहीं किये गये। इन गवाहान की शहादत ऐसी थी जिससे इस्तगासे को तक़वीयत पहुँच सकती थी। इसके अलावा कोई ऐसी शहादत इस मुकदमे में मुलजिम के खिलाफ इस असर की पेश नहीं हुई है कि किसी के मुलजिम को जगन्नाथ से बजरीये इसतहसाल बिल जबर के साथ रुपये हासिल करते देखा हो। जो गवाहान इस मुकदमे में पेश हुये हैं उनकी शहादत से महज यह पता चलता है कि मुलजिम ने गनेशदास से घोडी व इक्का

खरीदने की बातचीत की और उसकी बाबत लिखा पढी हुई। इससे यह नहीं माना जासकता कि मुलजिम ने जगन्नाथ को डरा-धमका कर रुपये हासिल किये हों। पूनमीया गवाह को इस बात के साबित करने के लिये पेश किया गया कि मुलजिम के पास ५) ५) के नोट की गड्डी थी और उसके सामने मुलजिम ने रुपये जगन्नाथ से लाना

न किया था। मगर इस्तगासा इस गवाह के बयान से इस बात को साबित करने में कासीर रहा है। ऐसी सूरत में जब तक कि मुलजिम के खिलाफ कोई सरीह शहादत extortion के मुताबिक न हो, यह फतवा देना कानून दुरूसत नहीं कि मुलजि ने इ हसाल ि के जरीये जगन्नाथ से रुपये हासि किये हों। रुपयों की कोई ाख्तगी नहीं हो ती, इसलिये नहीं ा जा सकता कि बरामद शुदा रुपये मुस्तगीस के ही हैं। मुस्तगीस ने रिपोर्ट भी बहुत देरी से की है इन तमाम हालात को देखते हुए मुलजिम के खिलाफ Prima facıı case नहीं बनता और इस कदर सबूत नहीं है कि मुलजिम को जवाब देही में मसरूफ किया जाये। रुपये गनेश गवाह के कब्जे से बरामद किये गये हैं और यह रुपये उस घोड़े व इक्के की कीमत के हैं, जो इक्का व घोड़ी मुलजिम ने गनेश गवाह से खरीद किया था, इसलिए इक्का व घोड़ी मुलजिम को मिलने चाहिए और रुपये गनेश गवाह को मिलने चाहिये, जिससे कि रुपये बरामद हुये हैं। तहकीकात से बादियुन नजरी में जुर्मजेर दफा ३८४ ता. बी. नहीं बनता और यह बिला लेने जवाब काबिल रिहाई है लि०

व अदम सबूत हुक्म हुआ कि जुर्म दफा ३८४ ता० बी० बधूदा मुलजिम रिहा हो। रुपये जो गनेशदास गवाह से बरामद हुए हैं वह बाद मियाद अपील उसको व बाकी रामकि को दिये जावें। इक्का-घोडी मुलजिम को दिये जावें, हुकम सुनाया गया। मिसल दाखिल दफ्तर हो।

ता० २-५-४७ द. पं दुर्गादत्त जी साहब कीराइ

ता. २-५-४७

परिशिष्ट (१६)

बीकानेर राज्य प्रजापरिषद के लिए जनता से प्राप्त चन्दे का ब्यौरा

१२ अप्रेल १६४५ से ५ जुलाई १६४५ तक

११) श्री रावमाधोसिंहजी गंगानगर
।) श्री श्रीरामजी आचार्य बीकानेर
११) श्री घेवरचन्दजी तमोली "
५) श्री किशनलालजी सेवड़ा "
१।) श्री पन्नालाल जी राठी "
।) श्री माधौसिंह जी "
१०।) श्री चिरंजीलालजीसुनार "
२।) श्री मुलतानचन्द जी चौहान बीकानेर
५) श्री कुंजबिहारीसिंहजी "
२।) श्री सोहनलाल जी "
।) श्री किशनगोपालजी सेवड़ा "
११) श्री गोपीकिशन जी सुनार "
५) श्री मोहनलालजी स्वामी "
१) श्री माणिकलालजी मूधड़ा "
१) श्री चम्पालालजी "
२) श्री विश्वनाथजी "
४) श्री मांगीरामजी "
२) श्री रामरतनजी "
।) श्री रामरतनजी गंगानगर
।) श्री हरिश्चन्द्रजी शर्मा "
।) श्री सेवाराम जी "
।) श्री सूर्यपाल वर्म्मा "

।) श्री जीवनदत्त शर्मा गंगानगर
२) श्री अभय कुमारजी "
२) श्री गिरधरलालजी "
१) श्री गणेशी लाल जी "
२५) श्री घेवरचन्दजी तमोली बीकानेर
५) श्री शकरलालजी "
५) श्री चम्पालाल जी "
२१) श्री प्रतापसिंहजी कोठारी चूरू
।) श्री परमेश्वरजी पारीक "
।) श्री गुलाबरामजी कोठारी "
५) श्री सुगनचन्दजी लखोटीया "
५।) श्री जीवनरामजी मूंदी "
२) श्री लचमीनारायणजी बीकानेर
१) श्री बदरीनारायणजी राठी "
११।) श्री द्वारकादासजीस्वामी "
१००) घेवरचन्दजी तमोली "
४६०) गुप्त सहायता

७२५) कुल सहायता
६४६)॥ श्री मघाराम वैद्य की ओर से व्यय

१३७१)॥ प्राप्ति का योग

बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के खाते व्यय का व्यौरा

१२ अप्रेल १६४५ से ५ जुलाई १६४५ तक

५।।।) परिषद के कार्यकर्ताओं का फोटू खिचा।

४३१।–)।। परिषद्के प्रचार कार्यमें भ्रमण, रेल, तांगा और विज्ञापन आदि में।

११०।–)।। डाकखर्च, स्टेशनरी व शहर में तांगा किराया।

४०।।।≡)।। राष्ट्रीय वाचनालय का म किराया, नौकर का वेतन और ाचारपत्रों का मूल्य।

६०) प्रजापरिषद के प्रचारार्थ कलकत्ते जाने के लिए श्रीमूलचन्दजी पारीक को

१०)। खादी के लिए श्री दामोदर प्रसाद जी को।

(खादी मन्दिर कैशमिमो न० ७६ ता० ६. ६. ४५)

६३४।।।=)।। दुधवाखारे के लगभग २०० किसानों को भोजन कराने में व्यय (२६. ६. ४५ से ६–७ ४५ तक)

४७।।≡) दुधवाखारे के किसानों पर किये गये अत्याचारो के सम्बन्ध में पंडित जवाहरलालजी नेहरू, देश के अन्य नेतागणों और बीकानेर के महाराज को दिये गये तारों का व्यय।

१३७१)।। व्यय का योग

—चम्पालाल उपाध्याय
मन्त्री,
बीकानेर राज्य प्रजापरिषद

'आजाद हिन्द क्राति' को हिन्दी मे अमर बनाने वाले

"मारवाडी प्रकाशन"

का अर्थ है

"क्रांतिकारी प्रकाशन"

ये प्रकाशन बहुत ही सस्ते, अत्यन्त लोकप्रिय, छोटे बड़े-बूढे सबके लिये उपयोगी और मुर्दा 'नसों' में भी देशप्रेम की भावना को जगाकर दिव्य प्रगति की प्रचण्ड भावना को उद्दीप्त करने वाले हैं। सभी परिवारों, सभी पुस्तकालयो, सभी वाचनालयों और सभी पाठशालाओं में इनकी एक-एक प्रति अवश्य रहनी चाहिये । कथा की तरह रोचक, नाटक की तरह मनोरंजक, उपन्यास की तरह मनोहर और इतिहास की तरह रुचिकर इन प्रकाशनों को हाथ में लेकर पूरा पढ़े बिना पाठक छोड़ ही नहीं सकता।

'युरोप में आजाद हिन्द'

पृष्ठ १५०   मूल्य २)   चित्र एक दर्जन

हिन्दी के सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री सत्यदेव विद्यालंकार और बैंकोक (थाईलैण्ड) से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र 'आजाद हिन्द' के सम्पादक सरदार रामसिंह रावल ने इसको बड़ी मेहनत और खोज से लिखा है। इसकी भूमिका में सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्रदेव जी लिखते हैं कि "युरोप मे सुभाष बोस ने जो कार्य किया था, प्रस्तुत पुस्तक मे उस का इतिहास मिलता है। हिन्दुस्तानी क्रांतिकारियों ने पहिले महायुद्ध के दिनों में और उसके बाद जो काम किया था, उसका इतिहास भी इसमे दिया गया है। बडे परिश्रम से इसका संग्रह किया गया है। लेखनशैली बडी रोचक है। पढ़ने में उपन्यास का

आनन्द मिलता है। अगस्त क्रान्ति के इतिहास के इस अध्याय का यह विवरण पाठकों के लिए रुचिकर होगा।"

बर्लिन में कायम की गई आजाद हिन्द फौज के भुक्तभोगी वीर फौजियों से इसकी सामग्री इकट्ठी की गई है। नेताजी और आजाद हिन्द फौज के सर्वथा नये और दुर्लभ एक दर्जन चित्र इस में दिए गए हैं। तिरंगा टाइटिल है।

पूर्वीय एशिया के सम्बन्ध में तो दर्जनों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, किन्तु युरोप के सम्बन्ध में लिखी गई यह पहली और अकेली ही पुस्तक है। हर राष्ट्रप्रेमी को इसे जरूर पढ़ना चाहिए।

'करो या मरो'

तिरंगा आकर्षक टाइटिल मूल्य १)

विद्रोही नेताओं के बोलते चित्रों के साथ अगस्त १९४२ की खुली बगा की उज्ज्वल झांकीःमहाविद्रोह की धधकती चिनगारी को प्रज्वलित रखनेवाले "करो या मरो" महामन्त्र की अमर कहानीः भूमिका के रूप में "लड़ाई के मैदान" में शीर्षक से राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलालजी नेहरू के विचार।

विद्रोह की चिनगारी, खुली बगावत की घोषणा, खुली बगावत के लिए नेताओं के आह्वान के साथ अगस्त क्रान्तिका संक्षिप्त इतिहास फौलाद की कलम से खून की-सी लाल स्याही से लिखा गया है। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस और तुर्की मे हुई क्रांतियों की कहानी भी इसमें दी गई है।

क्रांति, विद्रोह या बगावत की गीता के रूप में लिखी गई यह पुस्तक निराश हृदयों में आशा का संचार कर मुर्दा नसों में भी देशप्रेम और राष्ट्रभक्ति का जोश पैदा करने वाली है। हर युवक के पास इसकी एक प्रति रहनी चाहिए।

टोकियो से इम्फाल

पृष्ठ २२४ मूल्य २॥) लगभग २१ चित्र

बैंकोक से इम्फ तक तीन हजार मील पैदल आने वाले, 'आजाद हिन्द' पत्र के सम्पादक, आजाद हिन्द र के प्रकाशन विभाग के सेक्रेटरी, स्वर्गीय श्री रासविहारी बोस के प्राइवेट सेकेट्री तथा नेताजी के परम विश्वासपात्र सरदार रामसिंह रावल और हिन्दी के सुप्रसिद्ध पत्रकार तथा यशस्वी लेखक श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने इसको उपन्यास के ढंग पर कहानी से भी अधिक मनोरंजक भाषा में लिखा है।

मेजर जनरल शाहनवाज साहब लिखते है कि "जो पुस्तकें आजाद हिन्द के सम्बन्ध में अब तक लिखी गई हैं, वे अधिकतर ऐसे लोगों की हैं, जिनकी जानकारी पूरी नहीं है। इसके लेखक सरदार रामसिंह श्री रामविहारी बोस के साथी होने से एक सुयोग्य और अधिकारी लेखक हैं। जो लोग आज़ाद हिन्द इन्कलाब के बारे में सच्ची और पूरी जागकारी प्राप्त ा चाहें, उनसे मैं इसको पढ़ने की सिफारिश करूंगा"

हिन्दी में प्रकाशित होने के बाद "यह अंग्रेज़ी, तैलगू, गुजराती उर्दू आदि में भी प्रकाशित हो रही है। नेताजी के सर्वथा भ्य अनेकों चित्र इस पुस्तक में पहली ही बार प्रकाशित किये गये हैं। टाइटिल अत्यन्त आकर्षक है।

अगस्त क्रान्ति की लक्ष्मीबाई श्रीमती अरुणा ने इसकी भू ी है।

"राजा महेन्द्रप्रताप"

मूल्य १॥) अनेक चित्र

देश के महान क्रान्तिकारो नेता की यह क्रान्तिकारी जीवनी क्रान्तिकारी भाषा में लिखी गई है। १९१४ के महायुद्ध में तिकड़म-

बाजी से जर्मनी पहुँच कर कैसर विलियम से मिल कर अफगानिस्तान में आजाद हिन्द सरकार और आजाद हिन्द फौज कायम करके अंग्रेज़ी हकूमत पर हमला बोलने वाले, छाया की तरह पीछा करने वाले अंग्रेज़ी फौज से बाल-बाल बच निकलने वाले, देश की आजादी की धुन में ३२-३३ वर्ष विदेशों में बिताने वाले, इसी धुन में संसार की कई बार परिक्रमा करने वाले, अत्यन्त साहसी और परम देश-भक्त राजा महेन्द्रप्रताप के साहसपूर्ण कहानी, जो हर देशप्रेमी युवक को पढ़नी चाहिये ।

"लाल किले में"

मूल्य २॥)　　　　　　　　　　एक दर्जन चित्र

१८५७ के स्वतन्त्रता-संग्राम के बाद हिन्दुस्तान के अन्तिम ाट बहादुरशाह पर और अब आजाद हिन्द फौज के बहादुर अफसरों पर चलाये गये मुकदमों के इतिहास के रूप में आपको इसमें डूबते हुए सूरज के समय की दर्द भरी आहें और उगते हुए सूरज के य के उम्मीद भरे तराने दोनों ही पढ़ने को मिलेंगे ।

"जयहिन्द"

मूल्य २)

इसके लाल पन्नों में १८५७ से १९४७ तक के ९० वर्षों की खूनी लाल क्रान्ति का ज्वलन्त, शानदार और शृंखलाबद्ध इतिहास पेश किया गया है। दिल्ली की सरकार ने दस ही दिनों में इसको जब्त कर लिया था। फिर भी १९४६ में हिन्दी में प्रकाशित हुई पुस्तकों में यह सबसे अधिक संख्या में प्रकाशित हुई है । जान पर खेल जाने वाले क्रान्तिकारी वीरों के कारनामों के साथ आजाद हिन्द क्रान्ति का इतिहास भी इसमें पढ़िये ।

"आजाद हिन्द के गीत"—मूल्य ॥)। युरोप और पूर्वीय एशिया में आजाद हिन्द इन्कलाब की लहर में लड़ाई के मैदान में

गाये गये मुर्दा नशों में भी राष्ट्रप्रेम और देश-भक्ति का जोश पैदा करने वाले गीतों का अपूर्व संग्रह।

"राष्ट्रवादी दयानन्द"—मूल्य १॥)। तीसरा संस्करण। आर्य-ज के प्रवर्तक महान क्रान्ति के द्रष्टा स्वामी दयानन्द और आर्य-समाज के सम्बन्ध मे क्रान्तिकारी दृष्टि से लिखी गई यह पहली और अकेली ही पुस्तक है।

"परदा"—मूल्य ३)। दूसरा संस्करण। साहित्य सम्मेलन का श्री राधामोहन गोकुलजी पुरस्कार सबसे पहिले इसी क्रान्तिकारी पुस्तक पर इसके यशस्वी लेखक श्रीसत्यदेवविद्यालंकारको दियागया है। श्रीमती जानकीदेवी बजाज और पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी मुक्तकण्ठ से सराहना की है। एक दर्जन व्यंग चित्रों से पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गई हैं। परदे की घातक कुप्रथा के बारे मे लिखी गई इस पुस्तक के घर मे आ जाने पर सामाजिक रूढ़ियों और अन्धविश्वासों का अन्धेरा घर में रह नहीं सकता।

"कल्पना कानन"—मूल्य २)। पक्की सुनहरी जिल्द। बरार केसरी श्री ब्रिजलाल जी बियाणी ने वेलोर जेल में बिल्कुल नयी शैली में कुछ कल्पनात्मक कथानक लिखे हैं। इन की भाषा का प्रवाह उपन्यास, नाटक और कहानी को भी मात कर गया हैं। पाठक इनमें तन्मय होकर लेखक की कलम को चूम लेना चाहेगा।

राष्ट्रपति कृपलानी—मूल्य १।)। आचार्य कृपलानी उन राष्ट्रीय नेताओं मे से हैं, जिन्होंने अपनी सेवा और साधना से 'राष्ट्रपति' के उच्चतम गौरवास्पद पद को प्राप्त किया हैं। उन्हीं की सचित्र जीवनगाथा इस पुस्तक में ज्वलन्त भाषा में दी गई है।